राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 14

सोमवार,

28 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। प्रतिपक्ष के प्रतीक आप हैं, नमस्कार। सभी आ रहे हैं। अभी उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी मुख्य मंत्रीजी के वहां, उनके हस्तक्षेप से। इसके बाद सब आ रहे हैं।

प्रश्नकाल। श्री मानसिंह किनसरिया।

परबतसर में अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना

215. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार परबतसर विधान सभा क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) (गृह मंत्री के स्थान पर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का विवरण इस प्रकार है:-

i) महिला व बालकों से सम्बन्धित अत्याचारों की रोकथाम के लिए उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है;

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ii) अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है;

iii) अपराधियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्ययोजना के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश परिशिष्ट 'स' पर है; एवं

iv) पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र परिशिष्ट 'द' पर है।

(2) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में माकूल रात्रि गश्त व सायंकालीन गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु कार्य किया जाता है। होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चैकिंग की जाकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है। परबतसर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को अपराध गोष्ठी में समय-समय पर अपराध नियंत्रण के लिए निर्देश दिये जाते हैं। स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी की जाकर, सार्वजनिक स्थानों पर सादा वस्त्रों में पुलिस जाब्ता तैनात कर, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाकर अपराधों की रोकथाम की जा रही है। दौराने-नाकाबंदी मेगा हाई-वे पर वाहनों की चैकिंग कर अपराधों की रोकथाम की जाती है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के जवाब से वैसे तो संतुष्ट हूं, लेकिन तीन मुकदमों के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, गत कांग्रेस सरकार के समय में जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वे हैं, एक तो जे डी ए थाने का मुकदमा नंबर 382/11; एक नावां थाने का है 141, 42, 43, 44/13; एक पीलवा थाने का है 19/11; इन मुकदमों में ..,

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, मेरा एक निवेदन है कि इस तरह के सवाल सारे राजस्थान के पूछने लग जाएं तो व्यवस्था होगी नहीं। आपको इन सवालों की पत्रावलियों की जानकारी है क्या, माननीय गृह मंत्रीजी? ये पत्रावली के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, अभी तो तैयार नहीं हूं, क्योंकि हर मुकदमे के बारे में नहीं जानता हूं।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): मैं मंत्रीजी से जवाब नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो उनमें कार्यवाही हो जाए, यह चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चलो, ठीक।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): एक परबतसर और पीलवा थाना जो मेरे परबतसर विधान सभा में लगता है, उनमें नफरी कम है, उसको भर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने 4 केसेज के बारे में जो नम्बर बताये हैं, अभी तो मेरे पास एकदम जवाब तैयार नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन माननीय सदस्य के इन सारे केसेज को फिर से दिखवाऊंगा।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): यह पुराने केसेज हैं पिछले समय के, उन पर उचित कार्यवाही हो जाए।

श्री अध्यक्ष: चैम्बर में जाकर के मिल लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें जो मेरा विभाग कर पाया और जो करेगा, उसकी सूचना मैं आपको 7 दिन में भिजवा दूंगा।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जहां तक रहा स्ट्रेन्थ बढ़ाने के बारे में, राज्य सरकार जिस समय सभी थानों के बारे में निर्णय लेगी स्ट्रेन्थ बढ़ाने की दृष्टि से, उसी समय इन थानों पर भी स्ट्रेन्थ बढ़ायी जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

उदयपुर सम्भाग में संचालित कृषि उपज मंडियां

216. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि उपज मंडियों की कौन-कौन सी श्रेणियां किन-किन मानदंडों के आधार पर निर्धारित की गयी हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों की किस-किस श्रेणी को

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर सम्भाग में वर्तमान में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां किस-किस श्रेणी की संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मंडी की श्रेणी को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि विपणन मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम, 1963 के नियम 3 के अन्तर्गत मंडी समितियों का वर्गीकरण मंडी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) कृषि उपज मंडी समितियों में किसान कलेवा योजना एवं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना संचालित हैं, जिनके विवरण परिशिष्ट 'ब' एवं परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) उदयपुर सम्भाग में जिलेवार व श्रेणीवार कृषि उपज मंडी समितियों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। कृषि उपज मंडी समिति, चित्तौड़गढ़ 'स' श्रेणी की मंडी है। कृषि उपज मंडी समिति, चित्तौड़गढ़ की मंडी शुल्क से आय निर्धारित मापदंड से कम होने के कारण इसे श्रेणी 'ब' में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। नहीं, आक्या जी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): वर्तमान में व्यापार का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है किन्तु राजस्व रिकार्ड में कम होने से, जैसे मंडी व्यापारियों द्वारा मंडी लाइसेंस से मंडी प्रांगणों के बाहर शहर में व्यापार करना, मंडी में कोल्ड स्टोरेज नहीं होना, माल रखने के लिए उचित प्लेटफार्म नहीं होना, वहां सड़क, सुरक्षा, पेयजल, सुलभ काम्पलेक्स सुविधाएं नहीं होना; मंडी राजस्व कम होने का कारण मंडी व्यापारियों द्वारा मंडी लाइसेंस पर शहर में व्यापार करना है। क्या सरकार ऐसे व्यापारियों को मंडी प्रांगण से व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

मंडी की असुविधा के कारण प्रदेश का राजस्व चित्तौड़गढ़ सीमा से प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश जा रहा है। उक्त राजस्व को रोकने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है?

क्या सरकार चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मंडी का सीमांकन कर वहां प्लेटफार्म, सड़क, बाउंडरी एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

मंडी के किसानों व व्यापारियों का जो माल आता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। क्या सरकार मंडी प्रांगण में कोल्ड स्टोरेज व सब्जी यार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न मंडी की श्रेणी बदलने का था। जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, मंडी का विकास होना चाहिए, वहां प्लेटफार्म बनना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी की आय को ध्यान में रखते हुए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और मंडी में यदि राशि उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से इनके दिये हुए प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): जो राजस्व मध्य प्रदेश में जा रहा है, उसको रोकने का विचार रखते हैं क्या?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, जो राजस्व बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए वहां मंडी स्थापित की हुई है और मंडी की जो अभी वर्तमान आय है, अभी 2013-14 में 98.11 लाख रुपये की आय हुई है। मैं मंडी समिति के अधिकारियों को फिर से डायरेक्शन दूंगा कि वे मंडी क्षेत्र के बाहर, वैसे तो हम किसी भी किसान की जिंस को किसी भी अन्य मंडी क्षेत्र, यानी बाहर ले जाने से रोक नहीं सकते हैं, फिर भी यह प्रयास करेंगे कि मंडी की आय बढ़े और इसके लिए कर्मचारियों को सतर्क किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कृषि कार्य करते हुए जिनकी दुर्घटनावश सांप काटने से या वैसे डैथ हो जाती है, इसमें बताया हुआ

(श्री गोतम कुमार)

है कि समिति जो निर्णय लेती है उसके एक महीने के अन्दर-अन्दर भुगतान हो जाता है, लेकिन वहां साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल से पेमेंट बाकी है, बड़ी सादड़ी कृषि उपज मंडी में। उनका भी कब तक भुगतान हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब मंत्रीजी दें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कृषक रक्षक योजना के अन्तर्गत आपने समयावधि बढ़ाने की बात कही है। इसमें भी वर्तमान में जो प्रावधान हैं, उसमें 6 महीने तक उसका निस्तारण राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है। चूंकि कुछ ऐसे प्रकरण हो जाते हैं जिनमें जैसे स्नेक-बाइटिंग का है, उसकी एफ एस एल में जांच होने जाती है, यदि उस जांच में देरी विभागीय कारणों से या एफ एस एल से होती है तो ऐसे विषयों पर सरकार विचार करती है। कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें 3 महीने के अन्तर्गत मंडी समिति की एक समिति बनाई हुई है, उस समिति को फैसले करने का अधिकार है। वहां से वह फैसला करके राज्य सरकार को भेजती है। यदि स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो वहीं पर उसकी स्वीकृति जारी की जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह। पूरक प्रश्न।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि खेतों में काम करते समय, कृषि का कार्य करते वक्त किसान की यदि मृत्यु हो जाती है तो वर्तमान में एक लाख रुपये सहायता राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस राशि को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की बात कही गई है। मैं कृषि मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किसानों की मृत्यु खेत का कार्य करते समय हो जाने पर पांच लाख रुपये तक देने की जो घोषणा की गई है, सरकार कब तक इसको लागू करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कृषक साथी योजना में वर्तमान में दी जाने वाली राशि को, निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में इस राशि को बढ़ाने की उसमें घोषणा की थी,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अभी इसमें कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी यह प्रक्रिया विचाराधीन है। इसमें सरकार अपनी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग इसका परीक्षण करवा रहे हैं और परीक्षण होने के बाद, जैसा भी राज्य सरकार का अंतिम निर्णय होगा, उस पर धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि किसी किसान को अगर सांप ने काट लिया और उसने एफ आई आर और पोस्टमार्टम, दोनों चीजें जरूरी होती हैं, उसने एफ आई आर दर्ज करवा दी लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवा पाया। उसने डाक्टर को दिखाया और उस डाक्टर की रिपोर्ट में ही यह है कि यह सांप के जहर से और सांप के काटने से मौत हुई है। तो ऐसे मामलों को सरकार कंसिडर करने का विचार रखती है?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कृषि साथी योजना के अन्तर्गत अभी किसी भी जहरीले सर्प से या किसी भी जहरीले कीड़े से या दवा छिड़कते वक्त किसी भी इन्सेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से यदि किसान की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उसके प्रमाणीकरण के लिए जरूरी है कि वह किस जहर से मरा, उसके मरने का कारण क्या है, काज आफ डैथ क्या है। इसके लिए अभी जो मौजूदा प्रावधान हैं, उसमें एफ आई आर का भी है, उसका विसरा लेकर एफ एस एल में जांच के लिए भेजने का भी प्रावधान किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: तीन प्रश्न पूरक हो गये, दो उधर हो गये। पांच से ज्यादा नहीं। हमें समय के साथ चलना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएं, यह मेरी कोशिश रहेगी। पूरक प्रश्न तीन हो गये।

श्री बाबूलाल वर्मा।

संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय (जयपुर) के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण

217. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को

(श्री बाबूलाल वर्मा)

संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय, जयपुर के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जाता है? यदि नहीं, तो चिकित्सा पुनर्भरण कब से बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने की सुविधा को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय पूर्व में अनुमोदित चिकित्सालय की श्रेणी में शामिल था? यदि हां, तो अब इसे हटाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को पुन: अनुमोदित चिकित्सालय की श्रेणी में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) (वित्त मंत्री के स्थान पर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, (1) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के नियम 3 (7) में उल्लिखित परिशिष्ट 1 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक एफ. 6 (4) वित्त/नियम/2003 दिनांक 15.02.2010 को एम ओ यू के आधार पर आरम्भिक रूप से 3 वर्ष के लिए राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर को अनुमोदित किया गया। एम ओ यू के अनुसार चिकित्सालय द्वारा आवेदन करने पर ही समयावधि बढ़ाई जाती है। संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं करने के कारण दिनांक 16.09.2013 को जारी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में उल्लिखित अनुमोदित चिकित्सालय की सूची से नाम हटा दिया गया है।

(2) राज्य स्थित निजी चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आवेदन करने पर प्रकरण चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग में प्राप्त होने पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 4 के अन्तर्गत गठित हैल्थ बेनिफिट एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। हैल्थ बेनिफिट एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आधार पर निजी चिकित्सालय को अनुमोदित चिकित्सालयों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर को राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से दिनांक 17.07.2014 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ। हैल्थ बेनिफिट एम्पावर्ड कमेटी की आगामी बैठक में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के नियम 3 (7) में उल्लेखित परिशिष्ट 1 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक एफ.6(4)वित्त/नियम/2003 दिनांक 15.02.2010 को एम ओ यू के आधार पर आरम्भिक रूप से 3 वर्ष के लिए राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर को अनुमोदित किया गया। एम ओ यू के अनुसार चिकित्सालय द्वारा आवेदन करने पर ही समयावधि बढ़ाई जाती है। संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं करने के कारण दिनांक 16.09.2013 को जारी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में उल्लेखित अनुमोदित चिकित्सालय की सूची से नाम हटा दिया गया है।

(4) राज्य स्थित निजी चिकित्सालयों को राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड/प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् हैल्थ बेनिफिट एम्पावर्ड कमेटी द्वारा विचार किया जाता है। संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हास्पिटल, जयपुर को राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से दिनांक 17.07.2014 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ। हैल्थ बेनिफिट एम्पावर्ड कमेटी की आगामी बैठक में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार हैल्थ बेनिफिट एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुमति प्राप्त चिकित्सालयों में इलाज करवाने की सुविधा प्राप्त करने की अनिवार्यता हो, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? चिकित्सालयों को

(श्री बाबूलाल वर्मा)

अनुमोदित करने के मानदण्ड क्या हैं? यदि 5.3.14 के आदेश में वर्णित 56 अस्पतालों में संतोकबा दुर्लभजी की तरह भविष्य में अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया गया तो राज्य सरकार पूरे राजस्थान के कर्मचारियों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए क्या वैकल्पिक उपाय रखती है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा, जो नियम बने हुए हैं, राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008, इन नियमों में संशोधन भी हो गया। अब इन नियमों को रिप्लेस करके राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 बनाये गये हैं। इन नियमों में, अध्यक्ष महोदय, नियम 4 के अन्दर एक स्थायी हैल्थ बेनिफिट एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। जो भी निजी चिकित्सालय हैं, उनके आवेदन पत्र सवाई मानसिंह चिकित्सालय के माध्यम से वहां पर भेजते हैं, वहां पर उसका परीक्षण होता है और उसके बाद हैल्थ बेनिफिट एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव, वित्त करते हैं, जिसमें प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा; प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा; प्राचार्य, एस एम एस मेडिकल कालेज, जयपुर; प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर; अधीक्षक, एस एम एस मेडिकल कालेज, जयपुर; निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं; एवं निदेशक, आयुर्वेद, ये सब उस कमेटी के सदस्य होते हैं। उनका जो आवेदन पत्र आता है, उस आवेदन पत्र में जो नोर्म्स तय किये गये हैं, उन नोर्म्स में भी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के नियम 4 के अन्दर जो नियम बनाये गये हैं, उनके अनुसार मल्टी स्पेशलटी चिकित्सालय होना चाहिए, पांच करोड़ का वार्षिक टर्न-ओवर होना चाहिए, 150 बेडेड हास्पिटल होना चाहिए, 14 कंसल्टेंट विशेषज्ञ नियुक्त होने चाहिए और पैरा-मेडिकल नर्सिंग स्टाफ, आपातकालीन सेवा, रेडियोलोजिकल सेवा, वैक्सीन, डायरी, सब चीजों की सुविधा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जब अनुमोदन किया गया था, इस चिकित्सालय ने जब इनका समय समाप्त हो गया, 14.2.2013, तीन साल के लिए, पहले इस संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल को रियायती, जो हमारे दूसरे सरकारी मुलाजिम और दूसरे जो हैं वहां चिकित्सा करा सकें और उसका बेनिफिट ले सकें, उस सूची में जिसमें 53 चिकित्सालय हैं, उसमें शामिल था परन्तु जब इनका एग्रीमेंट 14.2.2013 को समाप्त हो गया; ये तीन थे, तीन में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से दो ने तो अपना आवेदन पत्र रिन्यू करवाने के लिए दे दिया, इन्होंने दिया नहीं। अब इनका आवेदन पत्र अभी प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने उत्तर में अभी निवेदन किया था। इनका आवेदन पत्र अभी 17.7.2014 को प्राप्त हुआ है। इसको हम दिखवा रहे हैं। आगे यह एम्पावर्ड कमेटी में जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी के नोर्म्स पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा भी करेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह सवाल पूरे राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का मामला है। मैंने क्वेश्चन लगाया 14.7.14 को, 14.7.14 को जैसे ही मैंने क्वेश्चन लगाया, 17.7.14 को संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल ने इसके लिए आवेदन कर दिया।

मेरा इसमें कहना यही है कि जो भी बड़े चिकित्सालय हैं, जब तक वे स्टार्टिंग में खुलते हैं तो वे लोग राज्य सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। या तो मंत्री महोदय इस बात को बतायें कि क्या संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल हैल्थ बेनिफिट कमेटी के मानदण्डों के अनुसार खरा नहीं उतरता है? यह इच्छा-शक्ति चिकित्सालय की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार के समस्त कर्मचारी और अधिकारियों की चिकित्सा का मामला है। जब एक संतोकबा दुर्लभजी ने अपना लेवल बना लिया, इतना बड़ा अस्पताल है और उसके लिए यदि राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी चिकित्सा व्यवस्था के लिए वंचित रहें और यह उस चीज को वह डिसाइड करे कि वह कब आवेदन करेगा और कब नहीं करेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा है कि क्या राज्य सरकार इस मामले में कोई नीतिगत, क्योंकि जब अस्पताल खुला, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से जमीन ली, अन्य सुविधाएं प्राप्त कीं और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को उसका लाभ नहीं मिले। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहती है? क्योंकि यह पालिसी का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने पहले निवेदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया कि ये जो नियम बने हुए हैं, राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008, इसके रूल 8 के अन्दर यह प्रावधान है कि जो भी चिकित्सालय इस लिस्ट में आना चाहता है, उसको आवेदन पत्र देना पड़ता है। उसके आवेदन पत्र पर एम्पावर्ड कमेटी जो बनी हुई है वह उस पर निर्णय करती है।

इनका जब टर्म खत्म हो गया 14.2.2013 को, इनके साथ दो चिकित्सालय और थे, एक था, घीसीबाई मेमोरियल मित्तल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जयपुर और दूसरा था एस.के. सोनी अस्पताल, जयपुर, इन दोनों ने अपने एग्रीमेंट की तिथि खतम होने के बाद दुबारा एप्लाई कर दिया; इन्होंने एप्लाई किया नहीं। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि जब-तक चिकित्सालय इसमें एप्लाई नहीं करेगा और एम्पावर्ड कमेटी में निर्धारित मापदण्ड, जो रूल 4 के अन्दर हैं, उनकी पूर्ति नहीं करेगा, तब तक उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनके अन्दर संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल आता है, परन्तु एप्लाई तो उनको करना पड़ेगा।

अब उन्होंने अभी एप्लाई किया है, यह एप्लाई किया 17.7.2014 को, एस एम एस हास्पिटल में उनका आवेदन-पत्र आया, उसका परीक्षण हुआ, वित्त विभाग में भेजा गया है। अब एम्पावर्ड कमेटी की आगामी बैठक में उनके इस प्रस्ताव को, जो हमारे पास है, उस पर विचार करके उसमें निर्णय किया जाएगा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक मूल पूरक प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब। आ गया।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): मेरा मूल पूरक प्रश्न है, क्या जिस तरह संतोकबा दुर्लभजी ने अपना आवेदन नहीं किया, यदि इस तरह दूसरे हास्पिटल अपनी मर्जी से आवेदन नहीं करें, तो राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के प्रति क्या वैकल्पिक व्यवस्था रखती है? क्योंकि यह स्पेसिफिक है। आज संतोकबा ने नहीं किया, कल एस.के. सोनी नहीं करेगा, परसों दूसरा नहीं करेगा, जयपुर हास्पिटल नहीं करेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर नीति तो बताएं, साहब। कल की तारीख में इसकी तरह दूसरे

(श्री बाबूलाल वर्मा)

अस्पतालों ने आवेदन नहीं किया तो हमारे पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, उन अस्पतालों में राज्य कर्मचारियों की इलाज कराने की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों से चलता है सरकार का काम। यह जो राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 का नियम 4 है, यह बाध्यकारी है। जिस किसी को आवेदन करना होगा, उसको निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ेगा। जो चिकित्सालय नहीं करेगा, यह तीन साल का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद उसको दुबारा अगर आना है तो दुबारा आवेदन करना पड़ेगा, तिबारा आवेदन करना पड़ेगा। इसे हम कैसे निश्चित करें? राजस्थान में कितने चिकित्सालय हैं, कई चिकित्सालय यह कहते हैं, हम यह सुविधा न देना चाहते हैं, न इस सुविधा के एम्पैनल होना चाहते। हम उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवर लाल। पूरक प्रश्न।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेट्रो सिटी में संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल जैसों को लिस्टेड करते हैं, क्या विधान सभा क्षेत्र लेवल या जिला लेवल पर ऐसे अस्पताल लिस्टेड करने की राज्य सरकार, मंत्रीजी मंशा रखते हैं? क्योंकि कर्मचारी वहां भी होते हैं और मेट्रो सिटी आने में उनको प्रोब्लम होती है। क्या छोटे अस्पताल को क्राइटेरिया कम करके, 150 बेडेड मल्टी स्पेशलटी अस्पताल और 5 करोड़ का टर्नओवर, इस क्राइटेरिया को कम करके उन अस्पतालों को भी लिस्टेड करने की मंशा रखते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर, जैसा मैंने पहले कहा कि जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 2008 हैं, इसके अन्तर्गत राजस्थान में 53 चिकित्सालय थे, जो इस लिस्ट में अनुमोदित थे। 2013 के अन्दर जब नियमों में परिवर्तन हुआ तो कुछ और चिकित्सालयों ने इसमें एप्लाई किया, उनकी संख्या 59 हो गई। निजी चिकित्सालय एक पी पी पी मोड पर हैं। जो भी चिकित्सालय राजस्थान के किसी भी भाग में एप्लाई करेगा, किसी भी जगह से, निश्चित तौर पर उसका परीक्षण रूल 4 के अन्दर करेंगे और जो मापदण्ड रूल 4 के अन्दर तय किये गये हैं, उनको अगर पूरा करेगा तो उनको एन्लिस्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: रामलालजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से निजी हास्पिटल्स को सरकार रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराती है या अन्य सुविधाएं देती है और वे सरकार से कमिटमेंट इस बात का करते हैं कि हम इतने परसेंट नि:शुल्क मरीजों का इलाज करेंगे, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सहायता कोष से यह सुनिश्चित होता है कि अमुक व्यक्ति को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता मिलेगी, क्या सरकार इसी तरीके से नि:शुल्क इलाज कराने के लिए इस तरीके का कोई सेल गठित करने का विचार रखती है? सरकार ही उन मरीजों को रेफर करे कि इन मरीजों का आपको नि:शुल्क इलाज करना है। वास्तविकता यह है कि वे हास्पिटल नि:शुल्क मरीजों का इलाज करते नहीं और सूची सरकार के पास भेज देते हैं कि हमने इतने लोगों का नि:शुल्क इलाज किया है। क्या सरकार एक ऐसा सेल डवलप करना चाहती है जिससे सरकार उन मरीजों को रेफर करे कि इनका आपको नि:शुल्क इलाज करना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही बात कही, जो चिकित्सालय रियायती दरों पर जमीन लेते हैं, वे सरकार के साथ एग्रीमेंट भी करते हैं, एम ओ यू भी करते हैं। उसमें रोगियों की एक निश्चित संख्या, जो 10 परसेंट भी हो सकती है, 20 परसेंट भी हो सकती है, इन्डोर और आउटडोर के अन्दर उनको फ्री चिकित्सा सुविधा देने की बात भी होती है, देखने में यह आया है कि इसकी पालना सख्ती से होती नहीं है। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि वह रोगी मित्र तय करेगी, इन निजी चिकित्सालयों में रोगी मित्र के रूप में सरकारी मुलाजिम को भेजेगी और उसके साथ हेल्पडेस्क भी प्रारम्भ करेगी ताकि सब लोगों को यह मालूम पड़ जाय कि कितने इस प्रकार के चिकित्सालय हैं जिन्होंने रियायती दर पर जमीन ली और जिन्होंने एक निश्चित प्रतिशत के अन्दर कुछ मरीजों को मुफ्त में इलाज देने की बात अपने एम ओ यू में की।

इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, रेग्यूलेट करने की कोई आज अथोरिटी हमारे पास नहीं है; निजी चिकित्सालय में कितनी फीस ले रहे हैं, इसकी अथोरिटी भी नहीं है; निजी चिकित्सालय के अन्दर किस-किस इलाज के लिए कितनी-कितनी राशि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्धारित है, इसकी भी अथोरिटी हमारे पास नहीं है। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसको इसी विधान सभा ने पारित किया था, परन्तु लागू नहीं हुआ। उसके रूल्स हम बना रहे हैं और चार महीने में जब उसके रूल्स बन जाएंगे, उसके बाद इनको रेग्यूलेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्रीजी ने कहा, सरकार रूल्स से चलती है, सरकार कानून से चलती है। सरकार ने एक कानून यह भी बनाया है कि जो चिकित्सालय और जो हास्पिटल सरकार से रियायती दर पर जमीन लेते हैं, उन गरीबों का इलाज भी करेंगे। और निश्चित प्रतिशत की दर से इलाज भी करेंगे। इसके साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों का इलाज भी करेंगे। अब आपने यह बना दिया कि पहले तो एप्लाई करें। मान लो, वे एप्लाई नहीं करेंगे, तो सरकार क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? उन चिकित्सालय के खिलाफ, जो प्रोपर टाइम पर एप्लाई नहीं करते हैं, जो गरीबों का इलाज प्रोपर टाइम पर नहीं करते, जो गरीबों के इलाज में लापरवाही बरतते हैं, और बहुत सारी शिकायतें लोगों की प्राप्त हुई हैं। सरकार को इस विषय में बहुत गम्भीर होना चाहिए। ऐसे अस्पतालों का जो गरीबों का इलाज नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारियों का इलाज नहीं करते हैं, कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, उनको कानून के हिसाब से चलाने का विचार सरकार रखती है? उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो मूल सवाल था, यह इस बात को लेकर था कि राज्य सेवा में नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको आज चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 के अनुसार उन्हें बेनिफिट देने की बात थी, जिसमें एन्लिस्टेड कुछ चिकित्सालय होते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन सिर्फ लिमिटेड है कि जो राज्य सरकार के नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी हैं, वे किन-किन निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा ले सकते हैं? उनका रिएम्बर्समेंट सरकार किन-किन में करेगी? यदि यह सुविधा कोई लेना चाहता है और हमारे मापदण्ड पर खरा उतरता है, तभी हम उसको एन्लिस्ट कर पाएंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य शायद समझ नहीं पाये। बहुत से चिकित्सालय इस लिस्ट पर आना चाहते हैं। सरकार को तय करना होता है, इनमें किसको लें, किसको नहीं लें। इसीलिए मापदण्ड बना रखे हैं। इसीलिए रूल 4 के अन्दर एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है फाइनेंस सैक्रेटरी की अध्यक्षता में। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह उससे सम्बन्धित सवाल नहीं है।

दूसरा सवाल, जो आप कह रहे हों कि निजी चिकित्सालय, रियायती दरों पर जमीन जिन्होंने लीं, जिन्होंने डी एल सी के कुछ प्रतिशत पर जमीन लीं, उन चिकित्सालयों में, जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, जो एम ओ यू हुआ, उसके अन्दर कई जगह पर यह शर्त थी कि 10 प्रतिशत वे इन्डोर पेशेंट का मुफ्त में इलाज करेंगे, 20 प्रतिशत वे आउटडोर के अन्दर मुफ्त में इलाज करेंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि जिन्होंने रियायती दरों पर जमीन लीं, 28 ऐसे चिकित्सालय तो जयपुर-जयपुर में हैं, इन सब पर हम सख्ती करेंगे। इसीलिए पहली बार हमने हेल्पडेस्क खोलने की बात कही है और पहली बार हमने रोगी मित्र लगाकर इन सारे चिकित्सालयों को, कोशिश करेंगे कि ये अपने एम ओ यू के अनुसार गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करें।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल।

पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव

218. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति घाटोल की 53 ग्राम पंचायतों व जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की 27 ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा कितने किसानों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की पंचायत रोहनीया के गांव राहेनीया, माडली, भमीडी ठाकरा, जिनकी आबादी 8,500 है तथा जो माही डैम के किनारे बसे हुए हैं, का सरकार सर्वे कराकर विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी हां। बांसवाड़ा की पंचायत

(श्री गजेन्द्रसिंह)

समिति घाटोल की 53 ग्राम पंचायतों व जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की 27 ग्राम पंचायतों में दिये गये कृषि कनेक्शनों के विवरण क्रमश: प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' पर उपलब्ध हैं।

(2) जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायत रोहनीया (मोहनिया) में ग्राम रोहनीया, ठाकरा, मांडली में आबादी छितराई हुई एवं नदी के किनारे होने के कारण विद्युतीकरण हेतु अजमेर डिस्काम द्वारा आर.आर.ई.सी. को अधिकृत किया गया था। आदेश की प्रति प्रपत्र ''स'' पर उपलब्ध है। ग्राम भमेरी (भमीडी) पूर्व में ही विद्युतीकृत है। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत आर.ई.सी.पी.डी.सी.एल. द्वारा सर्वे के अनुरूप गांव रोहनीया, ठाकरा एवं मांडली में योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भावित है।

(विवरण व प्रति पुस्कालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। माननीय विधायक।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायत रोहनीया के ग्राम रोहनीया, मांडली, भमीडी, ठाकरा, जिनकी आबादी करीब 8,500 है तथा वे ग्राम माही डैम के बैक-वाटर, किनारे पर बसे हुए हैं, का माननीय मंत्री महोदय सरकार द्वारा गांवों का सर्वे कराकर माही डैम बैक-वाटर के किनारे बसे किसानों को कनेक्शन देना चाहते हैं?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त गांवों के बारे में माननीय सदस्य ने जो अभी चर्चा की है, ये सब गांव पहले तो आर.आर.ई.सी. के जरिये विद्युतीकृत किये गये थे, लेकिन या तो सोलर पैनल कुछ खराब हो गये या उनकी बैटरीज चोरी हो गईं। तो इस तरह जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, पांच-वर्षीय जो योजना है, बारहवां प्लान है, उसके अन्दर माननीय सदस्य के जितने भी गांव और ढाणियां हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वहां पर छितराई हुई ढाणियां हैं और इसमें पैसे स्वीकृत हो चुके हैं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसके तहत, क्योंकि जो आपकी दोनों पंचायत समितियां हैं वे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत हैं, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना

(श्री गजेन्द्रसिंह)

है इसके तहत आपके बांसवाड़ा जिले में टोटल 1,372 ढाणियां कवर हो जाएंगी, आपके 34,080 कनेक्शन ए.पी.एल. में घरेलू कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे और बी.पी.एल. में 46,316 कनेक्शन, यानी कि टोटल घरेलू कनेक्शन 80,395 इस योजना के अन्तर्गत हो जाएंगे, जिसमें 147.22 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। प्रतापगढ़ जिले में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 927 ढाणियां, 22,248 ए.पी.एल., 18,147 बी.पी.एल., यानी कि कुल 40,395 घर और 58 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 1850 करोड़ रुपये हमें स्वीकृत हो चुके हैं।

यह योजना अभी शुरुआत में है और आपका जो पूरा एरिया है, उसमें कोई भी ऐसी ढाणी नहीं होगी जिसकी आपने मांग की है और उसके अन्दर कोई घर वंचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत रोहनीया के ग्राम रोहनीया, ठाकरा व मांडली माही डैम बैक-वाटर के किनारे पर बसे हुए आदिवासी किसानों को मोटरें लगाकर खेती करने के लिए विद्युत कनेक्शन देने का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी आपके क्षेत्र के लोग हैं, वे जो भी प्रोसीजर है उसके अनुसार एप्लाई कर दें एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए। लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि एक जो बहुत ही पापुलर और कामयाब पालिसी हमारे स्टेट में स्पीड पकड़ चुकी है, वह है सोलर पम्प, जिसके अन्दर बहुत भारी सब्सिडी मिलती है। मेरे ख्याल में आपका जो सब-सोइल वाटर है, वह ज्यादा गहरा नहीं है और यह 3 हार्सपावर, 2 हार्सपावर हैं, ये बहुत ही कामयाब हैं। इनकी डिमांड राजस्थान में बहुत रही है और इसके तहत भी आप कर सकते हैं। नार्मल प्रोसीजर के अनुसार आप कृषि कनेक्शन के लिए एप्लाई कर दें। क्योंकि आपके वहां पर सब शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, तो उनको तो यों भी प्राथमिकता से तुरन्त कनेक्शन मिल जाएगा।

इसलिए इसका आप फायदा उठायें और अन्य जो जनरल कैटेगिरी के अन्दर आप या तो सोलर पम्प इस्तेमाल कर लें या कृषि कनेक्शन के लिए एज-पर-नार्म्स-आफ-पालिसी एप्लाई कर दें।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल। आप बैठिये, केसारामजी, आप बैठिये। नहीं, यह नहीं, आप विराजिये। मैंने नारायण सिंहजी देवल को पुकारा है। आप बैठिये, कृपया बैठिये। तीन पूरक प्रश्न होंगे, एक तो वह हो रहा है और दो और होंगे, बस। मैं इतने-इतने अलाउ थोड़े ही कर सकता हूं। बैठिये। नारायण सिंहजी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो घरेलू कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसमें नेशनल हैबिटेशन सर्वे, 2003 के अनुसार 100 की आबादी में 5 के ग्रुप में फाइल भरकर घरेलू कनेक्शन दिये जाते हैं। अगर उसमें छठा या सातवां व्यक्ति पीछे रह जाता है तो उसका कनेक्शन इस नियम के अनुसार नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार की क्या मंशा है?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बहुत रिजिड रूल्स थे कि 5 का ही कनेक्शन होता था। एक ऐसा बनाया गया था कि 5 लोग होंगे, तभी कनेक्शन मिलेगा उस ढाणी को। लेकिन हमारी सरकार ने इसको रिलेक्स कर दिया है। अब 5 मिनिमम होने चाहिए। 5 के अतिरिक्त चाहे 6 हों, 7 हों, 8 हों, 10 हों, 15 हों, उसके लिए कोई रोक नहीं है। यह हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दी है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि कृषि कनेक्शनों पर किसानों को जो छूट दी जाती है, उसमें अजमेर डिस्काम द्वारा पिछले दिनों 2009 से 2013 तक की अवधि के बिल हैं, पेरीफेरी के जितने भी किसान हैं। उनसे छूट की राशि वापस वसूल की जा रही है। क्या यह सही है? पहला विषय तो यह है। यदि सही है तो किन नियमों के तहत? जो सरकार ने छूट दी है वह वापस कैसे वसूल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक लाख रुपये छूट के उनके जुड़ गये और किसानों को 1-2-3 लाख रुपये का डिमांड नोट वापस भेजा जा रहा है। अजमेर की पेरीफेरी के गांवों के किसान बहुत परेशान हैं। इसलिए आपसे निवेदन हैं कि आप मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या की

(श्री गजेन्द्रसिंह)

बातों से मुझे समझ में आया है, जो कृषि कनेक्शन हैं उनमें राज्य सरकार बहुत भारी सब्सिडी देती है। नियामक आयोग के अनुसार लगभग 4 रुपये की रेट पड़ती है और हम पूरा सब्सिडाइज करके उसको 90 पैसे में देते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि आप किस रिबेट की बात कर रही हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जो कृषि कनेक्शनों पर आप रिबेट देते हैं, वह रिबेट पहले से चली आ रही है और 2014 तक वह रिबेट थी। लेकिन अब पिछले महीने के जितने कृषि कनेक्शनों के बिल आये हैं, उनमें 2009 से 2013 तक की जितनी रिबेट दी गई थी, उन सब को वापस जोड़कर यह कहा जा रहा है कि आप यह सब रिबेट वापस भरो। वह जो राशि है 2009 से 2013 तक की, वह लाखों में पहुंच गई है। इसलिए हर किसान परेशान है। कृषि कनेक्शनों के लिए जो दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शनों में टैरिफ में तो 90 पैसे है, 90 पैसे की रेट है, तो ये किस छूट की बात कर रही हैं? 90 पैसे ही चार्ज किया जा रहा है। उससे अतिरिक्त थोड़े ही चार्ज किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती भदेल, आप इनके चैम्बर में मिल लीजिये, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चैम्बर में मिल लीजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से बोलूंगा कि मुझे पर्टिकुलर आकर मुझे बता दें, मैं उसके अन्दर देख लूंगा और उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजीव गांधी बिजली योजना के तहत करीब-करीब सारी ढाणियों का सर्वे हो चुका है। तो क्या उसका बजट आ गया? और आप कब तक चालू करेंगे? आप चालू करेंगे तो कोई समय है? या इन ढाणियों का किस तरीके से आपने सर्वे किया है? उसमें आप जल्दी से जल्दी जोड़ने की मंशा रखते हो क्या?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले भी इसके

(श्री गजेन्द्रसिंह)

बारे में बताया था कि 1,850 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, कई जगह टेण्डरिंग हो चुकी है, कई जगह टेण्डरिंग करनी है। तो यह जो 1,852 करोड़ के करीब पैसा हमें स्वीकृत हुआ है, वह पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक है। हम उसको हमारे एज-पर-टार्गेट उसकी पूर्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: आखिरी पूरक प्रश्न। श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) आप विराजिये। मैं सबको एकोमोडेट नहीं कर सकता।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पाली जिले में 2010 में कनेक्शन दिये हैं और लगभग 2011 तक वह काम समाप्त हुआ। 2011 से लेकर लगभग सभी ढाणियों और सभी गांवों का सर्वे हो चुका है और लगभग चार साल के अंतराल के बाद, यह काम कब शुरू होगा? क्या पाली जिले में टेण्डर प्रोसेस हो गये हैं? यदि नहीं हुए तो कब तक होंगे? पीपला एक ऐसा गांव है जो आदिवासी क्षेत्र का गांव है, जिसकी आबादी 4000 से ज्यादा है, परन्तु आज भी वह गांव विद्युतीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है, या अभी तक वह लाइट से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या मंत्रीजी तुरन्त प्रभाव से उसको जोड़ना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2012-17 का जो प्लान है, इसके तहत 100 की आबादी से ऊपर जितनी भी ढाणियां हैं, उनको कवर कर लिया जायेगा और कोई भी ऐसी ढाणी नहीं होगी जिसका कवरेज बाकी रह जायेगा।

आप टेण्डर प्रोसेस की बात कर रहे थे, आप मुझे डिटेल दे दें, उसके अन्दर मैं देखकर पर्याप्त एक्शन लूंगा। 100 से अधिक की जो ढाणियां हैं, वहां तक इस प्लान के अन्दर टार्गेट है, अप टू 100। वह हम प्राप्त कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई। (व्यवधान) नो, नो। श्री भीमा भाई। (व्यवधान) केसारामजी चौधरी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 8-8, 10 -10 अगर आते हैं तो मैं नहीं कर सकता। नहीं, यूं नहीं, बिलकुल नहीं। (व्यवधान)

कुशलगढ़ में टी ए डी योजनान्तर्गत कार्य

219. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति विकास योजना अन्तर्गत गत पांच वर्षों में बांसवाड़ा जिले के पांच विधान सभा क्षेत्रों के लिए कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पांच वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में टी ए डी योजना अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना अन्तर्गत गत पांच वर्षों में राशि का आबंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है? यदि हां, तो उक्त राशि-आबंटन का मानदण्ड क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भविष्य में राशि का आबंटन जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अथवा किसी विशेष विधान सभा क्षेत्र के आधार पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा): (1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं में गत पांच वर्षों में बांसवाड़ा जिले के पांच विधान सभा क्षेत्रों में आबंटित बजट की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त पांच वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अन्तर्गत स्वीकृत 37 कार्यों के विरुद्ध राशि 1,279.02 लाख रुपयों के विरुद्ध 1,055.96 लाख रुपये व्यय किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग की योजनाओं में कार्य स्वीकृति के कोई लिखित मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधित राशि एवं स्थानीय आवश्यकता, आधारभूत सुविधा का अंतर, जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किये जाते हैं।

(4) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के वित्तीय संसाधनों में लगभग 200 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत देय अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होते हैं।

(श्री नन्दलाल मीणा)

इसके अतिरिक्त, जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत राज्य आयोजना मद से लगभग 288 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकांश भाग कमिटेड मदों का होता है। इस प्रकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पास वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं।

जनजाति उपयोजना अन्तर्गत प्रत्येक विभाग आयोजना मद का लगभग 13 प्रतिशत जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु प्रावधान करता है तथा सम्बन्धित विभाग अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर जनजाति उपयोजना अन्तर्गत व्यय करता है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनजाति उपयोजना अन्तर्गत रुपये 6,469.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि के प्रावधान एवं व्यय पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कार्य स्वीकृति हेतु यद्यपि कोई लिखित मापदण्ड निर्धारित नहीं है, तथापि उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग विकास व आधारभूत सुविधा के अंतरालों को पाटने हेतु स्थानीय आवश्यकता, जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किये जाते हैं।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री महोदय ने लिखित में जो उत्तर दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं, पर जो राशि आबंटित की जाती है, उसकी मानिटरिंग की व्यवस्था के लिए क्या उप खण्ड स्तर पर या जिला स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिससे वह राशि जो वास्तव में वहां पर स्वीकृत की गई है, खर्च हो रही है? मानिटरिंग के बारे में बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो-जो भी राशि कार्यों के लिए स्वीकृत की जाती है, उस पर कितना व्यय होता है, उस पर पूरी निगाह रखी जाती है। विभाग के अधिकारी और जिला

(श्री नन्दलाल मीणा)

स्तर पर परियोजना अधिकारी के पद सृजित हैं। उनके माध्यम से और राज्य सरकार द्वारा भी समय-समय पर, यदि किसी की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके आधार पर उसकी आडिट कराई जाती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा पूछेंगे आप?

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): बांसवाड़ा जिले में टेक्निकल अधिकारी कितने मौजूद हैं वर्तमान में? बांसवाड़ा जिले में उनकी क्या स्थिति है? जनजाति विभाग के टेक्निकल अधिकारी पर्याप्त संख्या में हैं क्या बांसवाड़ा जिले में?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बांसवाड़ा जिले में टेक्निकल अधिकारी के कितने पद खाली हैं, अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को सूचना प्राप्त करके उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। पचपदरा के माननीय विधायक। पूरक प्रश्न।

श्री अमराराम (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जैसे आदिवासी क्षेत्र में आप कृषि कनेक्शन दे रहे हैं, हमारे यहां बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर में भील कम्युनिटी है, आपके जनजाति की है, उनको कृषि कनेक्शन में प्रायोरिटी देंगे क्या?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनजाति उपयोजना क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर और बिखरी हुई, इस प्रकार चार भागों में जनजातियों का विभाजन किया हुआ है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि उनको कनेक्शन मिलेगा या नहीं; जो सुविधा राज्य सरकार के द्वारा बिजली कनेक्शन में एस टी/एस सी को दी जा रही है, उसी के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के जनजाति विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 218 के लिए मैंने बटन दबाया था, निवेदन किया था। उस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह नहीं। और कोई इस बारे में कोई प्रश्न पूछना है? इस बारे में कुछ पूछना है आपको? विराजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसमें नहीं पूछना है। ऊर्जा से सम्बन्धित आप अलग से चर्चा रखवायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह अलग से ले आना। आप पूछ रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री पब्बाराम।

खींचन (फलौदी) में पर्यटन विकास के कार्य

220. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे के समीप स्थित खींचन ग्राम साइबेरियन डोमीसाइल क्रेन पक्षियों की शरणस्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है?

(2) सरकार द्वारा उक्त पक्षियों की शरणस्थली के लिए वित्तीय वर्ष 2008 से 2013 तक खींचन ग्राम में पर्यटन विकास हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विकास हेतु किये गये कार्यों एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर कितने मिड-वे का निर्माण किया गया है? उनमें से कितने चालू एवं कितने बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पर्यटकों की सुविधाओं हेतु बंद मिड-वे को पुन: शुरू करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर) : (1) जी हां। जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे के समीप स्थित खींचन ग्राम सेन्ट्रल यूरेशिया, चीन व मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान से आने वाले डेमीसाइल क्रेन पक्षियों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में ग्रामीण पर्यटन योजनान्तर्गत ग्राम खींचन में राशि रुपये 48.05 लाख के निम्नांकित विकास कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कराये गये:-

1. मुख्य सड़क से विजय सागर तक सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण;
2. पार्किंग स्थल का निर्माण;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

3. घाटों का विकास;

4. फर्श का निर्माण कार्य;

5. व्यू पाइंट एवं साइनेजेज का निर्माण; व

6. बैठक व्यवस्था हेतु बेंचों का निर्माण।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 पर निम्नांकित स्थानों पर मिड-वे का निर्माण किया हुआ है:-

1. पोकरण;

2. बाप;

3. देचू; व

4. फलौदी।

इनमें से केवल मिड-वे पोकरण चालू है। शेष तीनों इकाइयां बंद हैं।

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपर्युक्त बंद पड़े तीनों मिड-वे को प्रारम्भ किये जाने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबेरियन क्रेन के नाम से विख्यात और अपने यहां मारवाड़ में कुरजा के नाम से विख्यात पक्षी, यह हज़ारों किलोमीटर दूर बगैर आराम किए और सागर के ऊपर से होकर के आता है और इसके दिमाग में जैसे कम्पास लगा है, वैसे ही एक ही स्थान पर आता है। यह हजारों वर्षों से आता रहा है और यहां पर खींचन में उतरता है। खींचन में 200 बीघा जमीन के अन्दर इसका प्रवास रहता है और वहां पर जो कैल्शियम के पत्थर हैं, उनको भी खाता है। ये 200 बीघा जमीन रात्रि नाड़ी, विजय सागर और नीमली नाड़ी, इसके कैचमेंट एरिया हैं।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, वहां पर जो कुत्ते हैं, शिकारी, वे इनको मार देते हैं, अन्य प्रकार के शिकार भी हो जाते हैं, तो क्या इनको पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाता है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बहुत समझदार पक्षी है और स्थान छोड़कर के दूसरी जगह चला जाएगा और पर्यटक स्थल खींचन हैं वह आम पर्यटक स्थल के रूप में, कुरजा के लिए विख्यात नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिलकुल सच है कि यहां पिछले कुछ वर्षों से हज़ारों की तादाद में यह पक्षी आता है और इसका जिस प्रकार का रंग है, वह भी वास्तव में बहुत ही लोगों को आकर्षित करता है। पिछले कुछ समय से लगातार यहां इस प्रकार के लोगों की आवक-जावक जो है, वह काफी मात्रा में बढ़ी है।

पर्यटन विभाग ने भी इसको ध्यान में रखकर इसके विकास के लिए 48 लाख रुपये तो पहले खर्च किये हैं और हमने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की प्राथमिकता की सूची में मेगा डेजर्ट पैटर्न विकास सर्किट जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी, जिसकी संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिनांक 9.12.2011 को फिर पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति पैंडिंग है।

यह बात सही है, वास्तव में माननीय सदस्य की जो भावना है कि उन पक्षियों की रक्षा की जाए, निश्चित रूप से विभाग इस बारे में प्राथमिकता से, जो भी हम कर सकते हैं, वह करेंगे। यह पहली बार है कि पर्यटन का, जो राजस्थान का बजट पिछले सालों तक केवल 42 करोड़ था, इस बार मुख्य मंत्रीजी ने 66 करोड़ की स्वीकृति देकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री पब्बाराम (फलौदी): धन्यवाद, मंत्री महोदय। यह कुरजां है जो अपने लोक गीतों में भी गाया गया है, इसके लिए आपने जो आश्वासन दिया, आपका आभार। परन्तु एक और प्रश्न है, हमारे जो एन एच-15 पर मिड-वे बने हुए हैं, उनमें से तीन मिड-वे बंद पड़े हैं और एक मिड-वे पोकरण वाला चल रहा है। वहां पर पर्यटकों की लगातार आवाजाही रहती है, सोलर हब भी है, लोग वहां पर खूब आते-जाते हैं परन्तु रहने के लिए जब व्यवस्था नहीं होती है तो बड़ी मुश्किल होती है। करोड़ों रुपयों की लागत लग करके, ये तीनों मिड-वे जो बंद पड़े हैं, उनसे राज्य सरकार का राजस्व गया है। तो मेरा आग्रह है कि इन्हें पुन: टेण्डर करके राजस्व भी प्राप्त करें और यह लोगों को, पर्यटकों को सुविधा भी मिले, क्या ऐसा मानस राज्य सरकार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बिलकुल सही है। इस नेशनल हाइवे 15 पर चार मिड-वे बनाये थे। मिड-वे, पोकरण 1987 में बनाया था; मिड-वे, बाप 1996 में बनाया था, मिड-वे, फलौदी 1996 में बनाया था; और मिड-वे, देचू 1998 में बनाया था। इनमें से जो चल रहा है, वह तो आज भी आर टी डी सी के द्वारा चल रहा है और वह प्रोफिट में है। यह जो तीनों हैं, ये अनुबंध पर दिये गये थे और अनुबंध पर देने से, यह जो आपका बाप, यह 2002 से ही बंद है। मिड-वे फलौदी 2010 से बंद है और देचू भी 2002 से बंद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी मिड-वे या जो भी सुविधाएं संचालित हैं, उनमें होटल, मोटल, कैफेटेरिया, यात्री धार्मिक स्थल, ये सारे मिलाकर के आज की तारीख में 72 में से केवल 41 चल रहे हैं, 27 आज की तारीख में बंद हैं, 4 लीज अनुबंध के आधार पर हैं। वास्तव में इनकी स्थिति जो है, चूंकि जिस प्रकार का छठा वेतन आयोग लागू हुआ, उसके कारण से इन पर काम करने वालों की सैलेरी इतनी अधिक होती है। जो सामान्यत: ढाबे चलते हैं उनसे उनका मुकाबला नहीं होता है और इसके कारण से वे एक तरह से वाएबल नहीं होकर के घाटे में चले जाते हैं। अब तक जो है, हमारी 26 इकाइयां इस 72 में से ऐसी हैं जो लगातार घाटे में चल रही हैं, इस 72 में से केवल 12 इकाइयां ही ऐसी हैं जो प्रोफिट में चल रही हैं।

लेकिन एक बार फिर से इस पर विचार करेंगे कि इनको प्रोफिट में कैसे लाया जा सकता है। इसके बारे में कुछ सहमति बनने के बाद ही इनको हम चलाने की स्थिति में हैं। आज यह कहने की स्थिति नहीं है कि इनको हम चालू कर देंगे, जो आपके यहां तीन बंद हैं चार में से। उनको हम देखेंगे, फिर किसी एजेंसी को देकर के अगर इन्हें चलाया जा सकता है तो प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री महोदय तो विद्वान हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि कुरजा जो पक्षी है वह काम क्या करता है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने कहा कि बुद्धिमान हैं तो मैं अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करता हूं। मैं जानकारी नहीं रखता हूं इस बारे में, वह क्या करता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह यह काम करता है, इनको पता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जो विरह वेदना पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको इसका पता रहता है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा गीत है, कुरजा ऐ म्हारा भंवर मिला दी जे। उसको बचाओ, कुरजा को।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विरह वेदना से जो दुःखी होता है, वही इसके बारे में ज्यादा नालेज रखता है।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरण मल सैनी, सवाल कीजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 2003 से 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय खेतड़ी राजा, मानसिंह के बागोरगढ़ किले को भी पर्यटकों की सुविधा के लिए रखा गया था। क्या इस बार सरकार मानसिकता रखती है, उसको विकसित करना चाहेगी?

श्री अध्यक्ष: यह अलग सवाल हो गया है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एकदम तो मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी करके जरूर दूंगा। अभी मेरे पास जो उत्तर है, उसमें यह सम्मिलित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अंतिम पूरक प्रश्न। श्री बाबू सिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन में जो मेगा प्रोजेक्ट जैसलमेर, बाड़मेर के लिए किया गया है, क्या सरकार शेरगढ़ और फलौदी इलाकों को भी इस मेगा प्रोजेक्ट में केन्द्र से शामिल कराने का विचार रखती है? स्पष्ट करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तक केन्द्र सरकार से इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। हमने प्रोजेक्ट भेज रखा है 50 करोड़ का, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, इसको हम जोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

नई कृषि उपज मण्डी (बूंदी) के निर्माण पर व्यय राशि

221. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) बूंदी में नई कृषि उपज मण्डी कब स्वीकृत की गयी? इस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नई कृषि मण्डी के निर्माण में अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है एवं इसका निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

कृषि विपणन मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) बूंदी में नई कृषि मण्डी स्वीकृत नहीं हुई है, बल्कि कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी के वर्तमान मण्डी प्रांगण का व्यापार नवीन मण्डी प्रांगण, कुवारंती में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। इस मण्डी के नवीन प्रांगण के विकास के लिए कुल 7,578.31 लाख रुपये व्यय होना सम्भावित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मण्डी के नवीन प्रांगण के निर्माण पर अब तक 1,140.23 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। निर्माण कार्य माह अगस्त, 2015 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2010 में ही जमीन अलाट हो गई थी और इसकी कीमत भी 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा जमा हो गई थी। क्या कारण रहा कि चार साल हो गये उसमें अभी तक मण्डी नहीं बन पाई? मंत्रीजी ने अपने जवाब में अगस्त, 2015 तक कहा है, कब तक इस कार्य को पूरा करा देंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री अशोक, सदस्य की ओर से राज्य खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित की गई मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स में, 1000 कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

2. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पंजाब से इंदिरा गांधी नहर

(श्री अध्यक्ष)

की विभिन्न वितरिकाओं से दूषित पेयजल आपूर्ति होने से क्षेत्र के लोगों के गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होने के सम्बन्ध में;

3. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील मुख्यालय कोटड़ी एवं तहसील मुख्यालय जहाजपुर में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; व

4. श्री रमेश, सदस्य की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों को आबंटित राजकीय आवासों पर निर्माण कार्य के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी क्रम संख्या-1 पर अंकित माननीय सदस्य, श्री अशोक को आज खनिज विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा के समय बोलने का अवसर उपलब्ध है। क्रम संख्या-2 एवं 3 पर अंकित माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री धीरज गुर्जर के प्रस्ताव के विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है। क्रम संख्या-4 पर अंकित माननीय सदस्य, श्री रमेश को प्रस्ताव के विषय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर चर्चा के दौरान अवसर था।

5. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से अजय सिंह, आई.पी.एस. को ए.सी.बी. द्वारा एक चिट फण्ड कम्पनी के निदेशक की मिलीभगत से झूठा फंसाने एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार को अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पूरण मल सैनी, सदस्य की ओर से सहकारी साख समितियों के कार्मिकों का वेतन निर्धारिण राज्य कर्मियों की भांति किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में छात्राओं से लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क कम करने के सम्बन्ध में।

3. श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के ग्राम पीलखेड़ी के स्थानीय नाले पर रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से बानसूर में सरकारी कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

5. श्री शैतान सिंह, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर में जैसलमेर पोकरण क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

6. श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के विभिन्न स्थानों के लिए स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने, निर्मित जी.एस.एस. को लाइनों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती कमसा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के नकारा हैण्डपम्प व ट्यूबवैल की जगह तुरन्त नये हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल्स खोद कर पीने का पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

8. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से उपखण्ड चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से राज्य में प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करने के सम्बन्ध में।

10. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में काफी वर्षों से निवास कर रहे व्यक्तियों को राशन कार्ड का वितरण नहीं होने तथा वितरित राशन कार्डों में खाद्य सुरक्षा कानून के पंजीकरण की मोहर नहीं होने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम केशवना में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

12. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

मैं सदस्यों की राय चाहूंगा कि आज मुखबन्द का प्रयोग होना है 6 बजे और इसलिए आपकी राय है तो इनको पढ़ा हुआ माना जाय और सदन की मेज पर रख दिया जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

आज दिनांक 28.7.14 को शून्यकाल के लिए जो पर्चियां निकली हैं :-

(1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, प्रदेश में बजट घोषणा 2013-14 की पालना में स्वीकृत सीवर परियोजना को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भैराराम चौधरी, पुलिस थाना ओसिया एवं प्रतापनगर में दर्ज प्रथम सूचना के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कालाडेरा स्थित कोकाकोला कम्पनी द्वारा जलदोहन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जयराम जाटव, अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सैक्टर रिफार्म स्कीम को पीएचईडी में मर्ज करने के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने उनका नाम पुकारा है।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा निवेदन सुन लें मैं बैठ जाऊंगा। मेरा निवेदन यह है कि मैंने अति महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन लगाया था। 13 करोड़ 46 लाख 58 हजार का करप्शन है वो सरकार पर नहीं है किसी पर वो पीडब्ल्यूडी के और ठेकेदारों द्वारा मिलीभगत करके ये करप्शन किया है। मैंने मेरे मकान में जिसमें मैं रहता था उसमें मेरे खुद के पैसे से पांच लाख का काम कराया वो इन्होंने पैसा उठा लिया। इस तरह करीब 50 प्रतिशत इन्होंने करप्शन किया है तो इस पर सुना जाए। सदन की बात है और अति महत्वपूर्ण है ये हमारे मंत्री विधायकों को पता नहीं होता...

श्री अध्यक्ष: ये स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। श्री मनोज कुमार।

श्री रमेश (सपोटरा): कि कितना पैसा खर्च हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। दो मिनट का समय मुझे दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं दूंगा। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। श्री मनोज न्यांगली।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अजय सिंह, श्री, आई पी एस को ए सी बी द्वारा गलत फंसाया जाना एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों की गैर-अनुपालना

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए सी बी के दो अधिकारियों द्वारा राजस्थान एक में बड़ा कलंकित कार्य किया गया। 21 जून, 2012 को अजमेर में आई पी एस, अजय सिंह को एक मुकदमे में रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और सितम्बर, 2013 को ए सी बी ट्रायल कोर्ट ने उसको आरोप-मुक्त कर दिया। सितम्बर, 2013 से लेकर के आज दिन तक अजय सिंह निलम्बित है। जब ट्रायल कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त कर दिया, उसके बाद अजय सिंह ने अपने इस कलंक को धोने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक परिवाद पेश किया। उस परिवाद में केन्द्रीय अधिकरण ने एक चीफ सेक्रेटरी को जांच का आदेश किया, वह 17 जनवरी को आदेश किया। 17 जनवरी से लेकर 24 जून, 2014 को, मुख्य सचिव के आदेश के अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त ने महानिदेशक, ए सी बी को उन दोनों अधिकारियों की जांच के लिए आदेश किया। लेकिन आज दिन तक उनकी जांच के लिए कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। माननीय महानिदेशक महोदय कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट आदेश किया। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक पैरा पढ़ कर बता दूं, अधिकरण का, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: दो मिनट से आगे बढ़ रहे हैं। चलिये, चार मिनट में खतम कर दीजिये। आज आपके प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि चार मिनट दिये जाएं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन है, बस वह मैं आपको बता दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकरण ने जो आदेश किया, वह यह था, "Speedy steps must be taken to assure the general

(श्री मनोज कुमार)

public that the police administration will be pure as driven snow. It might be appropriate if the matters are discussed in a joint meeting of the Home Secretary, the D.G. and I.G. of Police, and appropriate steps taken. In fact, they may form themselves into a committee to look into this matter at the earliest.''

सात महीने हो गये, आदेश 17 जनवरी, 2014 को हुआ, लेकिन अभी तक उस मामले में किसी भी प्रकार की उन दोनों ए सी बी अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं हुई जो कि 65 करोड़ के चिट फंड के प्रकरण में लिप्त हुए और निदेशक के साथ मिलकर अजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार कराया कि इसने उन पांच निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया। वे पांचों निदेशक सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत पर नहीं छूटे और उनकी ट्रायल जारी है। उस नगेन्द्र सिंह शक्तावत, उसकी पत्नी उमा सोलंकी और उसका एक साथी संदीप शौर्य, जो उसमें मुल्जिम थे, वे आज 2012 से इस मुकदमे से वंचित रह गये। इसलिए...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं कहता हूं कि आई पी एस अधिकारी को जब सितम्बर, 13 में ट्रायल कोर्ट ने आरोप-मुक्त कर दिया लेकिन आज दिन तक उनको बहाल नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब वे चाहेंगे तो देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दे रहे हैं, साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत केस के बारे में इस सदन का उपयोग नहीं हो सकता और व्यक्तिगत केस के बारे में किसी का प्लस-माइनस नहीं हो सकता। फिर यह जो केस है, वह आज भी कोर्ट के विचाराधीन है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ कर के बता दूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर आप इसको मत पढ़िये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आज भी इनका केस कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: यह सूचना मेरे पास नहीं थी, अन्यथा मैं अलाउ ही नहीं करता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बजट घोषणा 2013-14 की पालना में स्वीकृत सीवर परियोजना को बंद किया जाना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बजट वर्ष 2013-14 में, पूर्व सरकार ने करीब 24-25 शहरों में गंदे पानी की निकास के लिए सीवरेज प्रोजेक्ट करीब 23 अरब रुपये के स्वीकृत किये थे, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का सीवर प्रोजेक्ट भी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सीवर प्रोजेक्ट्स को, सबके टेण्डर हो गए थे और टेण्डर होने के बाद, इस सरकार ने आते ही सारे के सारे टेण्डर निरस्त कर दिये। निरस्त करने के कारण से आज स्थिति यह पैदा हो गई कि जो टेण्डर किये थे, उनमें 15 महीने में यह सीवरेज का कार्य पूरा किया जाना था...

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, आप नाम जल्दी लिख लीजिए। यहां विधायकगण इकट्ठे हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जल्दी लिख लीजिए। आज ज्यादा भी मत लिखिए। आज 6 बजे मुखबंद होना है। तो फिर ये क्लेम करेंगे, हमारा नाम है, साहब; हमारा नाम है, साहब। ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। आज 6 बजे मुखबंद होगा, तब तक के लिए कुछ कम नाम दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 अरब रुपये के इन सीवर प्रोजेक्ट के टेण्डरों को सरकार ने आते ही निरस्त किया और निरस्त करने के बाद में यह कहा गया कि नगरपालिकाओं के माध्यम से दुबारा टेण्डर करके ये कार्य करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिनांक तक भी, इस सरकार को 7 महीने से ज्यादा बने हुए हो गये लेकिन 24 शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने थे, उन पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं किया गया है, न उनको चालू किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का सीवरेज प्रोजेक्ट है, वह 78.01 करोड़ रुपये का है, 25.9.2013 को समस्त औपचारिकताएं जो टेण्डर होने की थीं, वे पूरी हो गई थी। उसके बावजूद भी, लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य 23-24 जो शहर हैं, वह सारे के सारे 2,300 करोड़ रुपये से अधिक के टेण्डर हैं, हमारी पूर्व सरकार इन शहरों में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लेना चाहती थी, ये सरकार आने के बाद ये निरस्त ही नहीं किये, बल्कि आज

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दिनांक तक भी इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में, इनको कब तक शुरू करेंगे, इनकी कोई योजना नहीं है, किस प्रकार से यह शुरू करेंगे। ये 24 अरब रुपये के टेण्डर थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सारे के सारे इस सरकार ने निरस्त कर दिये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन्होंने कहा कि हम शहरों को स्वस्थ रखेंगे, सुंदर रखेंगे और रोशनी भी करेंगे, दूसरी तरफ आज 7-8 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस सरकार द्वारा इन 24 शहरों के लिए एक पैसा सैंक्शन करके दुबारा इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा केन्द्र के सहयोग से मिला हुआ है। यह पैसा अगर काम नहीं आएगा तो इन शहरों की गंदे पानी की निकासी है, उसका समाधान नहीं होगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से पुन: सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा है उसका उपयोग लें। आप नगरपालिकाओं को नहीं देखें, नगरपालिकाओं के पास कोई संसाधन नहीं हैं। इसमें सरकार यह कह रही है कि साहब, बड़े ठेकेदार नहीं आएंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदार आ गए थे, टैण्डर हो गए थे, टेण्डर खुल गए थे, वर्क आर्डर देने थे, आचार संहिता लग गई। उसके बाद इन्होंने समीक्षा के नाम की एक कमेटी बनाकर उसको रख लिया।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू किया जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 78.01 करोड़ रुपये का सीवर प्रोजेक्ट है, वह शीघ्र चालू किया जाय।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। भैराराम चौधरी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: भैरारामजी, आप स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन शहरों हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है, उन कार्यों की निविदाएं दिनांक 4.3.2014 को आमंत्रित की गईं। सात शहर,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चिड़ावा, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, भादरा, सूरतगढ़, निम्बाहेड़ा और जैतारण हेतु राशि रुपये 705 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उक्त निविदाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। शेष 20 शहरों, जोधपुर, रामगंजमण्डी, फलौदी, कोटपूतली, ब्यावर, अलवर, भीलवाड़ा, केकड़ी, लाडनूं, कपासन, छोटी सादडी, बड़ी सादड़ी, रावतभाटा, बेगूं, रामगढ़, शेखावाटी, फतेहनगर, सनवाड़, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ हेतु संशोधित तखमीना आर यू आई डी पी एस ओ आर 1913 पर बनाया जाकर, कुल 1793 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है।

कोई निरस्त नहीं की। उस समय प्रक्रिया में कुछ कमियां थीं जिनके कारण से वह टेण्डर उस समय स्वीकृत नहीं हुआ। यह भी उस समय, 18.12.2013 की है, जिस समय सरकार बदली और सरकार आई। उसी समय ये निविदाएं जिस प्रक्रिया में होनी चाहिए थीं, नहीं थीं, निरस्त हुईं। दुबारा फिर इसको मार्च में प्रक्रिया में लगाया है। मैं सोचता हूं कि निविदाएं खुलने के बाद इस काम को आगे बढ़ाएंगे।

श्री अध्यक्ष: भैरारामजी चौधरी से मेरा एक निवेदन है, आपके बोलने का चिट में आया है, इसमें दो एफ आई आर का जिक्र भी है। आप जल्दी कार्यवाही करने की मांग कर सकते हैं लेकिन मेरिट्स में आप यहां कुछ नहीं बोलेंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): व्यक्तिगत किसी के बारे में नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: जल्दी कार्यवाही करने का संकेत कर सकते हैं, कब से पेंडिग है, कब से नहीं है।

ओसियां एवं प्रतापनगर पुलिस थानों में दर्ज एफ आई आर में कार्यवाही किया जाना

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ठीक है। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बहुत ही गम्भीर मसला है, उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा। पुलिस थाना प्रतापनगर, जोधपुर में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट 74, दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अन्तर्गत आत्महत्या के लिए मजबूर तथा परेशान करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के सम्बन्ध में।

(श्री भैराराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि डा. एस एन मेडिकल कालेज, जोधपुर के माइक्रोबायोलोजी विभाग की छात्रा तथा रेजिडेंट डाक्टर के रूप में महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत महिला डाक्टर को आत्महत्या के लिए मजबूर तथा परेशान करने वाले माइक्रोबायोलोजी विभाग के सह-आचार्य के बारे में पुलिस थाना प्रतापनगर में प्रकरण दर्ज करवाया गया। महिला डाक्टर की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजन द्वारा कालेज से विभागीय जांच की मांग पर मेडिकल कालेज, जोधपुर के आचार्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जांच करने पर माइक्रोबायोलोजी विभाग के सह-आचार्य पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उसे दोषी माना।

आत्महत्या करने वाली महिला डाक्टर के परिजन ने सचिव स्तरीय जांच कराने के लिए मेरे को भी अवगत कराया। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्रीजी को इस प्रकरण के बारे में जानकारी देने पर, उन्होंने सचिव स्तरीय कमेटी में जांच कराने के आदेश भी दिए थे, जिसके अन्तर्गत जिला कलक्टर जोधपुर ने जांच के दौरान माइक्रोबायोलोजी विभाग के सह-आचार्य को दोषी माना है। सह-आचार्य के निलम्बन के प्रस्ताव पर, कमेटी ने कार्मिक विभाग से अनुशंसा भी की है। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि सह-आचार्य के निलम्बन प्रस्ताव पर, माननीय मंत्रीजी निलम्बन का आदेश स्वीकृत कर अनुग्रहित करवाएंगे।

जहां एक तरफ विभागीय जांच से सह-आचार्य को दोषी माना है, वहीं दूसरी तरफ थाने में दर्ज इस प्रकरण की जांच मंद गति से चल रही है। इस प्रकार, पुलिस सह-आचार्य को बचाने का प्रयास कर रही है, शायद पुलिस एफ आर लगाने की भी तैयारी कर रही है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): पांच महीने बीत जाने के...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): अध्यक्षजी, इसमें बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: जल्दी जांच हो जाएगी। आपने मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर दिया लेकिन यह मांग आप यहां नहीं कर सकते कि ऐसा कीजिए।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एक डाक्टर को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। पिछले एक साल से वह डाक्टर...

श्री अध्यक्ष: बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए...

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): लगातार अपनी चिट्ठियां भी लिख रही थी, उनके विभाग को।

श्री अध्यक्ष: जांच हो जाएगी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एस एन मेडिकल कालेज ने पूरे कालेज, विभाग के, पूरे षड्यंत्र मिलकर उसकी चिट्ठियां लिखीं सारी।

श्री अध्यक्ष: जांच हो जाएगी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एक साल से लगातार वह...

श्री अध्यक्ष: जांच हो जाएगी। अंकित नहीं हो।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ×××

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरिट पर आप नहीं बोल सकते। मेरिट पर आप नहीं बोल सकते। (व्यवधान) मैंने दे दी थी रूलिंग। खर्रा साहब, विराजिए। आप भी विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा का ही अंकित होगा।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, रामलालजी शर्मा बोलिए।

कालाडेरा (चौमूं) स्थित कोकाकोला कम्पनी द्वारा जलदोहन

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है और जल नहीं तो जीवन भी नहीं बचेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कालाड़ेरा में 8.6.98 को रीको ने एक भूखण्ड आबंटित

(श्री रामलाल शर्मा)

किया और वह कोकाकोला फैक्टरी को आबंटित किया। इस फैक्टरी ने नवम्बर, 2000 के अन्दर अपना उत्पादन शुरू किया, उस समय जल का स्तर था, वह लगभग दस मीटर के आसपास था। अध्यक्ष महोदय, इन 12-13 सालों के अन्दर उस फैक्टरी की वजह से जल का इतना दोहन हुआ कि वर्तमान के अन्दर लगभग 70 मीटर के आसपास इस जल का दोहन होना शुरू हो गया और 70 मीटर के नीचे अब जल मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ, इससे आगे जाकर वर्तमान के अन्दर कालाडेरा के आसपास जो गांव हैं, जिनमें जयसिंहपुरा है, टांकरड़ा है, मलिकपुर है, सान्दरसर है, मण्डा-भिण्डा है, घिनोई है, अनूपपुरा है, दुर्गा का बास है, इन ग्राम पंचायतों के अन्दर भी जल स्तर बहुत नीचे चला गया।

आज स्थिति यह हो गई कि नीचे से जो पानी बाहर आता है, वह फ्लोराइडयुक्त पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, इस फैक्टरी के मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक जेफों की ढाणी है, उस ढाणी के अन्दर एक स्कूल भी खुला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उस स्कूल की स्थिति यह हो गई, वहां बच्चों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। फ्लोराइड का पानी मिलने से वे गम्भीर रूप से बीमारियों से ग्रसित होने लग गये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब भी फैक्टरियां लगती हैं तो आसपास के क्षेत्र में डवलपमेंट का भी वे एक आधार बनती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि अब तक इस फैक्टरी के क्षेत्र के अन्दर या सामुदायिक विकास नीति के तहत आसपास के क्षेत्रों का कौनसा विकास किया? अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपये का मुनाफा कमाने के बावजूद भी स्थानीय क्षेत्र के अन्दर न रोजगार दे पाई और न ही उस सामुदायिक विकास की हिस्सेदारी इस फैक्टरी के द्वारा तय हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि क्या सरकार यह बताएगी कि इन 13-14 सालों के अन्दर इस फैक्टरी ने कितना मुनाफा कमाया? और मुनाफा कमाने के बाद में उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कितना रोजगार दिया? आसपास के क्षेत्रों के अन्दर कौनसा इस फैक्टरी ने विकास कराया?

अध्यक्ष महोदय, जल बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए सरकार

(श्री रामलाल शर्मा)

इसकी जांच कराकर, अगर इस फैक्टरी की वजह से जल दोहन हो रहा है तो निश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही करे।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सरकार रेस्पांड करेगी? नहीं।

श्री जयराम जाटव।

अलवर (ग्रामीण) में सेक्टर रिफार्म स्कीम को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सम्मिलित किया जाना

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, अलवर जिले में पीने के पानी की जितनी योजनाएं हैं, उनमें एक सेक्टर रिफार्म योजना के द्वारा ग्रामीणों को पानी दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्षजी, मेरा यह निवेदन है कि अलवर जिले के गांवों में जो सेक्टर रिफार्म के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है, वह सेक्टर रिफार्म योजना पहले गांव की कमेटी बनाकर के और उसके बाद में गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायतों को सौंप दी। ग्राम पंचायतों में सेक्टर रिफार्म की जो गांव में कलेक्शन कमेटी है, ग्राम पंचायत जो पैसे कलेक्शन करती है, ऐसी-ऐसी गांव की योजना है जिनमें बिजली का बिल बकाया है। बिजली का बिल बकाया होने से बिजली का कनेक्शन कटने के कगार पर है, जैसे तहसील मालाखेड़ा, उप-तहसील बहादरपुर। ऐसे सैकड़ों गांव हैं।

मेरा आपसे यह आग्रह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह आग्रह है कि अलवर जिले में पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं बचा। उन योजनाओं के माध्यम से, पिछली बार जो हमारी कांग्रेस की गत सरकार थी, इसमें राजीव गांधी पेयजल योजना और आ गई, ये लोग राजीव गांधी पेयजल योजना के माध्यम से जिन स्कीमों को लाये ग्रामीणों के पीने के पानी के लिए, वे योजनाएं इस तरह से बंद पड़ी हैं। ना तो कोई उनकी मेंटीनेंस करने वाला है। ग्राम पंचायतों के पास टी.एफ.सी. का जो पैसा आता है, उनसे वे अलग बोरिंग कराते हैं। उनका बिल जमा नहीं कराते हैं।

इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रदेश की मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुंधराजी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि राजस्थान के विभिन्न गांवों और ढाणियों की पेयजल की व्यवस्था के लिए उन्होंने हजार करोड़ रुपये की जो योजनाएं बनाईं, उनमें किसी भी गांव की योजना है, उन योजनाओं में शुद्ध पानी कैसे मिले, आर.ओ. की व्यवस्था भी कराई।

(श्री जयराम जाटव)

मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2014-15 में जो 3,173 गांव-ढाणियों को, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 570 गांव, अनुसूचित जनजाति के लिए 390 गांव, अल्पसंख्यक के 100 गांव जो चिह्नित किये गये हैं, यह बहुत अच्छी योजना है।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, हमारे जिले में जो पीने के पानी की बात आ रही है, पानी नहीं बचा है पीने के लिए, खेती अलग बात है। मेरा सरकार से यह आग्रह है, मेरा यह निवेदन है कि अलवर जिले में जब तक, अलवर हमारे दिल्ली एन.सी.आर. का हिस्सा है, जब तक यमुना का पानी हमारे जिले में नहीं आएगा, तब तक खेती करने की बात तो अलग है, पानी पीने के लिए नहीं बचा। अलवर जिले का जयसमन्द बांध बिलकुल सूख गया। प्रताप बांध, विजयनगर बांध, किसी भी बांध में पानी नहीं बचा है। हमारे जिले में 160 या 170 की जो लेयर है मिट्टी की, उसमें पानी नहीं है। नीचे पहाड़ है। आपका जो ग्रेनाइट टाइप का, काले रंग का पत्थर है, उस पत्थर में कतई पानी नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक हमारे अलवर जिले में यमुना का पानी या चम्बल का पानी नहीं लाया जाएगा, पिछली बार गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, वहां के हमारे जिले के विधायक, मंत्री घोषणा करते थे स्टेजों से कि अलवर जिले को चम्बल का पानी, इतना करोड़ पास हो गया, चम्बल का पानी लाया जा रहा है, मैं यह विश्वास करता हूं, मुझे भरोसा है इस सरकार पर, प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी पर कि हमारे जिले के पीने के पानी की योजना बनाने के लिए चम्बल का पानी लाया जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, पिछले पांच साल में इन्होंने जो 67 लम्बित योजनाएं, जिसमें कई जिले हैं, काफी जैसे फ्लोराइड पानी था, अजमेर के लिए, जो आपके 67 लम्बित योजनाएं थीं, उनमें 74 करोड़ 65 लाख अजमेर को दिये, शहरी क्षेत्र के लिए; मकराना-नागौर के लिए 48 करोड़ 70 लाख दिये। फ्लोराइड योजना पीसांगन, जिला अजमेर में 221 करोड़ दिये; ग्रामीण जल आपूर्ति योजना हेतु रेवा, जिला झालावाड़ के लिए 48 करोड़ 50 लाख रुपये दिये। इसी तरह से कई योजनाएं हैं जल आपूर्ति के लिए। माधवी, जिला झालावाड़ के लिए 30 करोड़ दिये। बहुत सारी योजनाएं जो पांच साल तक लम्बित थीं, सिर्फ जनता की झूठी वाहवाही लूटने के लिए, केवल भाषण देते थे,

(श्री जयराम जाटव)

सारी योजनाएं लम्बित थीं। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लम्बित योजनाओं के लिए, जो करोड़ों रुपये का बजट दिया।

मेरी यह भी मांग है कि अलवर जिले में पीने के पानी के लिए या तो चम्बल का पानी लाया जाए या यमुना का पानी लाया जाए। हम एन.सी.आर. के हिस्से में आते हैं। माननीय अध्यक्षजी, आपको पूरी जानकारी है, सौ प्रतिशत, हमारे आगे आने वाले इस वर्ष में ही पीने के लिए पानी नहीं है। राजीव गांधी पेयजल योजनाएं सारी फेल हो गईं।

सेक्टर रिफार्म योजनाओं के लिए मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट के तीन-तीन मंत्री बैठे हैं, इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अलवर जिले के सेक्टर रिफार्म या राजीव गांधी पेयजल योजना की जो स्कीम्स हैं, उनको पेयजल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मर्ज करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं।

आपने मुझे पर्ची के माध्यम से जो टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दोनों प्रक्रियाएं हैं, आप जिस प्रक्रिया को कहेंगे, उसी का मैं पालन कर लूंगा। एक तो है कि संक्षिप्त...

श्री अध्यक्ष: इसमें जो प्रक्रिया है, उसका पालन करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। हां, उसका पालन करेंगे। एक प्रक्रिया तो यह है, इसी में, कि मैं ध्यानाकर्षण करके बैठ जाऊं और माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें। (व्यवधान) इसी में एक प्रक्रिया है, जिस पर माननीय अध्यक्षों का निर्णय है कि मैं संक्षेप में अपनी बात कह दूं और उसके बाद मंत्रीजी अपना जवाब दे दें। आसन जो व्यवस्था करेगा, वही स्वीकार कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपकी जो दूसरी है, वह मुझे कहीं दिखी नहीं। मैंने इनसे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है। है।

श्री अध्यक्ष: है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके बिना मैं कह ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप कीजिए, संक्षेप में। (व्यवधान) आपने कहा, ऐसी प्रक्रिया है, तो मैं मान लेता हूं। आप चालू कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी, अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके लिए कि 'खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार'। यह जो आपने पलक बंद की, तभी इजाजत मिल गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 121 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का जो जवाब सरकार ने तैयार किया है, उसमें और हमारे में कोई खास फर्क नहीं है।

दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली, पृथ्वीराज नगर की आवास योजना को 1988 के भूमि अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत, इसमें 22 गांवों की 12 हजार बीघा भूमि ली गई थी। इसको सरकार भी स्वीकार करती है, यह सेटल्ड फैक्ट है। 1993 में लगभग 7,300 बीघा जमीन का पजेशन लेने की सरकार ने बात कही है लेकिन सरकार ने ही विधान सभा में अपने जवाब में कहा है और आर.टी.आई. की सूचना में कहा है कि 7,300 बीघा जमीन का केवल पेपर पजेशन लिया गया है। यह सरकार ने स्वीकार किया हुआ है। इसी योजना को 12 साल बाद में 2002 में सरकार ने एक्वीजिशन से मुक्त कर दिया था। आप श्रीमान् प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हैं, इन्होंने आर्डिनेन्स से इसको मुक्त कर दिया था, 2002 में। यस। उसके बाद में, आठ साल बाद हाई कोर्ट ने स्वयं ने प्रसंज्ञान ले लिया। अब तक इसको 26 वर्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हो गये हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से इस नगर को बनाया गया और पृथ्वीराज चौहान की उम्र भी, अध्यक्ष महोदय, ध्यान नहीं होगा किसी को, केवल 26 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान का देहान्त हो गया था और 16 लड़ाइयां उन्होंने लड़ीं। यह पृथ्वीराज नगर के निवासी जो हैं, उनकी भी स्थिति वैसी की वैसी है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आज तक सरकार ने, अभी भी आर.टी.आई. की सूचना, माननीय मंत्री महोदय, जवाब दिया है कि आज तक सरकार ने एक भी, किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया है। एक भी भू-धारक को मुआवजा नहीं दिया गया है। यह सरकार ने लिखित सूचना मुझे दी है। मैं आपको बता दूंगा।

अब 2002 में न्यायालय ने जो प्रसंज्ञान लिया था, उसका 2008 में फैसला किया कि जो अधिसूचना जारी की गयी थी सरकार के डि-एक्वीजिशन की, उसको निरस्त किया जाता है। इस प्रकार से, यह सारा मामला उलझता गया।

अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में कई प्रकार के निर्णय हुए। न्यायालय ने निर्णय किया कि बिजली नहीं लगनी चाहिये और, अध्यक्ष महोदय, एक लाख घरों में बिजली लगी हुई है। न्यायालय ने निर्णय किया, या सरकार ने निर्णय किया कि सड़क नहीं बननी चाहिये, कई किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं। न्यायालय ने निर्णय किया कि मकान नहीं बनना चाहिये और मकान बनें, और हर छत पर, जिस प्रकार से भगवान को भेंट चढ़ाकर छत डालने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जे.डी.ए. के अधिकारियों को प्रसाद लगाकर, अपने नासिक में छपे हुए कागजों के आधार पर, लोगों ने छत डाली। और आज तीन लाख लोग इसमें निवास कर रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण कानून जो 1998 में था, वह कानून, अध्यक्ष महोदय, अब इस पर लागू नहीं है। इसका मैं एक पढ़कर सुनाता हूं, जो नया कानून 2013 में बना है, वह कहता है "To address historical injustices it applies retrospectively to cases where no land acquisition award has been made." 2013 का अपना अभी कानून आया है, जो 01 जनवरी, 2014 से लागू हुआ है उसके अन्तर्गत साफ है कि जिस जमीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है, उस जमीन का सारा एक्वीजिशन व्यर्थ है। आगे उसमें लिखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, "To safeguard food security and prevent arbitrary acquisition, the Act directs States to impose limits on the area under agricultural cultivation that can be acquired. III. The Act requires a social impact assessment study to be conducted for every acquisition of Land.'' एक एक्वीजिशन आप लें तो आज के दिन में, और आजकल इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में, जोधपुर बेंच, जोधपुर हाई कोर्ट में फैसला हो गया, जिसमें साफ-साफ कहा सरकार को, "It is declared that the land acquisition proceedings initiated under the notification dated 23.8.2011 stands lapsed in view of the provisions of sub-section (2) of Section 24 of the Act of 2013."

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुझे इसमें ज्यादा निवेदन नहीं करना, माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करना है, न तो अपन इस पर बहस करना चाहते, मैं तो इतना ही राज्य सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय, एक, और नया लैण्ड एक्वीजिशन कानून, इसको वहां के किसानों ने हाई कोर्ट में भी चुनौती दे दी है, इसको वहां के किसानों ने कलक्टर को भी चुनौती दे दी है। अब यह सारा का सारा मामला अगर दुबारा इस कानून के अन्तर्गत जाएगा तो यह जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। इसका परिणाम क्या होगा? हमारी प्रशासनिक विफलता का, हमारी सरकार का नहीं, कांग्रेस सरकार का नहीं, सारे हमारे प्रशासन तंत्र की और प्रशासन की विफलता का अगर उत्कृष्टतम नमूना देखना है तो वह पृथ्वीराज नगर है। मकान नहीं बनना, मकान बन गये; आदमी नहीं रहना, आदमी रह रहे हैं। एक्वीजिशन होना, एक लाख कनेक्शन हैं, सड़कें हैं, तीन लाख मतदाता हैं, दो विधान सभा क्षेत्रों में बंटे हुए हैं, रात और दिन काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यह 12 हजार बीघा जो जमीन है, एक करोड़ रुपये बीघा के हिसाब से है। आज एक लाख 20 हजार करोड़ की जमीन है, 120 लाख करोड़ की और इसमें जब कंस्ट्रक्शन की गतिविधि चालू होगी तो राज्य सरकार के बजट से पांच गुना वैल्थ इससे क्रीएट होगी, जो भ्रष्टाचार के कारण से रुकी हुई है।

इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, सारी बातें ठीक हैं, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह इतना करता हूं कि आप या तो विधि विशेषज्ञों की राय ले लें या एक कमेटी बना लें और कमेटी बनाकर केवल मात्र यह देख लें कि 2013 का कानून इस पर लागू नहीं है। अगर लागू है तो इस जमीन पर केवल किसानों का और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, उनका अधिकार है। अगर लागू नहीं है तो फिर एक काम आप कराएं कि सारे के सारे जो रोड्स बनने हैं, सेक्टर रोड्स बनने हैं, जो प्लान है, इसको सारे को गजट में नोटिफिकेशन करकर आम जनता के लिए खोलें ताकि आम जनता को पता हो जाए। बार-बार सरकारें नियम बनाती हैं, कमेटी बनाती हैं, नियमन की कोशिश करती हैं, आबंटन, सारा व्यर्थ है। इसलिए इस एक पाइंट पर सिर्फ, बाकी सब आपकी बात स्वीकार है, इस एक पाइंट पर आप बता दें।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब आ जाए। मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, मेरी कांस्टिट्यूसी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से, मेरे जवाब देने के बाद अगर कोई संदेह रह जाए,...

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सारी, मेरे वक्तव्य देने के बाद अगर कोई सवाल रहता है तो आप पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजपाल सिंहजी, बाद में पूछ लेना। ये बोलें, उसके बाद कुछ रह जाए तो बाद में पूछ लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैंने प्रयत्न किया है आपकी सब बातों को समाहित करने का, फिर भी उसके बाद कुछ रह जाता है तो आप जरूर पूछिये।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना पृथ्वीराज नगर हेतु 22 ग्रामों की 11,618 बीघा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 1988 में प्रारम्भ की गयी थी। इस अवाप्ति भूमि में से 7,343 बीघा भूमि का अवार्ड 1993 में जारी कर कब्जा प्राप्त किया गया। इसके बाद, आपकी यह बात भी सही है, पेपर पजेशन हुआ, यह बात सही है, इसमें कोई दोराय नहीं। इसके बाद, 2,427 बीघा भूमि का अवार्ड 1996 में जारी किया गया, जिसका कब्जा 2012 में लिया गया। योजना में स्थित शेष 1,848 बीघा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही कालातीत हो जाने के कारण अवार्ड जारी नहीं किया गया।

मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा दिनांक 4-7-2005 द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में तीन सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी ने अवाप्ति से मुक्त करने की अधिसूचना दिनांक 23.9.2002 को वापस लिया। राजकीय भूमि मानते हुए नियमन नहीं करने, सुविधा क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों का नियमन नहीं करने एवं सफल आबंटियों को आबंटन नहीं किये जाने की अनुशंसा की। मंत्रिमण्डल उप-समिति की उक्त रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमण्डल की आज्ञा 81/2007 दिनांक 11-8-2007 से अवाप्ति-से-मुक्त निर्णय को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

याचिका संख्या 6709 वर्ष 2002 में हुए निर्णय दिनांक 29.10.2010

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में निर्देशित किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को अवाप्ति भूमि मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला किया कि यह अवाप्ति जमीन है, इसको अवाप्ति जमीन मानिये। अवाप्ति जमीन मानते हुए उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित माना। राज्य सरकार इस जमीन का विधि अनुरूप सुनियोजित विकास करे।

उक्त आदेश की पालना में मंत्रिमण्डल के समक्ष दिनांक 12.06.12 को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमण्डल की आज्ञा 136/12 दिनांक 20.6.12 से आदेश जारी किये गये, जिसकी अनुपालना में विभागीय आदेश क्रमांक 21.6.12 से पृथ्वीराज नगर योजना का नियमन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें भूखण्ड आबंटन दर निर्धारित की एवं विकास बाबत समिति गठन करने का निर्णय लिया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2740/06 सुगम सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 5-7-2013 को निर्णय पारित किया। इस निर्णय की अनुपालना में पुन: मंत्रिमंडल के समक्ष ज्ञापन दिनांक 12.9.2013 को प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 234/13 से पृथ्वीराज नगर के अलग-अलग भूखंडों की क्षेत्र के अनुसार दरें निर्धारित की थीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पृथ्वीराज नगर योजना में बिजली-पानी कनेक्शन का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2740/06 में पारित निर्णय दिनांक 5.7.2013 के बिन्दु संख्या 5/एफ में यह उल्लेखित किया गया है कि- "Till the allotment is made in favour of the petitioners or others, respondents are directed not to release electricity connections. This is to avoid the possibilities of further construction without allotment of plots." उन्होंने यह आदेश किया कि कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो, इसके लिए कोर्ट ने बिजली के उसमें यह, इस निर्णय से निर्देशित किया कि भूखंडधारी को भूखंड का आबंटन होने के पश्चात् ही बिजली का कनेक्शन जारी किया जाए ताकि अवैध निर्माण को रोका जा सके। इस प्रकार, पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में आवासीय योजना के आबंटन शिविर आयोजन के पश्चात् ही भूखंडों का आबंटन-पत्र जारी होने पर बिजली कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में लगभग, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में लगभग 800 सहकारी समितियां की आवासीय योजनाएं हैं जिनमें से जयपुर विकास प्राधिकरण में 348 योजनाओं का रिकार्ड सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। सहकारी समितियों के रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 3.6.2013 तक समय प्रदान किया गया था।

पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के निर्धारण हेतु समिति का वर्ष 2012 में गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा दिनांक 27.5.2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिस पर आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिनांक 27.6.2014 को विकास शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हैं, जो विचाराधीन हैं। विकास शुल्क के निर्धारण के पश्चात् नियमानुसार आबंटन शिविर आयोजित किये जा सकेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 6709/02 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2010 में पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र की भूमि को अधिग्रहण भूमि माना है तथा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 13 में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, दोनों में। 13 में भी माना और 10 में भी माना।

अधिग्रहण भूमि मानकर तथा अधिग्रहित भूमि का नियमों के अनुकूल योजनाबद्ध विकास किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अत: नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा पृथ्वीराज नगर के भूखंडधारियों की लीज-डीड जारी करने से क्षेत्र में समस्याओं का, जहां तक किसानों की जमीन का सवाल है तो यह सारी की सारी जमीन, जितनी भी सोसायटीज हैं, उन्होंने लेकर लोगों को बेची है। यह जो आप कह रहे हो कि तीन लाख मकान बन चुके हैं, जब तीन लाख मकान बन चुके हैं तो फिर खातेदार का इसमें कहां रहा? इसमें तो कोई दूसरा ही व्यक्ति आ गया, तीन लाख लोग आ गये। तो मैं सोचता हूं कि यह जो तीन लाख लोगों की बसने की जो प्रक्रिया हुई, इससे खातेदार ने तो अपना हक अपने आप ही खतम कर दिया। अगर वह जमीन को ऐसी की ऐसी ही

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रखता, तब तो उसका अधिकार बनता था और तब तो उसके आधार पर वह कह सकता था।

सामान्यत: इसमें जो भी आज की स्थिति है, हम और आप, सब लोग चाहते हैं कि पृथ्वीराज नगर की इस समस्या का समाधान हो।

मैं एक बिन्दु जिस पर अपन ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं, दूसरा, आपका यह है कि 2013 के अनुसार उनको पैसा दिया या नहीं दिया जाए। तो वह तो कोई आदमी ही नहीं रहा। किसको अवार्ड जारी करेंगे?

तो निश्चित रूप से यह जो समिति बनी है, जिसने इसका, क्या शुल्क इसमें लिया जाए, इसके बारे में अपनी राय सरकार को भेजी है, सरकार का जैसे ही निर्णय होगा कि इस पर इतना रुपया प्रति वर्ग से लिया जाएगा, उसके साथ ही इस समस्या का समाधान होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 90 परसेंट इससे समस्या का हल हो जाएगा।

कुछ जगह यह है, पब्लिक यूटिलिटी की जगह के बारे में, जो जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार पूर्ति होगी कि नहीं होगी; 60-40 का रेशो रहेगा कि नहीं रहेगा, 70-30 का रेशो हो जाएगा; जितनी सड़कें चाहिए, उतनी सड़कें बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी; जो इन पर हाई-टेंशन लाइन चल रही हैं, उनका किस प्रकार से निदान होगा; ये समस्याएं जरूर हैं लेकिन केवल रेट निर्धारित हो जाने के बाद 90 प्रतिशत लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को उनके उचित हक का रास्ता निकलेगा।

मैं चाहता हूं कि यह जो समितियां हैं, जिन्होंने अपना रिकार्ड प्रस्तुत किया, उनका तो तुरन्त, जैसे ही रेट तय हो जाएगी, कैम्प लग कर लोगों को अपने पट्टे जारी हो जाएंगे और जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया, उनको कुछ समय और देंगे कि वे भी अपने रिकार्ड का आवेदन करें। तो उनकी भी समस्या का हल होगा।

मैं सोचता हूं कि वर्षों से जो आपने पृथ्वीराज के जीवन से, पृथ्वीराज नगर को जिस ढंग से जोड़ा, अब इसका पृथ्वीराज का जिस प्रकार से अपना जीवन का उत्कृष्ट स्थापित हुआ, वैसे ही पृथ्वीराज नगर का भी उत्कृष्ट स्थापित होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंहजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जवाब तो, मैं लगातार तीन-चार काल-अटेंशन मोशन पिछले पांच-सात साल से लगाता रहा हूं, मंत्री बदलते रहे, जवाब वही रहा और पृथ्वीराज नगर की हालत भी वही रही। बात वही है कि हमने कानून, हमने मकान बनाने पर रोक लगा दी, लेकिन रोज मकान बनता है। जे.डी.ए. के अफसर तो कई अरबपति होकर चले गये, रिटायर हो गये, पृथ्वीराज नगर वहीं रह गया। मैं तीन-चार चीजों पर ही निवेदन करना चाहता हूं जिनका आपके जवाब में एक्सप्लेनेशन नहीं है।

एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं, बार-बार विकास शुल्क की चर्चा कांग्रेस के राज में भी रही और हम भी कमेटियां बनाते रहे, आपका प्रस्ताव जे.डी.ए. का आता रहा। भाटे का भाव सी-स्कीम में तो सस्ता है और पृथ्वीराज नगर जाते ही भाटे का भाव बढ़ जाएगा क्या? लेबर का भाव, सी-स्कीम में सड़क बनाये, उसमें वह सस्ती है, पृथ्वीराज नगर में जाने के बाद सड़क महंगी हो जाएगी क्या? पूरे जयपुर शहर में कालोनियों का नियमन आप कर रहे हैं, उनसे आप विकास शुल्क ले रहे हैं, उनका विकास शुल्क तो होगा दूसरा और पृथ्वीराज नगर में, जहां गरीब रहता है, जहां पर 100-100 गज की जमीन में, दस-दस रुपये गज में जमीन ली है, उसका विकास शुल्क होगा दूसरा।

आप एक्वायर्ड जमीन की बात करते हैं, जयपुर में एक्वायर्ड जमीन पर, राजस्थान में यह पहली बार पृथ्वीराज नगर तो हुई नहीं। जोधपुर में पाल योजना थी, वी.जी.एस. योजना थी और जयपुर में लालकोठी थी, जयपुर में स्वेज फार्म था। स्वेज फार्म का हमने एक्वीजिशन बदला, खतम किया, वापस रेगुलराइजेशन किया। अब स्वेज फार्म वाले ने भी वही पाप किया, पाल योजना वाले ने भी वही पाप किया, वी.जी.एस. कालोनी वाले ने भी वही पाप किया, पृथ्वीराज नगर के लोगों ने कोई पाप ज्यादा किया क्या?

जयपुर शहर में आज भी डवलपमेंट की रेट कई इलाकों में बहुत वाजिब है। पृथ्वीराज में कोई कहता है कि हजार रुपए करेंगे, कोई कहता है कि तीन हजार रुपए करेंगे, कोई कहता है कि दो हजार रुपए करेंगे। जे.डी.ए. का नया जे.डी.सी. आता है, नया तो फिर इनका कोई आ जाता है, वह जानता नहीं है कि पृथ्वीराज नगर क्या है। नया काम किया है क्या? पृथ्वीराज नगर। पृथ्वीराज नगर। पृथ्वीराज नगर।

तो मैं ये तीन-चार चीजें बड़ी स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं। एक तो यह पूछना चाहता हूं कि डवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो भी चार्ज लेना चाहते

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हैं, सरकार चाहे लेना चाहती है, तो वह डवलपमेंट चार्ज राजस्थान में और जयपुर की और कालोनियों में जो डवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, उससे एक रुपया भी अधिक होगा तो जयपुर की जनता नहीं देगी। आप भी एक प्लान बना लेना। कांग्रेस ने भी रेगुलराइज किये तो हमने भी पुराने राज में किया था। हमने रेगुलराइज किया, कांग्रेस ने रेगुलराइज किया, एक और प्रस्ताव लेकर हम आ जाएंगे तो जनता नहीं मानने वाली, जनता स्वीकार करने वाली नहीं है।

आप कह रहे हो कि एक्वायर्ड जमीन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन पहले की बात कर रहे हैं, बाद की बात कर रहे हैं। रोक लिया क्या एक भी आदमी के मकान बनाने से वहां पर? एक आदमी भी नहीं रुका मकान बनाने से आपका।

आप तो जमीन का, सात हजार बीघा का हमने कब्जा ले लिया, 12 हजार बीघा में से। आज भी काश्तकार काबिज है कई जगह पर तो। आज भी काश्तकार काबिज है। तीन लाख लोगों के मकान हैं। 12 हजार बीघा जमीन है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षण कर दिया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): 12 हजार बीघा जमीन में तीन लाख लोग रह रहे हैं। मेरे तीन-चार स्पेसिफिक सवाल हैं।

नम्बर-दो, इस सरकार के आने के बाद, एक दिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जे.डी.ए. में एक बैठक बुलाने के लिए कहा था, मैं भी गया था, मुझे भी भेजा था। यू.डी.एच. सेक्रेटरी और जे.डी.सी. कोई एक ही हुआ करते थे। हमने कहा कि आपका सेक्टर प्लान जो बार-बार, अभी तक तो यह ही आप तय नहीं कर पाये कि 70-30 का रेशो रहेगा या 60-40 का रहेगा। जब यह रेशो ही तय नहीं है कि 70-30 रहेगा या 60-40 रहेगा, सेक्टर प्लान बन कैसे जाएगा? मेरे को यह ही पता नहीं कि कितने इलाके में पार्क बनेगा, कितने इलाके में सड़क बनेगी, कितने इलाके में मकान रहेंगे।

आपने कहा कि सेक्टर प्लान शाया कर दिया। सेक्टर प्लान और सैक्टर रोड के नाम पर रोज उगाही होती है। लोग आते हैं कि हमारा मकान आ रहा है, हमारा मकान आ रहा है। तो फिर वे जे.डी.ए. में जाते हैं तो जे.डी.ए. से एक अफसर भेजते हैं। वह अफसर जाता है, उगाही करता है और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उस रोड को उठाकर दूसरी जगह टिका देता है। फिर वहां पर वहां के लोग आते हैं तो फिर रोड यहां उठाकर टिका देता है। आप यह बतायें मुझे तो कि सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, यह पृथ्वीराज नगर के गरीब लोगों से जे.डी.ए. की उगाही कब बंद हो जाएगी?

जे.डी.सी. नया आता है, वह समझता नहीं है। नया जे.डी.सी. आता है, नया-नया कानून लेकर आता है, नया-नया सोर्स लेकर आता है, डवलपमेंट का नया-नया परसेप्शन लेकर आता है। आपने कहा, 2013 के एक्वीजिशन के ला की लाइट के अन्दर उसको एग्जामिन करने में क्या तकलीफ है? उनमें कोई बहुत बड़ा लम्बा-चौड़ा काम नहीं है। 2013 के इस एक्वीजिशन एक्ट के लाइट के अन्दर इसको एग्जामिन कर लें।

श्री अध्यक्ष: अगला पाइंट। अगला पाइंट।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): डवलपमेंट चार्ज वही तय करें, जो जयपुर शहर की और कालोनियों का हो, और रेशो, 60-40 के रेशो में तो बन नहीं सकता। साहब, आप भी जानते हैं। इन तीन-चार चीजों को स्पेसिफाई कर दें और एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम, टाइम-बाउंड प्रोग्राम, यानी, कोई पट्टा बदलना ही नहीं है, यह कोई रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं करना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आप यह बता दें कि कितनी तो सड़क बनानी है, कब तक नाली बना देंगे, कब तक सीवरेज बना देंगे?

श्री अध्यक्ष: मत्रीजी रेस्पांड कर रहे हैं। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। सजेशन, दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष: Two minutes.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): I will just finish within two minutes. I will just take two minutes.

आप एक तो काम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान लेकर आयें। केवल पट्टा बदलना ही नहीं कि मुझको पैसा दे दो और कागज बदल लो। कागज बदल कर क्या कर लेंगे? आपके जे.डी.ए. के खुद के अलाटमेंट दिये हुए हैं, कागज लिये लोग घूम रहे हैं, उन पर कब्जा नहीं हुआ। जे.डी.ए. की खुद की स्कीमों पर भी कब्जा नहीं हुआ। आप जनता से पैसे लेकर कागज बदलना चाहते हैं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आप आइये, काम्प्रीहेंसिव डवलपमेंट प्लान के साथ में आइये, इंटीग्रेटेड प्लान के साथ में आइये। स्पेसिफिक दीजिए कि विकास शुल्क उतना ही लेंगे, जितना जयपुर की जनता की और कालोनियों से लेंगे। इस तारीख तक सड़क बना देंगे। इस तारीख तक नाली बना देंगे, इस तारीख तक सीवरेज बना देंगे। आप जब तक यह प्लान लेकर नहीं आयेंगे, जनता का सरकारों पर विश्वास उठ गया है और जे.डी.ए. पर तो बिलकुल उठ गया है। जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी तो है कि नहीं है, जयपुर के अन्दर वह उगाई करने की अथोरिटी जरूर है।

आपके जयपुर में कोई थाने में नहीं जाना चाहता था, जे.डी.ए. की एन्फोर्समेंट में लगा दो, राज़ी है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगा। कोई आई.ए.एस. अफसर और लगते हैं, जे.डी.सी. बना दो, राज़ी हैं। अच्छा-सा बहुत बड़ा अफसर हो गया। बहुत एस्थैटिक जगह है, सामने मोती डूंगरी दिखती है। लोग 'साहब', 'साहब' करते हैं और दामों की भरपाई है। दाम बिल्डर आयेगा देगा; वह आयेगा, देगा; सोसायटी वाला देगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन-चार चीजों को इन्कोरपोरेट किए बिना जो जवाब है मंत्रीजी का, वह मंत्रीजी का स्पेसिफिक जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वे रेस्पोण्ड कर रहे हैं? आप नहीं बोलेंगे?

एक मिनट। प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा एक सुझाव है। मेरा भी इस महकमे से सम्बन्ध रहा है, मैं भी इसका इन्चार्ज मिनिस्टर रहा हूं। मेरा तो आपसे एक ही सुझाव है कि इस समस्या का निदान, अधिकारियों के स्तर पर फाइनल डिसिजन किसी कीमत पर नहीं हो पायेगा। कोई अधिकारी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अगर आप मुनासिब समझते हैं, मंत्रियों का समूह, जयपुर के जन-प्रतिनिधियों का समूह, तिवाड़ीजी हैं, राजपाल सिंहजी हैं, इस समस्या को समझते हैं, एक अंतिम निर्णय लेकर के आप जे.डी.ए. को डाइरेक्शन दे दीजिए। तब ही निर्णय होगा; नहीं, आपकी पत्रावली इधर से उधर घूमती रहेगी, कहीं निर्णय नहीं होगा। कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी स्तर के ऊपर, आरोपों से बचने के लिए, कोई नहीं लेना चाहेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जो आज देश के अन्दर स्थिति बनी है, उसके लिए मेरा आपसे सुझाव है, कटारियाजी, आप इसका अन्तिम निर्णय राजनीतिक स्तर पर लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें। यह मेरा आपको सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: किरोड़ीजी, आपने बोलने के लिए हाथ उठाया था क्या? नहीं?

चलो। माननीय मंत्रीजी। नहीं, अब नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं उनको जरूर सरकार, जब इसके बारे में शुल्क निश्चित करेगी तो इसमें जो भी प्रक्रिया आवश्यक होगी, उसको ध्यान में रखकर करेंगे। मन की इच्छा यह है कि कैसे भी हो, इस समस्या का समाधान हो।

अब उसको विकास शुल्क में क्या हो, क्या नहीं हो, इसके बारे में कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी। अब कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार इस पर अपना विचार करेगी और वह निर्णय कर के इसका कोई न कोई हल करेगी। विकास शुल्क के अलावा इसमें और कोई रास्ता दिखता नहीं है और उसके बाद कैम्प लगाकर के ही इसका समाधान हो सकता है।

एरिया 60:40 का और 70:30 का हो, इसके बारे में भी कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 70:30 के हिसाब से भी उनको रेगुलराइज करने का प्रयास करेंगे। केवल जो सड़क है, या बाकी किसी रास्ते में जिन लोगों का कहीं मकान आया हुआ है, उनको थोड़ा-बहुत इधर-उधर करना पड़ सकता है। बाकी उसमें जो कुछ भी इस समय की स्थिति है, उसके आधार पर ही मैग्जिमम लोगों को, कैसे इसको अपन नियमित कर सकें, या इनको कैसे इनका पट्टा है, या इनको कागज हाथ में दे सकें।

मैं सदन की भावना से भी और मुख्य मंत्रीजी को भी इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा और निश्चित रूप से, आज यह पृथ्वीराज नगर की शायद अंतिम चर्चा के रूप में होकर के, इसका कोई न कोई निदान होगा। ऐसा मेरा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह हुई बात।

श्री कैलाश वर्मा ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

बृज विहार कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में हाइटेंशन लाइन से कारित दुर्घटनाएं

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू की जगतपुरा स्थित बृज विहार कालोनी में 11 हजार वोल्टेज हाई टेंशन लाइन से गत 15 वर्षों में दुर्घटनाओं में अनेक बच्चों, स्थानीय निवासियों के विकलांग हो जाने व सम्बन्धित दुर्घटनाओं की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जगतपुरा, जयपुर स्थित बृज विहार कालोनी में पांच वर्ष पूर्व 11 हजार वोल्टेज हाई टेंशन लाइन को अण्डर-ग्राउण्ड किया गया था मगर पूर्ववर्ती सरकार के समय जो अधिकारी यहां पर लगे हुए थे, उनके द्वारा यह कार्य प्लाट नम्बर 360 पर आते-आते रोक दिया गया और इस प्लाट से पहले, आधी बृज विहार कालोनी के बाद, उक्त हाई टेंशन लाइन को अण्डर ग्राउण्ड कर दिया गया। केवल दस से पन्द्रह प्लाट अभी भी 11 हजार हाई टेंशन लाइन से रह गये जहां अण्डर-ग्राउण्ड नहीं किया गया। अब वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गयी, अब पुन: इस हाई टेंशन लाइन से उसी प्रकार की दुर्घटनाएं बनी रहने की सम्भावनाएं रहती हैं। स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त है कि कहीं उनके बच्चे इस लाइन से दुर्घटना में मृत्यु के शिकार तो नहीं हो जायेंगे।

बृज विहार कालोनी में उक्त हाई टेंशन लाइन से हुई दुर्घटनाओं में अनेक बच्चे विकलांग हो गये, जिनका जीवन नारकीय हो गया। प्रति वर्ष ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं।

मैं ऊर्जा मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि जगतपुरा, जयपुर स्थित बृज विहार कालोनी में आठ से दस प्लाट ऐसे हैं जिनके सामने से 11 हजार हाई टेंशन लाइन को आप अण्डर-ग्राउण्ड करा कर स्थानीय निवासियों का सरकार के प्रति जो विश्वास है और ऊर्जा के प्रति और ऊर्जा मंत्री के प्रति अपने मन के अन्दर जो कल्पनाएं उन्होंने सरकार के प्रति जगा रखी हैं, आप कृपया इस कार्य को करवा कर निवासियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त

(श्री गजेन्द्रसिंह)

विषयान्तर्गत निवेदन है कि जगतपुरा स्थित बृज विहार कालोनी में लगभग सात वर्ष पूर्व 11 के.वी. की ओवर-हैड लाइनों को भूमिगत किया गया। यह कार्य जे.डी.ए. द्वारा सम्पादित किया गया था। उस समय जगतपुरा रेलवे फाटक के ऊपर ओवर-ब्रिज का कार्य प्रगति पर था, अत: आवागमन सुचारु रखने के लिए एक अलग से सड़क का निर्माण किया गया था। उस सड़क पर आने वाली विद्युत लाइनों को जे.डी.ए. द्वारा आवश्यकतानुसार भूमिगत किया गया था।

विभाग के नियमानुसार यदि कोई भी व्यक्ति विद्युत लाइन को शिफ्ट करवाना चाहता है तो नियमानुसार उसे तखमीने की राशि जमा करानी होती है, जिसका आधा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

उक्त कालोनी में अभी तक किसी भी दुर्घटना की शिकायत विभाग की लापरवाही के द्वारा सामने नहीं आयी है। अत: शेष लाइनों को भूमिगत करने का कार्य जे.डी.ए. अपने स्तर पर या उपभोक्ता निगम प्रचलित नियमानुसार करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है ओवर-हैड लाइनों की, यह पूरे राजस्थान में एक बहुत गम्भीर विषय है। इसका जवाब मैं दो भाग में देना चाहूंगा। मेरे ख्याल में कोई भी व्यक्ति, किसी का घर नहीं है, जहां, घर बनाने के बाद में उन्होंने डिपार्टमेंट को ऊपर से लाइनें खींचने की अनुमति दी हो। ये लाइनें पहले थीं। उसके नीचे जो कालोनीज बनीं, कालोनीज के जो डवलपर्स थे, क्योंकि लाइनें ओवर-हैड चल रही थीं, उन्होंने अपने ग्राहकों को बहुत डिस्काउंटेड रेट में प्लाट काट कर बेच दिये और लोगों ने अपने घर बना लिये।

कानून के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, यह कई वर्षों से चला आ रहा है, इन लोगों को जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, इनको रोका नहीं जा रहा था। नहीं तो यह समस्या आती नहीं। विभाग की तरफ से, 50-50 अगर यह पैसा वहन कर दिया जाए, आधा 50 प्रतिशत विभाग वहन करेगा और 50 प्रतिशत मकान मालिक वहन करेगा। इसके अन्दर बहुत-बहुत समस्याएं आती हैं क्योंकि लोग बाल्कनीज एक्सटेंड कर देते हैं, छज्जे एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे कपड़े टांगने की लाइनों को ऊंचा कर देते हैं। तो इससे काफी कैजुअल्टीज होती हैं।

जगतपुरा में बृज विहार जो कालोनी है, अध्यक्ष महोदय, यह रेलवे

(श्री गजेन्द्रसिंह)

ओवर-ब्रिज का 2005 में कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जब रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो एक अलग से सड़क बनायी गयी, बृज विहार, अशोक विहार और पुरुषार्थ नगर को कनेक्टिविटी देने के लिए। क्योंकि ओवर-ब्रिज बन रहा था, वे सड़कें बनीं। जे.डी.ए. ने जयपुर डिस्काम को रिक्वेस्ट किया कि उस एरिये की जो लाइनें थीं, जहां पर समस्या आ रही थी, उनको अण्डर-ग्राउण्ड किया जाए और उस समय जे.डी.ए. ने 90 लाख रुपये खर्च कर के अण्डर-ग्राउण्ड लाइन की जिसके अन्दर 13.5 लाख हमारे जयपुर डिस्काम को सुपरविजन का पैसा दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, उस समय वहां पर कोई घर नहीं थे, लाइनों के नीचे कोई भी मकान नहीं थे उस समय और यह जो कार्य है, यह हमने 2005 दिसम्बर में विभाग ने शुरू किया।

(13.00 बजे)

विभाग ने अक्टूबर, 2006 में इसको कम्प्लीट कर दिया।

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि बेसिकली यह जो इश्यू है, यह जे डी ए से रिलेटेड है। हमारे डिपार्टमेंट को तो खाली यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। जब हमें पेंमेंट दे दिया जाता है, राशि दे दी जाती है, तो जे डी ए के आदेशों की हम पालना करते हैं।

अभी माननीय सदस्य का जो एरिया खतरे में आ रहा है, उस पर यदि 20 लाख रुपये खर्च किये जायें, जे डी ए अगर खर्चा करे, उसके अन्दर 10 लाख रुपये मकान मालिक दे दें और 10 लाख रुपये जे डी ए दे दे, या जे डी ए पूरा वहन करे, तो इनकी जो समस्या है वह दूर हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हूं, मगर उक्त हाइटेंशन लाइन को जब अंडर-ग्राउंड किया गया था तो उस समय जो भी खर्चा राशि वसूल की गयी थी, वह समस्त खर्चा कम्पनियों व ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किया गया था। मंत्रीजी के पास में जो जवाब आया, उक्त जवाब जैसा विभाग के अधिकारियों ने अपने चैम्बर में बैठकर तय किया और मंत्रीजी ने उसको यहां पेश कर दिया।

मैं यह मानता हूं कि बगरू विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, अपितु, पूरे राजस्थान की जनता का विश्वास सरकार में है, ऊर्जा मंत्री में है, लेकिन

(श्री कैलाश वर्मा)

मंत्रीजी से यही पूछना चाहेंगे कि जो नियम 2003 से 2008 तक हमारी सरकार के थे और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई योजना राजस्थान की जनता को देखने को मिली थी, पूर्ववर्ती सरकार ने जो यह नया नियम लागू कर दिया और ऐसे 8 से 10 मकान वंचित रह गये अंडर-ग्राउंड लाइन को करने से, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि ऊर्जा मंत्रीजी अगर यह चाहें तो जो दुर्घटनाओं के शिकार बच्चे हुए हैं, इनमें से एक तो चीफ इंजीनियर का बच्चा ही किसी जन्म दिन की पार्टी में गया था और पतंग उड़ाते समय इसका शिकार हो गया। ऐसी घटनाएं आये दिन हो रही हैं। यह पूरे बगरू विधान सभा क्षेत्र में और राजस्थान की ही घटनाएं हैं।

मैं ऊर्जा मंत्रीजी का इतना ही ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त हाइटेंशन लाइन को अंडर-ग्राउंड जिन नियमों के तहत किया गया था, उन्हीं नियमों के आधार पर इस लाइन को अंडर-ग्राउंड करके, जनता का जो सरकार में विश्वास है, उसको कायम रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले आपको निवेदन किया, उस समय स्वीकार किया था कि यह एक बहुत डेंजरस इश्यू है। जनता की जिंदगी खतरे में रहती है, कैजुअलिटी होने का बहुत डर रहता है। शहरों में जहां पर डेन्सिटी आफ पापुलेशन ज्यादा है, जैसे जौहरी बाजार और इस क्षेत्र के अन्दर अंडर-ग्राउंड किया ही गया है। इनको करना जरूरी है। चाहे वह कालोनी लोगों ने इल्लीगल बनाई हो, चाहे सब रूल्स को उन्होंने फ्लाउट किया हो, तो भी इंसान की जिंदगी तो इंसान की जिंदगी ही होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो इश्यू है, यह हमारे विभाग की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। यह जे डी ए का मामला है। हमारे विभाग को तो खाली काम करना है।

श्री अध्यक्ष: आपका एक्सपर्टीज दीजिये उनको।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

याचिका

राजसमन्द में राज्य बीमा और प्रावधायी निधि की कटौतियों का खातों में संधारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राज्य बीमा कार्यालय, राजसमंद में राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा और प्रावधायी निधि की मासिक कटौती के विवरण का इन्द्राज कर्मचारियों के खाते में संधारण नहीं होने बाबत एक याचिका का उपस्थान करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर स्थित कच्ची बस्ती कल्याणीपुरा व गुर्जर धरती में सिटी डिस्पेंसरियों की स्वीकृति

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बजट भाषण 2014-15 में की गयी घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) की अधिसूचित शहरी कच्ची बस्ती कल्याणीपुरा एवं गुर्जर धरती में नवीन सिटी डिस्पेंसरी स्वीकृत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

कोटपूतली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजनौता में विज्ञान संकाय का खोला जाना

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनौता, तहसील कोटपूतली, जयपुर में विज्ञान संकाय खुलवाये जाने बाबत।

विराटनगर नगरपालिका के भवन का निर्माण

(2) नगरपालिका, विराटनगर का पिछले 35 वर्षों में भवन नहीं बना। इस कारण से भवन बनाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री रामेश्वर लाल डूडी, सभापति।

(अनुपस्थित)

दूसरा नाम। श्री राव राजेन्द्र सिंहजी, सदस्य, जन लेखा समिति।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (2014-15)

(क्र. सं. 24 से 30)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2014-15 के निम्नांकित 7 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति, 2011-12 के 127वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2014-15 का 24वां प्रतिवेदन;
2. जन लेखा समिति, 2011-12 के 143वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2014-15 का 25वां प्रतिवेदन;
3. जन लेखा समिति, 2012-13 के 212वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2014-15 का 26वां प्रतिवेदन;
4. जन लेखा समिति, 2012-13 के 213वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2014-15 का 27वां प्रतिवेदन;
5. जन लेखा समिति, 2013-14 के 224वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2014-15 का 28वां प्रतिवेदन;

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

6. जन लेखा समिति, 2013-14 के 238वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2014-15 का 29वां प्रतिवेदन; एवं

7. वर्ष 2010-11 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2014-15 का 30वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजेन्द्र राठौड़।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42-उद्योग की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,64,00,83,000/- (एक अरब चौंसठ करोड़ तिरासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 42 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: इस मांग पर अब बहस चालू होगी। एक मांग और है ना।

मांग संख्या 43-खनिज की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,12,69,21,000/- (दो अरब बारह करोड़ उन्नहतर लाख इक्कीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 43 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: बहस प्रारम्भ करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता, आपका पेश हो गया वह, पेश हो गया राव राजेन्द्रजी के द्वारा। आप थोड़ा बाहर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली। वे आपके सदस्य हैं।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता से राय मिलाकर मुखबंद का समय तय किया गया है और इसलिए मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करता हूं कि 6 बजे तक कर लें। जितना भी आप बोलेंगे, 10 मिनट के अन्दर-अन्दर बोलेंगे। अभी 4-5 घंटे हैं हमारे पास। 6 बजे तक सब पूरे हो जायेंगे। कृपया आप 10 मिनट का ध्यान रखें। सब वक्ताओं को यह मेरा निवेदन है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 43, उद्योग और खनिज के ऊपर मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुई हूं। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, खनिज का ऐसा क्षेत्र है जहां से सरकार का जो राजस्व है, उसका 80 प्रतिशत राजस्व खनिज का वहीं से आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मार्बल और ग्रेनाइट प्रोसेसिंग उद्योग या मिनरल उद्योग हों, इनमें जिस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने इन उद्योगों की स्थापना के लिए 500 मीटर की दूरी आबादी से करना, यह तय किया। पूर्व में यह 1,500 मीटर था, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे 1,500 से 500 किया। लेकिन आज राजस्व विभाग द्वारा इसमें संशोधन

(13.08 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम जमीन का रूपांतरण करवाते हैं तो उद्योग के लिए जमीन का जो भू-रूपांतरण होता है, उसमें आज भी राजस्व विभाग में 1,500 मीटर ही लिखा गया है। उसे भी कृपा करके 500 मीटर करें। ऐसी मेरी आपके माध्यम से मांग है। जब पोल्यूशन बोर्ड ने इसे 500 मीटर करा, तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

राजस्व विभाग को भी इसे 500 मीटर करना चाहिए। इसका परिणाम यह है कि वहां पर कितनी ही फाइलें ऐसी हैं जो लम्बित पड़ी हुई हैं, इसकी परमिशन नहीं होने के कारण। क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, पोल्यूशन बोर्ड कहता है, 500 मीटर की आबादी से दूरी पर रूपांतरण हो सकता है लेकिन राजस्व विभाग कहता है कि नहीं हो सकता है। इन दोनों के लाइजनिंग के अभाव में हमारे जो व्यापारी हैं वहां पर, उन्होंने लोन लेकर जो अपना बिजनेस स्थापित किया है, मार्बल की, ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई हैं, उनको ब्याज बराबर देना पड़ रहा है लेकिन उन्हें परमिशन सरकार से नहीं मिल पा रही है। केवल एक संशोधन जो सरकार को करना है, उस संशोधन के नहीं करने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार ने दिनांक 3.4.2013 को एम एम सी आर 1986 के नियम 4(10) में वन भूमि को भी सरकारी भूमि में शामिल कर दिया। इसकी वजह से काफी दिक्क्त आ रही है। क्योंकि किसी को भी हर दस साल के अन्दर जो ई सी, एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस लेना होता है, फोरेस्ट क्लीयरेंस लेना होता है, एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस में तो ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि 50 हेक्टेयर तक के एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस तो स्टेट लेवल की जो कमेटी बनी हुई है उसमें हो जाता है, लेकिन फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए बारम्बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अन्दर फोरेस्ट डायवर्शन करने की बात करती है। फोरेस्ट क्लीयरेंस तभी होगा जब फोरेस्ट के अन्दर डायवर्शन हो, और फोरेस्ट डायवर्शन एक बार हो सकता है, बार-बार फोरेस्ट डायवर्शन की बात कहना, यह उचित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार को पहल करके केन्द्र सरकार को इस बारे में लिखना चाहिये। क्योंकि फोरेस्ट क्लीयरेंस जब हम एक बार ले लेते हैं तो वहां जो इण्डस्ट्री लगी हैं, मार्बल का जो यूनिट प्लांट लगा है, माइनिंग का, उसे बार-बार फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए अपील करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हां, यह बात सही है कि एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस के लिए वह जाये। तो फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए बार-बार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे फोरेस्ट डायवर्शन मांगते हैं।

इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि उदयपुर का केसरियाजी जो क्षेत्र है, उसमें 2017 में 136 लीज होल्डर्स, उनके

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

फोरेस्ट क्लीयरेंस ड्यू हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर, यह फोरेस्ट क्लीयरेंस का जो प्रोसेस है, वह इतना लम्बा होगा। वे सारे जो व्यवसायी हैं, खनन करते हैं, उनको काफी दिक्कत आयेगी। इसलिए इस फोरेस्ट क्लीयरेंस को जितना जल्दी हो सके, इस पर ध्यान दें और यह फोरेस्ट डाइवर्शन की आवश्यकता नहीं हो, इसके बारे में विचार किया जाये।

इसी तरीके से, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि माइनिंग को इण्डस्ट्री नहीं माना जाता। एक तरफ हम ट्यूरिज्म को इण्डस्ट्री मानते हैं लेकिन माइनिंग को इण्डस्ट्री नहीं मानते। क्यों ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि पहले पूर्व में तो माइनिंग कभी मैन्यूअली होती थी, अब माइनिंग मैन्यूअली नहीं होती है। अब तो पूरा मेकेनाइज्ड वे में माइनिंग हो रही है। इसी के साथ में, टेक्निकल स्टाफ भी रखना वहां पर अनिवार्य कर दिया है। रायल्टी के आधार पर उन्होंने इस बात को कहा है कि जितनी रायल्टी है ढाई लाख की रायल्टी है तो आपको फोरमैन रखना होगा, अगर पांच लाख की रायल्टी खनन का जो व्यवसायी है वह अगर देता है तो उसे एक इंजीनियर लगाना होगा। जब पूरा टेक्निकल स्टाफ उन्हें लगाना अनिवार्य होगा तो ऐसी स्थिति के अन्दर, यह बात कहना कि इसमें हम इण्डस्ट्री नहीं मानते, अगर माइनिंग को इण्डस्ट्री मान लिया जाये तो इन माइनिंग का काम करने वालों को इनपुट क्रेडिट जो वैट में मिलता है, वह इनपुट ...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, जिन मांगों पर डिबेट हो रही है, आफिसर्स दीर्घा में एक भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है। यह जरा सरकार के ध्यान में लायें, अधिकारी जरा रहें तो नोट करें, माननीय सदस्य अपने विचार रखें, उस पर कंक्रीट जवाब दें, उनकी जानकारी में आ जाये, इतना सा आग्रह है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: तो आसन ने कब कहा कि गम्भीर विषय नहीं है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, नहीं, मैं गम्भीरता से आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जब बैठे हों। बहस चालू हो जाये और अधिकारी यहां नहीं हों।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय से आसन निवेदन कर रहा है कि इसको सुनिश्चित करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आसन स्ट्रक्चर पास करे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माइनिंग को इण्डस्टी मानना, यह अत्यन्त ही आवश्यक है ताकि उसे जो इनपुट क्रेडिट वैट में मिलना चाहिये, वह उससे वंचित रह जाता है, यदि वह इण्डस्ट्री नहीं होती है। हर तरीके से इण्डस्ट्री की एक्टिविटी वहां पर हो रही है। तो मेरा, माननीय, सरकार को आपके माध्यम से यही कहना है कि माइनिंग को इण्डस्ट्री के रूप में लिया जाये ताकि यह वैट जो मिलता है, वह माइनिंग की यूनिट को भी उसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही, बैंक से जो लोन लेते हैं, वह बैंक से लोन लेने में भी उन्हें बहुत समस्याएं आती हैं। देश में, माननीय सभापतिजी, कई राज्य हैं जहां माइनिंग को इण्डस्ट्री माना गया है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है जहां पर माइनिंग को इण्डस्ट्री माना गया है। राजस्थान भी इतना बड़ा स्टेट है जहां पर माइनिंग का इतना अच्छा कारोबार चल रहा है। तो क्यों न हम माइनिंग को इण्डस्ट्री का दर्जा दें ताकि माइनिंग कर रहे लोगों को इसमें बहुत सारी राहत मिल सके?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन है, हम खनन के पट्टाधारियों को एक-दूसरे के क्षेत्र के अन्दर घुसते हुए देखते हैं, इसलिए कि यह एक आम बात हो गई है। जब उसे लीज दी जाती है तो वह माइनिंग लीज के एरिया का सीमांकन एक इंटरवल के ऊपर, चाहे वह तीन साल हो, चाहे वह पांच साल हो, लेकिन यह अनिवार्य करना चाहिए कि हर तीन साल के अन्दर माइनिंग लीज एरिया का सीमांकन करें। क्योंकि माइनिंग लीज एरिया का सीमांकन नहीं होने की वजह से बार-बार, एक बार माइनिंग लीज अलाट होने के बाद में उस पर माइनिंग वह करता रहता है और वह माइनिंग करते हुए जब नीचे गहरा जाता है तो वह दूसरे की जमीन के अन्दर भी अपनी माइनिंग करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में काफी विवाद खड़े हो जाते हैं। अत: सरकार इस ओर ध्यान दे कि हम माइनिंग लीज एरिया को समयबद्ध करके, एवरी थ्री ईयर या एवरी फाइव ईयर, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे, उस लीज एरिया का सीमांकन करें।

इसी तरीके से, माननीय सभापतिजी, बहुत गम्भीर समस्या यह भी आती है कि यह जो खनन क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण सड़कें बनती हैं, ये सड़कें

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आये दिन तोड़ दी जाती हैं माइनिंग करने वाले लोगों के द्वारा, क्योंकि उनका क्षेत्र उसके अन्दर आता है, वे माइनिंग करते हुए उस सड़क को तोड़कर उस सड़क को डाइवर्शन दे देते हैं। दूसरी तरफ जबकि रूल्स ये बने हुए हैं, कि स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे जो हैं, उनके दोनों तरफ 45 मीटर तक खनन वह प्रतिबंध है, वह खनन नहीं कर सकते, और विलेज रोड हैं उनके दोनों तरफ 15 मीटर तक वह खनन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली और इसके अभाव में, हम लोग बार-बार देखते हैं कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उन सड़कों को खोद कर नई सड़क बनाई जाती है। ऐसे कई मामले हम लोगों ने उठाये भी हैं। इसमें यह भी हुआ है कि नरेगा के द्वारा जो सड़क लाखों रुपये खर्च करके बनाई गई है, माइनिंग उद्योग वालों की तरफ से उस सड़क को तोड़कर दूसरी कच्ची सड़क बना दी जाती है, जिसमें फिर गांव के लोग हमें मांग करते हैं कि देखिये, सड़क हमारी वापस से बनाइये। एक बार जो सड़क बन जाती है, वह वहां तोड़ दी जाती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जहां सड़कों का प्लान आप देते हैं तो उस प्लान में सड़क बताते हैं, तो वह सड़क परमानेंट रहनी चाहिए ताकि उस सड़क का विकास जब हम लोग करते हैं तो उसमें बराबर से हर तरीके से यह चीज आती जाये कि यह जो डाइवर्शन है वह डाइवर्शन नहीं हो सके और ग्रामीणों को इसमें जो तकलीफ होती है, जो मुसीबत झेलनी पड़ती है सड़कों की, उससे उनको निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उदयपुर में औषध निर्माण क्षेत्र के विकास के संदर्भ में अपने बजट में उन्होंने कहा और यही नहीं, उन्होंने 700 करोड़ के नये निवेश की घोषणा को क्रियान्वित करने की भी चर्चा की। यही सभी जो सम्भाग मुख्यालय हैं उनमें हस्त-शिल्प एवं खादी प्लाजा स्थापना की भी घोषणा की है। यह वास्तव में बहुत स्वागत योग्य है।

आज आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो उद्योग हैं, उन उद्योगों का 2 परसेंट सी एस आर, हमारे सामाजिक कामों के लिए, डवलपमेंट के लिए जो दिया जाना चाहिए, वह 2 परसेंअ सी एस आर का कहीं पर भी किसी तरीके का कोई लेखा-जोखा वहां के जन-प्रतिनिधि को नहीं पता होता, सरकार के पास में भी नहीं होता। इसलिए यह जो कम्पनीज, जो फैक्टरीज, जो इण्डस्ट्रीज उस एरिया के अन्दर, जिस

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी एरिया में हैं, वहां पर जब वे चलती हैं तो उनकी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अन्दर जब हम लोग इस बात को उठाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारी इण्डस्ट्री इतनी बड़ी है कि वह पूरे देश भर में चलती है और इसका जो प्रोफिट है उसका 2 परसेंट सी एस आर हम देश के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। लेकिन इण्डस्ट्री रूल यह कहते हैं कि जो सी एस आर का पैसा है, उस सी एस आर के पैसे को उसी क्षेत्र में, जहां से वे अपना बिजनस अर्न कर रहे हैं, जहां से वे पैसा कमा रहे हैं, उस क्षेत्र में उन्हें वह 2 परसेंट लगाना होता है। आज तक सरकार ने कभी उनसे हिसाब नहीं लिया, पर मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने बजट भाषण में भी यह कहा कि हम सी एस आर का पूरा हिसाब रखेंगे। स्टेट लेवल पर यह सी एस आर आये, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, उनका सी एस आर है, वह सी एस आर कभी-कभी दर्ज नहीं होता। उनको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, कोई कहता ही नहीं कि आपके सी एस आर का 2 परसेंट आप कहां खर्च कर रहे हो। इसलिए मैं यह सोचती हूं। आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि इसको बाध्य किया जाये कि सी एस आर 2 परसेंट है वह डवलपमेंट आफ सोसायटी के लिए है। उसमें बहुत सारी गाइडलाइन्स दी हुई हैं, जैसे वह हैल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, वह निर्माण के ऊपर, चाहे वह सामुदायिक भवन हो, उस पर खर्च कर सकते हैं, स्कूल बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं।

इसके साथ ही, सी एस आर में सामान्यतया यह देखा गया है कि जो पैसा वे खर्च कर रहे हैं, जब लिया जाता है हिसाब इण्डस्ट्री से कि वह सी एस आर का पैसा किसमें खर्च कर रहे हैं, तो कहेंगे कि आंगनबाड़ी में हम पोषाहार के लिए खर्च कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में पोषाहार की कहां जरूरत है? जब सरकार पोषाहार आंगनबाड़ी में दे रही है तो यह डबल काम क्यों? यानी, हमारे पास यह आता है कि आंगनबाड़ी में पोषाहार दे रहे हैं। सरकार भी आंगनबाड़ी में पोषाहार दे रही है। तो यह कहीं न कहीं, एक योजना को दो डिपार्टमेंट, दो एजेंसीज के द्वारा किया जाता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ रहती है। उन्हें आडेंटिफाई करने का अधिकार हमारे जो वहां के स्थानीय जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे वह एम एल ए हों, चाहे वह एम पी हों, उनके साथ में डिस्कस करने के बाद ही सी एस आर का अमाउंट कहां खर्च होगा, उस क्षेत्र के अन्दर, इसे निश्चित करना जरूरी होगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं सोचती हूं कि ये कुछ पाइंट्स हैं, उनमें एक और इम्पोर्टेंट पाइंट यह रहा है कि जब हम स्पेशल लीव पिटिशन, यह जो स्टेट गवर्नमेंट ने एस एल पी फाइल की है, क्योंकि आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किया है कि जो एस एल पी, स्पेशल लीव पिटिशन उन माइन्स आनर्स के ऊपर जो जनजाति क्षेत्र के अन्दर माइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके का किया है। मैं थोड़ा सरकार की तरफ से आया है, उसको सदन के अन्दर पढ़कर रखना चाहूंगी, "The applicant desires the State Government to withdraw the SLP from the Hon'ble Supreme Court and restore the position as it was before 27.1.2011 and allot the mines as per the old Rules on the basis of which several applicants have made applications. Further, where their area falls in the forest area, the Govt. should not invoke Rule 4(10) of RSMMCR 1986 because it is Khatedari land of Forest Department and not the Govt. land. The State Govt. has presumed that Khatedari Land of Forest Department is Government land and on that presumption, it has cancelled all the applications suo-motu. The State Government should revise its decisions and take a judicious decision in the matter."

इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं जिनको सरकार ने एल ओ आइज दे दिये थे। उसके बाद में भी स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करके उन सबको मुसीबत में डाल दिया गया है। इसलिए जिनको एल ओ आइज मिल चुके हैं, उनको इसमें से निकाला जाय। उन लोगों के ऊपर यह लागू नहीं होना चाहिए, जहां एल ओ आइज सरकार ने ही दी है, गवर्नमेंट ने दी हैं। माननीया वसुन्धराजी जब 2003 से 2008 के बीच में मुख्य मंत्री थीं, जिनकी एल ओ आइज जारी हो चुकी है, उन एल ओ आइज जारी होने के बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने ढुलमुल नीति अपनायी। इस कारण से उन लोगों को अंधेरे में रखा गया। अब मेरा यह निवेदन है कि जिन्हें एल ओ आइज जारी हो चुके हैं, उन्हें पट्टा देने का पूरा अधिकार सरकार का है और सरकार को देना चाहिए ताकि उन्हें अननेसेसरी परेशानी न हो। ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे।

उद्योग के लिए मैं कहूंगी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो स्किल डवलपमेंट की यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही है, वह बहुत स्वागत योग्य है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी, उसमें तो निश्चित रूप से हमारे युवा हैं उनकी स्किल डवलप करने के बहुत सारे आसार होंगे, लेकिन साथ-साथ जो प्रजेंटली चल रही है, आर एस एन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

डी सी चल रही है, जिसके तहत युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्गेनाइज होते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है, सामान्यत: देखा जाता है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वह सोफ्ट कोर्सेज के लिए दी जाती है। सोफ्ट कोर्सेज कौनसे हैं, जैसे कोई वर्कशाप लगाना है, कोई प्रशिक्षण शिविर लगाना है, कम्प्यूटर ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, इस तरह के कोर्स हैं। मैं चाहूंगी कि इस तरीके से न लगाकर इण्डस्ट्रीज के अन्दर हायर लेवल की स्किल्स हैं और मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर के अन्दर स्किल उसमें सिखाएं तो ज्यादा हमारे लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

राजसमन्द एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अन्दर बार-बार हमने रीको को कहा है कि हमें रीको जमीन उपलब्ध कराएं ताकि और इण्डस्ट्रीज लगायी जा सकें। लेकिन कई सालों से रीको ने कोई जमीन डवलपमेंट की बात इसमें नहीं की है। इसलिए आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि 15 वर्षों से रीको द्वारा कोई भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बारे में विचार नहीं किया गया, निश्चित रूप से उस पर विचार करें।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: सब मेम्बर्स के लिए 10 मिनट का समय है। आप घड़ी देख लें और 10 मिनट में अपना कर लें। यह अब बिलकुल स्ट्रिक्टली एप्लाई होगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं इस मामले में आटोमेटिकली बहुत स्ट्रिक्ट हूं।

श्री सभापति: यह अगल-बगल वालों के लिए भी है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): पिछले 5 वर्षों में जो उद्योगों की दुर्गति हुई है और अवैध खनन के रूप में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया था, उसको देखते हुए भी सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं, जिनको पूरा करना सरकार के लिए आवश्यक भी है। कठिन जरूर है, लेकिन हमको विश्वास है कि हम इन चुनौतियों से पार पाएंगे।

महोदय, मेरा भीलवाड़ा जिला कपड़ा उद्योग में आज एशिया में सबसे ऊपर स्थान रखता है और भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उस कपड़ा उद्योग में पिछले 5 वर्षों में जितना पलायन हुआ और जितनी फैक्टरीज बंद हुईं, वह

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

एक इतिहास है। व्यापारियों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से बहुत बड़ा उद्योग भीलवाड़ा में विकसित किया था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण से वह उद्योग आज बरबादी के कगार पर है। अब खुशी है कि इस नई सरकार ने कपड़े की नई नीति घोषित की है और एक माह के अन्दर-अन्दर वह नई नीति लेकर आएंगे, ऐसा बजट भाषण में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था। मुझे विश्वास है कि इस नई नीति में कपड़ा व्यवसाइयों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और वह इस उद्योग को पुनर्स्थापित करने में मददगार होगी।

जो वैट यार्न पर लगता है, मेरा मुख्य मंत्री महोदया से आग्रह है और मंत्रीजी से भी आग्रह है कि जो बाहरी राज्यों से यार्न आता है उस पर जीरो परसेंट वैट है, राजस्थान में जो यार्न बनता है उस पर 5 परसेंट वैट है।इस कारण से, जो डिफरेंस है, उसके कारण न तो यार्न यहां बनता है और न उसको वह पड़ता पड़ता है। इसलिए सारा यार्न बाहर से, सिलवासा से मंगाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस वैट को रीजनेबल घोषित किया जाय। दो परसेंट की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, लेकिन इसको एक परसेंट किया जाय, जिससे जितना कपड़ा यहां बनता है, वह यार्न भी यहां बनने लगे तो राजस्थान को इससे राजस्व की आय भी मिलेगी और उद्योग-धंधा भी विकसित होगा।

भीलवाड़ा में करोड़ों रुपये का कपड़ा निर्यात होता है। उस निर्यात में जो परेशानियां आती हैं, कि कंटेनर डिपो हमारे यहां नहीं है। पहले एक कंटेनर डिपो खुला था लेकिन वह रोड का था, तो उसमें वह सम्भव नहीं हो पाया। मेरा मुख्य मंत्रीजी व सरकार से आग्रह है, रेलवे ने यह परमिशन दी है कि सारा खर्चा वह लगाएगा, अगर डेढ़ किलोमीटर और 150 मीटर चौड़ा रेलवे के पास में कोई स्थान मिल जाए तो निश्चित रूप से रेलवे उसमें सारा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। करोड़ों रुपये का निर्यात वहां से होता है। तो निश्चित रूप से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी।

आज इस कपड़ा उद्योग के लिए और जितने भी उद्योग वहां लग रहे हैं, उन उद्योगों के लिए जमीन की नितान्त कमी चल रही है। सारा रीको एरिया या जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे, वे सारे आक्यूपाई हो चुके हैं और अब नये उद्योगों के लिए वहां जमीन आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। मैं

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से इन उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था करें और और एक नियम बनाएं कि एक व्यक्ति को अपने उद्योग के लिए एक ही प्लाट मिलेगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 5-5, 10-10 प्लाट लेकर रख लेते हैं और उसके बाद प्लॉटों की कमी आती है। मैं निवेदन करता हूं कि इस नियम में भी बदलाव किया जाय। जो उद्योगपति है, जो उद्योग लगाना चाहता है, वह अपने स्वयं के उद्योग के लिए ही जमीन ले, उससे ज्यादा जमीन नहीं ले पाये।

महोदय, भीलवाड़ा जिला खनन क्षेत्र में भी राजस्थान में अग्रणी जिलों में आता है। आज हिन्दुस्तान जिंक, जिंदल जैसी बड़ी-बड़ी और नामी कम्पनियां वहां खनन क्षेत्र में काम कर रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि खनन से जो राजस्व राजस्थान को मिलता है, पेट्रोलियम को छोड़कर, उससे आधे से अधिक राजस्व अकेला भीलवाड़ा जिला राजस्थान को देता है। उसके बावजूद उस जिले में कई सुविधाओं का अभाव है। खनन क्षेत्र में सड़कों का अभाव है और खनन क्षेत्र की सड़कें सभी क्षतिग्रस्त हैं। बिजोलिया, कास्या खान एरिया की सड़कों की हालत ऐसी है कि एक ट्रक को बिजोलिया से भीलवाड़ा आने में 10 घंटे लग जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जितना राजस्व खनन से भीलवाड़ा जिले से मिल रहा है, उस राजस्व को देखते हुए वहां सुविधाएं बढ़ायी जाएं।

आज की तारीख में भीलवाड़ा जिले में क्वार्टज, फेल्सपार और सोडा की माइनिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रही है। अजमेर जिले में जो हब बनाने की बजट में घोषणा की है, मैं मुख्य मंत्रीजी और सरकार से आग्रह करता हूं कि सारा कच्चा मैटेरियल भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मिलता है, तो अजमेर और भीलवाड़ा को जोड़कर यह हब बनाया जाए। यदि गैस लाइन यहां आ जाती है तो निश्चित रूप से सिरेमिक उद्योग का विकास भीलवाड़ा जिले में बहुत तेजी से होगा। बड़ी-बड़ी कम्पनियां वहां सिरेमिक उद्योग डालने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो अजमेर की घोषणा की गई है, उसमें भीलवाड़ा को भी जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, आप सब लोगों ने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, उद्योग हमारे राज्य के विकास की नींव है। कृषि के बाद उद्योग-धंधों को स्थापित

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

करना और उनके माध्यम से राज्य का विकास करना, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना, यह हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन अब तक जो राजस्थान की स्थिति है, हम जिस एकल खिड़की योजना की बात करते हैं, तो उसमें अब तक 500 प्रार्थना पत्र आये हैं और केवल 160 मंजूर हुए हैं। अब यह मुझे मालूम नहीं है कि हमारे एकल खिड़की योजना के अधिकारियों ने शेष बचे 340 प्रार्थना पत्रों के बारे में क्या किया। आज विभिन्न राज्यों में प्रतिस्पर्द्धा है। कोई भी उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिए आता है और हमने एकल खिड़की योजना की स्थापना कर रखी है, तो क्यों नहीं हमारे अधिकारी उन लोगों के पास जाकर उनको यहां लायें और उद्योग-धंधा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें? यही काम है एकल खिड़की योजना में। ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का भी यही काम है कि वह विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों को यहां लाए, उनको बसाये, उनको प्रोत्साहन दे, उनको आने वाली दिक्कतों को दूर करे और लाइसेंसेज दे। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी कार्य प्रणाली को दर्शाती हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं।

अभी हम लाखों को रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारे पहले के पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने मकानों को देने की बात की थी, लोगों को ऋण देने की बात की थी, मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना की बात की थी; मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से केवल 4,823 लोगों को मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना में रोजगार उपलब्ध कराया गया। जहां हम लाखों लोगों के रोजगार की बात करते हैं, स्वावलम्बन योजना की बात करते हैं, लोगों को पैरों पर खड़ा करने की बात करते हैं और केवल 4,800 लोगों को रोजगार दिया गया है।

रीको, आर.एफ.सी., आर.एफ.सी. का जो काम है, केवल 202 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। आज के जमाने में एक इण्डस्ट्री 200 करोड़ की लगती है और पूरे राजस्थान में आर.एफ.सी. की कार्यप्रणाली को अगर हम देखें तो केवल 202 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं। रीको ने अब तक के पूरे इतिहास में 2,277 एकड़ भूमि का डवलपमेंट किया है, एक्वीजिशन किया है। अब ये रीको, आर.एफ.सी., बी.आई.पी., ये सब मिलाकर पूरे राजस्थान के औद्योगिक विकास में लगे हुए हैं, उनकी यह स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम में पिछले वर्ष 1,625

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आवेदन आयें और 1,227 स्वीकृत किये। इतने तो कम आये और उनमें से भी 400 आवेदन अभी बाकी हैं। उसके बाद भी जो आवेदनकर्ता हैं, जिनकी स्वीकृति हुई है, वे बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं कि हमको लोन दे दो, हमको सब्सिडी दे दो, हमको उद्योग-धंधा स्थापित करने के लिए लोन दे दो।

इसलिए जब तक हमारे यहां जो उद्योग लगाना चाहते हैं, अपना काम-धंधा स्थापित करना चाहते हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलेगा नहीं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं होगी, उनके प्रति हेल्पिंग हैण्ड नहीं होगा, तब तक यहां राजस्थान में उद्योग-धंधे स्थापित नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तराखण्ड में और अन्य राज्यों में उद्योग-धंधे जा रहे हैं। वहां सब्सिडी मिलती है, बिजली भी मिलती है, लैण्ड भी लगती है और विभिन्न प्रकार की अन्य बैंकों की सुविधाएं भी उनको मिलती हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में यदि कोई उद्योगपति अपना धंधा स्थापित करना चाहे, तो उनकी एड़ियां रगड़ते-रगड़ते घिस जाती हैं और वह आता ही नहीं है।

आज सीमेंट के यहां पर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, सीमेंट के उद्योग लगाने के लिए बहुत प्रार्थना पत्र पड़े हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आज सारे नार्थन इण्डिया के लोग जो सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं वे राजस्थान में आना चाहते हैं लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, लाइमस्टोन की खान की वजह से, या खनन पट्टे के कारण, या अन्य कोई कारण हो। यदि सीमेंट उद्योग को भी अगर ध्यान से देखें और उनके खनन के पट्टे जारी कर दिये जाएं तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। लेकिन वह स्थिति बन नहीं पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिए यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो पिछले पांच साल में नहीं दिखी, वह ही हमारे औद्योगिक विकास को पीछे ले जाने का कारण रहा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि एन.आर.आई. मीट हुई, जयपुर में हुई, विभिन्न राज्यों के लोग आये, पूरे विश्व के लोगों को हमने आमंत्रित किया और बिरला आडिटोरियम में सम्मेलन हुआ। हमारे राज्य के लोग वहां तैयार नहीं थे, हमारे राज्य की नौकरशाही और मंत्री वहां उन उद्योगपतियों को, उन एन.आर.आई. को ढंग से प्रस्ताव देने के लिए तैयार नहीं थे। वे केवल दाल-बाटी-चूरमा खाने के लिए नहीं आये थे, वे माला पहनने के लिए नहीं आये थे, वे यहां कोई सांस्कृतिक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

संध्या देखने के लिए नहीं आये थे, वे यहां कोई नाच-गाना देखने के लिए भी नहीं आये थे, वे यहां देखने के लिए आये थे कि इस राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की विपुल सम्भावनाएं हैं और राजस्थान गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। भारत सरकार ने इसका आयोजन किया है। उसका सारा का सारा श्रेय भारत के प्रधान मंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्य मंत्री ले गये, सारे एन.आर.आई. का इन्वेस्टमेंट ले गये। विथ प्रिपरेशन आये थे, पूरी तैयारी के साथ आये थे गुजरात सरकार के सारे अधिकारी और जो-जो भी उद्योगपति यहां आये थे, जो भी एन.आर.आई. यहां आये थे, उनको वहां ले गये।

माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उसके पहले हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भी सम्मेलन किया था। वह भी बिरला आडिटोरियम में ही था और उसकी बाकायदा पूरी तैयारी हुई थी, पूरे सेक्शंस बने हुए थे, इलेक्ट्रोनिक्स में, सीमेंट में, इंजीनियरिंग में, एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में। खनिज में, उनमें कौन-कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके प्रपोजल पहले ही मंगवा लिये गये थे, उनके लिए जमीन की रिक्वायरमेंट पूछ ली गई थी, उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट के माध्यम से उनसे एम.ओ.यू. किये गये थे और एम.ओ.यू. करने के लिए वहां बुलाया था। उनको केवल यह नहीं कहा गया था कि आप लोग यहां आइये, अपने प्रपोजल दीजिये, खाना-पीना खाइये और जाइये। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पूरा होमवर्क करके उन सारे उद्योगपतियों को यहां बुलाया था और एम.ओ.यू. साइन किये थे। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उन एम.ओ.यूज. को ताक पर रख दिया और राजस्थान का जो गतिशील विकास हो रहा था उसको एक धक्का पहुंचा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने होण्डा कार, होण्डा मोटर-साइकिल, जापानी इन्वेस्टमेंट आये, उसके लिए बहुत तैयारी की है और अभी भी तैयारी कर रही हैं। बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री लगें, उसके साथ-साथ छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज के लिए भी हमको निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा।

अभी डी एम आई सी आ रही है, उस दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर के माध्यम से राजस्थान का बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है, इंडस्ट्रियल विकास होने जा रहा है। उस इंडस्ट्रियल विकास में हम सब वहां उद्योगपतियों को जोड़ें, वहां आने वाली दिक्कतों को दूर करें तो एक बहुत बड़ा

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सेक्टर हमारे राजस्थान के विकास में काम आ सकता है। माननीय सभापति महोदय, इस डेडिकेटेड कोरिडोर के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बने और यह जो बी.आई.पी. है, वह इस बात का ध्यान रखे कि वह लोगों को बुलाये, इसका प्रचार-प्रसार करे कि यहां-यहां आप इण्डस्ट्री लगा सकते हों, यहां इन क्षेत्रों में विपुल सम्भावनाएं हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए उनको काल करे और उनको उद्योग-धंधा लगाने में सहायता करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों की बहुत बड़ी सम्भावना है। हमारे यहां हस्तकला की बहुत विपुल सम्भावना है और हस्तकला हमारे राजस्थान की जान है। आज देश भर में जितनी भी हस्तकलाएं बनती हैं, उसका 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 20 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से जाता है, शेष अन्य भारत से होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि हस्तकला पर जो पांच प्रतिशत वैट लगाया है, उसको विथड्रा करने का प्रयास करें क्योंकि इसके माध्यम से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, हस्तशिल्पी निराश होंगे। आज जम्मू-कश्मीर में हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जम्मू-कश्मीर का हस्तशिल्पी कारीगर, व्यापारी, पूरे देश भर में अपना हस्तशिल्प बेचता है। उसको स्टेट गवर्नमेंट की पूरी सहायता मिलती है, उसी के साथ-साथ केन्द्र सरकार की सब्सिडी भी मिलती है लेकिन हमारे यहां 'राजस्थली' में सेल डाउन हुई है। हमारे 'राजस्थली' की सेल, हस्तशिल्प की सेल 18 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। कारण क्या हैं? राजस्थली घाटे में जा रही है। जम्मू-कश्मीर का हस्तशिल्प बढ़ रहा है और इस वैट के कारण तो और कम हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह वैट जो लगाया गया है, वह मजदूरी पर होगा। यह किसी मैटेरियल पर वैट नहीं है। हमारा जो हस्तशिल्प है, उसकी जो कीमत है, उसमें मैटेरियल की कीमत कम और मजदूरी की कीमत ज्यादा है। आज हजारों कारीगर इस काम में लगे हुए हैं। इस काम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए इस वैट को निश्चित रूप से विथड्रा करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो कलाकार है, वह जिस प्रकार से कलाकारी करता है, वह आज चाइना की प्रतिस्पर्द्धा में आ गया।

श्री सभापति: कौनसा कलाकार?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारा कलाकार। राजस्थान का कलाकार चाइना में प्रतिस्पर्द्धा में आ गया है। जो लकड़ी के, पेंटिंग के, विभिन्न प्रकार की कलाओं के...

श्री सभापति: अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं। हस्तशिल्प वाले कलाकार की बात कर रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): शिल्प कलाकार। वह आज चाइना के काम्पीटिशन में आ गया। हालांकि हमारी पूरी इण्डस्ट्री चाइना के काम्पीटिशन में है, आज हमारे सारे उद्योग चाइना के काम्पीटिशन में हैं, उनके माल के काम्पीटिशन में हैं लेकिन हस्तकला विशेष रूप से है। मैंने चाइनीज लोगों के द्वारा बनाये गये प्रोडक्ट, हैण्डीक्राफ्ट के प्रोडक्ट देखे हैं। जो प्रोडक्ट हमारा कारीगर बनाकर 5,000 रुपये में बनाता है, जो उसकी कास्ट होती है, वही प्रोडक्ट आज इम्पोर्ट करके 2,000 रुपये में मिल रहा है, 1,000 रुपये में मिल रहा है। वैसे का वैसा मिल रहा है। वहां से इम्पोर्ट ड्यूटी देने के बावजूद बन रहा है। तो एक बहुत बड़ा काम्पीटिशन है, चाइना से काम्पीटिशन है। लेबर पर वैट लगता है, उसके कारण दिक्कत है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने भी यह कहा, हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये के अनुदान की राशि रखी है। लेकिन हस्तशिल्प पर जो वैट लगाया गया है, वह बहुत ही अनुचित है। मैं समझता हूं कि इस पूरे हस्तशिल्प पर वैट लगाना, यह हस्तशिल्प को डिग्रेड करेगा, उनको हतोत्साहित करेगा, एक्सपोर्ट को कम करेगा, उनके यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। सेल्स टैक्स के जो लोग हैं, वे उनके घरों में जायेंगे, छापामारी करेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने वाले इस हस्तशिल्प पर वैट निश्चित रूप से कम किया जाये।

साबुन की जो कास्ट थी, पहले 60 रुपये किलो पर लगता था, अब साबुन के व्यापारी कह रहे हैं कि इसको 70 रुपये पर लगाया जाये। उनकी आज कास्ट बढ़ गई। यह जो हाथ धोने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, इनकी कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए 60 की जगह 70 रुपये किया जाये।

कपड़े पर भी वैट लगा दिया गया है। माननीय सभापित महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कपड़ा हमारे जीवन का अंग है। कहीं पर भी इस प्रकार का टैक्स नहीं है। उसके ऊपर भी हमको निश्चित रूप से कम करना चाहिए।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग की मांगों के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो स्माल सेक्टर है, खादी सेक्टर है, इनके ऊपर भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खादी सेक्टर में केन्द्र सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी आती है। हमारे गांव-गांव में खादी को पहनने वाले और उसको बनाने वाले बुनकर बैठे हुए हैं। उन खादी संस्थाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं, हस्तशिल्प में रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। खादी को केन्द्र का प्रोटेक्शन प्राप्त है, हस्तशिल्प को स्टेट का पहले प्रोटेक्शन प्राप्त था, राजा-महाराजाओं का, आज उस प्रोटेक्शन को, निश्चित रूप से आवश्यकता है कि वह प्रोटेक्शन राज्य सरकार दे।

हस्तशिल्प, खादी और ट्यूरिज्म, ये तीनों हमारे राजस्थान की जान हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति आते हैं, वे आपसे जमीन मांगेंगे, आपसे बिजली मांगेंगे, आपसे लोन मांगेंगे, वैट में विभिन्न प्रकार से कंसेशन मांगेंगे। पांच साल का, दस साल का वैट का कंसेशन मांगेंगे, लेकिन कोटेज इण्डस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति अपने घर में ही काम कर रहा है। न आपसे वह बिजली मांगता है, न आपसे वह लैंड मांगता है, न आपसे वह कोई ऋण मांगता है। वह अपना परम्परागत उद्योग, कारपेट बना रहा है, दरी बना रहा है, लकड़ी के काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के पंखे बना रहा है, विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बना रहा है, घर-घर में बना रहा है। मैं समझता हूं कि खादी और उसकी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार के सुधार के जो कार्यक्रम हैं, उनको भी हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए।

ज्वैलरी के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर ज्वैलरी का हब है। इसलिए ज्वैलरी में भी काम्पीटिशन हो गया। हजारों लोग, कारीगर भूखे मर रहे हैं। उस उद्योग को भी प्रोत्साहन देना चाहिए।

लास्ट में, माननीय सभापति महोदय, जिस पर आपका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, सेज, जयपुर में महिन्द्रा सेज की स्थापना हुई थी। एक लाख लोगों को रोजगार देने की उन्होंने घोषणा की थी। कहां है वह? आज केवल 10,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। आज हमारी सरकार वापस आई है। पिछली सरकार ने इस सेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, महिन्द्रा सेज के डवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया। हमें आवश्यकता है कि जो महिन्द्रा सेज को जमीन दी गई, उनको यहां लेकर आये हैं, यहां उद्योग-धंधे स्थापित किये

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जायें। आई टी का हब स्थापित किया जाये। इसके साथ-साथ, हैण्डीक्राफ्ट, ज्वैलरी सेक्टर को बढ़ावा देते हुए, एक लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है, उसको हमको निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-42 और 43, उद्योग और खनिज पर चर्चा हो रही है। उद्योग और खनन दोनों विभाग ऐसे हैं, माननीय सभापति महोदय, राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा दोनों उद्योगों से प्राप्त होता है। किसी भी प्रांत और राष्ट्र के स्थायी विकास की आधारशिला इण्डस्ट्री और माइन्स रखते हैं और इनसे रोजगार के बड़े अवसर सृजित होते हैं। इसीलिए दोनों उद्योग और खान को बढ़ावा देने के लिए चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर हो, लगातार पालिसी बनती रहीं, नीतियां निर्धारित होती रहीं। लेकिन कई बार यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुईं कि सरकारों ने जो नीतियां बनाईं, उसमें प्रदेश के व्यापक हित के बजाय का नजरिया अधिक रहा और इसी का शिकार राजस्थान का माइन्स महकमा हो गया।

जब राज्य के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत थे, तो राज्य की माइन्स नीति में फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व, पहले-आओ-पहले-पाओ। राज्य की सिवाय चक क्या, निजी खातेदारी की जमीन पर खुद माइन्स एप्लाई करने वाला व्यक्ति आता था, जगह चिह्नित करके आवेदन करता था और प्रथम वरीयता के आधार पर उसके साथ न्याय होता था। दो प्रकार की परिस्थितियां इससे पैदा होती थीं, राज्य का राजस्व बढ़ता था और राजस्व के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ते थे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने 2011 की माइन्स पालिसी ड्राफ्ट की और उसमें तय कर दिया कि अब राज्य की किसी सिवाय चक जमीन पर आवेदक अपनी मर्जी से आवेदन नहीं कर पायेगा। सरकार ने तय कर दिया, कलक्टर, माइनिंग इंजीनियर और फोरेस्ट के कुछ अधिकारी मिलकर एक माइनिंग जोन डवलप करेंगे और उसमें माइनिंग जोन का 50 प्रतिशत हिस्सा नीलाम में करेंगे और 50 प्रतिशत में कैटेगरी तय करके लाटरी निकालेंगे। माननीय सभापति महोदय, सरकार की इस पालिसी ने राज्य के माइन्स का गला घोंट दिया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब से ये पालिसी लेकर आये, मैं कोटा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभापति महोदय, 2012 में 120 प्लाट बनाकर एन.ओ.सी. के लिए कलक्टर और फोरेस्ट को भेजे गये। वह 2011 की नीति बनाने वाली सरकार चली गई लेकिन आज तक उनकी एन.ओ.सी. नहीं आई।

इस माइनिंग पालिसी ने हालात यह पैदा कर दिये कि नया आवेदनकर्ता कोई माइनिंग नहीं ले पाएगा और उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन का कारोबार बढ़ा। खनन विकास की आधार-शिला है, सरकार की नीतियों के कारण अगर खनन बंद हो जाए तो निजी विकास का जो सिलसिला है वह बंद नहीं हो सकता। उसका परिणाम यह हुआ कि अगर राज्य की खानें चलतीं तो उन खानों से विकास की गति तेज बनती और राजस्व प्राप्त होता। आज हज़ारों ट्रोलियां राज्य के एक-एक जिले में अवैध खनन की निकलती हैं। पालिसी बनाकर के, कोई एरिया डवलप करके खान नहीं दे पा रहे और अवैध खनन के नाम पर उन पर सख्ती करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के किसी भी जिले में चले जाओ, हम सदन में बैठकर के तो उसको अवैध खननकर्ता कहेंगे, सदन में बैठकर उसको कानून का उल्लंघन करने वाला कहेंगे, लेकिन आज अवैध खनन इस राजस्थान के एक-एक जिले में लाखों परिवारों के रोजगार का जरिया है, एक इण्डस्ट्री है, जो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर इस राजस्थान में स्थापित नहीं कर सकता, जो इतना बड़ा रोजगार का आधार बन गया।

आज हज़ारों ट्रोलियां एक-एक जिले में बेरोज़गारों को, और केवल यह मेसनरी स्टोन में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपने माइनिंग जो नदियों से निकला करती थी, पहले माइनिंग की पालिसी थी कि चम्बल, आहु और छोटी-छोटी नदियों में बनास, जहां रेत निकलती है, मजदूर आदमी जाएगा, नाव में डूब-डूब कर मेरे कोटा के मानस गांव के जो कीर समाज के लोग थे, नदी में से डूब-डूब कर के ट्रोलियां भरकर के नाव से रेती लाते थे, जिनका शरीर गलने लग जाता था। उस आधार पर अपना जीवन चलाते थे। आपने तय कर दिया अब निजी तौर पर नदियों में से कोई..., और आपने रायल्टी नाके लगा रखे थे, रायल्टी लेते थे, डवलपमेंट चलता था, रोजगार चलता था; आपने तय कर दिया, हम लीज देंगे, पिछली सरकार ने। आपने उन मजदूरों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का, लाखों मजदूर हैं, धौलपुर से लेकर, कोटा से लेकर, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर तक, जिनका रोजगार का अवसर छीन गया और बड़े पूंजीपतियों को आपने माइंस के क्षेत्र में पैदा कर दिया, एक माफिया गिरोह पैदा कर दिया बजरी के क्षेत्र में और उसका परिणाम यह हुआ कि न केवल इस राजस्थान के ग़रीबों का रोजगार छीना; जो डेली मजदूरी करते थे, नदियों में से रेती निकाला करते थे, अपने परिवार की आजीविका का आधार बनाते थे, उनका रोजगार ही नहीं छीना, प्रदेश के विकास के काम आने वाली बनास और काली बजरी जो है, चार गुणा कीमतों में आज बाजार में बिक रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से राज्य के माइंस मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, गम्भीरतापूर्वक तरीके से इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

आज आप जो नई माइंस पालिसी ड्राफ़्ट कर रहे हैं, इसमें आप 2011 की पालिसी को उठाकर उसकी नकल कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण राइडर जो एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस के नाम पर लगा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आप अपनी नई पालिसी में ड्राफ़्ट कर रहे हैं, प्रस्तावित नियम 49 में ईंट-भट्ठा वाले, यानी बिना चिमनी के ईंट-भट्ठों को भी सरकार परमिट लेने के लिए बाध्य करेगी। गरीब लोगों को झटका लगेगा, जनता में रोष होगा और आपको इसके लिए एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस चाहिए।

आपने क्या नियम बनाये, कि अगर एक व्यक्ति जो पी डब्ल्यू डी का ठेकेदार है, यू आई टी का ठेकेदार है अर्ध सड़क बना रहा है और उसको 100 ट्रोली मिट्टी चाहिए। आप एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस के लिए जाइये। जब उसके छह महीने की टेण्डर की शर्ते पूरी हो जाती है, उससे पहले राजस्थान एन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट उसको इसकी क्लीयरेंस नहीं देता और उसका परिणाम यह होता है कि वह आपके कानून की धज्जियां उड़ाता है और अवैध खनन करने वालों से कान्टेक्ट करता है और कहता है, मुझे एक हजार ट्रोली मिट्टी चाहिए और रातों-रात उसको एक हजार ट्रोली मिट्टी मिल जाती है।

आप ऐसे नियम क्यों बना रहे हैं जिससे विकास का गला घोंट दिया जाए, जिससे इस प्रकार के राइडर खड़े कर दिए जाएं कि लोगों को गैर-कानूनी तरीके से अपना काम करने के लिए मजबूर होना पड़े? आप नहीं रोक सकते।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, कितने चैनल पार करके आपका एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस जाता है। और एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस की पोलिसी क्या है। एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस के नाम पर आपने सुरसा की तरह एक महकमा बना दिया, भ्रष्टाचार का एक जरिया खड़ा कर दिया। ठेकेदार भी आओ, ईंट-भट्ठे वाले भी आओ, बजरी वाले भी आओ। कोई आदमी नहीं बचेगा जो इस सुरसा के मुंह का ग्रास नहीं बनेगा। कानून व्यावहारिक होने चाहिए, हमारी पालिसियों का ड्राफ़्ट, उसमें व्यावहारिक नजरिया होना चाहिए। उसमें हमारा यह आत्मचिंतन झलकना चाहिए। हम इस तरीके का ईजी-गोइंग कंसेप्ट पालिसी के माध्यम से राजस्थान में लेकर के आयें जिससे राजस्थान का विकास बढ़े, राजस्थान का खनिज बढ़े, रोजगार के अवसर पैदा हों।

एक-दो बात आपने माइंस पालिसी में बहुत अच्छी ड्राफ्ट की हैं कि जो आपने अवैध खनन करने वाले लोगों को पकड़ने पर मनमर्जी पेनल्टी लगाने का अधिकार दे रखा था, आपने उसमें पांच हजार कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के जिलों की स्थिति पता करायें, जो फोरेस्ट ने ट्रोली पकड़ ली, जो माइनिंग में ट्रोली पकड़ ली, आज वह गरीब आदमी एक ट्रोली लेकर आता है, उसके पास कोई इण्डस्ट्री का रोजगार नहीं, उसके पास कोई जमीन नहीं, उसके पास कोई जायदाद नहीं; वह किसी खनन पर अपना ट्रैक्टर लगाता है और वन विभागों वालों ने गैर कानूनी तरीके से उसको पकड़ लिया। उसको सरकारी सम्पत्ति घोषित करके, लाखों रुपए की पेनल्टी लगाकर, आज इस राजस्थान के ग़रीबों की करोड़ों-अरबों रुपये की मशीनरी वन विभाग और माइंस के कार्यालयों में सड़ रही है।

हम जनता के धन के प्रति भी, उस गरीब आदमी के साथ न्याय हो, इंसाफ हो, इसके प्रति भी हमें अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। सरकार जो इस सदन में बैठी हुई है, पूरा सदन, यह हमारी जवाबदेही है, उस राजस्थान के गरीब व्यक्ति के प्रति है। हमारा चिंतन सामूहिक रूप से उस राजस्थान के गरीब आदमी के प्रति है जो अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन की चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रहा है। जब तक इस नज़रिये पर ईमानदारी से विचार नहीं करेंगे, माननीय सभापति महोदय, हम न्याय नहीं कर पाएंगे।

पिछली सरकार ने क्या कर दिया? माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 56 हजार आवेदन थे,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने रिश्तेदारों को खानें अलाट कर दीं और जब सदन में मामला उठा, जोर से हल्ला-गुल्ला हुआ तो एक आदेश जारी करके आपने 56 हजार आवेदनों को निरस्त कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनमें ऐसे कितने आवेदक थे जिन्होंने स्वयं की खाते की जमीन पर आवेदन लगा रखे थे? जब वे आवेदन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे तो खाता सरेण्डर करवाकर अपनी जमीन को सिवाय-चक करा चुके थे। ऐसे हज़ारों किसान, जो अपनी खाते की जमीन को उस आबंटन की प्रक्रिया में सिवाय-चक दर्ज कराकर के, खाता सरेण्डर करके, नियमन के किनारे पहुंचे थे, उस एक आदेश से उनके सपनों पर पानी फिर गया। आज उनकी जमीन का खातेदारी अधिकार वापस नहीं मिल रहा और राजस्व के रिकार्ड में सिवाय-चक दर्ज हो गई। कौन उनको न्याय दिलाएगा?

आखिर हम यहां बैठकर सदन में जो नीतियां बनाते हैं, जो पालिसियां बनाते हैं, हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारी जवाबदेही आम आदमी के प्रति होनी चाहिए। हम कानून की ऐसी नजीर खड़ी करके राजस्थान के अधिकारियों के हाथों में ऐसा डण्डा दे दें कि उस डण्डे की प्रताड़ना राजस्थान के उस आदमी को भुगतनी पड़े, जो आंखों में सपना और ताना-बाना बुनकर के इस सदन में हम सब लोगों को निर्वाचित करके भेजता है कि सदन में जाने वाला कानून बनाएगा। इस सदन का काम कानून बनाना है और ब्यूरोक्रेसी का काम कानून को इम्प्लीमेंट करना है। लोग हमको इस उम्मीद के साथ सदन में भेजते हैं कि जो कानून बनेगा, इस राजस्थान के हित में व्यावहारिक दृष्टि से न्याय और इंसाफ करेगा, लेकिन हमारी पालिसियों में इतनी विसंगतियां आ गईं।

माननीय सभापति महोदय, आज हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है और जो माइनिंग की नई पालिसी ड्राफ़्ट हो रही है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा मत करना। उसमें क्या-क्या नजीरें ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर रही है। जो राजस्थान के उस बेरोजगार आदमी के पैरों में इतनी बड़ी कानून की ज़ंजीरें डाल दें कि वह आपको कोसे कि आपने किस प्रकार की नीतियां बनाकर खड़ी कर दीं। इस बारे में चिंतन करें, उस पालिसी को आप राजस्थान में लागू करने से पहले राजस्थान के विधायकों की एक कमेटी बनाये और उस एवं कमेटी के बीच में चिंतन कराकर के उस पालिसी को लागू करें। वरना वह पालिसी अशोक गहलोत सरकार की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उस पालिसी की तरह न हो जाए, कि 56 हजार आवेदकों के सपनों पर पानी फेंक दे। राजस्थान के हज़ारों लोग डवलपमेंट की चाह में आगे बढ़ रहे हैं, वे अवैध खननकर्ताओं के सहारे अपने विकास के सपनों को आयाम देते चले जा रहे हैं। आप रोक नहीं सकते हैं। इण्डस्ट्री बन गया है अवैध खनन। आपकी नीतियों ने इण्डस्ट्री को मार दिया। खनन को मार दिया। यह चिंतन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी मांग के बारे में मैं कहूंगा, उद्योग विकास का आधार है। आजादी के बाद राजस्थान और भारत में तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हुई। रोजगार का बड़ा आधार है। इसीलिए औद्योगिक नीति में समझा गया है कि उत्पादकता की निरन्तरता और विकास को बनाए रखने के लिए लाभकारी रोजगार और मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके हम अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने आपको खड़ा कर लें। इसलिए इंडस्ट्री जरूरी है।

(14.00 बजे)

हमने देखा, आजादी के बाद एक इंडस्ट्रियल वातावरण बना लेकिन धीरे-धीरे जो हमने इंडस्ट्री पालिसी में हमारी नीतियां बदलीं, कानून बदले, उनका परिणाम यह हुआ कि आज हिन्दुस्तान में जो चालीस-पचास साल पहले इंडस्ट्रीज लगी थीं, आज जे.के. जैसी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आज कोटा में गोपाल मिल बंद पड़ा है, आज प्रभात स्टील बंद पड़ा है, ओरियेंटल पावर बंद पड़ा है। आज वे इंडस्ट्रीज जो कल तक धुआं उगलती थीं, उस इंडस्ट्री की एक चिमनी में जो धुआं उगलता था उससे उस कोटा के पचास हजार परिवारों के चूल्हों में धुआं निकालता था। आज उन पर भूमाफियाओं की निगाह है। जमीनों का कारोबार करने वाले लोग उस इंडस्ट्री को खरीद कर प्रोपर्टी के व्यवसाय के बादशाह बनना चाहते हैं आखिर हम किस दिशा में राजस्थान और देश की इंडस्ट्री पालिसी को ले जाना चाहते हैं? राजस्थान के कोटा के छोटे उद्योग, हमारी नीतियों के कारण जो एक हजार छोटी इंडस्ट्रीज थीं कोटा में आज चार सौ से पांच सौ इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। कौन विचार करेगा इस बारे में।

इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप अगर इंडस्ट्री को जिन्दा रखना चाहते हैं तो उद्योगपतियों की तरफ से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं. Old pattern of DIC should be restored, in which all industries-related departments

(श्री प्रहलाद गुंजल)

work under these DIC. जो सारे इंडस्ट्री से सम्बन्धित डिपार्टमेंट हैं चाहे रीको हो, चाहे आर एफ सी हो, इन सबको डी आई सी के अधीन आना चाहिए। यह आज से पन्द्रह साल पहले भी पालिसी थी। जब उद्योगों की गति बढ़ रही थी, उद्योग लगातार प्रतिस्पर्धा में आ रहे थे। आज प्रतिस्पर्धा घट गई, दम तोड़ने लगे। हमारी पालिसीज ने उनके गले में ऐसी जंजीर डाल दी कि मुक्त वातावरण में सांस लेने में तकलीफ आने लग गई। इसी का परिणाम यह हुआ कि डी आई सी का जी.एम. जो फाइनल अथोरिटी होता था आज रीको उसके अधीन नहीं। आज आर एफ सी उसके अधीन नहीं है। स्टेट में इंडस्ट्री सेक्रेटरी डिक्टेट करता था, वह फाइनल माना जाता था। आज आर एफ सी, डी आई सी, उद्योग और ये जो जितने भी महकमे हैं, ये इंडस्ट्री सेकैटरी के अधीन नहीं हैं। इसलिए पुराने पैटर्न पर आना चाहिए कि जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी है, रीको उसके अधीन हो, आर एफ सी उसके अधीन हो।

मैं दूसरा और कहना चाहता हूं, special zones to be declared, in which there is no conversion of land required. S.I.R., गुजरात में 'सर' के नाम से ऐसे विशेष जोन हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स। मैं चार-पांच सुझाव दूंगा। माननीय सभापति महोदय, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स क्यों नहीं हम राजस्थान में डवलप कर सकते? जहां पर हमको परमिशन नहीं लेनी पड़े एन्वायरनमेंट की, कन्वर्जन की, दस प्रकार की। आज आदमी जमीन खरीदता है और कन्वर्जन के नाम पर वन विभाग से लेकर, कलक्टर की एन ओ सी से लेकर, पंचायत की एन ओ सी से लेकर, दुनिया भर की एन्वायरनमेंट की एन ओ सी से लेकर, चक्कर लगाने में वह इतना थक जाता है, पेंडुलम की तरह, कि उसका इंडस्ट्री लगाने का सपना हवा हो जाता है। इन पालिसीज में चेंज करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, for green category industries, no consent to be required from RPCB. राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से विशेष प्रकार की जो ग्रीन जोन की इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें मुक्त रखा जाना चाहिए। क्या हो गया? दस साल पहले भी 102 प्रकार की इंडस्ट्री थीं, जो मुक्त थीं। आपने आटा चक्की को समाहित कर दिया, इलेक्ट्रोनिक आइटम को समाहित कर दिया। एक आदेश निकाल दिया आपने आटा चक्की लगाइये, इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री लगाइये, लेकिन आपको एन्वायरनमेंट की क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी। एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस के नाम पर, इस राजस्थान वे तमाम आटा चक्की लगाने वाले लोग, उनको आपने कह दिया, आर एस ई बी एन्वायरनमेंट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

क्लीयरेंस के बिना आपको कनेक्शन नहीं देगी आटा चक्की पर। इस राजस्थान में आज की तारीख में हजारों-लाखों आटा चक्कियां आपके इस गैर-कानूनी आदेश के कारण बिना लीगल कनेक्शन के चल रही हैं, अवैध बिजली के कनेक्शन से चल रही हैं। आप कैसे रोक देंगे? क्या गांवों में आटा पिसना बंद हो जाएगा? क्या गांव का व्यक्ति आटा चक्की नहीं लगायेगा? कौन व्यक्ति एन्वायरनमेंट के लिए गांव का आदमी चल करके सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगायेगा? आप इसके बारे में विचार करें। 102 प्रकार की इंडस्ट्री आज से दस साल पहले, ग्रीन जोन की, जो एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस से मुक्त थीं, उनको फिर से मुक्त किया जाना चाहिए और माननीय सभापति महोदय, dedicated feeder of power to be made available for all industrial zones. गांवों में इंडस्ट्री लगती है। सात घंटे का फीडर बना रखा है, एक फीडर रात को आता है, 12 से 4 । इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर रात को 12 बजे आएगा, जब आपका इर्रिगेशन का, एग्रीकल्चर का फीडर चलेगा, थ्री फेज की बिजली मिलेगी? दिन को 4 बजे से, 4 से 8 का फीडर है, इंडस्ट्री का मजदूर उस समय नहीं आ सकता। अगर गांव में कोई इंडस्ट्री लगती है, दस-बीस-पचास का एक कलस्टर तैयार होता है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस बात के लिए बाउंड किया जाना चाहिए कि चौबीस घंटे उनको बिजली मिले।

दो-तीन और छोटे-छोटे सुझाव, माननीय सभापति महोदय। प्रोडक्टिविटी बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ें। हम अगर इसी आधार पर छोड़ देंगे कि जब एग्रीकल्चर का फीडर चालू होगा तब इंडस्ट्री चलेगी, तो एग्रीकल्चर के फीडर पर तो किसान रात के चार बजे जाकर सर्दी, तपती गर्मी और बरसात में अपना पसीना बहाता है जीवन पालने के लिए लेकिन वह मजदूर जो आठ बजे जाता है और पांच बजे घर लौटता है, वह रात के चार बजे आपके फीडर के हिसाब से अपनी ड्यूटी निर्धारित नहीं करेगा छोटी इंडस्ट्री में।

माननीय सभापति महोदय, cluster schemes to be implemented by the State. क्यों पीछे हैं हम? आज कलस्टर स्कीम में 85 प्रतिशत पैसा भारत सरकार दे रही है, आपको पन्द्रह प्रतिशत पैसा लगाना है। इस डवलपमेंट में हमारी नीतियां कहां बाधक आ रही हैं? हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में 11 कलस्टर, पांच सौ उद्योग चल रहे हैं; पंजाब में 25 कलस्टर, 500 से ज्यादा उद्योग चल रहे हैं; और गुजरात में आज ये 70 कलस्टर बन चुके हैं जिनमें

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हजारों इंडस्ट्री चल रही हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, केवल दो कलस्टर चल रहे हैं, जिनमें से वह जो हैंडीक्राफ्ट्स का जोधपुर का कलस्टर है, वैसे ही रेंग-रेंग कर चल रहा था, अब उसकी रेंग-रेंग कर चलने की गति के माथे पर भाटे का एक वज़न, पांच प्रतिशत वैट का, आपने रख दिया कि आपका कलस्टर और आपका उद्योग इस राजस्थान से पलायन करने की स्थिति में आ जाए।

यह मैं बहुत ईमानदारी से आज मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, हम राजस्थान के उद्योग को पनपाना चाहते हैं, राजस्थान के उद्योग के साथ हम अन्याय नहीं करना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन छोटी-छोटी बात और निवेदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में एक पालिसी है, आज एक इंडस्ट्री बंद हो गयी तो उस इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ओनली परमिशन; आप परमिशन ग्रांट करें, इंडस्ट्री लागू। आपने तय कर दिया, एक इंडस्ट्री से दूसरी का काम शुरू होगा तो कन्वर्जन होगा। एक लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया से कई सारे ऐसे नियम बना दिये, आप सेट-बैक पर 17 प्रतिशत प्रिमियम लेंगे, आपके पास डंपिंग यार्ड नहीं। ये जो सारी पालिसीज हैं, आप दूसरी इंडस्ट्री के नाम पर परमिशन रखिये। इंडस्ट्री से किसी सोशल सेक्टर का काम करने के लिए जाता है तो आप रीको से कहिये कि आप कन्वर्जन नहीं, परमिशन की नीति बनायें। परमिशन की नीति बनायेंगे तो मैं आज दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की हजारों यूनिट्स बंद हैं, वे यूनिट्स चालू होंगी, अपना उत्पादन बढ़ायेंगी और रोजगार के अवसर खड़ा करेंगी। वरना तो, इसका परिणाम क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कि प्लाट इसलिए लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। जमीन आज दस हजार रुपये स्क्वायर मीटर की, कल बीस हजार रुपये स्क्वायर मीटर हो जाएगी। आज तय करिये कि आप जमीन को देते समय बाउंड कर दीजिये, मध्य प्रदेश की पालिसी लागू कीजिये कि जमीन इंडस्ट्री वाला लेगा लेकिन जब कभी इंडस्ट्री नहीं लगायेगा, उसको बेचेगा तो उस जमीन को इंडस्ट्री का मालिक नहीं बेचेगा, सरकार बेचेगी नीलामी में और जितना पैसा इंडस्ट्री मालिक का लगा हुआ है, वह पैसा उसको देकर बाकी पैसा सरकार अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगी। यह जो नीति है मध्य प्रदेश में, आप केवल और केवल, भूमाफियाओं को इंडस्ट्री के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं कि वहां भी प्रोपर्टी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में बूम आएगा, जमीनों की कीमतें ज्यादा बढ़ेंगी। पालिसी बनाओ मध्य प्रदेश की तरह, इंडस्ट्रियलिस्ट रिसेलिंग नहीं करेगा, रीसेलिंग की बात आएगी तो सरकार करेगी और जितना पैसा उसका लगा है, उसका पुनर्भरण करके वो प्लाट सरकार के अधीन होगा। आज इस प्रकार की नीतियां बदलने की आवश्यकता है!

माननीय सभापति महोदय, विशेष कलस्टर जोन तैयार करें। कोटा में कोटा-स्टोन है, मार्बल मकराना में। विशेष कलस्टर में, आज जिस प्रकार से एक विशेष कलस्टर जोन यहां पर त्रिपुर में कपड़े का, आज उसने अपना इतना व्यापक स्वरूप प्राप्त कर लिया कि वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, बल्कि मैं समझता हूं कि एशिया में उससे बड़ा कोई कलस्टर कपड़े का नहीं बना है। आज कोटा पूरी दुनिया को कोटा-स्टोन देता है लेकिन कलस्टर के रूप में हमारी कोई संरचना क्या है? कोई चिन्तन नहीं है सरकार का। निजी तौर पर जो व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है, उद्योग पनप रहा है, लेकिन सरकारी प्रयासों और समर्थन से उसमें व्यापक वृद्धि हो सकती है। कृषि और धनिये के आधार पर ग्रेडिंग यूनिट्स लगायी जाती है, उसका भी कलस्टर तैयार किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं, सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे; माइनिंग की पालिसी के ड्राफ्ट को एक बार विधायकों के साथ, निश्चित रूप से जिनका अनुभव है, डिस्कस करे, और कोई भी इंडस्ट्री पालिसी लाने से पहले उद्योग क्षेत्र में किस प्रकार के नियमों के सरलीकरण की आवश्यकता है, इस बारे में चिन्तन करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम राज्य के विकास की एक नयी आधारशिला रखते हुए, रोजगार के समुचित अवसर इस राजस्थान को देने में कामयाब होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्री द्वारा घोषित बजट में, राज्य के आधारभूत संरचना की विकास दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के उच्च स्तर पर ले जाने तथा कम से कम 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का जो प्रावधान किया है इससे राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक तथा एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारी निवेश तथा प्रोडक्शन बढ़ाये जाने हेतु राजस्थान

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सरकार अनेक नीतिगत कदम उठा रही है। साथ ही, सार्वजनिक संसाधनों का भारी निवेश किया जा रहा है।

सिर्फ उच्च विकास ही समाज का सर्वांगीण विकास नहीं है। अत्यन्त गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का भी इस सरकार द्वारा विकास किया जा रहा है। सर्वांगीण विकास को प्रमुख प्राथमिकता, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। यह सरकार हायर ग्रोथ तथा समावेशी विकास, इंक्लूसिव डवलपमेंट, दोनों के लिए कार्य करेगी।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में नई निवेश नीति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल, इत्यादि सेवा क्षेत्रों में निवेश करने पर पूंजीगत निवेश में सम्मिलित वैट पर छूट दी जाएगी, निवेश अनुदान के रूप में दी जाएगी। डेयरी उद्योग, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाये जाने वाली इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देकर नई निवेश नीति में समावेश किया जाएगा।

इतना ही नहीं है, नई निवेश प्रोत्साहन नीति में पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में थ्रस्ट सेक्टर, विनियोजन को बढ़ावा देने वाली विशिष्ट नीतियां, प्रोत्साहन प्रावधान, बड़े उद्योग जिनमें अधिक रोजगार मिले, अधिक से अधिक रोजगार सृजित हों, ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, यहां उद्योग लगाने का, विशेषकर राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, श्रमिक उद्योग को बढ़ावा और युवाओं को ट्रेनिंग देकर, कई सारी कम्पनियों में उनको स्किल्ड के रूप में, अनस्किल्ड लेबर है, उसको स्किल्ड के रूप में डवलप करेंगे। IT कम्पनियों को डवलपमेंट एंड बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए, आई टी इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स स्थापित किये जाएंगे।

खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग में एक हजार करोड़ का निवेश पांच वर्ष में होगा।

श्रम कानूनों का सरलीकरण, उद्योगपति, मैनेजमेंट तथा श्रमिकों का समन्वय एवं सौहार्दपूर्ण तथा होली फैमिली वातावरण बनाकर उद्योगों का विस्तार किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, यह तो बजट के हिसाब से, लेकिन मैं अलवर जिला, सभापति महोदय, अलवर जिले में 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं। Alwar is known as the 'singhdwar' of Rajasthan. अलवर जिला रमणीक स्थल है;

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अलवर जिला ऐतिहासिक स्थल है; अलवर जिला पौराणिक स्थल है; अलवर जिले में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं; पर्यटन, रमणीकता, ऐतिहासिकता का और धार्मिकता का एक सामंजस्य है, परन्तु दुर्भाग्य है कि अलवर जिले को वह पहचान नहीं मिल रही है जो पहचान पूरे वर्ल्ड में उसे मिलनी चाहिए। आज माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने स्मार्ट सिटीज की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी बने, औद्योगिक क्षेत्र नीमराना के हिसाब से बने; हमारा भिवाड़ी, खुशखेड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है, उनमें बने, लेकिन स्मार्ट सिटीज से भी बढ़कर।

हमारे पूर्व सांसद थे, मैं उनका जिक्र करूंगा, कांग्रेस के थे, एक मैरिज पार्टी में वे मिल गये, माननीय भंवर जितेन्द्र सिंहजी। मैंने उनको कहा, आपने क्या किया, अलवर के विकास में आपका क्या योगदान रहा, आप बताइये। तो उन्होंने कहा कि मैंने सड़क बनाई, पुल बनाये और यह-यह विकास किये। सड़क, नाली, पुल या बिजली कोई विकास नहीं है। मैंने कहा, आप रायल फैमिली से थे, रायल फैमिली के नाते, 217 पर्यटन के स्थान अलवर में हैं जिसमें भृर्तहरि जी की समाधि है, तालवृक्ष है, सरिस्का है और नंदेश्वर नाला है, पता नहीं, कितने ऐसे 217 छोटे-बड़े पर्यटन स्थल हैं, ऐसे पर्यटन स्थलों को अलवर जिले में बढ़ावा मिलना चाहिए। अलवर जिले का वर्ल्ड में नम्बर एक पर स्थान होना चाहिए, ऐसी स्थिति अलवर जिले की है। वैसे भी अलवर जिला पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान और दिल्ली के, राजस्थान की कैपिटल जयपुर और देश की कैपिटल दिल्ली, दोनों के मध्य स्थित है, परन्तु दुर्भाग्य है कि वहां पर पर्यटन को ठीक से बढ़ावा नहीं मिला।

इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र भी पनपे तो सिर्फ हाइवे-8 पर ही पनपे। हाइवे-8 पर खुशखेड़ा, नीमराना, चौपानकी हैं, भिवाड़ी से लगा हुआ धारूहेड़ा के साथ। सभापति महोदय, इसके साथ बहरोड़ और कोटपूतली से पहले -पहले नीमराना और शाहजहांपुर हैं। इस प्रकार से, पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। हमारे पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं अलवर में, एम आई ए, एम आई ए के साथ ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, उनका ठीक से विकास नहीं हुआ। लगभग पूरे 18 औद्योगिक क्षेत्रों में 70 प्रतिशत उद्योग बंद हैं। सबसे पहले अगर कोई योजना बने तो उन उद्योगों को चालू करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है, वह रुकावट है, जिसको कहा गया, पोल्यूशन बोर्ड। वास्तव में यह पोल्यूशन ही फैला रहा है। पोल्यूशन बोर्ड पोल्यूशन ही फैला रहा है और इसके चलते, उनकी शर्तों पर लगभग 70 से 75 प्रतिशत इण्डस्ट्री बंद हुई हैं। इसलिए

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इस पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार से, माननीया मुख्य मंत्रीजी से और सम्बन्धित उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार किया जाए।

अलवर में एम आई ए में, प्रदूषित जल और उसके साथ एन्वायरनमेंट है, पानी बहकर जाता है। वहां पर प्लांट लगना चाहिए, वह प्लांट सी टी पी के लिए। औद्योगिक क्षेत्र के हमारे उद्योग संघ और बाकी लोग प्रयासरत हैं लेकिन रीको का कोई सहयोग नहीं है। रीको ने पिछले 15 वर्षों में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया। पुराने उद्योग जो बंद हैं, उन बंद उद्योगों के प्लाट्स को, उनको सिर्फ बेचना और उनके बारे में शर्त तय करना, बढ़ा-चढ़ाकर बेचना, जहां 5 प्रतिशत वैट, वहां 15-20 तक टैक्स लगाकर उनको बेचा जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अलवर जिला एन सी आर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है अलवर जिला। उसके हिसाब से Alwar is bearing the burden of all the taxes and rules framed exclusively for the NCR but it is not being given its due. जो हमारे को एन सी आर के नाम से मिलना चाहिए, वह अधिकार तो हमको मिल नहीं रहे, वह सुविधा हमको नहीं मिल रही, उलटे वहां पर 26 प्रतिशत पेट्रोल पर हमको अधिक रेट देना पड़ता है, 18 प्रतिशत डीजल पर हमको अधिक रेट देना पड़ता है। पड़ोस में हरियाणा में, हरियाणा में पेट्रोल और डीजल साढे तीन रुपये सस्ता होने के कारण बहुत सारे अवैध, हमारे जितने भी हैं, the taxes on petrol 26% as on date, and diesel 18%, as on date, should be reduced to the level that becomes the part with the neighbour. हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उनमें कम रेट होने के कारण से अलवर को, राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

इसलिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी से, उद्योग मंत्रीजी, सबसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार किया जाए।

माननीया सभापति महोदय, इतना ही नहीं है...

श्री सभापति: आपका यह कहना कि वैट की विसंगतियों को दूर किया जाए?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वैट की विसंगतियों को दूर करके डीजल और पेट्रोल पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, अंग्रेजी में कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या कह रहे हैं, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब? (व्यवधान) अंग्रेजी का इसलिए, कि हमारे बेनीवाल साहब ने एक दिन कह दिया कि हमारे को समझ में नहीं आती, हमारे सिर के ऊपर से निकल रही है। इसलिए हिन्दी में बोलना पड़ता है।

श्री सभापति: इस विसंगति को भी आप दूर कर दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, अलवर का एम आई ए, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, जहां रीको ने 2006 में 80 लाख लगाने की घोषणा की, 2008 में विकास के लिए 120 लाख लगाने की घोषणा की और 2009 में एक सौ लाख लगाने का प्रावधान हुआ लेकिन रीको द्वारा इस राशि से किसी तरह का विकास उस क्षेत्र में नहीं किया गया। यह एक दुर्भाग्य है। इसलिए इस सम्बन्ध में रीको को विशेष रूप से सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योगों के साथ नीमराना, खुशखेड़ा, वहां उद्योग कोरिया जोन, जापान जोन, फ्रांस जोन, यह हो रहा है, लेकिन एक दुर्भाग्य जो खड़ा हो रहा है, जो हमारी धरोहर है, मूल धरोहर है, वहां बावड़ियां, नदी, नाले, डैम, डैम के बारे में मैंने अपने वाचन में सिंचाई की डिमांड पर बोला था, उनको बरबाद किया जा रहा है। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। उद्योग लगें, उद्योग पनपें लेकिन जो मूल धरोहर है, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, बावड़ियां, नदी, नाले, डैम हैं, उनकी भी सुरक्षा करते हुए, इस सम्बन्ध में विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अब खनन के बारे में हम लोग विचार करें तो 2011 की जो खनन की नीति थी, पूर्ववर्ती सरकार की, उन्होंने तो सोचा था, पिछली सरकार का सोच था, कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस की सरकार है, लूट सके तो लूट, अंतकाल में पछताओगे, जब सरकार जाएगी छूट; इस सोच के साथ उन्होंने, अभी जिक्र आया 56,000 खनन पट्टों का, जो लाइसेंस, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, उसको दुबारा नहीं दोहराऊंगा।

जीरो वेस्ट खनन को बढ़ावा, राजस्थान माइनर मिनरल कंसेप्ट लागू किया जाए। इस प्रकार से आबंटन नीति बने। पहले जनजाति एरिये में आबंटन के लिये रोक लगाई गई, पूरे जनजाति क्षेत्र का, आदिवासियों का विकास रुक गया। अब इस सम्बन्ध में पूरा विचार करके, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इस परियोजना को लागू किया जाए। जनजाति क्षेत्र में भी खनन के लिए पट्टे जारी किये जाएं, चाहे वहीं के आदिवासियों को, जनजातियों को, ट्राइबल एरिया के लोगों को दिये जाएं। इस सम्बन्ध में इस परियोजना की, जो कामर्शियल प्रोडक्शन के आने के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

15 वर्ष की अवधि में इस परियोजना से...(व्यवधान) इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। आप लोग चिंता मत करो।

पूर्ववर्ती सरकार ने रिफाइनरी लगाने के लिए रिफाइनरी-कम-पेट्रोकैमिकल काम्पलेक्स लगाने के लिए, गलत समझौता किया। राज्य सरकार का एक गलत समझौता, 3,736 करोड़ रुपये में प्रति वर्ष की दर से 15 वर्ष तक, यानी 56 हजार करोड़ रुपये अदायगी का किया, जो जनता पर एक बोझ, एक असहनीय यातना साबित हुआ। इस योजना की समीक्षा कर कामर्शियल प्रोडक्शन में आने के 15 वर्ष की अवधि में इस परियोजना से 60 हजार करोड़ से ज्यादा का लाभ अर्जित होगा। यह समीक्षा कर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं।

अब राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गेल इंडिया लिमिटेड के साथ जोंइट वेंचर में स्थापित कम्पनी राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन को और स्ट्रेंथन करेगी। राज्य के शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन का काम करेगी। सी.एन.जी. सप्लाई शुरू करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ हमारे जिले में नीमराना में एक मदर स्टेशन तथा जयपुर में डाटर स्टेशन की स्थापना जो हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माइन्स में जिस प्रकार का राजस्व लाभ हुआ, उसका कितना राजस्व गिरा, 2008-09 में 1,265 का लक्ष्य था और 1,275 आया; 2009 में 1,560, यह करोड़ों में है, 2009 में 1,560 का लक्ष्य और 1,612 आया, यह बढ़ करके आया; 2010 में 1,805 का लक्ष्य, 1,929 आया, बढ़कर आया। लेकिन 2011-12 में यह लक्ष्य गिरा। इसकी तरफ भी विचार करना चाहिए। 2013-14 में 3,360 करोड़ का लक्ष्य था लेकिन 3,088.66 आया। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब 14-15 में यह राजस्व लक्ष्य प्राप्त हो माइन्स में, इस पर भी राजस्थान सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी। मैं इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में अवैध खनन को, अवैध खनन, हमारे जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही, यहां जो अधिकारी बैठे हैं और माननीय मंत्री महोदय, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम ओड़ेला, मान्दला, ललावंडी, नीकच, छज्जू का बास, खिलौरा, हाजीपुर में अवैध खनन होता है। इसके साथ में 6 अवैध थ्रेशर भी लगे हुए हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन के जो अन्य क्षेत्र हैं, खिलौरा, नीकच,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नाखनौल, बांधोली, ललावंडी, हाजीपुर, खोर, खिलौरा, ओड़ेला, मान्दला, धाट, घेघोली और गोलेटा, यहां पर अवैध खनन मेरे क्षेत्र में ही और साथ में पूरे जिले में जो अवैध खनन हो रहा है, मेरा उसमें निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, निर्देश में, इसमें पुलिस विभाग, वन, पर्यावरण, खनिज एवं अन्य सहयोगी विभागों का, जो संयुक्त रूप से और वहां पर हमारे एरिये में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रयास चलता है, अभियान चलता है। उसमें मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा बोर्ड अथवा निगम अथवा आयोग गठित करें जो अगले पांच वर्षों में राजस्थान को अवैध खनन-मुक्त कराने के लिए और कोई विशेष पुलिस बल, विशेष औद्योगिक बल, खनन बल ऐसा बने, जो इनको रोके। साथ में, वहां एम.ई. और ए.एम.ई. की मिलीभगत से यह खनन होता है, इस पर भी सरकार ध्यान दे। यह मेरा आपको निवेदन है।

आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, जो मांग संख्या 42 व 43 पर चर्चा है, उसमें आपने बोलने का मौका दिया, मैं पहले ही आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अलवर जिला हकीकत में एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाने लग गया है। उसमें माइनिंग भी काफी ज्यादा होती है। माननीया मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि हमें राजस्थान के अन्दर हाई ग्रोथ लेनी है, या 12 प्रतिशत से ऊपर हमें आर्थिक विकास दर लेनी है, तो हकीकत में उद्योग से ही इस सपने को साकार किया जा सकता है। माननीया मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, जो विजन है, इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे कुछ सजेशन हैं।

एक तो हमको इस उद्योग नीति के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। हमारे यहां उद्योग नीति स्पष्ट नहीं है जिससे उद्योगपतियों को भी परेशानी होती है, गांव वालों को भी परेशानी होती है, रोजगार प्राप्त करने वालों को भी परेशानी होती है। अब जैसी, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में घोषणा की है, औद्योगिक निवेश, उत्पादन एवं नियोजन को बढ़ावा देने के लिए श्रम नियोजन की रिजिडिटिज को कम करने हेतु राज्य सरकार ने फैक्टरी एक्ट, कांट्रेक्ट लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एप्रेंटिस एक्ट और बायलर्स

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

एक्ट में जो व्यापक फेरबदल की घोषणा की है, इसको तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाए। तभी हमारे यहां निवेश बढ़ेगा, तभी उद्योग बढ़ेंगे, तभी रोजगार बढ़ेगा।

जो प्रैक्टिकल प्राब्लम्स हैं, मेरे यहां इतना बड़ा औद्योगिक सेण्टर खुल गया, इसके अन्दर जो रीको एरिया बनाता है, अब किसी को, कहीं न कहीं उसके ऊपर एक सोच रखें, न तो ड्रेनेज सिस्टम होता है। कभी यह तो पूछें कि रीको एरिया है, रीको का डवलपमेंट हुआ, रीको के प्लाट काटे, इण्डस्ट्री काटी, तो उसके गंदे पानी को बहाने के लिये कोई योजना किसी ने क्यों नहीं बनाई? सारे भिवाड़ी के पूरे एरिये के अन्दर पानी भरा हुआ है, कोई आदमी निकल नहीं सकता है। नीमराणा के अन्दर यही पोजिशन है।

इसी तरह, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या तो उनके उद्योग, जो उनके ऊपर लग सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा छूट दे दी जाए, या डम्पिंग कोई सेण्टर बनना चाहिए था। वह एक इंच भी नहीं छोड़ा। अब चाहे जो वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे जहां इंडस्ट्रियलिस्ट डालते रहते हैं। लोगों को उससे बड़ी परेशानी होती है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह पोल्यूशन का है। हम नाम क्या रख लिये, किसी भी उद्योग को अनुमति देते हैं तो उसको पोल्यूशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं पोल्यूशन नहीं करूंगा, पर उसके बाद कभी चैक नहीं करते। सही मायने में, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यह बात अच्छी तो नहीं लगेगी, पर पिछले पांच साल में राजस्थान के बारे में जो उद्योगपतियों के दिमाग में मेसेज है, कि यहां की ब्यूरोक्रेसी खाना जानती है, काम करना नहीं जानती। किसी न किसी स्तर के ऊपर घोंचा डाल देगी। उनको काम करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब तक इस सोच को नहीं बदलोगे, आपका सपना साकार नहीं होगा। वह क्या कमी कहां निकाली जा सकती है। अब पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी दुबारा ये जाकर चैक करते हैं? मेरे यहां पर तीन बीयर फैक्टरी लगी हुई हैं, स्पिरिट फैक्टरी लगी हुई हैं, उनके अन्दर अगर आस-पास के गांवों को जाकर देखो, जो विधान सभा में पिछली बार जिस तरह से अपनी बात कहनी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी, उनसे कह-कह कर थक लिये, पर यहां से जाते हैं, वे चालू कर देते हैं। अपने माल-ताल लेकर के वापस आ जाते हैं। वहां लोगों का जीना हराम हो रहा है। तो एक नीयत और नीति सख्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह से, कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति, बड़े उद्योगों का, जापानी जोन है, और जोन हैं, हमारे यहां उद्योग नीति स्पष्ट नहीं है। अब हम चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले पर आपकी उद्योग नीति में कहीं पर स्पष्ट नहीं है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर आपने स्थानीय बच्चों को, या जो स्किल वाले मिल रहे हैं, या लेबर भी मिल रही है, अगर आपने रोजगार नहीं दिया तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। आपको हम सहूलियत दे रहे हैं। ऐसी कोई नीति नहीं है। तो उसका फायदा वे यही उठाते हैं कि स्थानीय बच्चों को रोजगार नहीं देकर, हमारे यहां पर बाहर के आते हैं, यू.पी., बिहार के, कि उनको पक्का नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। इतना जबरदस्त गलत वातावरण बनता जा रहा है, कि एक विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स खुश होते हैं कि हमारी जमीन गयी है तो हमारे को ढुलाई के लिए माल मिलेगा, तो उनको माल नहीं मिलता है।

फिर हरियाणा और गुजरात की तरह से, गुजरात को हम अपना आदर्श मानने लग गये, तो एक तो जो हम किसान की भूमि को अवाप्त करते हैं तो बार-बार चिल्लाते हैं कि हम उसकी उपजाऊ भूमि को नहीं लेंगे, पर लेते समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। तो उपजाऊ भूमि को भी बचाना चाहिए।

दूसरा, मार्केट रेट वहां पर दो करोड़ रुपए बीघा की है और हम उनको देते हैं बीस लाख रुपए बीघा। अब सरकार के सामने वे बेबस तो होते हैं लेकिन अंत क्या होता है, कि जो बहरोड़ जिसमें आप करोड़ों रुपए अगर रात के 12 बजे भी, आधी रात को भी लेकर चले जाते थे तो कोई देखने वाला नहीं था और अब दिन में 12 रुपए भी छीनने को तैयार रहते हैं क्योंकि वहां तो अब भुखमरी के कगार पर हैं, जो लोकल आदमी हैं वे पहुंचते जा रहे हैं। तो उद्योग नीति में परिवर्तन करके मुआवजा बढ़ाना चाहिए।

दूसरा, जिस तरह से हरियाणा और गुजरात के अन्दर उनको बीस साल, तीस साल तक उनको उसके ऊपर रेंट देना चाहिए जिससे उन लोगों को लगे कि हमारा हक है, हमारी जमीन थी और उनका एक गुजारा भत्ता होता है। अब कोई आदमी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े ग्रुप आते हैं तो उनको तो परेशानी नहीं रहती, उनके तो आगे-पीछे सरकार हो जाती है लेकिन कोई छोटा आदमी उद्योग लगाना चाहता है तो वह तो बीच में ही छोड़कर चला जाता है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मैंने प्रैक्टिकल देखा कि रीको एरिया में बहुत पहले एक व्यक्ति ने लम्बी-चौड़ी जमीन ले ली। वह जिस इंडस्ट्री को चला रहा है उसके अन्दर उसको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। उसके दिमाग में आया कि जब मेरे पास सरप्लस लैंड है तो मैं क्यों नहीं इसके अन्दर दूसरा उद्योग लगा लूं? अब आप देखिए कि वह रीको एरिया के अन्दर चिह्नित हो गया, उसमें इंडस्ट्री लगी हुई है, सारे कानून-कायदे से है, फिर भी उस उद्योगपति को पहले कलक्टर के यहां, फिर डी.आई.सी. के यहां, फिर उसके बाद रेवेन्यू विभाग, जबकि रेवेन्यू विभाग तो वह जमीन अपने आप में छोड़ चुका है, रीको को दे चुका है। फिर भी उसको जयपुर से रेवेन्यू विभाग से, मिनिस्टर के यहां से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। इससे बड़ी और क्या परेशानी हो सकती है?

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें कि किसी भी उद्योगपति के पास सरप्लस लैंड है और वह अपना कोई उद्योग लगाता है तो नियम और गति के हिसाब से उसको जगह-जगह विभागों में चक्कर नहीं काटने चाहिए। उसको एन.ओ.सी. देने में कोई दिक्कत नहीं, वहीं की वहीं दे दी जाए। उसमें रेवेन्यू का कोई लेना-देना ही नहीं होता है। रेवेन्यू से क्या, जब इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है तो फिर रेवेन्यू का क्या लेना-देना?

इसी तरह से एक मापदंड होना चाहिए कि कभी-कभी औचक निरीक्षण सरकार की तरफ से हो, उद्योग नीति में हो। हमने जो इंडस्ट्री लगायी है, वह इसलिए लगायी है कि हमारी आर्थिक विकास दर बढ़े, विकास हो, निवेशक आयें, रोजगार आये। अब लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिले और सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाती है। तो इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह से, वहां के जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको कुछ काम नहीं मिलता। इसके लिए भी मेरा निवेदन है कि आप ध्यान दें।

एक सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े ग्रुप होते हैं उनको तो कोई परेशानी आती नहीं और छोटा आदमी जब इंडस्ट्री लगाता है तो उसको इसमें ही शामिल किया जाए। बिजली का कनेक्शन लेना है 200 के.वी., 300 के.वी. का, तो मुझे देखकर ताज्जुब हुआ, मैंने खुद ने प्रैक्टिकली देखा कि उनके अगर सी.टी.पी.टी. लेनी है तो जयपुर से। उन्होंने मीटर लगवाने के लिए, मीटर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

टैस्टिंग रिपोर्ट जाती है, जो कि सब कुछ वहां से बनकर आता है, यहां एक गली के अन्दर कहीं पर आफिस बना रखा है, पांच फाइलें मेरे यहां से आयीं। सारी वहां के विभाग ने पूर्ण करके दीं। चार फाइलों के पैसे मिल गये, पिछली सरकार के टाइम की बात कह रहा हूं, अब सुधार होना चाहिए, चार फाइलों के पैसे मिल गये तो वे मीटर तो पास होकर चले गये और एक का नहीं मिला तो उस मीटर को पास नहीं किया। अब बताइए कि जब सब कुछ वहीं से होना है तो यह जबरदस्ती का लूट का धंधा क्यों बना रखा है?

इसीलिए जो उद्योगपति कहते हैं न कि राजस्थान में तो ब्यूरोक्रेसी इस सारे को, बैठे हुए हैं आप लोग भी, इस सिद्धांत को बदलना होगा। हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो इमेज बाहर बनी हुई है, उसके अन्दर कहीं न कहीं सुधार करना पड़ेगा। यह मेरा आपसे आग्रह है।

अब मेरा एक निवेदन और है कि सरकार भी जब रीको इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अन्दर तो यह सोच लेती है कि यह कोई अलग देश है। वहां की सड़कें सबसे जर्जर हालत में होती हैं। वहां की सुरक्षा के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, सरकार से निवेदन है कि उद्योग नीति स्पष्ट बने, तब ही हमारा राजस्थान में निवेश बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, खनिज के मामले में मैं दो-तीन बात कहना चाहता हूं। एक, तो जो क्रेशर और खनिज वाले हैं, वे बहुत दिनों से अपनी बात कह रहे हैं। मैंने भी उनसे समझा कि वाकई में क्या परेशानी है। वे कहते हैं कि साहब, एक दिमाग में रहता है अधिकारियों के कि किस तरह से इनको हैरेस किया जा सकता है, किस तरह से इन पर अंकुश लगाया जा सकता है, किस तरह से इनको परेशान किया जा सकता है। एक फार्मूला होता है कि जो खान से माल निकलता है, या हमारे यहां पर उसका जो नाप-तौल करने हैं, वह करते हैं लेंथ-विड्थ-हाइट और कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से। जिसका अगर 10X10 है और इस तरह से निकाला जाए तो उसका करीबन 140 टन के लगभग होता है। इससे यह है कि इससे मनमानी चलती रहती है। अगर इस नाप-तौल को बदल कर, इस फार्मूला को बदल दिया जाए तो सरकार को रायल्टी भी ज्यादा आएगी, रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। न क्रेशर वालों को परेशानी न माइन्स वालों को परेशानी, इल्लीगल माइनिंग पर भी अंकुश लगेगा, केवल यह लेंथ-विड्थ-हाइट के इस हिसाब से कर लेंगे, तो। पर इसके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

ऊपर कोई करना नहीं चाहता। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कागज आपको दूंगा, इसकी आप स्टडी करना। बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं है पर इससे बहुत बड़ा माइनिंग करने वाले लोगों को, क्रेशर वाले लोगों को इंस्पेक्टर राज से थोड़ी मुक्ति मिलेगी।

इसी तरह से, उद्योगों को भी इंस्पेक्टर राज से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाए तो और ज्यादा सहूलियत हो जाए।

एक आपका वैट। जब एक खान से पत्थर निकल गया और आपने वहां पर वैट ले लिया तो फिर क्रेशर पर भी वैट क्यों ले रहे हो? जब क्रेशर से वैट ले लिया तो आगे सप्लाई कर रहे हो, वहां से भी वैट ले रहे हो। एक ही प्रोडक्ट पर छह-छह बार वैट लगे।

किसी एरिये के अन्दर आपको खूब पता है कि एक पहाड़ पर एक इंच भी जमीन नहीं है, वहां पर पेड़ उग ही नहीं सकते, पर मन की इच्छा नहीं है, उसको डि-फोरेस्ट करने में जोर पड़ता है।

एक आदमी ने, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक पीड़ित व्यक्ति मुझ से मिला। 1950 में एक जमीन फोरेस्ट लैंड में थी। सरकार ने उस जमीन को देखते हुए 1970 के अन्दर, उससे पहले डि-फोरेस्ट कर दिया। गरीब लोगों के, उस सरकार ने अलाट कर दिया, उनको पट्टे जारी कर दिये। अब उनके दिमाग में आया कि हम भी आगे बढ़ें, हम भी माइनिंग करें। तो वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरह से हमको खनिज पट्टा मिल जाए, पर अड़ंगा कहां पर अड़ाया वन विभाग ने, कि आज के दिन तो यह फोरेस्ट में नहीं है पर 1950 में फोरेस्ट में थी। तो जब तक इस तरह की सोच होगी, तब तक बढ़ावा नहीं मिल सकता।

हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो सपना देखा है, वह सपना तब ही साकार होगा जब हमारी ब्यूरोक्रेसी पोजिटिव वे में आएगी।

अब क्योंकि आप घंटी बजाने वाले हैं तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो मेरे सजेशन हैं उन पर ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हम उन भाग्यशाली प्रदेशों में हैं जिनकी धरती के गर्भ में अथाह

(श्री रमेश)

खनिज सम्पत्ति छिपी हुई है और यह वह प्रदेश है, जहां पर उद्यमियों ने कुशल बुद्धि से और अपनी प्रतिभा से देश और विदेश में अपना परचम लहराया है। लेकिन आज हम बात राजस्थान की कर रहे हैं। यहां पर निवेश के लिए बाहर से कोई नहीं आ रहा, हम प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा। इसके कारण क्या हैं, यह आप लोग भी जानते हैं और इसके लिए हमें सोचना होगा कि बाहर से लोग आएं और यहां उद्योगों को बढ़ावा दें और यहां निवेश करें।

आज राजस्थान की स्थिति यह है कि साढ़े तीन लाख छोटी और बड़ी फैक्टरियां होंगी, जिनमें से 30 और 32 प्रतिशत के करीब फैक्टरियां बंद हैं। हम बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, बहुत सारी नीतियां लाते हैं, बहुत सारे सिस्टम इवाल्व करते हैं, उसके बावजूद भी हम औद्योगिक विकास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होगी, सरकार का सपोर्ट उस आदमी को नहीं होगा जो उद्योग लगाने आया है, उसको आवश्यकता इस बात की है कि उसको बिजली मिले, पानी मिले, सड़क की व्यवस्थाएं मिलें और उद्योगों से सम्बन्धित जो भी सुविधाएं हैं, उसको आसानी से मिलें, लेकिन जब उसको जरूरत होती है, जिस दिन वह फैक्टरी लगाना चाहता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट में जाता है, तो उसको बहुत सारी असुविधाएं विभिन्न विभागों से होती हैं। कहीं पोल्यूशन सर्टिफिकेट की एन ओ सी लेनी है, कहीं उसको विद्युत विभाग में जाना है, कहीं उसको टिन नम्बर लेनी है। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। कभी बायलर इंस्पेक्टर से एन ओ सी लेनी है। तो वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता और इस सिस्टम में इतना परेशान हो जाता है कि वह उद्योग यहां नहीं लगाकर, दूसरे प्रदेशों में चला जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है और हमें ऐसे उद्यमियों को सहयोग और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लेकिन ऐसी व्यवस्था इस राजस्थान में हो रही है आज, कि फाइल कैसे चलती है, एक तो पहले सभी ने पढ़ा होगा, एक 'भोलाराम का जीव' था, उसकी फाइल पर अगर वैट नहीं रखा जाएगा तो फाइल आगे नहीं बढ़ती है। तो इस पर विचार करना होगा।

आज हम औद्योगिक क्षेत्र रीको की बात करते हैं, जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों के निवेश को आगे बढ़ाये और इस प्रदेश का विकास हो

(श्री रमेश)

औद्योगिक दृष्टि से, जो उसको काम करना चाहिये एक एम-एन-ओ-ट्र की तरह, लेकिन उसकी स्थिति आज राजस्थान में किसी से छिपी हुई नहीं है। यही स्थिति इस रीको की रही तो एक दिन यह राजस्थान को डुबाने का काम करेगा। क्योंकि इसमें एक सिस्टम ऐसा डवलप हुआ है। सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं और सरकार ध्यान नहीं दे पातीं, या मैं यह कह सकता हूं कि सरकार भी उसमें इन्वाल्व होती है और उसकी वजह से, सही रूप से मानिटरिंग नहीं होने की वजह से ये व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं और भ्रष्टाचार होता है, अनियमितताएं होती हैं।

एक पावर ऐसी है इनकी, जिस पावर का नाम है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी, आई.डी.सी., वह कुछ भी कर सकती है। उसको जब मर्जी आये कि किसका उद्योग लगवाना है, किसका नहीं लगवाना है, किसको अग्रिम छूट देनी है, किसको क्या करना है, जो भी उसके मनमर्जी में लग जाए कि इसको भगाना है तो भगा देंगे, जिसकी इंडस्ट्री लगवानी है उसकी लगवा देंगे और किसी को अनियमितताएं करके उसको लाभ पहुंचाना है तो वह निश्चित रूप से लाभ पहुंचाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी मानिटरिंग जो सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारी सदन की नेता और हमारे जो आज मंत्री हैं, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, जो जवाब देंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि यह जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है रीको का, एक तरह से आपका आर एफ सी तो बिलकुल बंद हो गया, आप उसको अनुदान देकर, धक्का देकर चला रहे हो, वह चल नहीं पा रहा है, तो यह स्थिति आने वाले समय में इस रीको की भी होने वाली है। इसमें कोई सिस्टम डवलप हो। आज आपका सब विभागों में अप-डेट हो गया, आनलाइन हो गया। आज आई.टी. का जमाना है। उद्योग एक ऐसा विभाग है जिसमें इकाइयों में यह पता नहीं है कि कौन अलाटी था, कौन उस जमीन पर काबिज हो गया, किसने लैण्ड यूज चेंज करा ली, किसने बिना परमिशन के मकान और हास्टल बना लिये। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं, मर्जी चाहे आई.डी.सी. जिसको कर दे।

(14.46 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, कुछ बानगियां हैं, एग्जाम्पल हैं,

(श्री रमेश)

उनको मैं बताना चाहता हूं कि आई.डी.सी. ने क्या-क्या किया है अभी तक। दो-चार की बता रहा हूं, ज्यादा नहीं हैं। औद्योगिक विकास की सबसे पहले प्राथमिकता होती है, ड्रेनेज का निर्माण, सड़क का निर्माण। इसमें रीको ने वर्ष 2007 में नीमराणा में थर्ड फेज में नाली निर्माण, सड़क निर्माण की निविदाओं में भारी अनियमितताएं कीं और अपने आदमी को जब तक टेण्डर नहीं मिल गया, तब तक वे अनियमितताएं करते गये। फर्स्ट जो टेण्डर हुआ था, उसकी रेट थी 26.91 प्रतिशत अबाव, सेकण्ड टेण्डर हुआ उसमें 9.91 प्रतिशत अबाव, इसी तरह चार बार टेण्डर हुए और लास्ट में 23.92 प्रतिशत। जो आदमी, जिसको चाहते थे, उसको इन्होंने टेण्डर दिया। इस प्रकार, इन्होंने रीको कम्पनी में 39.94 लाख का घोटाला किया और हानि पहुंचाई।

इसी प्रकार, किशनगढ़, चरण फिफ्थ में सड़क के नाली निर्माण में 30.14 लाख की हानि रीको को पहुंचाई गई। इसी प्रकार और दो अन्य मामले थे। उनमें सब में मिलाकर, इस प्रकार 2007 में हानि पहुंचाई, 1 करोड़ 27 लाख की हानि पहुंचाई। ये अपनी मनमानी करते रहे कि मर्जी आये जिसको टेण्डर देना है और जो इनका मनपंसद नहीं है, उसको कैंसिल कर दिया।

इसी प्रकार, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड को भूखण्ड आबंटन में भी अनियमितताएं की गयीं और उसका उपयोग बदलने में भी आई डी सी ने अनियमितताएं कीं। रीको ने अस्पताल और पार्क के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग बदलने का निर्णय, 31 जनवरी, 2006 के अनुसार, विकास प्रभारों के पेटे 82 लाख 45 हजार की मांग जारी की गयी, फरवरी 2006 में स्मरण पत्र, फिर उसको 3 अप्रैल, 2006 को दिया गया और उसके बाद 18 अप्रैल, 2006 को यह क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र घोषित हो गया। उसके बाद भी उसने जो डिमाण्ड राशि थी, वह जमा नहीं कराई। फिर 22 अप्रैल को यह कम्पनी जाती है और एक प्रार्थना पत्र पेश करती है आई डी सी के सामने, और आई डी सी उस पुरानी रेट पर, जो एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, उस पर आदेश कर दिये, जबकि संतृप्त क्षेत्र घोषित होने के बाद उनकी रेट 1,600-1,800 प्रति वर्ग मीटर हो गयी। इस तरह, रीको कम्पनी को आई डी सी के माध्यम से 1 करोड़ 36 लाख की हानि करवाई और ये घोटाले चलते रहे।

इसी प्रकार इनके द्वारा आबंटन में अनियमितता बरती गयी। यह डार्क जोन श्रेणी में था और ब्रेवरीज का जो उद्योग लगना था, वहां पर 2005 के

(श्री रमेश)

नियमानुसार जल प्रदूषण बोर्ड के माध्यम से, कि भिवाड़ी क्षेत्र में ऐसा कोई उद्योग नहीं लगेगा जो जल का प्रदूषण करेगा। तो आबंटन में भी ये अनियमितताएं की गयीं।

माननीय सभापति महोदया, सितम्बर 2006 में आई डी सी के नियमों की अवहेलना करते हुए आई डी सी ने लाफार्ज जिप्सम इंडिया प्रा. लि. को खुशखेड़ा में 15 एकड़ भूमि आबंटित करते समय 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी, 2 प्रतिशत नगद प्रोत्साहन राशि की छूट दी। इस प्रकार, माननीय सभापति महोदया, 40.97 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया।

कम्पनी ने टैक्सा इंडिया लिमिटेड को भी इसी तरह उसका 100 प्रतिशत विकास प्रवाह न होते हुए भी, 3 लाख 41 हजार की हानि पहुंचाई।

स्थानान्तरण शुल्क प्रतिधारित परिवारों में परित्याग करते हुए राजस्थान सरकार ने होण्डा सिएल फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एम ओ यू 2007 के एक मेमोरेंडम में, अंडरस्टेंडिंग एम ओ यू के अनुसार कम्पनी ने होण्डा सिएल लि. की कार परियोजना हेतु 610.68 लाख एकड़ भूमि आबंटित की और एम ओ यू के अनुसार तीन इकाइयों ने वहां उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया। शेष भूमि आई डी सी से रीको को लेनी थी, लेकिन इन्होंने उसमें अवहेलना की और इस अवहेलना के कारण हस्तानांतरण शुल्क और प्रतिधारित शुल्क की 3.67 करोड़ की हानि सरकार को पहुंचाई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, दस मिनट भी नहीं हुए। मेरे से पहले 16 मिनट बोले हैं, कोई 22 मिनट बोला। मैं पहला वक्ता हूं, पांच मिनट और दीजिये।

श्री सभापति: और भी वक्ता हैं आपकी पार्टी के। दस मिनट हो चुके।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, नौ मिनट हुई है। मैं खुद भी देख रहा हूं।

श्री सभापति: इसको समअप करें जरा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं, भूमि आबंटन में भी अनियमितताएं की गयी हैं। एक कम्पनी है सोना ट्रैक्टर कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। औद्योगिक क्षेत्र पथेड़ी में नवम्बर, 2007 में 25 एकड़ भूमि अलाट कर दी। भूमि विवादित थी, वहां पर किसानों

(श्री रमेश)

से रीको का विवाद चल रहा था और उसको बिना भौतिक कब्जा दिये हुए सौंप दिया। तो इस वजह से हमारे पास जो 175 करोड़ का निवेश आता, वह बाहर चला गया। तो इस तरह की अनियमितताएं इस कम्पनी के माध्यम से हो रही हैं।

औद्योगिक इकाइयां के उच्च न्यायालय में जो हमारे केसेज चल रहे हैं, उनमें भी निपटाने में देरी करती रही।

हस्तलिपि विशेष आर्थिक जोन, बोरोनाड़ा, जोधपुर में जून, 2006 के दौरान उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं दिलाने में रीको विफल रही। वहां पर इनको प्रोत्साहन देना चाहिए था, वैट में छूट देते, उनको सपोर्ट करते। 54 भूखण्ड ग्वारगम के ऐसे थे जो राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजे। वहां से इनको स्वीकृति नहीं मिली। तो इनका परिकल्पित अनुमान, 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वह मात्र दस परसेंट पर सिकुड़ कर रह गया, इनके कार्यों की वजह से।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 20 परसेंट क्रूड आयल प्रोडक्ट राजस्थान में पैदा हो रहा है और वह रिफाइन होने के लिए गुजरात जाता है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था करें कि हमें ज्यादा पैसा मिले।

आप रिफाइनरी को बंद कर रहे हैं, यह एक अच्छी बात नहीं है। रिफाइनरी लगेगी तो प्रदेश का विकास होगा और सुख-समृद्धि आयेगी। इस तरह का जो वातावरण बना रहे हैं, आपको लगता है कि रि-एग्जामिन करना है तो निश्चित रूप से करें, अगर उसमें कमी है, लेकिन, माननीय सभापति महोदया, हम कहना चाहते हैं कि रिफाइनरी को शीघ्रातिशीघ्र चालू करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, दो मिनट लूंगा।

आज इराक से हमें 19 परसेंट तेल आयात करना पड़ता है और अभी अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इस कच्चे तेल की कीमत 115 डालर पर पहुंच गयी है। इराक की जो स्थिति है और वहां का जो वातावरण है, यदि वहां के लोगों ने, जो टेरेरिस्ट हैं या वहां का एक संगठन है, उन लोगों ने कब्जा कर लिया तो भारत को तेल नहीं मिलेगा। तो इस बारे में भी राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम पैदा करें, हमारे पास तेल की कमी नहीं है, अभी भी हमारी जो कम्पनियां हैं उन्होंने बाड़मेर के क्षेत्र में ड्रिलिंग की है, तो डेढ़

(श्री रमेश)

गुने के करीब हमें और भी सोर्स मिले हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार करे। रिफाइनरी लगेगी, तभी हमारा प्रयास सफल होगा।

प्रदेश में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। उनमें भी सरकार मदद करे। मैं कहना चाहूंगा कि आई.एल., इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कोटा में है, वहां के कर्मचारी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो भारत सरकार से प्रयास कर के आई.एल. में जो लोग नौकरी करते हैं, आप उनको सहयोग देने का प्रयास करें।

श्री सभापति: समअप करें।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा एक निवेदन और है।

श्री सभापति: दो मिनट हो गये आपके। और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, बिलकुल, बिलकुल।

इस डिपार्टमेंट को अपडेट, आन-लाइन करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में एक सूखा बन्दरगाह बने। यह मेरा विशेष अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आज उद्योग और खजिन के बारे में परिचर्चा है। 1948 में पहली औद्योगिक नीति आयी, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनता के सामने रखा लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 1956 में उसको बदल दिया गया। एक इस प्रकार का पावर लिया गया उस औद्योगिक नीति के माध्यम से कि सरकार चाहेगी तो चौथे सेक्टर में भी, तीसरे सेक्टर में ही नहीं, चौथे सेक्टर में भी राष्ट्रीयकरण के लिए चली जायेगी। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देश में राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण; रोडवेज भी सरकार चलायेगी, डबल रोटी भी सरकार बनायेगी। 1992 में आकर के पंडित नेहरूजी के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने डि-राष्ट्रीयकरण किया। आज हर बार बजट के समय सुनते हैं डिस्इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके कारण से यह देश बरबाद हुआ। ऐसा मैं मानता हूं।

औद्योगिक नीति में बार-बार टैक्स होलीडे, रियायत, सब्सिडी, यह देने के बाद भी 50 परसेंट से ज्यादा उद्योग बंद पड़े हैं। आखिर उसके पीछे क्या

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लोजिक है? गैस का सिलेण्डर, सब्सिडी है 70 हजार करोड़ रुपये; परिवार 14 करोड़ और सब्सिडी 70 हजार करोड़, 500 रुपये। किसान की सब्सिडी, एक लाख 30 हजार, परिवार कितने हैं, 18 करोड़; और देश के 50 हजार जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनकी सब्सिडी और रियायतें पांच लाख करोड़। पांच लाख करोड़। और फिर भी राजस्थान का जो स्वर्ण उद्योग है, गहने बेचने वाला, जिसको मैं स्वर्ण उद्योग ही कहता हूं और सिले-सिलाये कपड़े बेचने वाला, उसका एक्सपोर्ट है दो लाख करोड़। इन सब का पांच लाख करोड़ की सब्सिडी लेने के बाद भी एक्सपोर्ट पांच लाख करोड़ नेट नहीं है। यह देश को बरबाद करने की स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज टैक्स होलीडे के लिए सिगरेट बनती है दिल्ली में और हरिद्वार में बख्तरबंद गाड़ी में जाती है। उसको टैक्स रिबेट मिल जाती है। इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं देश में।

आज ऐसी स्थिति है, आज बेरोजगारी क्यों बढ़ी? उसका कारण है कि देश में इतने लम्बे समय तक जो सब्सिडी प्राप्त हुई, उसके कारण से उद्योगपति ने अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं की। उद्योग बंद क्यों हो जाते हैं? इतनी रिबेट लेने के बाद भी बंद क्यों हो जाते हैं? इसलिए उसका कोई न कोई कारण खोजा जाना चाहिए और कारणों में भी हमें यह बताना चाहिए कि आखिर लेबर-कैपिटल रेशो क्या है, आखिर कैपिटल-आउटपुट रेशो क्या है।

इस देश में 1982 में कोर ग्रुप बना, उसने देश के सामने स्पष्ट किया कि साढ़े सात लाख रुपये जब बड़ा उद्योग खर्च करता है तब एक आदमी को रोजगार मिलता है और कुटीर उद्योग केवल 60 और 70 हजार रुपये खर्च करते हैं तो एक आदमी को रोजगार मिलता है। फिर भी हमने बड़े उद्योगों को एडाप्ट किया, कुटीर उद्योगों को छोड़ा। एक बार जनता पार्टी शासन में आयी, तब एक नया सेक्टर लाये टाइनी सेक्टर, उसको समाप्त-प्राय: कर दिया गया, उसकी किसी ने सुध नहीं ली।

इस कारण से आज देश की उद्योगों की जो दिशा है, आज राजस्थान में एग्रीकल्चर की, जो देश का सबसे सुस्त प्रदेश है, उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट ज्यादा है, इंडस्ट्री की उससे भी कम है। देश किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में प्रांत जा रहा है? पहले जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट की बात होती थी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी आयी तो वे इंडस्ट्री नीचे आ गयीं। छोटे स्थानों पर इंडस्ट्री आगे हैं। उसके कारण से आज इंडस्ट्रियल डवलपमेंट दिखता है। उस कारण से नहीं दिखता, वह दिखता है।

आश्चर्य होता है, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी, जापान तो आन्दोलन करता है जीरो-डिफेक्ट-एक्सपोर्ट और इंडिया में परम्परागत, आम है, उसके एक्सपोर्ट में भी कमी पाई जाती है और सारे विश्व में हम बदनाम होते हैं कि हम घटिया माल भेजते हैं। आखिर करते क्या हैं? यह इतना जो ब्यूरोक्रेसी का तंत्र है, यह करता क्या है? क्या देखता है यह?

अभी खनिज की बात चल रही थी, खनिज में किस-किस प्रकार की बातें होती हैं। मैं जहां रहता हूं, वहां एक बड़ी फैक्टरी लग रही है, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। वहां उसकी दीवार बनाने के लिए जो पत्थर आया, मैंने कहा कि भाई, इसकी रायल्टी का क्या है? तो जहां खानें हैं वहां से रायल्टी की पर्ची आती है और अवैध खनन हो रहा है और दूसरी जगह। अब उसको छह लाख का नोटिस मिला है। यह इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो अधिकारी करते क्या हैं? वन विभाग के अधिकारी क्या करते हैं? अगर ट्रैक्टर चला गया, ट्रैक्टर पकड़ा गया तो उस पर 25 प्लस 1,600, 26,600 की पर्ची कटेगी। गरीब आदमी कहां से देगा? यह खनन डिपार्टमेंट की स्थिति है, यह उद्योग डिपार्टमेंट की स्थिति है।

इस कारण से, सभापतिजी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा बजट दिया और उसमें इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने के लिए, विकास के लिए काफी व्यवस्थाएं दी हैं। दो-तीन बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक लेबर एक्ट में हम चेंज करने जा रहे हैं, करें, उद्योगपतियों के पक्ष में करें लेकिन दस के स्थान पर बीस करेंगे, उद्योगपति पर नियम तब लागू होंगे जब बीस की संख्या होगी, वरना लागू नहीं होंगे। तो 19 तक जो लेबर काम करता है, उसके अधिकारों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कैसे प्रोटेक्ट होंगे?

इस प्रकार, हम उद्योगपतियों के लिए सब करते जा रहे हैं। कैपिटल में किसान को तो 14-15 परसेंट पर ट्रैक्टर के लिए मिलेगा और उनको चार परसेंट, पांच परसेंट और सब्सिडी अलग, फिर उसके बाद में टैक्स होलीडे अलग। इस प्रकार की रियायतें देने के बाद भी, वह अपनी नेशनल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

एक्सपोर्टेबिलिटी है, देश में एक्सपोर्ट बढ़ें और एक्सपोर्ट के माध्यम से हम इम्पोर्ट कर के देश का विकास करें, यह नीति होती है। इस कारण से हम एक्सपोर्ट ओरियंटेड उद्योग की बात करते हैं, लेबर ओरियंटेड उद्योग की बात करते हैं, हम कैपिटल ओरियंटेड उद्योग की बात करते हैं, बड़े उद्योग की बात करते हैं, लेकिन इनका नेट रिजल्ट क्या है? इस पर निश्चित तौर पर गम्भीरता से विचार किया जाए।

(15.00 बजे)

देश में चाहे खनिज हों, वह भी हमारी नेशनल प्रोपटी है, चाहे जमीन हो। अब आप ताज्जुब करेंगे कि जब कोई आदमी इंडस्ट्री में भरत करने के लिए मिट्टी ले जाता है तो खनिज विभाग बीच में आ जाता है। वह किसान मिट्टी नहीं दे सकता, 3 फीट से नीचे अपनी मिट्टी नहीं दे सकता है। ऊंचा टीला है, तब भी नहीं बेच सकता। कैसे-कैसे कानून हैं। कैसी–कैसी व्यवस्थाएं हैं।

माननीय सभापति महोदया, इस कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान में जब एग्रीकल्चर में 33 परसेंट से आगे सिंचाई नहीं हो सकती, तो 67 परसेंट जमीन हमारे पास है। दिल्ली से बोम्बे का कारिडोर सबसे ज्यादा हमारे यहां से जा रहा है, लेकिन सीधा नीमराणा के बाद पाली में जाकर के बनाया है। ये बीच में 4 डिस्ट्रिक्ट आ गये बड़े, जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, सीकर आ गया और नागौर आ गया, उसमें कहीं भी कोई चीज सोची ही नहीं गयी, प्लान ही नहीं बना। सीधा पाली, क्योंकि जोधपुर के नजदीक है, कहा गया कि जोधपुर के नजदीक है। इससे विकास नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदया, एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग बननी चाहिए जिसमें पूरे राजस्थान का विचार हो, कहां खनिज उद्योग लगेंगे और कहां एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री की छूट पिछली सरकार ने दी, अगर एग्रो के नाम से कोई जमीन लेगा तो जीरो लगेगी उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसके बाद में कन्वर्जन की फीस जीरो लगेगी। बड़ी बेरहमी से एस टी की जमीन, एस सी की जमीन की जीरो परसेंट पर रजिस्ट्री की जा रही है। एग्रो इंडस्ट्री के नाम से कन्वर्ट हो रही है और जनरल के नाम हो रही है। इन 2 सालों का नाटक है यह।

माननीय सभापति महोदया, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मांग करूंगा कि जांच की जाये कि पिछले साल जो गहलोत साहब ने किया, उसका क्या परिणाम आ रहा है। एग्रो इंडस्ट्री एक भी लगी क्या यहां पर? यहां अधिकारी बैठे हैं, सदन उनको निर्देशित करे कि क्या एग्रो इंडस्ट्री के नाम से जो जमीन कन्वर्ट हुई, उसमें एक भी इंडस्ट्री लगी क्या, पिछले 2 सालों में? एस सी की जमीन को, एस टी की जमीन को बाहर से आये हुए जो भू-माफिया हैं, वे लूट रहे हैं और नाम करवा रहे हैं। उसको एक नम्बर का कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति के कारण खनिज और उद्योग पनपेगा क्या? एग्रो इंडस्ट्री पनपेगी क्या? किसान को उससे लाभ नहीं होने वाला है। अगर एग्रो इंडस्ट्री 2 साल में लगती तो निश्चित रुप से किसान का टमाटर 2 रुपये में सड़क पर नहीं पड़ता। वह हमें भी सस्ता मिलता, सस्ता सास मिलता। इसकी चिंता नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, यह कुछ बातें हैं जिनको मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, रोजगार की बात भी है, औद्योगिक विकास की बात भी है। अब औद्योगिक विकास की कोई बात नहीं करता लेकिन इन्वेस्टमेंट, मैं पढ़ रहा था बजट में, राजस्थान के बजट में 1 परसेंट भी बजट नहीं है। .084, इतने पैसों से ही विकास हो जायेगा?

माननीय सभापति महोदया, मैं विराटनगर में ही रहता हूं। दिल्ली और जयपुर के बीच में अगर सबसे ज्यादा सरकारी जमीन है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, 18 हजार बीघा, एक भी रीको नहीं है। मैंने एप्लाई किया। मेरे यहां छितौली में 400 मूर्तिकार हैं, वे अपने घरों में ही काम करते हैं, वे बीमार हो जाते हैं, लेकिन रीको का नहीं हुआ। मैं 4 साल से प्रयास कर रहा हूं, रीको स्थापित नहीं हुआ। वे घरों में ही मूर्ति गढ़ाई करते हैं। उस पर भी प्रदूषण की बात आयेगी।

प्रदूषण की बात कर-कर के सारी हमारी जो घानियां थीं, तेल की घानियां थी, उनको बंद कर दिया। इन नीतियों ने बंद कर दिया। बड़े उद्योगों को ले आये। माननीय सभापति महोदया, बड़े उद्योगों को लाओ तो कोई न कोई रेस्पोंसिबिलिटी तो दो उनको। राज्य का विकास हो, राज्य की ग्रोथ रेट बढ़े, राज्य में रोजगार बढ़ें, कैपिटल बढ़े। टैक्स बढ़ें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस कारण से मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाये और भावी योजना के रूप में, उसमें भी कृषि और खनिज, दोनों को जोड़कर के नीति बनाई जाये। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय सभापति महोदया, मैं अपना वक्तव्य टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापति: हां, टेबल कर सकते हैं। कर दीजिये।

(माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र (डग))द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 42 में आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपकी आभारी हूं।

राजस्थान उद्यमियों का प्रदेश है। यहां के उद्यमी अपनी साख, विश्वसनीयता और अपने कौशल के कारण प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी और देश के बाहर भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है। व्यापार बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, खुशहाली बढ़ती है और, इनके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति, जो यूनिट है, वह आय भी बढ़ती है।

माननीय सभापति महोदया, विश्व बैंक की रिपोर्ट में डूइंग-बिजनेस-इन-साउथ-एशिया 2007 में जो सर्वे किया गया था, उसमें जो 12 मुख्य प्रदेश बताये थे, जो ट्रेड के लिए सेफ हैं, उसमें थर्ड स्थान राजस्थान का था। यह 2007 की स्थिति मैं बता रही हूं।

हमारे समय में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 2007 में 'रिसर्जेंट राजस्थान' का आयोजन किया था और विश्व के मानचित्र पर राजस्थान को लाये थे। उस समय 1.60 लाख करोड़ के एम ओ यू हुए थे निवेश के लिए और उसमें से 1.10 लाख करोड़ के एम ओ यू अभी भी जमीन पर हैं। उस समय की स्थिति निवेश के लिए बहुत अच्छी थी और उस वजह से राजस्थान में बहुत खुशहाली आ रही थी। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, बहुत दुख की बात है कि पिछले 5 वर्षों में कानून-व्यवस्था की बहुत बुरी हालत हो गयी।

(श्रीमती अलका सिंह)

निवेश की कोई नई नीति नहीं आई और सरकारी तौर पर निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई योजना इंट्रोड्यूस नहीं की गई, जिसकी वजह से निवेशक यहां से पड़ोसी राज्यों में चले गये।

निवेशकों को जमीन के अलावा पानी और बिजली की मुख्य आवश्यकता होती है। औद्योगिक बिजली की दरें पिछली सरकार ने 2 बार बढ़ा दीं। औद्योगिक बिजली की दरें, मैं आपको बताना चाहूंगी, राजस्थान में 6.65 प्रति यूनिट है, मध्य प्रदेश में 4 रुपये है, गुजरात में 3 रुपये है और छत्तीसगढ़ में 3 रुपये है। जब बिजली की दरों में इतना अंतर होगा तो कौन यहां पर निवेश करने के लिए आयेगा?

माननीय सभापति महोदया, कांग्रेस ने 2012 में एक एन आर आई सम्मेलन किया था, प्रवासी भारतीयों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे निवेशक यहां पर आयें। उसकी स्थिति आपको बताना चाहूंगी, उसका उद्घाटन उस समय के जो प्रधान मंत्री महोदय थे, उन्होंने किया था, उस समय के मुख्य मंत्री महोदय सिर्फ उद् घाटन के समय ही वहां उपस्थित थे। बाकी सारे जितने भी काम थे, वे तीन मंत्रियों के भरोसे छोड़े थे।

माननीय सभापति महोदया, जनवरी में यह प्रवासी सम्मेलन हुआ था। उसमें अव्यवस्था का यह आलम था, सारे जो प्रवासी थे, उन्होंने शिकायत की कि व्यवस्था बिलकुल भी नहीं है। बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। निवेश के अलावा बाकी सब कामों पर वहां बातचीत हो रही थी। उस समय के एक मंत्री महोदय तो पूरे सम्मेलन के समय माफी ही मांगते रहे इस अव्यवस्था के लिए। एक बहुत सीनियर कोटा से आने वाले मंत्री थे, वे जब भाषण दे रहे थे तो प्रवासियों ने उनको टोका कि आप निवेश के बारे में बात करिये, उपलब्धियों के बारे में नहीं, तो उन्होंने कहा कि यह भाषण आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर जाइये। इस तरह का व्यवहार किया गया प्रवासियों के साथ, और काफी प्रवासी उस सभा भवन को छोड़कर बाहर चले गये।

माननीय सभापति महोदया, उस समय की पर्यटन मंत्री पर्यटन का पी पी टी प्रजेंटेशन देना चाहती थीं लेकिन वे सी.डी. भी घर भूल गई थीं। इस तरह की लापरवाह सरकार थी तो निवेशक किस तरह से अपने यहां पर निवेश करने के लिए अट्रेक्ट होते? सिंगापुर के एक निवेशक ने तो यहां तक कह दिया था कि हर तरफ लूट ही लूट मची हुई है।

(श्रीमती अलका सिंह)

माननीय सभापति महोदया, आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहूंगी कि उद्योगों का जो जी एस डी पी है, उसमें शेयर 2008 में जब हमारी सरकार गई थी, उस समय 31.04 परसेंट और अभी 2013 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी है तो वह है 28.54 परसेंट। मतलब, उद्योगों की कमी होगी तो निश्चित रूप से रोजगार की कमी होगी, खुशहाली की कमी होगी। उद्योगों की एन्युअल ग्रोथ 2008 में जब हमने छोड़ा था, उस समय थी 7.09 परसेंट और 2013 में यह हो गयी 6.14 परसेंट। उद्यमियों का किसी भी तरह भला इस पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदया, जापानी निवेशकों का जहां तक सवाल है, नीमराणा में हमारे समय में जापानी निवेशक आये थे और जापानियों के लिए एक 'सेज' डवलप किया गया था। उस समय आटोमोबाइल इंडस्ट्री आई थी, टैक्सटाइल, हिन्दुस्तान ग्लास, सभी हमारे समय के निवेश हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने उस समय ई पी आई पी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क 2004 बनाया था वहां पर और 220 केवी का बिजली का अलग से जी एस एस स्थापित किया था ताकि निवेशकों को कोई परेशानी ना हो।

उस समय गिलौठ एक स्थान है वहां पर, जहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हमारे समय में चालू हो गयी थी। वह चल रही थी, इसी बीच में पिछले 5 सालों में वहां कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अभी इसकी समीक्षा की है, अब वह गति पकड़ रहा है। अगर इसका सारा काम पहले ही कर लिया जाता तो जापानी और दक्षिणी कोरियाई जितने भी इन्वेस्टर्स थे, वे राजस्थान में आते और निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होता।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाने वाला भीलवाड़ा, जैसा कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, वहां का टैक्सटाइल उद्योग भी बिलकुल दम तोड़ गया है। सरकार की कोई टैक्सटाइल नीति नहीं थी। पिछले 5 साल से इस उद्योग का पहिया बिलकुल थमा हुआ था। सबसे बड़ी प्रोब्लम भीलवाड़ा में पानी की थी, उसको सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अब हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट में घोषणा की है नई टैक्सटाइल नीति बनाने की, जिसका स्वागत करते हैं हम लोग।

(श्रीमती अलका सिंह)

मानीय सभापति महोदया, एक मेवाड़ मिल का मामला है, पिछली सरकार ने मेवाड़ मिल को रिजर्व प्राइस से भी कम प्राइस में बाजार में बेच दिया।

भ्रष्टाचार की जो हालत थी, वह आपको और बताना चाहूंगी। डालडा मील के बेचान का विरोध चार कलेक्टर्स ने किया था, फोर कलेक्टर्स ने कहा था कि इसका बेचान इतनी कम कीमत पर न किया जाये, लेकिन तत्कालीन पूर्ववर्ती सरकार ने कांग्रेस के एक विधायक को 11 करोड़ रुपये में डालडा मिल बेच दी, जबकि उस समय उसकी बाजार कीमत थी 250 करोड़ रुपये।

भीलवाड़ा के 67 उद्योग बंद हो गये और 25 उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। माननीय सभापति महोदया, 3 लाख 67 औद्योगिक इकाइयों में से थर्टी परसेंट दम तोड़ चुकी है और फिफ्टी परसेंट निष्क्रिय हो चुकी हैं और यह पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण ज्यादातर उद्योग पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो गये।

पूर्ववती सरकार ने व्यावसायिक बिजली ही महंगी नहीं की, रेडीमेड गारमेंट पर जो वैट था, वह फोर परसेंट से बढ़ाकर फोर्टीन परसेंट कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया था, जो निवेशक आते हैं, एक ही खिड़की पर सभी तरह की सुविधाएं और एक लिमिटेड टाइम पर उनको उपलब्ध हो जायें ताकि उनको सुविधा हो, इसकी भी क्रियान्विति के लिए कोई प्रयास पिछली सरकार में नहीं किये गये। हमारी सरकार ने नीमराणा में जापानी और जर्मन निवेश आया था, उसको प्रोत्साहन दिया था।

माननीय सभापति महोदया, सबसे बड़ी बात होती है कि जो निवेशक आते हैं, उनको एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया के प्रयास से जयपुर को इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। निर्यात था, 700 करोड़ रुपये सालाना से बढ़कर 1,500 करोड़ रुपया हो गया।

हस्त-शिल्प कामगारों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिला लेवल पर जो हाट बाजार है, उनको विकसित करने पर जोर दिया था और महिला उद्योगों को विशेष रियायत दी थी।

हमारे समय में ही माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान आजीविका मिशन स्थापित किया था। देश में पहला राज्य राजस्थान था, जहां

(श्रीमती अलका सिंह)

यह आजीविका मिशन की स्थापना की गई। युवाओं का रोजगार देने के लिए, रियायती ऋण देकर रोजगार के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।

माननीय सभापति महोदया, अप्रवासी भारतीय चाहते हैं कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी दुबारा से वह जो रिसर्जेण्ट राजस्थान था, उसको रिवाइव करें ताकि यहां निवेश हो सके। क्योंकि जो विजन, जो सोच, जो पोजिटिविटी हमारी सरकार में है, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी में है, उस पर पूरा विश्वास है निवेशकों को और अगर निवेशक यहां आयेगा तो राजस्थान का विकास निश्चित रूप से होगा।

अभी जनवरी में हमारी सरकार आने के बाद खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा में जो निवेश था, उसकी समीक्षा माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने की थी और 27 प्रोजेक्ट्स में 27,371 करोड़ का निवेश होगा। इन प्रोजेक्ट्स के पूर्ण होने पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 15 लाख को अपरोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कम्पनी टाटा एनर्जी 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी जोधपुर के पास। उससे भी 15 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने अभी फ्रांसीसी निवेशकों के साथ भी मीटिंग की थी और उसमें दो फ्रेंच कम्पनियों ने 9 हजार करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा यहां जताई थी। होंडा में, टपूकड़ा में, अमेज कार का उत्पादन भी हमारी सरकार आने के बाद ही एम ओ यू हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, बस। सरकार ने कौशल व आजीविका मिशन का जो गठन किया है, युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, यह हमारी सात महीने की उपलब्धि है। अभी तो यह शुरुआत है।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दस मिनट आलरैडी आप बोल चुकी हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक मिनट और, बस। मेरे विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री सभापति: सिर्फ एक मिनट।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सिर्फ एक मिनट में। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय उपक्रम व आवासीय भारतीय विभाग द्वारा रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 2010 में एक पत्र लिखा गया था, उसके दो रिमाइंडर तत्कालीन कलक्टर के पास भेज दिये गये, लेकिन सरकार की रुचि नहीं थी तो निश्चित रूप से अधिकारियों की भी रुचि नहीं रहती है। अभी उसकी 75.13 हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजी गई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और वहां जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार मिल सके।

एक चीज और कहना चाहूंगी, देवनारायण योजना हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। देवनारायण होस्टल्स हमारे यहां हैं। उन होस्टल्स में एस बी सी, एस सी, एस टी के बच्चे रहते हैं। उनके दो कमरों में वाकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाये ताकि वे अपनी आजीविका कुछ सीख कर कमा कमा सकें और माननीया मुख्य मंत्रीजी का जो सपना है, सबको रोजगार देने का, वह सफल हो सके।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): मैं मेरा वक्तव्य टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापति: हां, टेबल कर दें।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदया, आपने मांग संख्या 42, 43 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज राजस्थान के उद्योगों की बात हो रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में रीको की जो परियोजनाएं हैं, उन सब में स्थिति यह है कि कहीं भी राजस्थान में करीब-करीब सभी जगह रीको के द्वारा अपने रीको औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित नहीं किया गया है और अविकसित रीको औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी, हमारे उद्योगपतियों को

(श्री मनोज कुमार)

जिनको भूमि आबंटित हो रखी है, उनके द्वारा उनसे धारण शुल्क और सर्विस चार्ज लगातार लिये जाते हैं और उनके नोटिस दिये जाते हैं कि या तो आप हमारा धारण शुल्क जमा करायें, नहीं तो आबंटन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में एक कमेटी गठित करके राजस्थान में जितने भी रीको के औद्योगिक क्षेत्रों की जगह हैं, उनका सर्वे कराया जाये वे अविकसित हैं और अविकसित होते हुए भी, हमारे उद्योगपतियों का पहले ही गला घोंटने की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उनसे सरचार्ज के रूप में धारण शुल्क के नाम से लूट मचा रखी है। विशेषकर अभी रीको के चूरू जिले की बात करूं, चूरू जिला औद्योगिक रूप से अति पिछड़ा हुआ जिला है, जिसमें औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे चूरू जिले में जो अविकसित रीको के औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको विकसित कराकर हमारे उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाये।

मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में हमारे रीको के थर्ड फेज की बात करूं, हमारे रीको के थर्ड फेज में आज तक न तो लाइट की व्यवस्था है। और न वहां पानी की व्यवस्था है, न वहां ड्रेनेज की कोई व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी, हमारे उद्योगपतियों को रीको के द्वारा उनके धारण शुल्क लेने के लिए नोटिस जारी कर दिये। ऐसी ही स्थिति हमारे तारानगर विधान सभा क्षेत्र की है। 1.1.2009 को उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से, उन उद्योगपतियों को नोटिस दिये गये हैं कि उद्योगपति अपना धारण शुल्क जमा करायें, लेकिन स्थिति यह है, वहां हमने पूर्णत: सूचना के अधिकार में एक-एक चीज की सूचना मांगी, हमने जलदाय विभाग से मांगी, रीको के आर एम से मांगी, उस सूचना में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमने वहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाई, हमने वहां पानी का कनेक्शन भी नहीं करवाया और हमने वहां ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं की। उसके बावजूद, 1.1.2009 से उसको विकसित घोषित कर रखा है और हमारे उद्योगपतियों को लूट रहे हैं। इन्हीं द्वारा हमारे मेंटीनेंस के नाम से सड़क 1996 में एक बार बनी, उससे लेकर आज तक दुबारा न तो सड़क बनी और न ही उनकी किसी प्रकार की टूटी सड़कों का रिपेयर किया गया। लाइट, हालत यह है कि जो खम्भे लगाये गये थे 1996 में, वे खम्भे सभी गिर गये हैं। वहां लोगों के साथ दुर्घटना होने की स्थिति भी हो रखी है।

ऐसी स्थिति में रीको के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सादुलपुर और तारागनर विधान सभा क्षेत्र, दोनों का आप

(श्री मनोज कुमार)

तुरन्त प्रभाव से सर्वे करवावें और सर्वे करवाकर जो अविकसित हैं, उनको अविकसित घोषित करायें और उनको धारण शुल्क से मुक्त करायें, जो सर्विस चार्ज लिया जा रहा है उद्योगपतियों से, उसको बंद करवाया जाये। उद्योगपतियों के द्वारा जो बिजली का फीडर लगाया जाता है, वह हमारे आम व्यक्ति की तरह ही उनके फीडर लगाया जाता है। मैं चाहता हूं कि उद्योगपतियों के लिए फीडर की व्यवस्था अलग से हो ताकि उनकी बिजली की ट्रिपिंग की समस्या को रोका जा सके, उद्योगपतियों का उद्योग सुचारु रूप से चलता रहे।

इसके अलावा एक और है कि शहर के पास जहां भी रीको का क्षेत्र है, उनमें नगरीय उप-कर, जो आम व्यक्ति से, उपभोक्ता से बिजली का बिल लिया जाता है उनमें नगरीय उप-कर लगता है, वह हमारे उद्योगपतियों पर भी लगाया जाता है। रीको में उद्योगपतियों के उद्योग लगे हुए हैं, उनको नगरपालिका, नगर परिषद से कोई सुविधा नहीं दी जाती, न स्ट्रीट लाइट दी जाती है। रीको एक सेपरेट विभाग है और वहां सारी सुविधाएं रीको द्वारा दी जाती हैं। इसलिए नगरीय उप-कर उनसे तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये, जो उद्योगपतियों से लिया जा रहा है। जब वे सुविधा ही नहीं ले रहे हैं तो वे उस सुविधा का कर क्यों दें?

इसी के साथ-साथ मैं खनिज के बारे में भी एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सिद्धमुख उप-तहसील है जहां जिप्सम भारी मात्रा में है, लेकिन वहां हमारे किसानों को किसी भी प्रकार की खनिज के बारे में जानकारी नहीं है। जो खनिज का अवैध काम करने वाले लोग हैं, वे किसानों को थोड़ा-बहुत लाभ देकर उनकी पूरी की पूरी जमीन ले लेते हैं और जमीन लेकर उनका जिप्सम निकालते हैं। इसमें पूरा प्रशासन मिलीभगत करके अवैध खनन कराता है और जब अवैध खनन का छापा होता है तो हमारे किसानों को 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपये का नोटिस दिया जाता है। उन किसानों को जमीन बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति होती है। इसलिए अवैध खनन जो जिप्सम का हो रहा है, बिना लीज के जो अवैध खनन कर रहे हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से रोका जाएं।

सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिताजी भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं मांग संख्या 42 के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं। अजमेर जिला औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला घोषित है। जैसे मैंने पहले कई बार सदन में यह बात कही है कि अजमेर जिला सबसे पुराना शहर है और ब्रिटिश शासकों ने यहां पर विश्वविख्यात मेयो कालेज के साथ-साथ कैरिज लोको और रेलवे मण्डल का कार्यालय स्थापित किया, इस कारण अजमेर औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान के बिलकुल हार्ट में आकर दिखाई दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से मैं कहूंगी, अजमेर औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है और यहां के जितने भी व्यवसायी हैं उनको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण यह है कि सरकार की नीतियां जो भी हैं, जो अधिकारी बैठकर बनाते हैं, उन नीतियों में इतनी अधिक खामियां होती हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्टरी या व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वह शुरू नहीं कर सकता।

मैं निवेदन करती हूं कि अजमेर में अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है सिरेमिक हब स्थापित करने की, सिरेमिक उद्योग लगाने की। माननीया मुख्य मंत्री के 2003 से 2008 के पहले कार्यकाल में अजमेर के किशनगढ़ में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा की गयी थी और टैक्सटाइल पार्क वहां स्थापित कराया था। अधिकारियों ने और लोगों ने मिलीभगत करके उसकी सब्सिडी का तो उपयोग किया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आज किशनगढ का टैक्सटाइल पार्क है वह पूरी तरह से बरबादी के कगार पर है। कोई वहां ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं हुई है और अधिकारियों ने जो खरीद-फरोख्त की है, उस सामान का भी ढंग से उपयोग नहीं हो पाया।

इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि जिस तरह से हम केन्द्र सरकार से या राज्य सरकार से औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए लोगों को सरकारी स्तर पर कोई मदद करना चाहते हैं तो नीतियों की गड़बड़ी के कारण से और अधिकारियों की लापरवाही के कारण से ठीक ढंग से आम जनता को उसके साथ नहीं जोड़ पाते, उनको वहां रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते।

माननीया मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर में लोहे का स्क्रैप, क्योंकि अजमेर में रेलवे है, रेलवे के कारण स्क्रैप बहुत अधिक तादाद में आता है। हमारे यहां कहा जाता है कि नारेली वाला पूरा क्षेत्र कबाड़ियों के गोदाम से भरा पड़ा है और उनका व्यवसाय यह कबाड़ का काम करना ही है। इसके

(श्रीमती अनिता भदेल)

अतिरिक्त, अजमेर शहर में लोहे की, आयरन की फाउंडरियां बहुत हैं। अजमेर के आसपास यदि देखें तो 40 से 45 लोहे की फाउंडरियां स्थापित हैं। इसके कारण से अजमेर में इंजीनियरिंग से सम्बन्धित जो उद्योग हैं, फैक्टरियां हैं, वे अधिक तादाद में लगी हुई हैं; लगभग 90 से 96 की संख्या में इंजीनियरिंग मशीनों का निर्माण करने वाली इंडस्ट्रीज है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बहुत लम्बे समय से हमारे औद्योगिक संघ के लोग और इस इण्डस्ट्री में लगे हुए लोग यह डिमाण्ड करते आये हैं कि यहां एक हब स्थापित हो, इंजीनियरिंग से सम्बन्धित पार्क यहां बने, ताकि लोहे की फाउंडरीज हैं उनको भी मौका मिले, जो हमारी मशीनें वहां फैक्ट्रीज में बनती हैं उनका डिस्प्ले हो।

मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे हिन्दुस्तान भर में मार्बल कटिंग की जितनी भी मशीनें हैं, उन मशीनों को अजमेर सप्लाई करता है। अजमेर में वे मशीनें बनती हैं। चाहे बंग्लौर जाएं, पूना जाएं या राजसमन्द जाएं या किशनगढ़ जाएं, जहां भी ये मशीनें हैं वे अजमेर से सप्लाई होती हैं। लेकिन अजमेर का दुर्भाग्य यह है कि किसी को यह पता नहीं होता। हम जयपुर में देखते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियां स्टोन की लगती हैं; मार्बल के जितने प्रोडक्ट हैं उनकी प्रदर्शनियां लगती हैं, इलेक्ट्रोनिक आइटम्स की लगती हैं। अजमेर में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, यदि उसकी हर साल प्रदर्शनी लगे या इस प्रकार का हब बने तो उन इण्डस्ट्रीज के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, खरीददार भी आएंगे और एक गुणात्मक प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। जब गुणात्मक प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है तो अच्छा प्रोडक्ट उसमें से निकलकर आता है। पिछली बार भी मैंने यह निवेदन किया था।

एक अजमेर में विशेष तौर से कुछ खनिज बहुतायत से मिलते हैं जिनका उल्लेख यहां करना चाहूंगी। क्वार्टज, फेल्सपार, चाइनाक्लेव, कैसलाइट ऐसे खनिज हैं जो अजमेर में बहुत अधिक तादाद में मिलते हैं। यदि इन खनिजों से सम्बन्धित उद्योग वहां स्थापित किये जाएं उनकी परमिशन मिले, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और, दूसरा, जो व्यक्ति निवेश करना चाहता है उसको भी सहूलियत होगी।

सभापति महोदया, एक निवेदन रीको के बारे में करना चाहूंगी। रीको हर जिले में वहां के स्थानीय लोगों को निवेश के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी, 2003 से 2008 के बीच में

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर जिले में पालरा इंडस्ट्रियल एरिया का विकास होना चाहिए, एक नया पालरा इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए, यह घोषणा हुई। 5 साल बीत जाने के बावजूद भी वह इंडस्ट्रियल एरिया आज तक डवलप नहीं हुआ। यदि हम रीको के लोगों से कहें कि आप उद्यमियों को कोई सहायता करें, तो रीको के लोग कहते हैं हम कोई सहायता नहीं कर सकते। यह तो आगे आकर इनको फैक्टरीज लगानी पड़ेंगी। यदि ये नहीं लगाएंगे तो हम इनका आबंटन कैंसिल कर देंगे। लेकिन रीको क्या उपलब्ध करा रहा है? रीको ने आज तक वहां कोई सड़क नहीं बनायी है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, टेलीफोन की लाइनें नहीं हैं, विद्युत के कनेक्शन नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, आपने सिर्फ प्लाट का आबंटन कर दिया तो कैसे वह व्यक्ति वहां जाकर इंडस्ट्री अपनी लगाएगा?

दूसरा विषय यह है कि आपने पालरा इंडस्ट्रियल एरिया चिह्नित कर दिया तो लेबर अजमेर शहर या अजमेर के आसपास के ग्रामीण इलाके से आने वाली है। यदि उस लेबर का आने-जाने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप उसको नहीं देंगे, सड़क बनाकर नहीं देंगे, तो लेबर वहां तक कैसे पहुंचेगी?

तीसरा विषय यह है कि कई बार रीको सड़क बनाने के नाम से सड़क बना देता है, लेकिन यह हमें और आपको भी अच्छे से पता है कि यदि हम रीको एरिया में सड़क बनाएंगे तो वह सड़क सीमेंट, कंक्रीट की होनी चाहिए और लगभग-लगभग 100 टन वहन करने वाली वह सड़क हो, लेकिन रीको को निर्माण करना है, पैसा लगाना है, इसलिए एक इंच परत की डामर की सड़क बना दी। दूसरे दिन ही वह सड़क टूट जाती है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब भी इस प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया में कोई डवलपमेंट का काम हो तो एक कमेटी उसका निरीक्षण करे। केवल हम रीको के ऊपर ही नहीं छोड़ सकते। साथ में, जब कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करो तो सारी सुविधाएं तय शर्तों के साथ, कि हम एक महीने में तो सड़क बनाएंगे, आने वाले महीने में पेयजल की व्यवस्था करेंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कैसे वहां प्लाट पर व्यक्ति इंडस्ट्री लगाएगा और कैसे लेबर की पीने के पानी की व्यवस्था करेगा? पालरा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि एक सिंगल लाइन का कनेक्शन आपने एक जगह लाकर छोड़ दिया और कहा कि आप यहां से पानी भरकर ले जाएं। अब यदि 296 बीघा का वह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है तो एक पानी की सप्लाई पर कैसे डिपेंड हो सकता है?

(श्रीमती अनिता भदेल)

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगी, रीको औद्योगिक डवलपमेंट का एक सैक्टर है, उसको उद्योगों का विकास करना चाहिए, उद्योगों में निवेश करने वाले लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता की अपेक्षा वह करता यह है, मैं पालरा इंडस्ट्रियल के बारे में बात करना चाहूंगी, इन्होंने लगभग 40 हजार मीटर जमीन तो जी एस एस को दी है और 20 हजार मीटर जमीन आई टी सेक्टर को दी है, 60 हजार मीटर टोटल जमीन उन्होंने दे दी। अब ये कहते हैं कि हमारा 80 परसेंट एरिया है, वह सेच्यूरेशन में चला गया, 20 परसेंट का हम आक्शन करेंगे। 40 हजार जो आपने सरकार को दी है, तो वह आप सेच्यूरेशन में कैसे काउंट कर सकते हो? इसके साथ ही 20 हजार आपने आई टी सेक्टर के लिए दी है। आपने 60 हजार माइनस कर दिया, आवंटी वहां कैसे आएगा? फिर बाकी के 20 परसेंट को आप आक्शन करके बेचना चाहते हो। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की नीतियों में जो तय है, उसमें भी रीको किसी तरह से इंटरफीयरेंस नहीं करे और इस सेच्यूरेटेड एरिया को वास्तव में सेच्यूराइज्ड ही रखें, तो ज्यादा फायदा हम आबंटियों को दे पाएंगे।

एक माननीय प्रहलादजी गुंजल निवेदन कर रहे थे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन पाइंट कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। छोटी-छोटी, विद्युत की, प्रोडक्शन की इकाइयां हैं, उन इकाइयों में कई बार एन्वायरनमेंट की एन ओ सी लेनी पड़ती है। जैसे उन्होंने चक्की का उदाहरण दिया, चक्की में तो कोई प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बगैर एन्वायरनमेंट की एन ओ सी के आप कनेक्शन नहीं ले सकते, विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकते। विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकते तो वह फैक्टरी चल नहीं सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी छोटी-छोटी फैक्टरियां जिनसे एन्वायरनमेंटल पाल्यूशन नहीं होता है, कम से कम उनको तो इस एन.ओ.सी. से दूर रखें और उनके ऊपर यह एन.ओ.सी. की पाबन्दी नहीं लगायें।

माननीय सभापति महोदया, एक अजमेर में जो सेरेमिक हब बनने वाला है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर में सिरेमिक बहुत अधिक मात्रा में है और अजमेर का सिरेमिक ही मौरवी जाता है। गुजरात में जो टाइल्स बनकर आती हैं वे हमारे पूरे राजस्थान में बिकती हैं। हमारा कच्चा माल यहां से मौरवी जाता है, वहां से प्रोडक्ट होता है और फिर हम उसको

(श्रीमती अनिता भदेल)

महंगे दामों में खरीदते हैं। मेरा निवेदन है कि मैडम ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर में सिरेमिक हब की स्थापना की घोषणा की है। हम उनसे काम्पीटिशन में तभी टिक पायेंगे जब हम उनको गैस के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करेंगे, क्योंकि यदि बिजली के माध्यम से हमने ऊर्जा प्रदान की तो हम काम्पीटिशन में नहीं टिक पायेंगे। मौरवी में जो टाइल्स बन रही हैं, सिरेमिक उद्योग जो पनपा है, वह उनके वहां गैस के कारण से पनपा है। उनको सी.एन.जी. गैस मिलती है और गैस के कारण से ही वे उस उद्योग को पनपा पाये हैं। राजस्थान में भी उनका पूरी तरह से नेटवर्क फैल चुका है।

मैं यह निवेदन करूंगी कि यह सेरेमिक उद्योग किशनगढ़ और अजमेर के बीच में हो। क्योंकि मार्बल की मण्डी किशनगढ़ में है, मार्बल लेने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग वहां आते हैं, तो यदि यह हब भी वहीं स्थापित होगा तो दोनों फैक्टरीज को पनपने में और मार्केटिंग में सुविधा मिलेगी।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनीताजी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): दो मिनट में।

श्री सभापति: माननीय मुख्य सचेतकजी, यह मुझे तय करना है कि वे कितना मिनट बोलें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वह तो उन्होंने कहा, इसलिए मैंने कहा है। बाकी मैं आपका अधिकार नहीं छीन रहा हूं। आपका तो बहुत बड़ा अधिकार है।

श्रीमती अनीता (नगर): आपने मुख्य सचेतकजी को जो टेबल बजाने से मना किया है... माननीय सभापति महोदया, आज खनिज और इण्डस्ट्री पर रखी गई मांगों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए और तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए बहुत सारे अच्छे प्रयास होने चाहिए। हम आज इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी जिस प्रकार के प्रयास उद्योग को बढ़ाने के लिए कर रही हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। हमारे राज्य का आर्थिक विकास है, उसके साथ-साथ राज्य में जो जिले हैं और जो दूर के जिले हैं, उन जिलों में भी अगर अर्थव्यवस्था को, वहां के उद्योगों और खनिजों को अच्छी तरह से उबारेंगे तो वह भी प्रदेश में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

(श्रीमती अनीता)

सभापति महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि जिस जिले, भरतपुर के नगर विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां से आगरा बहुत नजदीक है। वहां ताजमहल है और ताजमहल की वजह से उसके आस-पास के 55 किलोमीटर तक एन्वायरनमेंट पाल्यूशन का इतना बड़ा कानून है कि वहां पर बड़े उद्योग नहीं लग सकते और एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट जो पाल्यूशन का है, वह वहां मिलता नहीं है, जिससे वहां उद्योग लग नहीं पाते। उसके अलावा, प्रोपर भरतपुर में जो केवलादेव उद्यान है, उसकी वजह से भी एन्वायरनमेंट पाल्यूशन की वजह से नहीं निकल पाते। लेकिन हमारे जिले में माइंस और मिनरल्स का बहुत बड़ा खजाना है। बयाना, कामां, वैर, भुसावर, डीग, रूपवास, भरतपुर, इस पूरे क्षेत्र में इतनी ज्यादा खनिज की सम्पदा है कि उस खनिज की सम्पदा को तरीके से अगर उभारा जाए और उनका दोहन किया जाए, तो बहुत अच्छा लाभ हमारे जिले को मिल सकता है। हमारे भरतपुर में सिलिका सैण्ड, सोप स्टोन, ब्रिकक्ले, मिल्कस्टोन और क्वार्टज, ये इतनी प्रचुर मात्रा में हैं कि इनका अच्छे से उपयोग होना चाहिए।

वहां हमारे बयाना में बंशीपहाड़पुर में सैण्ड स्टोन मिलता है। सभापति महोदया, इस सैण्ड स्टोन को सिकन्दरा में लाकर इतने अच्छे तरीके से, खूबसूरती बढ़ाकर, इसकी चीजें बनाई गई हैं कि जब भी आप जयपुर से भरतपुर के लिए जाएंगे तो कम से कम एक-डेढ़ किलोमीटर तक सड़क के ऊपर वे ही सब चीजें रखी हुई पायेंगे और लगेगा कि कितनी खूबसूरत हैं। ये सब बंशीपहाड़पुर और बयाना से आता है।

इसलिए मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से अनुरोध है कि जहां पर यह मैटेरियल बयाना में मिलता है, वहां पर इसके उद्योग की स्थापना के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए ताकि वहां पर भरतपुर के लोगों को रोजगार मिले और उसके साथ वहां पर उद्योग भी बढ़ें।

हमारे भरतपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो सिमको लिमिटेड वहां पर बना हुआ है, रेलवे वैगन, मशीनरी एण्ड जनरल स्टील स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, यह एक बहुत बड़ा उद्योग हमारे वहां भरतपुर में लगा हुआ था। पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट थी, तब इसको खोलने के प्रयास भी किये गये और प्रयास सार्थक भी रहे। एक बार तो बिलकुल यह लगा कि यह खुल ही गई और उसमें महीने-दो महीने काम भी चला। लेकिन उसके बाद जैसे ही

(श्रीमती अनीता)

कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो इस उद्योग को उन्होंने दुबारा से बन्द कर दिया और फिर से इस पर ताले की स्थिति आ गई। मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा हुआ था, सरकार का पैसा लगा हुआ था, और भी पैसा लगा हुआ था, इसलिए अगर इसको दुबारा से कोशिश करके चलाया जाए तो निश्चित रूप से भरतपुर जिले के विकास में सहयोग मिलेगा। वहां उद्योगों में भी विकास होगा, वहां के लोग जो इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनका भी विकास होगा।

एक कैटल फूड प्लांट हमारे नदबई के अन्दर है। यह भी बहुत अच्छा प्लांट है। यह अभी चल रहा है लेकिन इसको जितना बढ़ाया जाए, इसमें और लगाया जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा।

भरतपुर के लिए, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, एन्वायरनमेंटल पाल्यूशन की वजह से वहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े उद्योग नहीं खुल सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि टूरिज्म के तरीके से, अगर इसको भी इण्डस्ट्री के रूप में, होटल इण्डस्ट्री के रूप में, उसको वहां पर उभारेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेगा क्योंकि रिलीजियस, हिस्टोरिकल, आर्केलोजिकल, ये सब चीजें वहां पर हैं। जैसे वहां से मथुरा पास में है, आगरा पास में है, वृन्दावन लगता हुआ है, तो ये रिलिजियस प्लैसेज हैं और यहां पर बहुत सारे देशी भी, विदेशी भी, घूमने आते हैं। आगरा में तो टैरिफ इतना महंगा होता है कि उसके मुकाबले भरतपुर में ठहरना सस्ता पड़ता है। इसलिए अगर होटल उद्योग के रूप में उसको उभारेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हमारे यहां पर इण्डस्ट्री के रूप में डवलपमेंट हो सकता है।

वैसे तो जो छोटे-छोटे उद्योग हैं जिनके ऊपर हम सब अब ध्यान दे रहे हैं, छोटे-छोटे उद्योग जो पाल्यूशन के भी नहीं हैं, लेकिन आम किसान को उसका फायदा मिल सके, उन उद्योगों को अगर हम खोलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी सुविधा हो सकती है। मेरे क्षेत्र में आयल रिफाइनरीज खुल सकती हैं। वह इसलिए खुल सकती हैं कि हमारा जो भरतपुर जिला है, उसके अन्दर सरसों की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। सरसों की पैदावार सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी, जितनी आयल रिफाइनरीज वहां लगी थीं, भरतपुर प्रोपर को छोड़कर आस-पास ग्रामीण एरिया में जिस किसान ने या किसी ने भी लगाई,

(श्रीमती अनीता)

तो वह चल नहीं पाई। वह इसलिए नहीं चल पाई, उसमें इतनी ज्यादा परेशानियां डिपार्टमेंट की वजह से रहीं। इसलिए मैं चाहती हूं कि उसका सरलीकरण किया जाए जिससे ये जो आयल रिफाइनरीज हैं, आयल मिल्स हैं, दाल मिलें हैं, टमाटो कैचअप, सास की जो इण्डस्ट्रीज हैं, डिहाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स का है, फ्लोर मिल है, स्टोन कटिंग और पालिशिंग का है, स्टोन ग्रिड का है और पिकल, अचार बनाने का, ब्रैड, बिस्किट, टीन-कंटेयर, ये ऐसी इण्डस्ट्रीज के रूप में हमारे पूरे क्षेत्र में डवलप हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को, जो किसान हैं, वे भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर लोग किसान हैं, कृषि आधार है और कृषि आधार के अलावा भी, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को इन सब चीजों में डालना चाहे तो वह हो जाएगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में लैदर का काम अच्छा है। लालपुर में बहुत अच्छी जूतियां, भुसावर में, वैर में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव पालकी है वहां पर लैदर की जूतियां डवलप करने के प्लांट लगे हुए हैं। तो उन सब लोगों को ऊपर उभारने के लिए, उनके लिए जितनी ज्यादा हो सके, उतनी उनकी हमको मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एम्प्लायमेंट भी मिलता है। जैसे 140 यूनिट्स लैदर की लगी हुई हैं, उनमें 1,450 लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इसी प्रकार, मार्बल कार्विंग है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में रसिया में है, पोछड़ी, पहाड़ी, कामां, जुरेरा और सीकर में है। यहां पर मार्बल कार्विंग का इतना बड़ा काम है कि यहां पर दूर-दूर से लोग आते हैं, पर जो शिल्पकार हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं होने पर बहुत ज्यादा परेशानी आती है।

हमारे भरतपुर में उद्योग विभाग का जो डी.आई.सी. है, उसके यहां से भी आपके यहां पर शिल्पग्राम का प्रस्ताव भेजा हुआ है। एक क्लस्टर के रूप में शिल्पग्राम सीकरी में बनाना चाहते हैं। उसके लिए वहां पास में न्याम गांव हैं, वहां पर सरकारी जमीन भी है, वहां पर 33 के.वी. का एक सब-स्टेशन भी लगा हुआ है, पानी भी भरपूर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम हो जाएगी। हमारे यहां बड़ी स्कीम तो रहे, लेकिन छोटे-छोटे क्लस्टर भी हमारे क्षेत्र में खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार के साथ-साथ, उन लोगों को काम मिलेगा और यह सब होगा।

(श्रीमती अनीता)

हमारे वहां नदबई में चूड़ी बनाने का काम है, एक मुड्ढा बनाने का काम, जो कि बिलकुल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का काम है और जगह-जगह जो 5-6 गांव हैं वहां यह मुड्ढा बनाने का काम है। हमारे यहां क्योंकि सरसों होती है इसलिए लोग मधुमक्खी पालन बहुत करते हैं और उससे जो हनी है, शहद है, उसका भी हमारे यहां पर बहुत अच्छी तरीके से डवलपमेंट हो सकता है। ये भी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजे हुए हैं, तीन क्लस्टर्स हमारे यहां भेजे हुए हैं। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी, एक तो मार्बल का शिल्पकला क्लस्टर है सीकरी में, उसको जरूर करें, एक, चिंदीडोरी का क्लस्टर कुम्हेर में है, उसको भी करें; और एक हनी क्लस्टर हम भरतपुर में बनाना चाहते हैं। ये तीन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैं, तो निश्चित रूप से आप ध्यान देकर इनको बनायें।

एक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग हमारे क्षेत्र में हो सकता है क्योंकि इसके अन्दर जो गैर-किसान हैं, वे हैं उद्योग में। इसके भी, नियम हैं, लोन देने की प्रक्रिया है, उनमें भी अगर सरलीकरण किया जाये और किसानों को आगे बढ़ाया जाये तो निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदया, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग व 43-खनिज पर मेरे विचार व्यक्त करने का समय दिया।

राजस्थान में खनिज के अथाह भण्डार है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सदन की नेता ने राजस्थान में नई खनिज नीति लाने की बात कही थी और पूरे प्रदेश के किसान नई खनिज नीति की राह देख रहे हैं।

सभापति महोदया, बजट घोषणा के अन्दर सरकार ने जिप्सम के खनिज पट्टे खातेदारों को देने की बात कही थी। इसी तरह, राजस्थान में अगर लाइमस्टोन के, जो कि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में है, खातेदारी भूमि में अगर लाइमस्टोन के पट्टे किसानों को दिये जायें तो बहुत बड़ी राहत राजस्थान के किसानों को मिलेगी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

41 दिन तक नागौर के कलेक्ट्रेट पर नागौर के किसानों ने मेरे नेतृत्व में धरना दिया था। तब भी सरकार से जो समझौता हुआ, उसमें खींवसर क्षेत्र के जो ब्लाक सीमेंट कम्पनियों को देने की बात सरकार कर रही है, प्रतिबन्ध हटाकर तीन-चार ब्लाक की बात कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं, हमारी सरकार से यह मांग है कि एक ब्लाक सीमेंट कम्पनी को दे दें और बाकी जो दो-तीन ब्लाक हैं, उन्हें जिप्सम की भांति आम किसानों के लिए खोल दिया जाये तो राजस्थान के ज्यादा हित में और किसान के हित में होगा। क्योंकि एक सीमेंट कम्पनी को जितनी जमीन अपन देते हैं, उसी जमीन में जो चूने के भट्टे लगते हैं, उसमें सीमेंट कम्पनी जितना रोजगार लोगों को देती है, उससे ज्यादा रोजगार उसी जमीन में चूने के भट्टों से, जहां लाइमस्टोन की खपत होती है, दिया जा सकता है। मेरे इलाके के अन्दर बहुत पहले जिओलोजिकल सर्वे हुआ था, उसमें कुछ इलाकों को एस एम एस ग्रेड का मानकर और प्रतिबन्ध कर दिया। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुन: मेरे इलाके में जिओलोजिकल सर्वे कराकर किसानों को राहत प्रदान करायें।

सभापति महोदया, नागौर के पास ही अम्बूजा सीमेंट कम्पनी के नाम से पहले के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड के पक्ष में पट्टा सरकार ने जारी किया था मूंडवा के पास और 20 वर्ष की अवधि के लिए इसको स्वीकृत किया। के ई सी इंटरनेशनल ने उक्त पट्टे का हस्तान्तरण इंडो-निपोन स्पेशल सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में किया। पट्टाधारी ने आज तक हजारों बीघा सरकारी जमीन और हजारों बीघा खातेदारी की जमीन को एक्वायर कर लिया। उसमें शर्तें हैं, सभापति महोदया। 1988 से लेकर आज 26 साल हो गये, वहां सीमेंट उत्पादन तो दूर, वहां दूर-दूर तक कोई काम नजर नहीं आ रहा है। एक लैण्ड बैंक बनाकर पहले गुजरात अम्बूजा, फिर अम्बूजा और बार-बार उसको मोटी दर पर आगे बेचा जा रहा है। किसानों को एक्वायर के समय जो पैसा मिला था, वह बहुत कम पैसा था। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो अब दिसम्बर, 2014 के अन्दर सीमेंट उत्पादन करने की, लोगों को रोजगार देने की शर्त उस अम्बूजा सीमेंट कम्पनी ने रखी है, मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस बार उसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाये और सख्त कार्यवाही की जाये। क्योंकि हजारों बीघा गोचर, अणगोर और खातेदारी की ऐसी उपजाऊ जमीन उन्होंने सस्ती दरों पर एक्वायर कर ली जिससे वहां के लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। अगर आपको जमीन

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक्वायर करनी है तो दुनिया भर की बंजर जमीन और मिल जायेंगी। जो नया बिल हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के अन्दर आ गया, भूमि अधिग्रहण बिल, अगर आपको करना है तो उस सीमेंट कम्पनी को उन किसानों को, जिनकी जमीन है, बहुत सस्ती दर पर अधिग्रहीत की थी, उनको नये भूमि बिल के आधार पर पूरी कीमत देते, पूरी कीमत के साथ लोगों को देना चाहिए। उत्पादन नहीं होने से कई करोड़ रुपयों का रेवेन्यू का लोस राजस्थान की सरकार को हुआ है। अगर यह सीमेंट कम्पनी आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले उत्पादन शुरू कर देती तो निश्चित रूप से यहां कई सौ करोड़, कई हजार रुपये का राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत साफ है। उनकी नीयत में खोट है और वे आगे किसी को बेचने की फिराक में हैं। हमारे कुछ राजनेता उस अम्बूजा सीमेंट कम्पनी के दलाल बन गये, जिनका जीवन भर यही धंधा रहा है। पहले जे.के., गोटन की दलाली करते थे और अब अम्बूजा की दलाली करके उन्होंने भोले-भाले किसानों को ठग कर उनकी जमीनें अधिग्रहीत करवा दीं।

सभापति महोदया, यह बहुत बड़ा संकट राजस्थान की सरकार के सामने आयेगा। समय रहते मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करा रहा हूं कि अम्बूजा सीमेंट कम्पनी, जो अभी तक उत्पादन शुरू करके लोगों को रोजगार नहीं दे रही है और एक लैंड बैंक बना रखा है। यह लैंड बैंक किसने बनाया, इस पर रोक लगाई जाये और इसकी पूरी जांच की जाये। इस पर जितना रेवेन्यू का लोस हुआ है सरकार का, वे इस कम्पनी से वसूला जाये और नये भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से, अभी तक गलती कम्पनी कर रही है, इन्होंने लोगों को पैसा नहीं दिया और 80 हजार रुपये, 70 हजार रुपये और एक लाख रुपये बीघा के अन्दर जमीन लोगों ने दे दी। अब वे किसान भूमिहीन हो गये। उनको जमीन के बदले जमीन सरकार ने नहीं दी। सरकार को चाहिए था कि जहां भी उपजाऊ जमीन ली जाती है तो उसके बदले में कहीं न कहीं नहरी क्षेत्र में या उपजाऊ जमीन किसानों को दी जाती। लेकिन उस समय जब यह मामला हुआ था, तब हमारे जो नेता थे, वे कम्पनियों की दलाली का धंधा करते थे, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा भोले-भाले किसानों को बहला-फुसलाकर जमीनें कम्पनी को दिलवा दीं।

सभापति महोदया, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में, अम्बूजा सीमेंट कम्पनी जो मूंडवा के अन्दर आ रही है, उसके खिलाफ सख्त

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से सख्त कार्यवाही करे और अब जो दिसम्बर, 2014 के अन्दर फिर रिन्यू करने का टाइम है, उस समय रिन्यू करने से पहले सरकार 10 बार इस मामले में सोचे कि बार-बार रिन्यू कराकर ये क्या चाहते हैं? अभी तो आप वहां मौका दिखवा लीजिये, साहब। वहां कुछ भी नहीं बना है, कोई शुरुआत नहीं हुई।

सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र के अन्दर अभी अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला, उससे पहले भी चला। कई खातेदारों की खातेदारी कैंसिल करने के राज्य सरकार ने आदेश किये, किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आज किसान के पास रोजगार का कोई साधन नहीं, तो अपने खातेदारी खेत में, अगर खातेदारी में खनन या कोई खनिज पदार्थ निकलता है और उसको निकालकर, अपने पेट भरने के लिए निकालकर बेच भी देता है तो वह अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे किसानों को वरीयता दे। नई खनन नीति बने, उसमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। आज मेरे इलाके के अन्दर सैंडस्टोन निकलता जहां निकलता है, वहां छोटे-छोटे लोगों के पास 50-50...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, सभापति महोदया।

श्री सभापति: एक मिनट नहीं, आपने ही कहा था, मैं पांच मिनट बोलूंगा केवल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे इलाके में सैण्डस्टोन प्रचुर मात्रा में निकलता है लेकिन आये दिन वहां माइनिंग डिपार्टमेंट वाले जाते हैं और किसान जो छोटा पत्थर, कच्चा पत्थर निकालता है, उसमें जुर्माना कर देते हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे किसानों को जो 50-50, 100-100 साल से जिनका बाप-दादाओं का मामला उन खानों पर है, उनको क्वारी लाइसेंस, आज अख़बार के अन्दर पढ़ा है कि क्वारी लाइसेंस खतम कर रहे हैं, क्वारी लाइसेंस खतम कर रहे हैं, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि उन किसानों को जिनके कब्जे 100-100 साल से, 50-50 साल से एक खान पर हैं और उनसे ही अपनी आजीविका चला रहे हैं तो, सभापति महोदया, उनको क्वारी लाइसेंस जारी करके उनको नियमित किया जाए।

दूसरा, सभापति महोदया, एक मिनट..

श्री सभापति: समाप्त करें। अगली बार। आप विराजिए अब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदया, मैं तो पहली बार बोल रहा हूं। छह डिमाण्ड थीं पहले। हमारे निर्दलीयों का भी थोड़ा-बहुत टाइम है।

श्री सभापति: एक मिनट, यानी, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। सरकार ने एक हजार पदों पर, खान विभाग ने, भर्ती निकाली थी और भर्ती की एग्जाम करा ली है, फिजिकल के लिए लैटर जारी कर दिये लेकिन विभाग ने आनन-फानन में उस परीक्षा को निरस्त कर दिया, सभापति महोदया, उद्योग मैदान पर आज हज़ारों लड़के पिछले पन्द्रह दिन से, जब सदन चल रहा है, वे बैठे हैं। मैंने सदन में पहले भी इस मामले को उठाया था। मैं सरकार का ध्यान इंगित करता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा में आपने रोजगार देने की बात कही थी और राजस्थान के जवान, इसी बात से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। जो एग्जाम में पास हो गये, जो यहां धरना देकर बैठे हुए हैं, सभापति महोदया, आपके सरकार के एक मंत्री ने भी मुख्य मंत्रीजी से बात करके इस मामले में रिव्यू करने की बात कही थी। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खान विभाग के अन्दर अवैध खनन रोकने के लिए जिन एक हजार पदों की भर्ती की, एग्जाम के जरिये जो पास हुए थे, उन एक हजार पदों की भर्ती को बहाल किया जाए और उनको रोजगार के साधन दिये जाएं।

श्री सभापति: श्री प्रेम चन्द्रजी बैरवा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री सभापति: आपका वक्तव्य हो गया है। श्री प्रेम चन्द्रजी बैरवा। आपका जो भी लिखा हुआ है, वह दे दीजिए।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 42 और 43 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

महोदया, हमारे राजस्थान में खनिज हमारे राज्य की धरोहर है। हमारे राज्य के राजस्व प्राप्ति में खनिज सम्पदा एवं खनिज उद्योग का एक प्रमुख योगदान है। यदि हमारे राज्य में आधुनिक तरीके से मेकेनाइज्ड माइनिंग, विश्व-स्तरीय तकनीकी को अपनाते हुए, योजनाबद्ध तरीके से खनिज का दोहन किया जाए तो खनिज सम्पदा का उत्पादन वर्तमान उत्पादन से कई गुना ज्यादा हो सकता है। आधुनिक विश्व-स्तरीय तकनीकी व मशीनरी का उपयोग

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

करने से उत्पादित खनिज सम्पदा भी उच्च-स्तरीय गुणवत्ता की होगी। पूर्ववर्ती सरकार ने खनिज के वैज्ञानिक दोहन के लिए योजनाबद्ध प्रयास नहीं किये। बजाय राज्य हित में अच्छी खनिज नीति बनाने, खनिज माफियाओं को संरक्षण प्रदान करके राजस्व को हानि पहुंचाई है। नतीजन, हमारा खनिज उत्पादन प्रभावित हुआ एवं खनिज उत्पादन की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, गलत खनिज नीतियों के चलते हमारे राज्य के पर्यावरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत नुकसान हुआ है।

महोदया, हमारे राज्य में बहुत से तीर्थ स्थान लोक देवताओं के हैं। जो मजारें व मक़बरे विभिन्न पहाड़ियों तथा नदी-नालों के पास बने हुए हैं, उनके आसपास अवैध खनन किया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। मैं, महोदया, आपको ऐसी घटना, मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में उगरियावास ग्राम में एक मोर डूंगरी स्थान है। उस पर खनन कार्य के लिए पिछली गवर्नमेंट ने वहां पर खनन माफियाओं को दी। उसमें बाबा गोरखनाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है और एक पुरा प्राचीन गुफा है। उस गुफा को बचाने के लिए ग्रामीणों ने 24 दिन तक एक शांतिपूर्ण धरना दिया। उस धरने में पूर्ववर्ती सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली और अंततः उन्होंने, जब पूर्ववर्ती सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वे लोग उस स्थान पर बाबा गोरखनाथ के मंदिर में गुहार लगाने के लिए गये। प्रशासन को सूचित करके बाद में वे वहां पर पहुंचे लेकिन प्रशासन और माइंस के लोगों ने वहां बहुत बाहर के लोग लाकर इकट्ठे किये, जिन लोगों ने वहां पर आगजनी की। लाठी और अनेक हथियार लेकर के वहां पर पहुंचे। वहां जब पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग, स्थिति इतनी बिगड़ गई, पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई और उसमें एक बच्चे के गोली लगी। उस बच्चे के गोली लगी। यहां से दो दिन बाद ही, पुलिस द्वारा उसका इलाज करने के बजाय उसको वापस थाने में रिमाण्ड पर लाया गया।

उस स्थिति को यहां के पूर्व के, हमारी पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के दो-तीन विधायक थे, मैंने उनको ले जाकर उस घटना से अवगत कराया। सम्माननीय कालीचरणजी सराफ, मोहन लाल जी गुप्ता और अशोकजी परनामी गये थे और उन्होंने वह स्थिति वहां पर देखी थी।

आज वह लड़का जिसके गोली लगी, उसके एफ.आर. लगा दी गई है

(श्री प्रेमचन्द बैरवा)

और 12-13 लोगों को, उनको सलाख़ों के पीछे डाला। एक ए.एस.आई. वहां पर था, उसको एक मामूली चोट आई थी और सामान्य इलाज के दौरान उस ए.एस.आई. को वहां से छुट्टी दे दी गई थी। उसका स्थानान्तरण उस थाने से दूसरे में हो गया था। उसके बाद 55 दिन बाद वह ए.एस.आई., अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और भोले-भाले ग्रामीण जन, जिन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की, उन पर 302 इन्वेस्टिगेशन सी.आई.डी., सी.बी. ने लगा दी है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूं कि उन ग्रामीण भोले-भाले लोगों को न्याय दिलायें, दुबारा उसकी जांच कराई जाए और उस बाबा गोरखनाथ के मंदिर को और अन्य अपने नदी-नालों के स्थान पर जितने भी स्थान हैं, उनको संरक्षण दिया जाए और ऐसे जो अवैध खनन माफिया हैं उनको रोका जाए। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोपाल कृष्णजी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आदरणीय सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। Whenever I speak, you are always in the Chair. I am happy.

माननीय सभापति महोदया, एक बात मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंहजी, जब से मैं यहां आया हूं, यहां पर देखता हूं कि वे कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाउस के अन्दर इस तरह से खाना उचित है या नहीं है, यह तो आप तय करेंगी, लेकिन हमेशा कुछ खाते रहते हैं। या तो खाने की चीज है तो सबको दें और या आप नहीं खायें।

श्री सभापति: अब आप विषय पर आ जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदया, यह जो हमारी नियम और प्रक्रियाओं की पुस्तक आपने दी है, इसके अन्दर, जहां तक मुझे स्मरण है, शायद 172 में पालनीय नियम हैं, माननीय सदस्यों को किस चीज की पालना करनी चाहिए। उसमें यह भी है कि वह कुछ चबाएगा नहीं, वह कुछ खाएगा नहीं। पर यह बात जो माननीय सदस्य ने कहीं, बिलकुल सही है, श्री प्रद्युम्न सिंहजी हमेशा कुछ न कुछ अकेले खाते रहते हैं।

श्री सभापति: अबकी बार आप ध्यान रखें, अकेले मत खाइए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अगर खाना भी है तो सबको

(श्री कालू लाल गुर्जर)

खिलाकर के खायें तो अच्छा लगे। अकेले-अकेले खाना तो और भी ज्यादा खराब है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य गोपाल कृष्णजी, आप अपने विषय पर आ जाएं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): बजट में कई तरह के प्रावधान किये गये हैं जिससे उद्योगों को जो है, प्रोत्साहन मिले। इसमें स्किल ट्रेनिंग की बात कही गई हैं, एफ.डी.आई. की तो खैर केन्द्रीय बजट में भी है; बायलर और फैक्टरीज एक्ट को भी सुधारने की बात कही है, उनमें कुछ प्रावधान करने की बात है; कपड़ा उद्योग और सिरेमिक्स के बारे में भी बहुत सी बातें कही गयी हैं।

राजस्थान, खास तौर पर बीकानेर में उपलब्ध खनिज और कच्चा माल, एनिमल हस्बेंड्री, दूध व ऊन, मूंग, मोठ, शुष्क जलवायु में उपर्युक्त उद्योगों के पनपने के अधिक अवसर हैं। माननीय सभापति महोदया, उद्योगों को पनपने के लिए विशेष तौर से पानी, बिजली, सड़क, कच्चा माल और बाजार, इनकी आवश्यकता होती है। बीकानेर के अन्दर बड़ी सम्भावनाएं उद्योगों की हैं, लेकिन अभी पिछड़ा हुआ है। कला, संस्कृति, पर्यटन उद्योग, पापड़, भुजिया और रसगुल्ला बहुत ज्यादा उत्पादन इनका होता है। इस क्षेत्र के अन्दर बीकानेर के निवासियों ने पूरे विश्व में बीकानेर की एक अलग पहचान बनाई है। इस बात को लेकर और अभी मैं निवेदन करूंगा अपनी मुख्य मंत्रीजी से कि मसालों पर जो वैट लगाया है, वह वैट का असर हमारे नमकीन और इन पर पड़ता है। रसगुल्लों पर तो नहीं पड़ता है क्योंकि मसाले नहीं पड़ते हैं, रसगुल्लों में सिर्फ शुगर ही पड़ती है। इसलिए अगर वे रियायत दें, लोगों ने मुझे एप्रोच भी किया

(16.00 बजे)

है, नमकीन, भुजिया और पापड़, इन सब पर जो वैट लगाया है अगर इसको कम कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

बीकानेर क्षेत्र में जिप्सम, लिग्नाइट, चाइना क्ले, वाल क्ले, फुलर्स अर्थ, और खनिजों का दोहन भी वर्षों से हो रहा है लेकिन बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र में फिर भी अविकसित ही गिना जाता है क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां का पूरा नहीं हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप नहीं हुआ, इस कारण ये विकसित उद्योग हमारे यहां पर पनप नहीं रहे हैं। बीकानेर में कई उद्योग जैसे वाल क्ले,

(श्री गोपाल कृष्ण)

जिप्सम, पोटाश, सिलिका, मिट्टी सहित अनेक खनिज तथा भेड़, बकरी, गाय, भैंस, आदि, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री यहां का मुख्य धन्धा था। जब यहां बरसात नहीं होती थी और ये नहरें नहीं आयी थीं, उससे पहले मुख्य रूप से एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें दूध और ऊन, दो चीजें यहां की मुख्य, लोगों के, जीवनधारा की बात थीं। तो ये धागे, ये सूत, कम्बल, खेस, दरी व अन्य कपड़े, चद्दर की रंगाई-छपाई उद्योग की असीम सम्भावनाएं यहां हैं लेकिन यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी तक डवलप नहीं हुआ है।

बड़े दुख की बात तो यह है कि क्ले जो नब्बे परसेंट दूसरी जगह गुजरात में बीकानेर से जाती है, लेकिन आप एक ट्रेजेडी देखिये कि गुजरात में पन्द्रह हजार करोड़ के इन्सूलेटर बनते हैं यहां से क्ले जाकर के, बीकानेर से क्ले जाती है और पन्द्रह हजार करोड़ के इन्सूलेटर बनते हैं और बीकानेर में केवल डेढ़ हजार करोड़ के इन्सूलेटर ही बनते हैं।

कोई न कोई बात तो है, कमी है। इसको कैसे दूर किया जाए? तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को जरा देखें कि बीकानेर को किस ढंग से, यह खनिज की अपार सम्पदा होते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहा है।

सिरेमिक्स हब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है, बहुत अच्छी बात है लेकिन यह तभी ज्यादा आगे बढ़ सकता है, जब जैसलमेर के पास रामगढ़ से गैस पाइपलाइन से सप्लाई अगर दे दी जाए। तो यह हब आपका सक्सेसफुल हो सकता है और ऐसा सक्सेसफुल हो सकता है कि यह देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी सिरेमिक्स का विकास किया जा सकता है।

अभी बीकानेर के पास में ही गजनेर है, उसको जो बीकानेर के पास पचास-साठ किलोमीटर दूर है, वहां रीको ने अपना क्षेत्र बनाया है। लेकिन वह इतना छोटा क्षेत्र बनाया है कि वह कभी विकसित हो ही नहीं सकता। न तो वहां पर पानी है और न ही जगह है। इसलिए उसको एक अलग ही जगह उनको बनानी पड़ेगी। फिजूल के पैसे वहां खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। पानी नहीं है वहां पर, बिजली नहीं है वहां पर, रा मैटेरियल नहीं हैं वहां पर। इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत वहां पर स्थान दूसरी जगह पर ही ले जाना पड़ेगा। कोलायत और गजनेर में यदि कोई चीज पनपानी है तो एक यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लिए वह स्थान सबसे बढ़िया है, उत्तम है। वहां अगर सौर ऊर्जा

(श्री गोपाल कृष्ण)

लगायी जाए, क्योंकि मैदान है और सूरज है वहां पर, इसलिए अगर सफल हो सकता है, सौर ऊर्जा का हब बन सकता है तो यह प्रोत्साहन देना चाहिए। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया की जगह सौर ऊर्जा का हब बनाना चाहिए।

बीकानेर में एक ऊन व टैक्सटाइल उद्योग भी सदियों से स्थापित है। बीकानेर की कुन्दन ज्वैलरी देश के महज तीन अन्तरराष्ट्रीय केन्द्रों में से एक है। हमारे उद्यमी इसके अलावा कई उद्योगों को अथाह परिश्रम कर जीवित रखने और विकास की आशा में प्रयत्नरत हैं।

अब यह सम्भाग खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए भी विशिष्ट पहचान रखता है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया। यहां पर पैदा भी होती है ग्वार, मूंगफली, मोठ, तिल, बाजरा, चना, गेहूं, सरसों, कपास आदि फसलें; किन्नू, बेर, अनार, खजूर, आदि बागवानी सब्जियों का उत्पादन भी होता है, परन्तु संतुलित इंफ्रास्ट्रक्चर व औद्योगिक विकास के अभाव में कृषि मंडियों के बाहर कभी मूंगफली और कभी चना और गेहूं से भरे ट्रकों की लम्बी लाइनें लगी रहती हैं। उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है।

पूर्व में तत्कालीन आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने वूल डोमिनेटेड इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क की घोषणा की थी, परन्तु गत कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी गिनी जाती थी यह लेकिन अब इसका कच्चा माल, ऊन का, न्यूजीलैंड या चाइना से मंगाया जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी ट्रैजडी की बात है कि एशिया का सबसे बड़ा केन्द्र आज ऊन के लिए तरस रहा है।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्य कार्यालय जोधपुर में स्थित है, जबकि बीकानेर ऊन का सबसे बड़ा केन्द्र है। लेकिन क्या किया जाए? जब कोई उद्यमी अपनी नवीन इकाई स्थापित करता है तो उसको सी टी पी टी की आवश्यकता होती है। उसकी भी आज्ञा जोधपुर से लेनी पड़ती है। इतने वर्षों तक कांग्रेस का राज था और जोधपुर का राज था, यों मानिये, और जोधपुर के राज में हर एक चीज की हमको जोधपुर जाकर के परमिशन लेनी पड़ती है, अनुज्ञा लेनी पड़ती थी।

दूसरी बात, मेगा फूड पार्क बनाने का मुद्दा कई बार बीकानेर की जनता ने उठाया। इसके लिए एग्रो एण्ड फूड टैस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित है। एग्रो एण्ड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अभाव में

(श्री गोपाल कृष्ण)

उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन सम्भव नहीं है। मेगा फूड पार्क बनना बहुत ही आवश्यक है।

सौर ऊर्जा आधारित उद्योगों पर अधिक रियायत देनी चाहिए। इनके विकास से बड़े उद्योग ही नहीं, मध्यम व लघु स्तरीय उद्योगों का समग्र विकास हो सकता है।

नये क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को पन्द्रह प्रतिशत सब्सिडी अगर दे दी जाए तो निश्चित रूप से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सड़कों का जाल जब तक नहीं बिछेगा, तब तक आवागमन नहीं होगा। माल इधर से उधर ढोने में कमी रहेगी और कभी भी इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती है।

पानी की पूर्ति की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिजली की समस्या। करणी उद्योग नगर, फेज-3 में अभी तक आबंटन नहीं हो रहा है, वह आबंटन किस कारण से रुका हुआ है, पता नहीं। उसको जल्दी से जल्दी वापस आबंटन प्रारम्भ कर देना चाहिए।

एक डिमाण्ड जो हमारी हालांकि स्वीकृत है, ड्राई पोर्ट, लेकिन इसका काम नहीं चल रहा है। कम से कम नौ हजार से दस हजार कंटेनर का निर्यात, भुजिया, रसगुल्ला, पापड़, इसके लिए काम में आने वाला है। अगर यह ड्राई पोर्ट शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से इसको भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।

दूसरा यह है कि बाहर से आयातित कृषि उत्पाद पर मंडी शुल्क से छूट पहले प्रदान की गई थी, वह भी हटा दी गई है। इसलिए वह भी छूट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा यहां के उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

अब इसमें ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा। जो हमारे यहां खनिज उत्पादन होता है, इस पर खास तौर से एक प्रोजेक्ट बना करके, वहीं के माल से उद्योग कैसे लगाये जा सकते हैं, इसके लिए योजना बनायी जाए। बीकानेर को इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राई पोर्ट, आदि सब दिये जाएं। हमारे यहां समुद्र था पहले, यह बीकानेर समुद्र था, क्योंकि मैरिन लाइफ के फोसिल्स अभी मिल रहे हैं, लेकिन अब समुद्र तो रहा नहीं, इसलिए ड्राई पोर्ट की आवश्यकता है। ड्राई पोर्ट हमको चाहिए। दूसरा, यह आपका सौर ऊर्जा का हब, सिरेमिक्स हब, ये सभी चीजें अगर हमको मिल जाती हैं तो बीकानेर बहुत उन्नति कर सकेगा। धन्यवाद।

(श्री गोपाल कृष्ण)

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अमृताजी मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): सभापति महोदया, धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका मिला मांग संख्या 42, 43 पर।

मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं, उस क्षेत्र को विश्व में ग्रेनाइट नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि पूरे विश्व में ग्रेनाइट की मंडी जालौर में स्थित है। जालौर में ग्रेनाइट की इकाइयां लगभग पन्द्रह सौ तक हैं। बजट में अभी खनिज पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अच्छी घोषणा की है। माननीय सभापति महोदया, ग्रेनाइट उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी समस्या डंपिंग यार्ड की है, क्योंकि पन्द्रह सौ ग्रेनाइट इकाइयों में से जो स्लरी व स्लरी का पानी फैक्टरियों से बाहर निकलता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सरकारी जमीन देकर डंपिंग यार्ड की व्यवस्था कर सकती है। किशनगढ़ में मार्बल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने जमीन देकर डंपिंग यार्ड की सुविधा करवाई है। सरकार चाहे तो स्लरी का उपयोग हाइवे रोड बनाने के लिए, सड़क के नीचे बिछाने के काम में लिया जा सकता है तथा सीमेंट की ईंटें भी बनाई जा सकती हैं।

सभापति महोदया, ग्रेनाइट फैक्टरियों से निकलने वाली स्लरी से ब्रिक्स व लाकिंग टाइल्स का निर्माण छोटे स्तर पर हो रहा है। स्लरी का उपयोग साबुन, क्लीनिंग पाउडर, वाशिंग पाउडर, टेल्कम पाउडर, टूथ पेस्ट, सीमेंट व खाद बनाने में लिया जा सकता है। यह शोध का विषय है। हमारा आपसे निवेदन है कि ग्रेनाइट स्लरी का सरकारी स्तर पर शोध करवाया जाए तो इससे सम्बन्धित विभिन्न उद्योग जालौर के आस पास के क्षेत्रों में लगने की प्रबल सम्भावना है। उद्योग लगाने से स्लरी का पूर्ण उपयोग हो जाएगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिल जाएगी एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स व लोकिंग टाइल्स में सीमेंट व स्लरी का उपयोग रहा है। उक्त उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र बनाने, सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स एवं सब्सिड़ी देने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि स्लरी पर शोध करावें और स्लरी बाई-प्रोडक्ट इण्डस्ट्रीज के विकास हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करावें।

सभापति महोदया, निवेदन है कि जालौर में ग्रेनाइट की रीको प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में करीब 500 यूनिट कार्यरत हैं तथा मोहनजी की

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

प्याऊं से भागली, मांडलपुरा, धानपुर, रैवत क्षेत्र में 600 यूनिट से अधिक कटिंग प्लांट्स, बागरा बिशनगढ़ में करीब छोटी-बड़ी 100 यूनिट कार्यरत हैं। कुल 1200 यूनिटों में से प्रति यूनिट 300 वर्ग फीट से लगभग 3 लाख 35 हजार वर्ग फीट उत्पादन होता है, जिसकी कटिंग करने से भी स्लरी निकलती है। इसमें निस्तारण हेतु स्थान निर्धारण करने के लिए भूमि आबंटन कराया जाना अति-आवश्यक है। सभापति महोदया, हमारे यहां समस्या है, निदान हेतु विशेष निर्देशन देकर, अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण करना पड़े तो भी करने के आदेश प्रदान करावें।

सभापति महोदया, जालौर में प्रतिदिन 3,500 टन ग्रेनाइट स्लैब तैयार होता है। जालौर से पूरे काडंला, मूदंडा पोर्ट, दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बैंगलोर सहित देश के अन्य हिस्सों हेतु माल का लदान ट्रकों द्वारा किया जाता है। जालौर से प्रतिदिन 2,500 से 3,000 टन ग्रेनाइट बाहर जाता है। लेकिन इसके बावजूद जालौर में कन्टेनर यार्ड नहीं है।

मैं यह कहना चाहती हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त करती हूं कि जब हमारी मुख्य मंत्रीजी लघु उद्योग मंत्री थीं तब उन्होंने भारी संकट से बचाया था तथा जीरो पाइंट एक्साइज डयूटी में 1 करोड़ 50 लाख तक एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश किये थे, तथा 4 प्रतिशत वेट टैक्स कम कर इस उद्योग को बचाया था, जिसके लिए जालौर ग्रेनाइट एसोसिएशन आज भी मुख्य मंत्री महोदया की आभारी है। अगर यह एक्साइज ड्यूटी 05 करोड़ तक बढ़ती है तो जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में ग्रेनाइट के जो प्रचुर भण्डार हैं, उनका सही तरीके से दोहन हो सकेगा तथा इण्डस्ट्री के अन्दर एकदम उठाव आ जाएंगा। एक ग्रेनाइट यूनिट में चार ग्रेनाइट यूनिट लग जाएगी जिससे एक्साइज ड्यूटी का भय खतम हो जाएगा तथा आय कर की चोरी भी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदया, जालौर ग्रेनाइट फर्स्ट फेज व सेकण्ड फेज 1980 में बसाया गया था लेकिन अब जमीन कम होने के कारण, यहां की जमीन को कामर्शियल व आबादी में परिवर्तित किया जाकर, यहां की इण्डस्ट्रीज को दूसरी जगह सफाड़ा रोड या बिशनगढ़ क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएं ताकि क्षेत्र को विकसित किया जा सके।

सभापति महोदया, ग्रेनाइट उद्योग के लिए एक और समस्या है कि

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

माल का उत्पादन तो ज्यादा होता है लेकिन परिवहन के लिए कोई यार्ड की सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा यही आपसे निवेदन है कि यार्ड उपलब्ध करवाएं।

मैंने यहां जितनी भी मांगें रखी हैं, मुझे सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी मांगों पर विचार किया जाएगा।

बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लालजी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, मैं भाषण को टेबल कर दूंगा।

श्री सभापति: टेबल कर दीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्षजी को मैंने पूछा था कि क्या करना है तो आपने कहा, टेबल कर देना।

श्री सभापति: चलिए टेबल कर दीजिए आप अपनी बात को।

(माननीय सदस्य श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री फूलसिंह जी मीणा। श्री फूलसिंह जी मीणा, माननीय सदस्य, आप बातों में व्यस्त हैं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं माफी चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 42 व 43 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदया, विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण ऐसा एरिया है जो पहाड़ी है। हमारी वहां की जनता भगवान के भरोसे ही पलती है क्योंकि एक फसल के ऊपर वह पूरा एरिया निर्भर रहता है। बरसात के दिनों में अगर बरसात होती है तो फसल होने की पूरी आशा रहती है। एक फसल के बाद में बेचारा पूरा ग्रामीण एरिया बेराजगार हो जाता है। बरसात में भी उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से हमारे वहां के जितने भी नागरिक हैं, वे बेचारे गुजरात या अन्य जगह अपने पेट को पालने के लिए, मजदूरी के लिए पलायन करके जाते हैं। माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे एरिये में लघु उद्योग लगवाने की

(श्री फूलसिंह मीणा)

कोई ऐसी योजना होनी चाहिए, छोटे-छोटे लघु उद्योगों में हमारे वहां के महिला और पुरुष, दोनों उनमें काम कर सकें। माननीय सभापति महोदया, लघु उद्योग जब लगेगा तो हमारे वहां का लोकल एरिया जो ग्रामीण का पड़ता है, उसमें अगर लगाएंगे तो उनको बाहर जाने की नौबत कम आएगी। लघु उद्योग में ऐसी योजना हो कि उसमें छूट मिले, आदिवासी भाई भी उस उद्योग को आसानी से ग्रुप बनाकर कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे विश्वास है, इस आदिवासी एरिया को, जब भी बी जे पी सरकार आई, उद्योग के मार्फत हो, चाहे ऋण माफ करने के मार्फत हो, चाहे रोजगार दिलाने के मार्फत हो, हमारे को इसी सरकार पर पूरा भरोसा और विश्वास है।

माननीय सभापति महोदया, आपके मार्फत मैं बताना चाहता हूं कि हैण्डीक्राफ्ट का उद्योग भी अगर हमारे उदयपुर में हो, तो वहां पर पर्यटन स्थान हैं, देश ही नहीं विदेश के पर्यटक भी यहां आते हैं, अगर हैण्डीक्राफ्ट का उद्योग अच्छा होगा, अच्छा सामान मिलेगा तो विदेशों में भी हमारे यहां का नाम रोशन होगा, विदेशी मुद्रा भी हमारे राजस्थान में उदयपुर को मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, अहमदाबाद रेलवे लाइन चालू होने की पूरी कोशिश रहे और जल्दी चालू हो, क्योंकि यह उद्योग जगत के लिए बहुत ही खुशी का समय होगा। क्योंकि जहां पूरे विश्व में पर्यटक भ्रमण होता है, वैसे ही हमारे उदयपुर में उद्योग में ग्रेनाइट, मार्बल, सीमेंट व सोप स्टोन, आदि ट्रांसपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी सीधी मिलनी चाहिए ताकि रेलवे में हमारे यहां का मार्बल व्यवसायी विदेश तक आसानी से जा सकेगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि रेलवे लाइन जल्दी चालू हो जाएगी तो हमारे उद्योग जगत में खुशी का संचार होगा।

माननीय सभापति महोदया, आपके मार्फत मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2008 में कलकवास रीको एरिया में हमारे किसानों की जमीन को अवाप्त किया था, मगर पांच साल में न तो उस जमीन को उद्योग के लिए काम में लिया और न ही हमारे किसानों को 25 प्रतिशत जमीन दी। जैसे ही हमारी सरकार आई तो तुरन्त प्रभाव से उन किसानों को भी जमीन देने की योजना बना दी। अब उद्योग को जल्दी से जल्दी वह जमीन मिल जाएगी तो उद्योग का भी बढ़ावा होगा और हमारी बेरोजगारी भी कम होगी, रोजगार भी मिलेगा।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदया, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि उद्योग की जमीन की कमी है। इसलिए ऐसी जमीन तलाश कर उद्योग के नाम पर आरक्षित की जाए। हमारे वहां पर, जैसे मार्बल व्यवसाय है, उनके लिए भी जमीन की कमी आ रही है। इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जमीन की रिकवरी करके ऐसी जमीन जो उपजाऊ नहीं हो, ऐसी जमीन उद्योग के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदया, का मैं खनन के बारे में भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो प्राकृतिक पहाड़ियां हैं, उनको काट-काट कर समतल किया जाता है। वास्तव में, उस सौन्दर्य को खतम किया जा रहा है। इसलिए अवैध खनन पर ब्रेक लगाकर वास्तव में उनको रोका जाए, ऐसी भी योजना होनी चाहिए ताकि हमारी इस उदयपुर की सुन्दरता को नष्ट नहीं किया जा सके।

साथ में, जो बजरी का खनन हो रहा है, पहले, सभापति महोदया, जो नदी से लेबर लगकर गाड़ियां भरते थे, जो वास्तव में रेती को लाते थे, जिससे न तो कोई नदी का आकार खतम होता था, न वहां पर ऐसा दुरुपयोग होता था। मगर जब से मशीनरी लगाई, जे.सी.बी. हुई, एल.टी. वगैरह, यह लगाने के बाद में उस नदी का आकार ही खत्म कर दिया। वहां पर बड़े-बड़े खड्डे खोद दिये, तालाब की तरह बड़े-बड़े खड्डे हो गये हैं। मगरी की तरह पहाड़ियां बना दी हैं। जो बड़ी-बड़ी बोल्डर-गिट्टी आती है, उसका ढेर बना दिया है और वहां पर नदी तो भूल गये, अब तो यह हो गया, माइन्स जैसा एरिया हो गया है। इसलिए ऐसे खनन पर भी रोक लगाकर, उस प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाये रखने के लिए ऐसी योजना बनानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मंत्रीजी का ध्यान मैं मादड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं। इण्डस्ट्री एरिया में केमिकल फैक्टरियों की वजह से पीने का पानी प्रदूषित हो गया है। वह पानी पीना तो दूर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे खेत में गेहूं की पिलाई हो रही थी, वहां पर एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, उस पानी से उस आम को धोकर स्वस्थ किया तो ऐसा स्वस्थ हुआ कि तीन दिन के बाद में वह मर गया। उस पानी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब पेड़ मर जाएगा तो फसल कहां से होगी? माननीय सभापति महोदया, ऐसी केमिकल फैक्टरियों के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेक लगे।

(श्री फूलसिंह मीणा)

मानतीय सभापति महोदया, कलकवास रीको एरिया में अब डवलपमेंट हो रहा है, हो भी गया है, मगर उस एरिया को कैमिकलमुक्त रखें। क्योंकि वहां पर पानी का अपार भण्डार भरा हुआ है, हमारे ज्यादातर उदयपुर एरिये को वहां से पानी लिफ्ट करके जनता को पिलाया जा रहा है। अगर यह इण्डस्ट्रियल एरिया माजड़ी की तरह हुआ, यहां की केमिकल फैक्टरी वालों ने क्या किया, 8-8 इंच का बोर करके रात को केमिकल का जो पानी है, उसको उस बोर में डालकर हमारी भूमि का जल भी प्रदूषित कर दिया है। आज से 15 साल पहले वही इण्डस्ट्री एरिया के अन्दर, जो पानी पीने के भी कामों आता था और दूसरे कामों में भी वह मीठा पानी काम, आता था, आज उस पानी से हम स्नान तक नहीं कर पाते हैं। माननीय सभापति महोदया, अगर पानी माथे पर डालकर साबुन भी लगा दें तो साबुन तो काम आता ही नहीं है, मगर जब तक दूसरे पानी से सिर को नहीं धोएंगे, तब तक वह माथा भी हमारा सही नहीं हो सकता।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदया, थोड़ा सा समय और लूंगा। इण्डस्ट्रीज इलाके में रहने वाले नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी।

श्री सभापति: एक मिनट में आप अब अपना समाप्त करें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): थोड़ा-सा। थोड़ा-सा।

श्री सभापति: थोड़ा-सा नहीं, एक मिनट में।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदया, उपरोक्त परिस्थितियों से प्रदूषण विभाग को भी अवगत कराया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूर्व सरकार के समय धरना-प्रदर्शन भी किया गया लेकिन वही गतिविधियां आज भी बेरोक-टोक चालू हैं। वायु प्रदूषण भी होता है। कई बार हवा का रुख गांवों की ओर होता है तो सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। कई बार रात्रि में प्रशासन को भी गांव वालों ने और हमने बुलाकर अवगत कराया। मगर सरकार जब जांच करवाती थी, तब या तो फैक्टरियों को ब्रैक-डाउन में ले लेते थे, या उस प्लांट को चालू कर देते थे, जिससे एसिड की मात्रा नहीं होती थी। माननीय सभापति महोदया, इन फैक्टरियों की जांच करवाएं तो आज की तारीख में अनियमितता पाई जाने वाली फैक्टरी एक भी नहीं मिलेगी। इन फैक्टरियों के ऊपर उचित कार्यवाही कराई जाए।

(श्री फूलसिंह मीणा)

मेरा आपसे निवेदन है कि कलकवास रीको एरिया में केमिकल फैक्टरियों की मंजूरी नहीं दें और हमारी उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की जनता को इस जहर से बचाकर जीवन दान दिलाने की कृपा करावें। इस पानी को भी बचाने की कोशिश करें। जिस अपार भण्डार को हम उदयपुर को पिला रहे हैं, अगर केमिकल फैक्टरी, आदरणीय सभापति महोदया, वहां लग जाएंगी तो पानी तो होगा ही होगा, हमारी जनता भी दु:खी होगी।

आपका बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे अपना वक्तव्य टेबल करना चाहते हैं। उन सदस्यों का नाम मैं पुकार रही हूं, उन्हें टेबल करने की अनुमति दी जा रही है। श्री रामचन्द्रजी शर्मा, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, श्री भागीरथजी चौधरी, श्री नानालालजी अहारी। ये अपने वक्तव्य को टेबल कर सकते हैं।

अगले सदस्य श्री भंवरसिंहजी।

(माननीय सदस्यगण श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) व श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मुझे आधा मिनट बोलना है।

श्री सभापति: हां, हां, ठीक है, आपका हो गया। (व्यवधान) आपका इसीलिए नहीं पुकारा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदया, मैंने तो आधा मिनट मांगा था, मुझे आधा मिनट बोलने दीजिए।

श्री सभापति: नहीं, मेरे पास मुख्य सचेतकजीसे आया कि आप टेबल करेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मेरा सिर्फ एक विषय है।

श्री सभापति: आप विराजें। अभी श्री भंवरसिंहजी बोलेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक ज्वलंत विषय है, खाली एक आधा मिनट दे दीजिए। (व्यवधान) आधा मिनट मेरे को दीजिए।

श्री सभापति: आप अपनी बात को, वक्तव्य को टेबल कर दें।

श्री भंवर सिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदया, उद्योग और

(श्री भंवरसिंह)

खनिज के ऊपर आज की इस चर्चा में मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में मेगा फूड पार्क और टैक्सटाइल पार्क बनाने की मांग पिछले लम्बे समय से चल रही है। सभापति महोदया, बीकानेर में खाद्य आधारित उद्योग लगाने की बहुत बड़ी सम्भावनाएं हमेशा से रही हैं। बीकानेर में मूंगफली का जो उत्पादन है, वह देश भर में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला बीकानेर है। यहां मूंग, मोठ, ग्वार आदि का जो उत्पादन है, वह भी बहुतायत से होता है।

बीकानेर की जो मिठाई और नमकीन है, उसके बारे में हमारे बीकानेर पश्चिम से पधारने वाले माननीय विधायक साहब ने काफी विस्तार से बताया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की नमकीन और मिठाई आज पूरे देश भर में भेजी जाती है और उसके अलावा, विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। बीकानेर के क्लाइमेट और वातावरण में ही बीकानेर की नमकीन को बनाया जा सकता है। हमारे पूरे भारत वर्ष में, हालांकि बीकानेर के कई ऐसे उत्पादक हैं, जो अलग-अलग ख्याति प्राप्त हैं, उन्होंने बीकानेर के मैटेरियल को और यहां तक कि बीकानेर के पानी को भी दिल्ली, कलकत्ता आदि ले जाकर के नमकीन और मिठाइयां बनाने की कोशिश की लेकिन जो क्वालिटी और जो गुणवत्ता बीकानेर में मिठाई और नमकीन का उत्पादन करने पर होती है, वह दूसरी जगह नहीं हो पाई।

सभापति महोदया आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि बीकानेर में मेगा फूड पार्क बनाने की जो मांग पूरे बीकानेर जिले के लोगों के द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से मेगा फूड पार्क बना करके, वहां के खाद्य सामग्री से सम्बन्धित उद्योग लगाने के व्यापारी, जो छोटे स्तर पर अभी काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए बीकानेर में मेगा फूड पार्क बनाने का आप सरकार के माध्यम से कार्य करवाएं। निश्चित रूप से बीकानेर में खाद्य आधारित उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा, बीकानेर सम्भाग में दूध का भारी उत्पादन होता है। बीकानेर जिले और बीकानेर के आस-पास के जिलों में मिल्क आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से रहेगा।

बीकानेर एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। यहां पर बीकानेर के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय रहा है, पेशा रहा है, वह कृषि और पशु-पालन रहा

(श्री भंवरसिंह)

है। बीकानेर में आज भी लाखों किसान ऐसे हैं जो भेड़-पालन का कार्य करते हैं। इन भेड़ों के पालन से, इनका कार्य करने से, ऊन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ऊन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बीकानेर में टैक्स्टाइल पार्क बनाने की मांग लम्बे समय से रही है। मेरा निवेदन रहेगा, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से कि बीकानेर में जो ऊन आधारित उद्योग हैं, अभी ऊन के हजारों कारखाने बंद होने की स्थिति में आ गये हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन आधारित उद्योगों को और कपड़े से सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में टैक्स्टाइल पार्क बनाने की घोषणा करके बीकानेर के आम उद्यमी को राहत प्रदान करायें।

इसके अलावा, बीकानेर जिले में हिन्दुस्तान का बहुत बड़ी मात्रा में सिरेमिक्स का उत्पादन होता है। बीकानेर जिले में और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में क्ले का, वाल क्ले का, चायना क्ले का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। यहां से हजारों ट्रक भर-भरकर हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, आदि जगह जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ी-बड़ी कम्पनियों में और बहुत बड़े उद्योग लगे हुए हैं। वहां के इस कच्चे माल के माध्यम से वहां पर औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से सिरेमिक्स उत्पादन का और ग्लेज टाइल्स आदि का उत्पादन प्रदेश के अन्य राज्यों में होता है। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, क्यों नहीं, कोलायत में जिस प्रकार से क्ले से सम्बन्धित खनिज का अथाह भण्डार है, कोलायत और बीकानेर जिले में सिरेमिक्स आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का सिरेमिक्स हब बनाया जाए? हालांकि, इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बीकानेर को सिरेमिक्स हब देने की बात की है। तो उनका भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं एक बार पुन: निवेदन करना चाहूंगा, कोलायत में सिरेमिक्स आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर सिरेमिक्स हब बनाने की मांग करना चाहूंगा।

साथ में, इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गैस पाइप-लाइन की मांग लम्बे समय से सभी औद्योगिक इकाइयों की रही है। क्योंकि बिजली का अभी तक, पर्याप्त बिजली औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिलने की वजह से गैस पाइपलाइन की व्यवस्था यदि राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा

(श्री भंवरसिंह)

की जाती है तो निश्चित रूप से बीकानेर सम्भाग में औद्योगिक इकाइयां एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

इसके अलावा, गजनेर में रीको के द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस गजनेर के औद्योगिक क्षेत्र को घोषित किए हुए लगभग चार-पांच साल हो गये परन्तु बहुत ही ज्यादा धीमी गति से काम चल रहा है। बीकानेर पश्चिम से आने वाले माननीय विधायक ने जिस प्रकार बताया कि गजनेर के इस औद्योगिक क्षेत्र का ज्यादा महत्व नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से कि गजनेर के आस-पास और कोलायत से आगे के क्षेत्र में जिप्सम के अथाह भण्डार हैं। गजनेर के इस रीको इंडस्ट्रियल एरिया को जिप्सम आधारित उद्योगों के लिए विशेष जोन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जिप्सम आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जिप्सम के खनन पर आज से पहले, इस बजट की घोषणा होने से पहले तक, जिप्सम का खनन सिर्फ आर.एस.एम.एम., राजस्थान माइंस एण्ड मिनरल्स विभाग के द्वारा ही किया जाता था लेकिन बजट वर्ष 2014-15 में जिप्सम को एक खनिज के लिए, आम किसान को खनन का अधिकार दे दिया गया है। निश्चित रूप से बीकानेर जिले में इससे जिप्सम की हजारों औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और इन सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए, कोलायत परि-क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र के लिए, जिसमें गजनेर सहित के औद्योगिक क्षेत्र को जिप्सम आधारित उद्योगों के लिए घोषित किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में सोलर ऊर्जा की अपार सम्भावनाएं हैं; सोलर पार्क भी घोषित किया गया है अभी बजट में। तो मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि बीकानेर की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए और पूरे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीकानेर में सोलर पार्क घोषित किया जाए, जिससे कि देश-विदेश के जो निवेशक हैं वे बीकानेर आएं और बीकानेर में सोलर इकाइयां लगाकर प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकें।

इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में बजरी का ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट में समाप्त करना चाहूंगा। बजरी का बहुत ज्यादा खनन किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बजरी खनन की जो लीजें हैं, उनके अलावा अवैध खनन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। मेरा माननीय सभापति महोदया के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कोलायत के आस-पास, जहां पर कपिल सरोवर है, जो हमारे प्रदेश-भर के लोगों की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, कपिल सरोवर, उस कपिल सरोवर के पायतन को इन बजरी का अवैध खनन करने वाले लोगों ने खोद दिया है। मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि कपिल सरोवर का जो पायतन क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अवैध खनन से मुक्त करवायें जिससे कि हमारे देश और प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं का जो प्रतीक है कोलायत का कपिल सरोवर, उसमें उसका विकास किया जा सके।

इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खनन करने के बाद ज्यादातर जो कम्पनियां हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो खनन करते हैं खनिजधारी, वे खनिज का खनन करके दो सौ, तीन सौ फीट तक के गहरे खड्डे कर देते हैं और दूसरी तरफ ओवर-बर्डन को जहां पर डालते हैं, वहां पर दो सौ, तीन सौ, चार सौ फीट तक के पहाड़नुमा पर्वत खड़े कर दिये गये हैं, जगह-जगह पर। मेरा माननीय सभापति महोदया के माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन रहेगा कि खनन करने के बाद, जो खनन नीति है उसको पूरी तरह से लागू करवाया जाए, जिससे कि जो रा-मैटेरियल है, जो खनिज है, उसको निकालने के बाद उस धरती का जिस प्रकार का पहले जो स्वरूप होता है, उसी स्वरूप में लाने की जिम्मेदारी भी खनिज विभाग के द्वारा सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कोलायत विधान सभा क्षेत्र में बरसिंघसर और गुढा, आदि में लिग्नाइट कोयले के अथाह भण्डार हैं। वहां पर 250 मेगावाट का बरसिंघसर में लिग्नाइट थर्मल प्लांट चल रहा है, गुढा में थर्मल प्लांट चल रहा है और आने वाले समय में चार-पांच लिग्नाइट इकाइयां और चालू होने वाली हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों ने इन थर्मल इकाइयों में जमीनें दीं, माननीय सभापति महोदया, आज उन किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उन किसानों को जो मुआवजा दिया गया उससे न तो कोई जमीन ही खरीद पाये और न इन किसानों को इन औद्योगिक इकाइयों में या इन लिग्नाइट थर्मल प्लांटों में

(श्री भंवरसिंह)

कोई रोजगार दिया गया। मेरा निवेदन रहेगा, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जहां भी ये लिग्नाइट इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, या जो भी औद्योगिक गतिविधि किसानों से भूमि अधिग्रहण करके की जा रही है, उसमें स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सबसे पहले रोजगार दिया जाए। उसके बाद अन्य ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब विराजिए आप। माननीय सदस्य श्री झाबर सिंहजी खर्रा। समाप्त करें अब आप। अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया गया है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): कोलायत तहसील और बीकानेर जिले के युवाओं को रोजगार दिया जाए।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, उसके लिए आपका हार्दिक आभार।

श्री सभापति: समय काफी हुआ। जो रह गया आपका, वह माननीय मंत्रीजी को आप लिखित में दे दें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब देने के लिए खान विभाग के मंत्रीजी तो हैं ही नहीं।

श्री सभापति: मैंने यह नहीं कहा, खान विभाग के, मैंने कहा कि माननीय मंत्रीजी को आप अपना लिखित में दे दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, ठीक है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(16.39 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले 66 साल में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई औद्योगिक नीतियां बनाई गईं लेकिन मेरे विचार में कोई भी औद्योगिक नीति अब तक सफल नहीं हुई। पिछले दस साल में 2004-05 से लेकर 2013-14 तक केन्द्र सरकार द्वारा उद्योगों को लगभग 31 लाख करोड़ रुपये की छूट और

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

रियायतें विभिन्न मदों में दी गयीं। इस सबके बावजूद, औद्योगिक क्षेत्र में औसतन 15 लाख बेरोजगारों को सालाना रोजगार उपलब्ध करवाया गया। 31 लाख करोड़ रुपये में पिछले 10 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ही औद्योगिक सेक्टर में रोजगार मिल सका। दूसरी तरफ, देश में हस्तशिल्प, दस्तकारी और कुटीर उद्योग ऐसे क्षेत्र थे, जहां अगर इससे आधी रकम का भी विनियोजन किया जाता तो इससे कम से कम पांच गुना ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होता।

साथ ही, मैं आपके मार्फत सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, खेती उत्पादन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि देश और प्रदेश की दो-तिहाई आबादी कृषि पर आधारित है, उसका जीवन-यापन, उसका आर्थिक स्रोत कृषि है और उसमें भी लगभग 82.2 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिनकी कृषि भूमि का क्षेत्रफल औसतन 0.62 हेक्टेयर प्रति किसान है। खेती की जिस प्रकार से लागत बढ़ रही है, देश में जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें खेती आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, दस्तकारी और कुटीर उद्योग केवल मात्र ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अगर समुचित रूप से ध्यान दिया जाए तो इस बढ़ती हुई बेरोजगारी पर अंकुश पाया जा सकता है और किसानों की आर्थिक हालत, हस्तशिल्पी और दस्तकारों की आर्थिक हालत में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए एक तो आपके मार्फत सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, हस्तशिल्प, दस्तकारी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति औद्योगिक नीति में समाहित की जाए।

साथ ही, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि औद्योगिकीकरण के जरिये जिस प्रकार प्रदूषण फैला है और सदन में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि हमारे राजस्थान नहर में भी इतना प्रदूषित पानी आ रहा है कि भटिण्डा से बीकानेर चलने वाली एक ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया, तो इन सभी समस्याओं से भी हमें निजात मिल सकेगी। बड़े उद्योग निश्चित रूप से प्रदूषण भी फैलाते हैं और दूसरी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जबकि हस्तशिल्प, दस्तकारी और कुटीर उद्योग न तो किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं, साथ ही ज्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार देते हैं। इसलिए

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ-साथ, हस्तशिल्प, दस्तकारी और कुटीर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसी मैं सरकार से अपील करूंगा।

साथ ही, मैं खनिज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में खनिज के विपुल भण्डार हैं, लेकिन एक तो खनन क्षेत्रों पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है। आज खनन क्षेत्र के जितने भी पट्टे हैं या जितनी भी लीजें हैं, मेरे विचार में पचास फीसदी लीजों पर कुछ सैकड़ों लोगों का ही एकाधिकार है। इस पर ध्यान दिया जाए। इस एकाधिकार को समाप्त कर ऐसी खनन नीति बनाई जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों को इसमें खनिज लीजें दी जाकर उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध खनन माफिया पर अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। अवैध खनन के नाम पर जो गरीब, किसान, मजदूर बेरोजगारी की वजह से अपने परिवार के पेट-पालन के लिए इस धंधे में लगे हुए हैं, 99.99 फीसदी अवैध खनन की कार्यवाही उन्हीं के ऊपर होती है। जबकि संगठित खनन माफिया है, जो बड़ी-बड़ी मशीनों के जरिये लाखों, करोड़ों, अरबों रुपयों का अवैध खनन प्रदेश में करते हैं, मेरे विचार में आज तक उनमें से एक भी संगठित खनन माफिया पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी अधिकारी द्वारा, किसी विभाग द्वारा, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि गरीबों पर कार्यवाही करने के बजाय, जो यह संगठित अवैध खनन माफिया है और जो करोड़ों-अरबों रुपये का अवैध खनन करते हैं, उन पर सख्त कार्यवाही करने की उचित व्यवस्था फरमाई जाए।

साथ ही, मैं आपके मार्फत यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज क्षेत्रों में आवागमन के लिए मजबूत सड़कों का निर्माण करवाया जाए। शिक्षित बेरोजगारों को खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई खनन नीति में प्रावधान किये जाएं तो मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी कम होगी तो प्रदेश में अपराध कम होंगे, प्रदेश आर्थिक रूप से खुशहाल होगा। माफियाओं का एकाधिकार समाप्त होने से सरकार को ज्यादा राजस्व की आय होगी, तो सरकार के खजाने में भी ज्यादा पैसा आएगा।

इसी आशा और उम्मीद के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोरधनजी।

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, आपने उद्योग और खनिज की मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मैं सोचता हूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों ही इंडस्ट्री में उद्योग-धन्धों को बढ़ावा देने के लिए और इनका विकास कैसे हो, इसके लिए दोनों सरकारें प्रयास कर रही हैं। लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं, पिछली जो सरकार राजस्थान में थी, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उस प्रयास का परिणाम आपको छोटा-सा बता सकता हूं, जिस प्रकार से हमारे यहां पर जैसलमेर और बाड़मेर में तेल के विपुल भण्डार हैं, लेकिन वहां से तेल की गति और जिस प्रकार से लास्ट टाइम में जो उस इंडस्ट्री का उद्घाटन किया गया था, रिफाइनरी का, यदि यह पांच साल जब माननीया वसुन्धरा जी ने, उस समय लास्ट में सरकार ने नीति बनाई थी, लेकिन हमने जो नीति बनाई, उस नीति को इन्होंने कैंसिल करते हुए लास्ट में पांच साल जब चुनाव आ गये, इस समय इन्होंने केवल पत्थर लगाकर इसको चालू करने की कोशिश की।

मेरा कहने का मतलब ,यह है कि पाकिस्तान में वही तेल, क्योंकि तेल जब पास के कुएं से कहीं भी हो, चाहे पास-पास में होते हैं, तो उसमें से पानी कम होता है, दूसरे कुएं से; तो इसी प्रकार से मैं सोचता हूं कि उस जगह से बाड़मेर और जैसलमेर, जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा है, वहां से मैं सोचता हूं कि तेल वास्तव में कम हुआ है। हमने बहुत दिनों के बाद में जाकर यह योजना बनाई है। उन्होंने बहुत पहले से तेल निकालना शुरू कर दिया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी यहां पर, चाहे खनिज सम्पदा हो, चाहे उद्योग-धंधे हों, इसमें सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वैसे सीकर जिले के विधान सभा क्षेत्र, सभी में लगभग छोटे-मोटे उद्योग धंधे भी हैं और रीको भी स्थापित है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, न वहां पर रीको स्थापित है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर रीको की स्थापना हो और लोसल और आस-पास के क्षेत्र में कहीं भी औद्योगिक क्षेत्र, यदि उसकी जगह काट दी

(श्री गोरधन)

जाए और वहां पर एक छोटा-मोटा उद्योग भी लगाकर सरकार के द्वारा चालू किया जाए, तो मैं सोचता हूं, क्षेत्र की जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे ।

मैं सोचता हूं कि जहां पर राजस्थान में टाइल्स का रॉ-मैटेरियल अधिक निकलता है और टाइल्स का सबसे अधिक काम गुजरात में है, मैं सोचता हूं कि यहां पर टाइल्स की छोटी इकाई भी पूर्णतया सक्सेस नहीं है। हालांकि अब की बार बजट में माननीया वसुन्धरा जी ने इसमें प्रावधान किया है कि टाइल्स उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। टाइल्स की यहां पर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यहां पर मिलने वाला रा-मैटेरियल, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, इधर नीमकाथाना, सभी, यहां पर खनिज के अपार भण्डार हैं, इसमें यहां पर उपलब्ध है। तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान में इस टाइल्स के उद्योग पर विशेषकर ध्यान दिया जाए, जिससे हजारों युवकों का भला हो सकता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस उद्योग में ज्यादा सम्भावनाएं हों, उस उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो गरीब तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। राजस्थान में जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उन्होंने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को उठाने का पूरा प्रयास किया है। जब माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की थी और उसी के माध्यम से जब राजनीतिक रूप से सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनने

(श्री गोरधन)

लगे तो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. में राजनीतिक चेतना आयी और इसी के परिणामस्वरूप इस समाज का कुछ ऊपर उत्थान हुआ। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में भी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे इन समाज को कुछ ऊपर उठाया जा सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे फैक्टरी हो, चाहे कम्पनी हो, चाहे उद्योग-धन्धा कोई-सा भी हो, उसमें यदि 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो उसमें वही सुविधाएं लागू होनी चाहिए जो एक सरकारी उपक्रम में लागू होती हैं और वे व्यवस्थाएं लागू हुई कि नहीं, इसकी बार-बार चैकिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट में मिलने वाली सुविधाएं यदि प्राइवेट व्यवस्था में लागू हो जायेंगी तो इससे सभी लोग गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र, दोनों ओर काम करने के लिए अग्रसर हो सकेंगे।

अंत में, मैं खनिज के बारे के यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अपार भण्डार हैं, कुछ-कुछ यह भी कह सकते हैं कि कुछ पर्यावरण के लिए घातक भी हो सकता है, लेकिन वह गरीब और कमजोर वर्ग के लिए उससे भी घातक हो सकता है। तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जहां पर कम मात्रा में छोटे-मोटे उद्योग लगे हुए हैं, या छोटे-मोटे खनिज हैं, खान से पत्थर निकालने का काम होता है या कह सकते हैं कि अपनी आमदनी का जो माध्यम है, उसको यदि वहां से चालू किया जाए, तो वे अपना गुजारा चला सकें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में जैसे थारसखोरी, मण्डावरा, भोया, चौकां का वास और आंतरी हैं, यहां पर पत्थर निकालने की खानें थीं, लेकिन प्रतिबंध के कारण वहां से पत्थर नहीं निकाले जा रहे हैं, जिससे वहां के हजारों किसान और मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे खानें खोली जाएं जिससे वहां पर उनका भला हो सके।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम्।

श्री सभापति: श्री खेमारामजी मेघवाल।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43, उद्योग और खनिज पर जो चर्चा चल रही है, उसी में शामिल होते हुए, मैं विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ से शुरुआत

(श्री खेमाराम)

करता हूं। वहां चर्म उद्योग, चर्म रंगाई का उद्योग है, वह सुजानगढ़ सिटी के बीच में आ गया है। कई वर्षों से मांग चली आ रही है कि उसको वहां से अन्यत्र स्थापित किया जावे लेकिन आज तक उसको अन्यत्र स्थापित नहीं किया गया है। सिटी के बीच में आने के कारण से उसकी इतनी दुर्गन्ध आती है कि वहां आसपास रहने वालों को उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि ज्यादातर यूनिटें तो बंद हो गयी हैं और उनमें आबादी भी बस गयी है लेकिन 10-12 यूनिटें ऐसी हैं। तो उनका सर्वे कराकर जो उद्यमी हैं, उनको अलग से जमीनें दिला कर वहां उद्योग स्थापित कराये जाएं और सुजानगढ़ शहर में यह भयंकर केमिकल्स और कच्चे चमड़े के जो उद्योग हैं, उनको अन्यत्र स्थापित किया जाएं।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि माननीया वसुन्धरा जी ने पिछली बार 2006-07 में दड़िबा बिदासर में बुनकरों के लिए क्लस्टर की योजना की बजट में घोषणा की थी और एक मानसी मरु संस्थान ने उस कार्य को अपने हाथ में लिया था। मैं यह कह सकता हूं कि माननीया वसुन्धरा जी ने वहां जो क्लस्टर दिया था, दुर्भाग्य से उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं की गयी और गत सरकार में जिस ढंग से उस क्लस्टर को बंद कर दिया और जिस संस्था को जो काम दिया गया था, उस संस्था ने उसमें बहुत भारी घपला किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसकी जांच कराकर उस पर कार्यवाही करावें।

तीसरा, सुजानगढ़ में रीको इंडस्ट्रियल एरिया है, वह काफी वर्षों से है। उसमें सड़कें टूट गयी हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है और वहां सारी इंडस्ट्री कंजस्टेड हो गयी हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि सेकण्ड फेज की योजना के अन्तर्गत एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डवलप हो। तो उसके लिए भी कोई जमीन अवाप्त करके नया इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करावें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बिदासर में एक इंडस्ट्रियल एरिया जो अभी घोषित हुआ है, उसमें काफी जमीन एक्वायर की गयी है। उसके बीच में एक 800 साल पुराना तालाब, वहां की छतरियां, यह सब कुछ उसके अन्दर आ गया है। वहां के स्थानीय लोगों की मांग है कि उसको अलग करके उसको अलग से डवलप किया जाए। वहां पिकनिक स्थल के रूप में, वहां एक सौन्दर्यीकरण के रूप में वह विकसित किया जा सकता है। माननीया

(श्री खेमाराम)

वसुन्धराजी ने अभी अपनी यात्रा में खुद ने अवलोकन किया। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में अभी काफी जगह बाकी पड़ी है, काफी एरिया खाली पड़ा हैं, तो उसके लिए अलग से एक क्लस्टर के रूप में वहां इस तरह का कार्य कराया जाए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सुजानगढ़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी माइन्स और माइन्स से सम्बन्धित इंडस्ट्रीज हैं और हमारे सुजानगढ़ में जिला उप केन्द्र की काफी वर्षो से मांग चली आ रही है। चूंकि चूरू जिला हैडक्वार्टर है, सुजानगढ़ से अंतिम छोर से 200 किलोमीटर के लगभग पड़ता है और उस कारण वहां आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। हमारे इतने सारे उद्योग-धन्धे वहां हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सुजानगढ़ में उप जिला केन्द्र खोला जावे जिससे उद्यमियों को दूर तक नहीं जाना पड़े। चूंकि हमारे वहां आलरैडी ही एक नमक निरीक्षण अधिकारी का कार्यालय चलता आ रहा है और वह बहुत कम किराये पर चल रहा है, नया है, अतिरिक्त कोई खर्चा भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी घोषणा की आवश्यकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां उप जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की जावे।

माइन्स के अन्दर मेरा कहना यह है कि हमारे वहां सुजानगढ़ के आसपास के इलाकों में, सबसे ज्यादा चूरू जिले में कहीं अगर माइन्स हैं। तो हमारे सुजानगढ़ में हैं। बाकी तारानगर हो, राजगढ़ हो, सरदारशहर हो, चूरू हो, वहां इस तरह की कहीं माइन्स हैं ही नहीं, कहीं खनिज पदार्थ हैं ही नहीं। अभी पिछली सरकार ने जाते-जाते घोषणा की थी कि उद्योग विभाग का सहायक खनिज अभियंता कार्यालय चूरू में खोला जावें, मेरा माननीय मंत्री महोदय से

(17.00 बजे)

निवेदन है कि चूरू हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है और चूरू में ऐसा कोई खान से सम्बन्धित कार्य है ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि खान विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय सुजानगढ़ में खोला जाए। यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि खादी बोर्ड के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उस खादी बोर्ड के ऋण में विशेष रूप से 25 लाख रुपये की जो लिमिटेशन है, वह बहुत ही कम है। आज के युग में अगर

(श्री खेमाराम)

कहीं इंडस्ट्री लगाना चाहें तो करोड़, दो करोड़ से कम में छोटी यूनिट लगती नहीं है। खादी बोर्ड की जो भी इंडस्ट्री है, इसको 25 लाख से बढ़ाकर के 1 करोड़ रुपये किया जाये। ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके माध्यम से इंडस्ट्री लग सकें। यह खादी बोर्ड को ग्रामोद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन देने की योजना है और इसके तहत 1 करोड़ रुपया किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गांवों में रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण के और छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए कार्य चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जैसे पहले रीको में भूखण्ड पर 50 परसेंट अनुदान दिया जाता था, वैसे ही अब आप खनिज नीति के माध्यम से हो, चाहे उद्योग नीति के माध्यम से हो, एस सी, एस टी के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिले, उद्योग लगाने में, खनिज की लीज लेने में, तो जब आप इसकी घोषणा करें तो एस सी, एस टी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और कम रेट पर...। जैसे कई बार होता था, अभी यह बंद कर दिया गया है उद्योग विभाग में, इंडस्ट्री का जो डवलपमेंट हो रहा है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पहले 50 परसेंट छूट मिलती है, मुझे कई जगह जानकारी मिली है कि अब नहीं मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि प्रदूषण विभाग में इंडस्ट्री लगाने के लिए मनमाने ढंग से चौथ वसूली कर रहे हैं। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बात बताई और मैं उनसे निश्चित रूप से सहमत हूं कि उद्योग विभाग के माध्यम से कोई इंडस्ट्री लगाता है और प्रदूषण विभाग में जाता है तो एक फाइल को वह निकाल देते हैं और दूसरी फाइल के लिए 6-6 महीने तक इंतजार करते हैं कि वे व्यक्ति आये, उनसे मिले। तभी वे उनकी एन ओ सी जारी करते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। विशेष तौर पर इस विभाग में ज्यादा चौकसी करने की आवश्यकता है।

मैं आप लोगों से यही निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-खनिज पर बोलने का मौका दिया।

(श्री घनश्याम)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, वहां विश्व प्रसिद्व पत्थर निकलता है। वहां सोप स्टोन, लाइम स्टोन, और बहुत सारे पत्थर करौली जिले में निकलते हैं। करौली एक ऐसा जिला है जहां पर दस्युओं का बहुत ज्यादा आतंक है। माइन्स ओनर तो वहां कम ही जाते हैं लेकिन मजदूरों की वहां बहुत ज्यादा पिटाई खानों में की जाती है। डकैत वहां पर्चियां देते हैं, या कोई भी माध्यम से उन मजदूरों की पिटाई आये दिन होती रहती है।

माननीय सभापति महोदय, सोप स्टोन का टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा स्कोप है लेकिन सरकार की तरफ से तो कुछ ही लोगों को लीज दी हुई है। बहुत सारी माइंस वहां अन्‌आथोराइज्ड चलायी जा रही हैं, जिस पर सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। राजौली है, कमालपुरा है, धवान है, धोलेटा है, वहां सैकड़ों माइन्स ऐसे ही चल रही हैं, वन विभाग में, जिन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, करौली जिला परिषद की मीटिंग में भी यह मुद्दा उठा था उसके बाद थोड़ी-बहुत रोक लगी। दो-चार दिन बाद फिर वह चालू हो गया है। पुलिस महकमे और माइनिंग विभाग के अधिकारी, सब उनसे मिले हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियां रोज सोप स्टोन की निकलकर के वहां से जाती हैं, जिनकी न कोई पर्ची कटती है, न किसी प्रकार का कोई अंकुश है। वहां किसानों के खेतों में भी सोप स्टोन निकल रहा है। इसके लिए भी सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए। या तो किसानों को लीज दे दी जावे। तो किसानों से थोड़े-बहुत पैसों में लिखा-पढ़ी करा लेते हैं और ये माइनिंग ओनर उसमें भी दखल करते रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, हिण्डौन तहसील में 15-20 किलोमीटर का एरिया एक ऐसा है जिसमें लौह अयस्क, स्टील का बहुत ज्यादा स्कोप है। पिछली गवर्नमेंट ने वहां सर्वे करवाया था, कई बाहर की कम्पनियां भी वहां आई हुई थीं, लेकिन उसके बाद, पता नहीं, क्या हुआ। सरकार को इस मामले में विशेष ध्यान देना चाहिए। यह 15-20 किलोमीटर में बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत बड़ा वहां लोहे का, स्टील का कारखाना लगाया जा सकता है। हजारों, लाखों आदमी उससे प्रभावित होंगे, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

(श्री घनश्याम)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे खान मालिकों के बारे में एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि वे दस्युओं से भी मिले रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर और किसानों का होता है। वहां जैसे खान गिर गयी, तो मजदूरों का या तो कोई इलाज ही नहीं कराया जाता। उनके लिए भी अलग से एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मजदूरों का इलाज हो या उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सरकार या माइनिंग ओनर उनको मुआवजे के रूप में कुछ राशि दें। ऐसी घटनाएं वहां आये दिन होती रहती हैं। वहां बीहड़ हैं, जंगल हैं बहुत ज्यादा। वहां न कोई अस्पताल है, ना किसी तरह के उपचार करने की व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय, मंडरायल एरिये में चम्बल नदी पर एक रहू घाट स्थान है, वहां 150-200 फीट ऊपर से पानी गिरता है। वहां बिजली बनाने का भी एक बहुत बड़ा संयंत्र लगाया जा सकता है। पहले शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने वहां सर्वे भी करवाया था। करोड़ों रुपया उसमें सरकार का खर्च भी हुआ। अधिकारी वहां पड़े रहे, इंजीनियर पड़े रहे, लेकिन पता नहीं, क्यों वह बंद कर दिया गया। ना तो वहां संयंत्र लगा। उसकी क्या वजह रही? यह भी मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं। वहां बिजली बनाने के लिए बहुत कम पैसा खर्च होगा। वहां अच्छा संयंत्र बिजली पैदा करने का लग सकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सिकन्दरा में पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो देश-विदेशों में जाती हैं। उसको भी उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। पत्थरों में ऐसी-ऐसी कलाकृतियां तैयार करते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने उनको जमीन भी अलाट कर दी थी, लेकिन वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अगर उसको उद्योग का दर्जा मिल जाए तो वहां के जो आस-पास के मजदूर हैं, जो कलाकृतियां बनाते हैं, पत्थर की मूर्तियां, छतरियां, बहुत सारी इस तरह की बनाते हैं, तो उनके विकास का भी रास्ता मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारा हमारा ऐसा एरिया है, वन विभाग का, जिसमें पेड़-पौधे खतम हो गये हैं। वहां इसको डि-फॉरेस्ट कर देना चाहिए। वहां के लोकल लोगों के लिए माइनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको छोटे-छोटे पट्टे देकर। वे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां कोई काम-धंधा है नहीं। जो पहाड़ी एरिया है, वहां पेड़-पौधे बिलकुल खतम हो गये।

(श्री घनश्याम)

वे या तो काट लिये गये, या वैसे ही नष्ट हो गये। उस एरिये में छोटे-छोटे पट्टे किसानों को, गांव के लोकल लोगों को दिये जायें तो वहां उनको रोजगार मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, सिलिका सैंड भी बहुत भारी मात्रा में करौली जिले में निकलता है। बहुत सारे एरिये में तो बिना पट्टे के ही निकाला जा रहा है। चाहे सेन्ट्रल फोरेस्ट है या स्टेट फोरेस्ट है, वहां किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है और सिलिका सैंड को भर-भरकर बाहर ले जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान चेजा पत्थर की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि चेजा पत्थर भी वहां बहुत निकलता है। लोगों ने वैसे ही, कि एक किलोमीटर का एरिया मेरा है, दो किलोमीटर का एरिया मेरा है, इस तरह से अपने-अपने बाड़े बना रखे हैं। उनमें से निकालते हैं और ले जाते हैं। सरकार ने न तो वहां कोई लीज दे रखी है। वहां अगर लीज की व्यवस्था की जाए तो सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होगा, राजस्व का पैसा भी खूब मिलेगा।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभानजी 'आक्या'।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी मांग को टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराज जायें। I like it. You do that. आप विराजें। दो-तीन और भी माननीय सदस्य हैं, फिर एक साथ टेबल करा देंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

राजस्थान राज्य खनिजों की दृष्टि से धनाढ्य है। यहां की सम्पूर्ण अरावली श्रृंखला के चारों तरफ खनिजों के अथाह भण्डार भरे हुए हैं, विशेषकर मार्बल खनिज के भण्डार तो अथाह हैं, जिनका वैज्ञानिक रूप से दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है।

यह तो ज्ञातव्य है कि पत्थर खनन और मार्बल खनन की कार्य प्रणाली एवं विधि में कोई विशेष अंतर नहीं है। खान मालिक अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से, पर्यावरण को बिना प्रभावित किये, बगैर क्षति पहुंचाये,

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

खनिजों को धरती के गर्भ से, बाहर निकालते हैं। इस व्यवसाय में श्रम शक्ति का मशीनों के साथ-साथ महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य में हजारों की संख्या में खानें हैं जहां पर खनन का कार्य चल रहा है। इनमें लाखों की संख्या में श्रमिक नियोजित हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस अकुशल श्रमिक को अन्य किसी उद्यम में आसानी से नौकरी मिल रही है, उसे बड़े सम्मान के साथ खान मालिक नौकरी का अवसर प्रदान करता है। खनन के बाद, पत्थर के बाद, उद्यमियों का जो भी कच्चा माल है, उनके परिवहन में भारी वाहनों का उपयोग होता है। उसके यातायात में हजारों की संख्या में श्रमिक नियोजित हो जाते हैं। उसके बाद, उद्योग स्थल पर वाहन से पत्थरों को खाली करने में भी श्रमिकों के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता।

जिस प्रकार उद्योग-धंधों में करोड़ों का पूंजी निवेश होता है, उससे भी ज्यादा पूंजी निवेश खनन कार्यों में होता है, क्योंकि महंगी मशीनें, महंगा डीजल एवं महंगी बिजली का उपयोग उद्योग-धंधों की तुलना में अधिक होता है। उद्यमी के सामने अपने व्यापार का वर्तमान एवं भविष्य का चित्र स्पष्ट होता है, परन्तु, इसके विपरीत, खान मालिकों के भविष्य के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, उसका भविष्य सदैव अनिश्चितता की स्थिति में रहता है। उद्यमियों को बैंक लोन, केन्द्रीय बिक्री कर एवं राजस्थान के मूल्य वर्धित कर में अनेक छूटें उपलब्ध हैं जिसमें निर्माता को कच्चे माल पर चुकाये गये कर को समायोजित करने की सुविधा भी है, जबकि खनन पट्टाधारी को इस सुविधा से पूर्णतः वंचित रखते हैं। स्पष्ट है कि खनन का कार्य एवं मार्बल प्रोसेसिंग समान-धर्मी प्रकृति के हैं परन्तु खनिज पट्टाधारियों को उक्त श्रेणी में शामिल नहीं करने से उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान में खनिज उद्योग को उद्योगों की श्रेणी में शामिल करवाने की कृपा करायें...

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन, जब माननीय सदस्य अपनी अभिव्यक्ति पूरी कर लें, उसके उपरान्त समय दे दूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ...जिससे राजस्थान के खनिज उद्योगों में आमूलचूल परिवर्तन व विकास कार्य, रोजगार में नये पद सृजित होते हैं, साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति, प्रगति एवं राजस्व में भारी वृद्धि होगी।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

चित्तौड़गढ़ में लाइम स्टोन एवं चाइना क्ले का भारी भण्डार है। चित्तौड़गढ़ में भारी उद्योग काफी हैं। सीमेंट फैक्टरियां, जिंक, आदि के काफी प्लांट हैं। इन उद्योगों को पाबन्द किया जाये कि सी एस आर का पैसा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाया जाये। जिन मार्गों पर भारी वाहन चलते हैं, उन मार्गों को वही फैक्टरियां बनायें एवं नवीनीकरण करें रोड उन्हीं को सुपुर्द करें।

जिले में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्षेत्र में जो खनन कार्य चल रहा है, उनके विस्फोटकों से दुर्ग को भारी क्षति हो रही है। निवेदन है कि दुर्ग के नजदीकी खनन में भारी विस्फोटकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

खनन कार्य के लिए कई फैक्टरियों ने चरागाह भूमि पर अवैधानिक कब्जे कर रखे हैं। निवेदन है कि उस चरागाह भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।

चित्तौड़गढ़ के मानपुरा खनन क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6591/2011 के अन्तर्गत प्रदत्त अंतरिम आदेश दिनांक 19.8.2011 द्वारा दुर्ग दीवार से दस किलोमीटर की परिधि में खनन कार्य पर रोक लगाई गई थी। इस कारण मानपुरा खनन क्षेत्र में समस्त खानें माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा 19.8.2011 को बंद कराई गई थीं। तत्पश्चात् उक्त रिट पिटिशन के अंतिम आदेश दिनांक 25.5.2012 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में चित्तौड़गढ़ पत्थर उत्पादन समिति, मानपुरा द्वारा रिट संख्या 22377/2012 दायर की गई। रिट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 18.1.2013 से खनन कार्य चालू हुआ। अर्थात् न्यायालय के आदेशों की पालना में दिनांक 19.8.2011 से 18.1.2013 तक मानपुरा खनन क्षेत्र का कार्य पूर्णतया बंद रहा, सील रहा। खान विभाग द्वारा उक्त बंद अवधि की क्वारी फीस वसूल की गई है। निवेदन है कि उक्त अवधि में जमा की गई क्वारी फीस को आगामी अवधि में समायोजित करने के आदेश कराने का श्रम करावें ताकि मानपुरा खनन क्षेत्र के बहुत छोटे व्यवसायी एवं गरीब कामगारों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके।

फोरेस्ट की जगहों को बड़े उद्योगों को लीज पर नहीं दें। बड़े उद्योग इन सब फोरेस्ट की जमीनों को खतम कर देंगे। फोरेस्ट नहीं बचेगा, जंगल खतम हो जाएगा। छोटे माइन्स अण्डर एस टी पी हेतु, ...(व्यवधान) इसी कार्य का प्रावधान खतम करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

विभागीय तुला यंत्र पूरे जिले में आवश्यक हैं। बीस तुला यंत्र लगें ताकि खनिज वाहन तुलकर जायें और रायल्टी का नुकसान न हो।

चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकांश बिला नाम भूमि को चरागाह हेतु आरक्षित कर दिया गया। अत: चिनाई पत्थर, ग्रेवल, मोरम हेतु खान आबंटन में समस्या आ रही है। अत: जिला कलक्टर, आर एस गठाला के समय की गई सभी चरागाह हेतु आरक्षित भूमि को पुन: बिला नाम किया जाये।

चित्तौड़गढ़ में भू-विज्ञान का कार्यालय तो खोल दिया लेकिन उसकी भूमि, भवन एवं स्टाफ नहीं है। उनकी व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए।

चित्तौड़गढ़ लाइमस्टोन का क्षेत्र होने से चिनाई पत्थर के क्षेत्रों को चिह्नित किया जाये ताकि चिनाई पत्थरों की समस्या नहीं हो।

सहायक खनिज अभियंता का पद चित्तौड़गढ़ में रिक्त है। इसका भी पद-स्थापन किया जाये।

छोटे-छोटे क्वारी लाइसेंसधारियों को पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है। पूरे क्लस्टर की बाउंडरी, एक ही क्लस्टर में की जाए ताकि छोटे लाइसेंसधारियों को राहत मिल सके।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिस अवधि में खानें बंद रही हैं, उसका ऋण माफ किया जाए।

खनिज विभाग में सहायक खनिज अभियंता को क्रमोन्नत कर खनिज अभियंता कार्यालय में किया जाए, क्योंकि खनिज गतिविधियां यहां ज्यादा हैं, श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। खान विभाग में सहायक खनिज अभियंता का पद काफी समय से खाली चल रहा है। विभाग में सहायक खनिज अभियंता की पदोन्नति हेतु योग्य कर्मचारी उपलब्ध है लेकिन विभाग द्वारा डी पी सी पदोन्नति नहीं हुई है। डी पी सी करायें, सहायक खनिज अभियंता वाली डी पी सी की जाए तथा रिक्त पद भरे जायें ताकि सरकार का कार्य सुचारु रूप से चल सके। कार्यालय खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़ में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक खनिज अभियंता के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

चित्तौड़गढ़ में रेलवे कंटेनर यान बनाये जायें।

उद्योग लगते हैं, उनका स्वागत है लेकिन लोकल बेरोजगार युवकों को योग्यता के अनुसार, 25 परसेंट स्थानीय युवकों की भर्ती सुनिश्चित होनी चाहिए।

उद्योग धंधों द्वारा हो रहे प्रदूषण पर विशेष ध्यान दें।

आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर आप बोलें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, हाड़ौती में...

श्री सभापति: सीधा विषय पर आ जायें।

सूचना

अत्यधिक वर्षा के चलते कोटा की चांगलोई नदी में आयी बाढ़ में फंसे व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कोटा में हाड़ौती के आसपास काफी बरसात हुई है। उस बरसात के बाद, कोटा की चांगलोई नदी में हाथी खेड़ा गांव के पास में एक युवक एक जामुन के पेड़ पर फंसा हुआ है और उसको उतारने के लिए सहायता की आवश्यकता है। अभी तक वहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है।

साजीदेड़ा नाला है, कोटा शहर के बीच में उसमें एक युवक बह चुका है। ऐसे ही मल्टी मेटल जो फैक्टरी है, उसके पास एक युवक बह चुका है।

आलनिया नदी, आलनिया बांध में जो पानी डलना था डाइवर्जन चैनल से, उसके कारण से यह बाढ़ आ रही है। वह काम होना चाहिए था।

जवाहर नगर, कोटा का, उसमें चार से पांच फीट पानी अभी तक हो रहा है। इसलिए वहां पर बाढ़ में सहायता के लिए विशेष मदद की आवश्यकता है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो अपना भाषण टेबल करना चाहें, अपनी-अपनी जगह से बोल कर भाषण टेबल कर दें। सबसे पहले जो नाम मेरे पास आए हुए हैं, श्रीमती शिमला बावरी। श्रीमती शिमला बावरी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती मंजू बाघमार।

(अनुपस्थित)

आप टेबल करना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अनुमति लो।

श्री सभापति: आप बता दें, टेबल करना चाहते हैं तो, खड़े होकर? (व्यवधान)

श्री ओटाराम (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी वह टेबल कर दिया है, अभी जस्ट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अनुमति हो तो?

श्री ओटाराम (सिरोही): आपकी अनुमति हो तो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य का लिखा हुआ भाषण टेबल किया जाता है।

(माननीय सदस्य श्री ओटाराम (सिरोही) द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैंने भी टेबल कर दिया था पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन अपने शब्दों को वापस लेता है। जिसको अपना भाषण टेबल करना है, वह लिखित में पहले सूचना दे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैंने दे रखी थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वल्लभ नगर से आने वाले।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मैं अपना भाषण टेबल करता हूं।

(माननीय सदस्य म. रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री सभापति: आपके बाद बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं अपना स्पीच टेबल करना चाह रही हूं, मंजू बाघमार।

श्री सभापति: आपको इजाजत दी जाती है।

(माननीय सदस्य डा. मंजू बाघमार (जायल) मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले से विशेष अनुमति ली थी।

श्री सभापति: टेबल कर दें। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण टेबल करना चाहता हूं आपकी आज्ञा हो तो।

श्री सभापति: आपको इजाजत दी जाती है। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) द्वारा माग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बोल दिया।

श्री सभापति: माफी चाहता हूं। (व्यवधान)

जगसीरामजी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का ही वक्त है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं भी अपना भाषण टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप बोल लें, उसके बाद टेबल कर दें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): जी। (व्यवधान)

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-खनिज पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर और सिरोही जिले के औद्योगिक क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। रेवदर विधान सभा क्षेत्र और इण्डस्ट्रीज

(17.20 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

आबू रोड, जो रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रेवदर विधान सभा क्षेत्र का मार्बल, ग्रेनाइट, इदरला, जिरावल, शैलवाड़ा और मेथीपुरा के नाम से देश और विदेश में जाना जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शैलवाड़ा, रेवदर, आबू रोड इण्डस्ट्रियल एरिया है, 40-45 किलोमीटर का दायरा है, वहां से इन खानों से परिवहन कर आबू रोड में लाया जाता है। रेवदर व आबू रोड के बीच में 10 किलोमीटर पहले तलवार नाका से मावल का जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता है, उस रास्ते

(श्री जगसी राम)

को रीको इण्डस्ट्रियल एरिया से जोड़ा जाए। वहां ट्रकों का एक ही फेरा किया जाता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिदिन के दो-दो परिवहन किये जाएं जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आबू रोड के आसपास का क्षेत्र, जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां रीको के आसपास एक गुजरात की कंपनी द्वारा पुराने टायर जलाकर केमिकल तैयार किया जाता है। उस केमिकल की फैक्टरी पहले गुजरात में लगा रखी थी। उन फैक्टरियों पर वहां सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद रेवदर विधान सभा क्षेत्र व आबू रोड के आसपास लगा रखी है। मैं सरकार से व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय क्षेत्र की जनता ने कई बार आंदोलन भी किया, विरोध भी किया और दो-चार ऐसी घटना भी हुयीं। प्रदूषण से उनका जीना हराम था। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले क्षेत्र की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह कागजों में वैध था या अवैध था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार में किये हुए कार्यों की जांच कराएं और यदि नियम विरुद्ध हुआ है तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

इसी तरह आज खनिज की बात आ रही है, रेवदर क्षेत्र के अन्दर बजरी की रायल्टी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मण्डा के आसपास जावल नदी पर बड़ी-बड़ी मशीनें लगाकर दिन के हजारों ट्रक बजरी के गुजर रहे हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मापदण्ड के अनुसार बजरी का परिवहन किया जाए। आसपास के कई गांवों के किसानों ने कई बार आंदोलन भी किया है। हमें जानकारी दी जाए कि जिस मापदण्ड के अनुसार दो फीट, चार फीट, जो भी है, वहां पर 25-25, 30-30 फीट के गहरे खड्डे खोदे हैं और बड़ी मशीनों के द्वारा यहां से परिवहन करके जैसलमेर, बाड़मेर और मुम्बई तक वहां की बजरी ले जाते हैं। मैं सरकार से, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मापदण्ड के अनुसार किया जाए तो क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा और वहां पर जो लोगों का आक्रोश है, वह दूर हो सकेगा।

इसी तरह, सरकार द्वारा बी पी एल परिवार के लोगों को राहत दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजरी व पत्थर की रायल्टी ली जाती है, तो इस पर भी यदि सरकार उनको अनुदान दे और बजरी व पत्थर पर यदि रोक लगा दे और बी पी एल, वगैरह को जो 70 हजार की सहायता दी जाती है, तो इसमें इनको राहत मिलेगी।

(श्री जगसी राम)

इसी तरह, किसान अपने स्वयं के खेत पर कुआं खोदता है और उसमें से मिट्टी निकालता है, पत्थर निकालता है और पत्थर काम के लायक होता है तो उसको मकान बनाने के काम में लेता है। लेकिन वहां के अधिकारियों द्वारा, माइनिंग के अधिकारियों द्वारा उनसे रायल्टी वसूली जाती है और उसी जगह पर किसानों के ट्रैक्टर भी सीज किये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के काम आने वाली चीजें हैं, उन पर पाबंदी न करें ताकि खुद किसान अपने काम में ले सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा भाषण टेबल करना चाहता हूं आपकी आज्ञा हो तो?

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, आप लाइये। (व्यवधान) भाषण आप टेबल कर दीजिए ना। वह पढ़ा हुआ माना जाएगा।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): टेबल मैं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा आप बोले थे क्या? आप चालू रखिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): समय दिया नहीं, इसलिए मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: टेबल कर दीजिए।

(माननीय सदस्य श्री कैलाश चौधरी (बायतू)) द्वारा मांग संख्या 42 व 43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

आप बोलिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42, 43, उद्योग एवं खनिज पर चर्चा के लिए जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, खनिज सम्पदा राजस्थान की एक बहुत बड़ी सम्पदा है। राजस्थान का संगमरमर का नाम विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार, मैं समझता हूं, भारत वर्ष में देखा जाए तो राजस्थान की गणना खनिज के मामले में देश में प्रथम है। 79 प्रकार के खनिजों में से कम से कम 58 खनिज हमारे केवल राजस्थान में पाये जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर काफी उद्योग-धंधे भी फले-फूले हैं, काफी विकास हुआ है, काफी रोजगार के साधन भी मुहैया हुए हैं।

(श्री हरिसिंह रावत)

समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर, मेरे क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में भी ग्रेनाइट, मार्बल, फेल्सपार, क्वार्टज, माइका का प्रचुर मात्रा में भण्डार है। उसके अनुरूप काफी माइनिंग भी हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माइनिंग की जितनी भी सड़कें हैं, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण करके सड़कों का जाल बिछाया जाए, अच्छी मजबूत सड़कें बनायी जाएं। पूर्व में जो सड़कें बनी हैं, वे सड़कें बनने के दो-तीन महीने बाद, क्योंकि ट्रकों में हैवी लोड होता है, एक-एक ट्रेलर में 40 टन, 50 टन का मार्बल, ग्रेनाइट पास होता है, जिससे जितनी भी सड़कें हैं वे डेमेज हो गयी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल का दोहन होकर जिन रोड्स से गुजरता है, उन रोड्स को मजबूत किया जाए ताकि हमारा बिजनेस बढ़ सके।

इसके साथ ही, पर्यावरण की दृष्टि से जितने माइनिंग लीज-होल्डर्स हैं, उनको भी पाबंद करें। माइनिंग तो कर देते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए नियमों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से पूरे खड्डे हो गये और खड्डे होने की वजह से वहां पेड़-पौधे लग नहीं सकते। इसलिए जो वेस्टेज निकलता है, उसका वापस समतलीकरण कराकर वहां पर पेड़-पौधे लगाये जाएं तो मैं समझता हूं, वहां पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो अभी घोषणा हमारी मुख्य मंत्रीजी की हुई थी कि मावली से मारवाड़ जो रेलवे लाइन है उसको पर्यटन की दृष्टि से मैं प्रारम्भ करूंगी, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मावली-मारवाड़ लाइन का ब्राडगेज में परिवर्तन कराकर और उसी लाइन को कामलीघाट से ब्यावर वाया भीम अगर ब्राडगेज से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे विकास में चार चांद लगेंगे। एक तो हमारे वहां ग्रेनाइट, मार्बल और फेल्सपार, जो प्रचुर मात्रा में होता है, वह ट्रांसपोर्टेशन की वजह से काफी कास्टली पड़ता है। इसलिए अगर उधर से रेलवे लाइन गुजरेगी तो मैं समझता हूं कि पर्यटन के साथ-साथ हमारे उद्योग-धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे ग्रेनाइट, मार्बल पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, इस रेलवे लाइन के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों के सौजन्य से यदि यह रेलवे लाइन मीटर गेज से ब्राडगेज में हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र का काफी विकास होगा।

(श्री हरीसिंह रावत)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई हाइवे कोरिडोर के अन्तर्गत बगड़ में रीको इण्डस्ट्रीज की 2007 में स्थापना हुई थी। उसमें जमीन भी हो गई, सब कुछ हो गया लेकिन पर्यावरण की परमिशन नहीं मिलने की वजह से यह खटाई में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, पर्यावरण का शायद दिल्ली से तो हो गया और अपने राजस्थान में ही यह अटकी हुई है, तो अगर पर्यावरण की परमिशन मिल जाए और रीको इण्डस्ट्रीज मेरे क्षेत्र में खुल जाएंगी तो मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता को भी फायदा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा और इण्डस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए तत्काल, इसी बजट में पर्यावरण की सैंक्शन करके यदि इसकी घोषणा करवा देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर काफी उद्योग-धंधे फलेंगे, फूलेंगे।

मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमरारामजी चौधरी।

श्री अमराराम (पचपदरा): अति सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस बाड़मेर जिले से आ रहा हूं, वहां खनिज सम्पदा से लेकर उद्योग और तेल, सब भरा पड़ा है, सब भरपूर है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है, कम से कम 2,000 से अधिक फैक्टरियां हैं जो रंगाई-छपाई का काम करती हैं। सन् 1969 से लेकर आज दिन तक रंगाई-छपाई का काम बालोतरा का प्रसिद्ध है। एक पर्टिकुलर जाति छीपा कम्युनिटी थी, हिन्दू छीपा और मुसलमान छीपा। ये पहले रंगाई-छपाई का इंस्ट्रूमेंट, छापे खुद बनाते थे और अपने घर में ही काम किया करते थे। फिर धीरे-धीरे इन्होंने कुछ बड़ा मकान लेकर, बाड़े में काम करने लगे। उसके बाद में रीको की सहायता हुई। वहां पर औद्योगिकीरण हुआ, प्रथम चरण बना, दूसरा चरण बना, तीसरा चरण बना और अब चौथा चरण चल रहा है। आज 20 हजार से ज्यादा मजदूर बालोतरा में इस रंगाई-छपाई के धंधे से जुड़े हुए हैं। गांव के किसान लोग जब अपनी खेती कर लेते हैं, उसके बाद में वहां जाते हैं। हर घर का आदमी, क्योंकि हमारे यहां कभी अनावृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, तो उसमें इस उद्योग का बहुत बड़ा सहारा होता है। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी है। घर में एक-एक, दो-दो आदमी वहां

(श्री अमराराम)

पर मजदूरी करते हैं और 300-400 रुपये हमेशा कमा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक तलवार जो लटक रही है, वह तलवार है प्रदूषण की। इसके लिए रीको ने पहले टोकन प्राइस, एक रुपये के अन्दर बालोतरा में यह प्लांट लगाया और हमारे बिठूदा और बालोतरा के अन्दर सरकार ने बहुत मदद की। हमारी सरकार ने बहुत मदद की, 11 करोड़ एक दिये, 5-6 करोड़ एक दिये और हर प्रकार से कोशिश की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि लूणी नदी है, वह साल में चार महीने चलती थी। तो शुरू-शुरू में जो भी पानी था और 1979 की जब बाढ़ आई तो सारा का सारा कचरा समुद्र में चला गया। इसके बाद में जब पानी बहुत नीचे चला गया, पानी खारा भी हो गया, लोगों के खेत प्रदूषण के कारण खराब भी होने लगे, तो फिर यह ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता पैदा हुई। अब आवश्यकता यहां तक हो गई है कि लोग हाई कोर्ट चले गये हैं। आये दिन हमारा प्रदूषण विभाग वहां जाकर चैकिंग कर रहा है, आर.ओ. प्लांट लगाने के लिए, हमारा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए।

हमें 1,200 बीघा जमीन इस पिछली सरकार ने अलाट की लेकिन अब उसमें उन्होंने एक शर्त रख दी कि डी.एल.सी. रेट से उसकी कीमत होगी। अब करीब 18 करोड़ और आज 20 करोड़ रुपये उसके हो गये, फिर उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट लगायें, सारी मशीनें लगायें, तो उस पर कम से कम एक अरब रुपये का खर्चा है।

इसलिए हमारा यही निवेदन है, हम हर गांठ से 100 रुपये लेते हैं और हमारा कलेक्शन भी हो रहा है लेकिन यह जो प्राइस, डी.एल.सी. रेट से हमारे से 18 या 20 करोड़ ले रहे हैं, वह ठीक नहीं है। यह हम हमारे लिए नहीं ले रहे हैं, यह किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह उन मजदूरों के लिए है, उन काम करने वाले लोगों के लिए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार लगाये नहीं, तो जमीन दे दो, फिर हम लगायेंगे। जमीन तो कम से कम टोकन प्राइस पर दें, जैसे आपने पहले भी दी है। हमें भी दिला दो, हम कर देंगे अपने आप ही।

हम खुद चिंतित हैं, हम किसी के खेत खराब नहीं करना चाहते, हम आराम से नींद लेने वालों की नींद खराब नहीं करना चाहते। चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, हम खुद चिंतित हैं। उद्योग धंधे भी चलें

(श्री अमराराम)

और हमारे वहां पर्यावरण का वातावरण भी शुद्ध रहे। इसलिए मेरा विशेष तौर से सरकार से निवेदन है।

हमारे वहां पर और भी कई समस्याएं थीं, विभाग वालों ने उनका समाधान किया है और करते रहेंगे।

खनिज के बारे में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि लूणी नदी के अन्दर जिस अंधाधुंध तरीके से अभी जो खनन हो रहा है, उससे काश्तकार बड़े चिंतित हैं। हालांकि हमारे वहां की लूणी नदी की जो बजरी है वह बाम्बे तक जाती है और इसको सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना गया है, सरकार को करोड़ों रुपये मिल रहे हैं, लेकिन इतनी उस हिसाब से खुदाई होने से, नीचे जाने से, आगे जब भी पानी आयेगा तो वह आगे नहीं जाएगा और लोगों के लिए परेशानी होगी। आज हमारे वहां पर गंगा से भी बढ़कर लूणी नदी है जिसके दोनों किनारों पर हजारों-लाखों लोग बसे हुए हैं और वे गेहूं की खेती करते हैं जीरे की खेती करते हैं, उससे हम महरूम हो जाएंगे।

खनिज के लिए कहना चाहूंगा कि बाड़मेर का ग्रेनाइट, सिवाना का ग्रेनाइट है, वहां 56 पहाड़ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जालौर के एम.पी. रहे हुए हैं, आपको पता है कि परदेसर, जो हमारा मिनी माउंट आबू है, 56 पहाड़ हैं और वहां पर चढ़ाई करने में कम से कम चार घंटे लगते हैं, आप और मेरे जैसों को तो 6 घंटे लग सकते हैं। इस प्रकार रमणीक स्थान है। बरसात में वहां झरने चलते हैं। वहां और भी खनिज सम्पदा की गुंजाइश है। वहां पर दंताला पहाड़ है और दंताला पहाड़ के अन्दर हमको लोहा मिल सकता है, हमको कापर मिल सकता है। इसलिए उसकी भी खोज करनी चाहिए। विशेष तौर से इन 56 पहाड़ों के अन्दर, क्या, मालूम, कितनी ही जड़ी-बूटियां, गुग्गल, वगैरह कई हैं।

दूसरा, ऊन के बारे में निवेदन है, बाड़मेर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक स्थान है, या तो बीकानेर या जैसलमेर, लेकिन ऊन की जो कीमत है वह इतनी कम है और वहां ऊन का उद्योग धंधा नहीं है। गांवों में हमारे छोटे-छोटे काश्तकार भाई हैं, जब उनका फसल का टाइम नहीं होता है, गर्मियों में, तो रेजा बनना, कम्बल बनना, शाल बनना, वह बनते हैं।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करूं, कशीदे का काम करने में हमारा बाड़मेर बहुत आगे है। पूरे हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर भी,

(श्री अमराराम)

हमारे चौहटन के लोग कशीदा कपड़ों पर करने में, गलीचे पर करने में बहुत आगे हैं।

सुथार में जो हमारे छोटे-छोटे उद्योग चलाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहेड़ा जो हमारे चौहटन में बहुत होता है और वहां की कुर्सी, टेबल, पलंग हैं, उन पर इतनी शानदार कारीगरी है कि आज भी प्रदर्शनी में रखने लायक हैं। उनको और बढ़ावा दिया जाये। रोहेड़ा खतम हो गया तो सागवान पर कर रहे हैं।

तो इस प्रकार से ऐसे छोटे-छोटे, और मेरे यहां की पचपदरा की तो मटकियां प्रसिद्ध हैं। जैसे आपका फ्रिज होता है, वैसे गर्मियों के अन्दर उस पचपदरा की मटकियों में पानी पीने का जो आनन्द आता है, उसकी बात ही कुछ और है। ऐसे छोटे उद्योग वाले हैं, एक कुम्हार जाति के लोग हैं, उनको भी बढ़ावा दें।

यही कहते हुए, मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाशजी भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मान्यवर अध्यक्षजी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया।

आज उद्योग एवं खनिज की मांग संख्या 42 व 43 पर चर्चा हो रही है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में अपने प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत कर औद्योगिकीरण करने के बारे में जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं।

जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में अपना एक विशेष महत्व रखता है। करीब 14,000 यूनिट्स इण्डस्ट्रीज की हैं जिनमें विशेषकर टैक्सटाइल, खनिज आधारित उद्योग, रंगाई-छपाई, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, पाटा, पाउडर और अनेकों प्रकार की इण्डस्ट्रीज हैं। माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने शिल्पग्राम की स्थापना की, जिसमें छोटे-छोटे कारीगर अपना फर्नीचर बनाते हैं, कशीदा का काम करते हैं और छोटे-छोटे आर्टिकल्स जो एल्यूमिनियम से बनते हैं, वह बहुत ही अच्छी चीजों का उत्पादन होता है। परन्तु पिछली सरकार ने पांच वर्ष में एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में डवलप नहीं किया। जोधपुर में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। पाली और बालोतरा से बहुत सारे

(श्री कैलाश भंसाली)

लोग आकर टैक्सटाइल का काम आज जोधपुर में कर रहे हैं। इस कारण से हमारे यहां प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, परन्तु मेरा सरकार से निवेदन है, तीन बड़े सी पी टैंक बनाये जायें, एक पाली में, एक बालोतरा में और एक जोधपुर में, ताकि प्रदूषण नहीं फैले और यह साफ किया हुआ पानी उनमें डाल दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे सब्जी भी पैदा हो सकेगी और यहां तक कि, उसमें इतनी सुन्दरता आ जाएगी कि पर्यटन उद्योग भी बढ़ेगा।

मेरा एक निवेदन है, हस्तशिल्प पर अभी जो पांच परसेंट वैट प्रस्तावित किया गया है, उससे इस उद्योग को भारी नुकसान होगा। 15,000 करोड़ रुपये का वार्षिक एक्सपोर्ट हमारे यहां से होता है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली, हरियाणा में वह कार्य चला जाएगा।

इसी तरह से, मसाला उद्योग, फूड पार्क तो हमारे यहां बन गया है परन्तु अभी पांच प्रतिशत का वैट मसाला उद्योग पर लगाया है। उसको भी कम करना जरूरी है। नहीं तो, हमारे यहां विशेषकर जीरा का जो अच्छा मसाला बनता है। उसमें बहुत खराबा आयेगा।

माननीय, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि उद्योग द्वारा ही रोजगार पैदा किये जा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि एकल खिड़की व्यवस्था को मजबूत किया जाये। कुछ है अपने यहां, परन्तु अभी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। उसको और अधिक मजबूत किया जाए।

सेज हमारे बना हुआ है परन्तु वे प्लाट खाली पड़े हैं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि उन प्लाट्स को नीलामी करके, उनको दूसरे उद्योगपति ले लेंगे और वह सरसब्ज इलाका हो जाएगा।

एक हमारे एयर कनेक्टिविटी नहीं है। जोधपुर में करीब 12,000 करोड़ रुपये का वार्षिक एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्टस के ग्राहक आते हैं, उनके लिए हवाई यात्रा नहीं है। जोधपुर से जयपुर भी हवाई यात्रा नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही शोचनीय है। नागरिक उड्डयन मंत्रीजी ने कल दिल्ली में कहा था कि जयपुर और उदयपुर एयरपोर्ट का तो हम विस्तार करेंगे। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी के लिए सारे प्रस्ताव हो गये हैं, जमीन देख ली गई है और विस्तार की योजना बन गई है; उसको अमल में लाया जाए और जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी को अवश्य बढ़ाया जाए।

(श्री कैलाश भंसाली)

सम्बल के जरिये छोटे काश्तकारों को, महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

वेस्टर्न राजस्थान को हिल एरिया जैसा प्रोत्साहन दिया जाए, इन्सेंटिव दिया जाए, जो यहां इण्डस्ट्री लगाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है।

उसके साथ ही, हमारे यहां स्टेनलेस स्टील उद्योग है, पाटे बनाये जाने का और सामग्री बनाने का, फर्नीचर बनाने का, उसको कुछ और रियायतों की आवश्यकता है। वह दी जाए।

सूखे साग, कैर-सांगरी, कुमटिया को पैकेजिंग का अच्छा सिस्टम डवलप करने में सहायता दी जाए। इसके लिए प्रयोगशाला भी बनाई जाए।

एन आर आई बहुत सारे उद्योग लगाना चाहते हैं। उनको अच्छी कंडिशन के साथ में आमंत्रित किया जाए।

पर्यटन उद्योग जोधपुर की एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है, इसमें भी रियायत दी जाए। सौन्दर्यीकरण भी उसके साथ में बहुत आवश्यक है।

रीको द्वारा कंसोलिडेशन आफ लैण्ड कन्वर्जन, इण्डस्ट्री, कामर्शियल तथा होटल इण्डस्ट्री को थोड़ा सुगम बनाया जाए ताकि अधिक विकास हो सके।

ड्राई फ्रूट को भी कुछ सुविधाओं की जरूरत है। यह भी सरकार मुहैया करवाये।

आर एफ सी के दो आफिस जोधपुर में हैं, उनमें से एक को उठाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि दोनों आफिस चालू रखे जायें। आर एफ सी के द्वारा ही छोटे-छोटे उद्योगपति अपना ऋण लेकर उद्योग लगाते हैं। आज जोधपुर का रिकार्ड है कि 95 प्रतिशत पेमेंट हुआ है, जितने भी ऋण लिये गये। ऐसा राजस्थान में और कोई शहर नहीं है। जोधपुर का उद्योगपति इस तरह से अपनी मेहनत के साथ उद्योगों का विकास करता है।

सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा, जो मरुस्थानिया एरिया के पास, बाप और फलौदी के पास हुआ है, उसमें लैण्ड अलाटमेंट में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। उनको रोका जाए और उसको भू-माफियाओं से बचाया जाए।

जोधपुर में एक एक्जीबिशन पार्क जरूरी है। हमारे यहां हर वर्ष दो मेले लगते हैं, एक स्वदेशी मेला लगता है और एक हस्तशिल्प मेला। उन दोनों

(श्री कैलाश भंसाली)

के लिए जगह नहीं है। रावण का चबूतरा है जो सार्वजनिक स्थान है, वहां बहुत खर्चा आता है। एक इण्डस्ट्रियल पार्क अगर बन जाएगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा।

लैण्ड कन्वर्जन को सुगम बनाया जाए।

बजरी पर टोल टैक्स लगता है, वह समाप्त किया जाए। जगह-जगह बहुत परेशानी हो रही है। बजरी आजकल एक ऐसा धंधा हो गया है जो कंस्ट्रक्शन में अवश्य चाहिये परन्तु बहुत महंगी मिल रही है। उसको सस्ता और सुलभ बनाया जाए।

इण्डस्ट्रियल कोरिडोर भारत सरकार बना रही है, उसमें राज्य सरकार बिलाड़ा से बर तक को भी इन्क्लूड करें। स्कीम बन गई है, उसको मूर्त रूप दिया जाए तो जोधपुर और दिल्ली मार्ग में करीब 80 किलोमीटर का फेरा कम हो जाएगा। उससे जोधपुर का काफी विकास होगा।

बस, इन्हीं कुछ बातों के साथ, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके हैं, या बोलना है? यहां ऊंचा-नीचा हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, तो आप बोलिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत उद्योग की मांग पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो राज्य का घरेलू उत्पादन बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाता है, गरीबी का नाश करता है, सम्पन्नता बढ़ाता है। राजस्थान शुरू से कृषि प्रधान स्टेट रहा है। एक मारवाड़ी कहावत है, खेती धन का नाश। किसी के पास धन है तो खेती शुरू कर दो, धन चला जाएगा। जब से उद्योग क्षेत्र में आये हैं तब से कुछ सफलता अपने हाथ लगी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कि जालौर हमारी ग्रेनाइट नगरी है और जालौर की जो हमारी विधायक बोल रही थीं, पश्चिमी राजस्थान में, माननीय मंत्रीजी, 56 हजार से जीत कर आपके पास आई हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीती हैं, जालौर को ग्रेनाइट पार्क घोषित किया जाए ताकि कुछ सुविधाएं जालौर को मिलें। इसके साथ ही, मेरे सांचौर

(श्री सुखराम विश्नोई)

नर्मदा नहर आई है और उसमें दाड़म की बहुत बढ़िया खेती हो रही है। एग्रो फूड पार्क बनाया जाए ताकि किसानों को दाड़म उत्पादन करने में राहत मिल सके।

इसके साथ ही, रीको फर्स्ट फेज का काम चल रहा है, सेकण्ड फेज और बनाया जाए ताकि लोग वहां उद्योग धंधे लगा सकें।

विशेष रूप से पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण की बात की है, उस लूणी नदी का बेसिन हमारे सांचौर में आया हुआ है, सांचौर उसका एण्ड है। पाली और बालोतरा में जो रंगाई की फैक्टरियां लगी हुई हैं, वहां से जो पानी निकलकर लूणी नदी में बहता है, वह हमारे खेतों को और कुओं को खराब करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाली में इसके लिए आंदोलन भी चले, बालोतरा में आंदोलन भी चले। पाली में जो पानी बह रहा है, वह बांडी नदी होकर के लूणी में गिरता है; बालोतरा होकर आगे जाता है, सांचौर तक पहुंचता है।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पाली में चार ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हुए हैं। इन चारों ट्रीटमेंट प्लांट की यह हालत है, या तो वे चलते नहीं हैं, चलते हैं तो उनकी यह स्थिति है, मेरे पास राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट है, उसमें उसका जो टी.एस.डी. है वह ज्यादा से ज्यादा 100 होना चाहिए, वह 360 है; सी.ओ.डी., वह 250 होना चाहिए, वह 545 है; जो बायो-केमिकल आक्सीजन, वह 30 होने चाहिए, वे 115 हैं; उसके बाद टी.डी.एस. 2,100 होना चाहिए और वह 6,500 है। यह इस महीने की रिपोर्ट है।

माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आप उस नदी में चले जाएं, आप, मतलब, नाक को बंद किए बगैर उस नदी को पार नहीं कर सकते। वह पानी आगे जाकर के लूणी में गिरता है और खेतों में आता है। वह कैंसर पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। माननीय सदस्या, बांदीकुई से कह रही थीं कि मतलब, मेरे वहां जो फैक्टरी का पानी है वह सिर के ऊपर डालो तो बाल उड़ जाते हैं, वही हालत हमारी इस पाली और बालोतरा के केमिकल से उत्पन्न हो रही है।

पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य को बात तो करनी चाहिए थी रिफाइनरी की, रिफाइनरी की बात नहीं की। इनके खुद के क्षेत्र में रिफाइनरी

(श्री सुखराम विश्नोई)

की बात नहीं करके, दूसरी करके, बात टाल दी। रिफाइनरी गुजरात के अन्दर सबसे पहले लगी। गुजरात, आगे है। गुजरात, अपने पास बिलकुल कुछ नहीं था, उस वक्त गुजरात में रिफाइनरी थी। उस वक्त नहरें चल रही थीं। गुजरात आज नहीं बना है, गुजरात पिछले साठ साल से बन रहा है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि रिफाइनरी लगेगी, डीज़ल निकलेगा, क्रूड निकलेगा; उसके जो भी बाई-प्रोडक्ट हैं, उसमें गैस निकलेगी, उसके बाद में डामर निकलेगा, मोम निकलेगा। माननीय मंत्रीजी से मेरा आपसे निवेदन है कि इस रिफाइनरी को आप नाम वाली, रिव्यू वाली बात नहीं कर करके, जिस उपक्रम को दिया है, एच.पी.सी.एल., वह भी सरकारी उपक्रम है।

एक, अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक साधु दक्षिणा लेने के लिए गया। घर पर बींदणी थी, बींदणी ने मना कर दिया, जा, मैं तेरे को दक्षिणा नहीं दूंगी। सामने उसकी सास मिली। उसने पूछा, कहां गये थे आप? उसने कहा, दक्षिणा लेने के लिए गया था। चल, मेरे साथ चल। साधु ने समझा, रिव्यू कर रही है, उसके साथ जाकर देखा। उस सास ने कहा, जा, तेरे को दक्षिणा नहीं दूंगी। तो यह तो तेरी बींदणी ने कहा था नहीं देने का तो। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो उस औरत ने कहा, इस घर में पंचायती करूं तो मैं करूं, ना दूं तो मैं ना दूं और हां दूं तो मैं दूं।

मेरा, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे जो हालात राजस्थान में बन रहे हैं, चाहे मेट्रो के बारे में हो, चाहे रिफाइनरी के बारे में हो, ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए।

मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं इस औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनी हैं, प्रत्येक पंचायत स्तर पर उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रीको की तरफ से जो कैंप लगता है, वह कैंप केवल मात्र फोर्मेलिटी बनकर रह गया है। कैंप लगता है, बेरोजगार लोग गांव के वहां आते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, एक आटे की चक्की के कनेक्शन के लिए, जमीन को कन्वर्ट कराने के लिए महीनों भर भटकते रहते हैं। जब कन्वर्ट नहीं होती है, चुपचाप घर बैठते हैं। केवल मात्र जब सरकार बदलती है तो वे रीको वाले जरूर कैंप लगाते हैं। उसके बाद न तो कभी कैंप लगता है, न उन कामों पर रिव्यू होता है, किसको लोन मिला, किसको नहीं मिला। तो, माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा जो रीको के कैंप लगें, उसका रिजल्ट आना चाहिए ताकि

(श्री सुखराम विश्नोई)

विश्वास पैदा हो गांव के बेरोजगार लोगों में कि जो मेला लग रहा है, जो कैंप लग रहा है उसमें दरख्वास्त देंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। तब तो उस मेले में आने की सार्थकता होगी, वरना कोई सार्थकता नहीं होगी।

इसके अलावा, जो भी छोटे-मोटे उद्योग हैं, जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना है, यह योजना काफी साल पहले चालू की गई, परन्तु जो फार्म चाहे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना है, चाहे मुख्य मंत्री रोजगार सृजन योजना है, दोनों ही योजनाओं में जो फार्म भरे जाते हैं वे बैंकों में भरे जाते हैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक भी बैंक मैनेजर उन फार्मों को पास नहीं करता है। वे बेरोजगार भटकते रहते हैं। बीसों तरह की बहानेबाजी बैंक मैनेजर करता है। ऐसे हालात के अन्दर दोनों जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे मुख्य मंत्री रोजगार सृजन योजना हो, उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। उस पर प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए और प्रभावी तरीके से कार्यवाही होकर उसका कुछ लाभ मिले; ऐसी योजनाएं हों, कुछ फायदा मिलना चाहिए।

आपसे निवेदन है, एक एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। उस एकल खिड़की की व्यवस्था की थी, तब तो यह व्यवस्था चल रही थी। उसके बाद में वह सिंगल विंडो सिस्टम है, वह सिस्टम जीरो पाइंट ही पडा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, उस एकल खिड़की व्यवस्था को बिलकुल दुरुस्त किया जाए।

आप आज बड़े शांत रहे, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हमने सबेरे छह बजे मुख बंद का समय तय किया था लेकिन कुछ विधायकों ने समय अधिक लिया। इसलिए इसमें दो-दो, तीन-तीन मिनट के लिए जो माननीय विधायकों ने मांगा है, उनको देने के बाद मंत्रीजी का उत्तर होगा और उसके बाद मुख बंद होगा।

श्री राजेन्द्रजी भादू। दो मिनट मांगा है आपने।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): दो ही मिनट में खतम कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, विशेष रूप से जो हमारे उस क्षेत्र के सबसे प्रचलित उद्योग हैं, ईंट भट्टों के बारे

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

में जो राज्य सरकार ने नई नीति दी है, उसके सम्बन्ध में मैं एक मिनट के लिए अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्दर करीब 150 ईंट भट्टे हैं और गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कुल मिलाकर 800 के करीब ईंट भट्टे हैं। 1974 की खनन नीति में राजस्थान सरकार ने ईंट भट्टे रायल्टी मामलों में कच्ची जो घोड़ियां हैं ईंट की, पकाने से पहले बनती हैं, उनकी संख्या पर अधि-शुल्क जमा कराने के लिए भट्टे उद्योग को पाबंद किया था। अब राजस्थान सरकार ने नई खनन नीति में रायल्टी वसूल करने के अधिकार ठेकेदार को देने का ड्राफ़्ट में लिखित किया है, जिसके होने से ठेकेदारों की मनमर्जी व अराजकता का माहौल बनेगा व मंदी में चलते इस उद्योग के बंद होने का खतरा रहेगा।

ईंट भट्टे उद्यमी राजस्व समय पर खजाने में जमा करवाते हैं और खजाने के राजस्व में वे कोई कमी नहीं आने देते हैं। सरकार की घोषणा में उद्योगों को प्रोत्साहन देकर प्रणाली में सरलीकरण करने की घोषणा की गई है।

(18.00 बजे)

गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कोई भी अवैध भट्ठा काम नहीं कर रहा है तथा मजदूर वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईंट-भट्ठों से जुड़ा हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाले तथा सरकार को राजस्व देने वाले ईंट-भट्ठा उद्योग को राहत देने की पुरानी नीति के हिसाब से चलायें।

इस सम्बन्ध में बस एक लाइन मैं पढ़ देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा नं. 54 में कंडिशंस आफ द परमिट इसके दूसरे पैरा में लिखा है:-
''Conditions of the permit... (2) The permit holder shall excavate brick earth from the sanctioned permit area and transport such mineral to that brick kiln for which the permits have been issued.'' और तीसरे में लिखा हुआ है:- ''(3) Royalty, 1.2 times of brick earth, as per the Schedule I and EMR Rs. 5/- per tonne shall be collected at the check posts and nakas from the vehicles carrying the finished (pakki) bricks."

यह एक ऐसा विषय है जिस पर सोचने की जरूरत है। हमारा यह निवदेन है, आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी से निवेदन करते हैं कि यह जो पैराग्राफ है, इसमें हटाकर वहां नाके नहीं किये जाएं और वहां सीधा-सीधा जो पुराना काम है, वह चलता रहे।

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, thank you very much.

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत यादव। दो मिनट मांगे हैं। श्री रामहेत यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि आपने मात्र दो मिनट के लिए कहा है...

श्री अध्यक्ष: आपने भी यही मांगा है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): नहीं, मैंने तो...

श्री अध्यक्ष: मेरे यहां लिख रखा है। आप बोलिये, दो-तीन मिनट बोलिये। आपका नाम था नहीं। मैंने आपको विशेष रूप से निवेदन किया है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): हमारे अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, चौपानकी, शाहजहांपुर, नीमराणा में बहुत सारे उद्योग हैं लेकिन जो खुशखेड़ा और भिवाड़ी है, उसका जो गन्दा पानी आता है, वह पूर्ववर्ती सरकार की गलती के कारण वह सारा उद्योगों का गन्दा पानी है, वह मेरे विधान सभा का किशनगढ़ बास के आकोली, लालपुर, हाजना गांवों के आस-पास नदी में डाल दिया। उससे भारी जनाक्रोश हुआ। उसके कारण से पिछले विधान सभा क्षेत्र में मैंने इस बात को रखा और सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया, जनाक्रोश को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए।

मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि हमने बिरनवास होकर गढ़ीमोलनी चौक को जोड़ा, खुशखेड़ा को नन्दरामपुर होकर धारूहेड़ा से जोड़ा। इसी तरह से, भिवाड़ी से धारूहेड़ा को जोड़ा। इसी तरह से, और तीन सड़कें विलासपुर और कई सड़कें हरियाणा में बनायीं। लेकिन जब दोनों स्टेट की बात करते हैं तो गन्दे पानी की निकासी हरियाणा में हो, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इससे मेरे इलाके में बहुत जनाक्रोश है, प्रदूषण फैलने की सम्भावना है, इसलिए इस पर विचार करें और इसको वापस, सारे बांध के लिए इसकी योजना बना करके, कोई ऐसा प्लान करें कि यह जा सके।

जब औद्योगिक नीति बनती है तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। जिन गांवों की जमीन जाती है, उसको एक्वायर करते समय, उनके रास्ते कौन से हैं, सरकारी रास्ते कौन से हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, किसान जिसने मुआवजा नहीं लिया और खुशखेड़ा के अन्दर डवलप प्लाट लिया था, दस साल हो गये, उद्योगपति उसकी भूमि पर उद्योग लगाकर रीको द्वारा जो अलाट की, वह तो उसने अपने काम में

(श्री रामहेत सिंह यादव)

ले ली, लेकिन उसको जो भूखण्ड डवलप्ड मिलना था, आज तक विवाद के कारण, बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जिनको आज तक भी भूमि का, वह जो भूखण्ड है, उसका कब्जा नहीं मिला। गांव में विवाद है कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे जितने भी प्रकरण हैं किसानों से सम्बन्धित...।

एक बात और कहना चाहता हूं कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। एक ऐसी नीति बने, जिस क्षेत्र के नौजवान हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनको उन उद्योगों में रोजगार मिले। औद्योगिक विकास के साथ-साथ, वहां उद्योगपति कहां रहेंगे, वहां के कितने श्रमिक काम करेंगे, उनके लिए आवासीय कालोनी भी साथ-साथ डवलप की जाए। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में गांव आते हैं, उनके विकास के बारे में भी सरकार सोचे। वहां रहने वाला व्यक्ति नारकीय जीवन जी रहा है, वहां रहने वाले नौजवान को रोजगार नहीं है। वहां इतना पोल्यूटेड एरिया है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इन पर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): खनिज पर एक ही मिनट का समय दे दें आप।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): चूंकि एक मिनट का ही समय दिया है...

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट बोलिये आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): हां, एक मिनट में ही बोल दूंगा।

हमारे यहां बहुत ज्यादा अवैध खनिज का काम होता है। तिजारा में जो अवैध खनन होता है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की सड़कों से निकलता है। सारी विलेज सड़कें टूट गई हैं। मैं चाहता हूं कि उनका सर्वे करा करके और वन विभाग यह तय करे, माइन्स विभाग तय करे कि वहां चौकियां लगें ताकि वहां से इल्लीगल माइनिंग नहीं हो।

एक मेरा सुझाव है कि जहां जो क्रेशर लगे हुए हैं, उनमें भारी मात्रा

(श्री रामहेत सिंह यादव)

में अवैध खनन से पत्थर आता है। क्रेशर वाले, गांव वाले जो जाते हैं, वहां से रोड़ी खरीदते हैं, तो रोड़ी खरीदने के बाद वे वहां पर कोई बिल वाउचर नहीं देते हैं और माइन्स विभाग के लोग तैयार खड़े रहते हैं क्योंकि उनको तो टारगेट इस महीने में बीस ट्रैक्टर पकड़ना है, पच्चीस पकड़ना, तो वे उस ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, और फोरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, जिसके कारण उस काश्तकार को परेशानी होती है। मैं यह कहता हूं, वे जो बिल देते हैं, वे धर्मकांटे का पर्चा देते हैं, उसमें वज़न लिखा होता है, धर्मकांटे का नाम लिखा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, उनकी जांच करायें और जिन पर मुकदमे किये गये हैं, उनको माइन्स विभाग या फोरेस्ट या पुलिस ऐसे मुकदमों को वापस ले।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक तो जितने माननीय सदस्यों ने सदन पर अपने वक्तव्य रखे हैं, उन सबका आप मुझे एक साथ दे दीजिये नाम। मैं उसकी घोषणा कर दूंगा सदन में लेने की।

एक मिनट का और एजेंडा, उसके बाद आपका भाषण होगा।

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक।

श्री युनुस खान।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन तीस माननीय सदस्यों को जिन्होंने उद्योग और खान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने सारगर्भित भाषणों के माध्यम से सरकार और मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन दस माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो अपनी बात को सदन में नहीं रख पाये परन्तु आपकी अनुमति से उन्होंने सदन के पटल पर अपनी बात रखकर इस बहस में अघोषित हिस्सा लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात उद्योग से प्रारम्भ करूंगा। मांग संख्या 42-उद्योग में 213 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन कटौती प्रस्तावों का अगर मैं वर्गीकरण करूं तो इन सभी कटौती प्रस्तावों में इस बात की चिन्ता की गई है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास होना चाहिए; राजस्थान के औद्योगिक विकास क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं पूरी होनी चाहिए; औद्योगिक रुग्णता समाप्त होनी चाहिए; प्रदूषण की समस्या समाप्त होनी चाहिए, बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां पुन: प्रारम्भ होनी चाहिए; मैं आपके माध्यम से इन सभी माननीय सदस्यों को, जो इन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से बात सदन में रखी है, उनका उत्तर 48 घंटों में पहुंचा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उद्योग और उद्यमियों की चर्चा होती है तो देश और दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थान और राजस्थानियों का आज नहीं, कालान्तर से इस देश के अन्दर और देश की सीमा के बाहर, विदेश में भी उद्योगों में वर्चस्व रहा है। हमारा यहां का एक व्यक्ति अपने घर से धोती पहनकर और लोटा लेकर निकल जाता था, उसके साथ होती थी उसकी साख और उसकी विश्वसनीयता और इस कारण से वह सुदूर विदेश में जाकर भी, धीरे-धीरे आगे बढ़ता-बढ़ता औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लेता था।

पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की चर्चा करते हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर चिन्ता होती है और चिन्ता भी उस समय होती है। जब हमारे मुख्य मंत्रीजी के मन में यह मंशा है कि राजस्थान एक शक्तिशाली प्रदेश बने, विकसित और समृद्ध प्रदेश बने; राजस्थान की आर्थिक विकास दर 12 प्रतिशत हो; राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय 10 प्रतिशत की फीसदी से बढ़े। अध्यक्ष महोदय, जब पिछले कालखण्ड को देखते हैं तो मैं, आपकी अनुमति से, तुलना करना चाहूंगा औद्योगिक परिदृश्य की, क्योंकि यह उद्योग हमारे विकास की बुनियाद है। 2005 से लेकर 2008-09, जो हमारी औसत औद्योगिक वृद्धि दर रही, वह 7.20 परसेंट रही; 2009-10 से 2013-14, इसकी औसत वृद्धि दर, उद्योग की, देखता हूं तो निकलती है, 6.79 । यानी इस समय में जब पूरी दुनिया के अन्दर उद्योग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, हमारी औद्योगिक दर गिर रही थी। यह हमारे लिए चिंता की बात है।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि राजस्थान की 52 फीसदी आबादी आज कृषि पर निर्भर है और कृषि, खेती निर्भर है मानसून के मूड पर। अध्यक्ष महोदय, यह तो आज शगुन अच्छा हुआ कि आज पूरे राजस्थान में व्यापक बरसात है, वरना अगर इन्द्र देव रूठ जाएं तो लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों की श्रेणी में राजस्थान आए, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, सेक्टोरल स्ट्रक्चर के अन्दर उद्योगों का हिस्सा बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जी एस डी पी जो हमारी खुशहाली का प्रतीक है, अगर हम देखें कि जी एस डी पी के अन्दर उद्योग का हिस्सा कितना है तो निश्चित तौर पर चिंता होती है। हमारी जी एस डी पी में जहां कृषि का 20.27 प्रतिशत है, उद्योग का 28.54 प्रतिशत और सेवा का 51.19 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, जीएसडीपी हमारी खुशहाली के बारे में सारी बातों की विवेचना अपने आप अपने शब्दों से कर देता है । जब इसको हम देखते हैं, 2004-05 में उद्योग का जी एस डी पी में हिस्सा था 30.56 प्रतिशत और 2013-14 की जब मैं बात करता हूं तो यह रह जाता है 28.54 प्रतिशत। यानी 2.37 प्रतिशत की गिरावट। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने चिंता व्यक्त की और इस बार मुख्य मंत्रीजी ने प्लान आउटले के अन्दर उद्योग में 223 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की ज्यादा व्यवस्था की है, 62.21 परसेंट बढ़ोतरी की है। 2013-14 के अन्दर जो प्लान आउटले 359.64 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 583 करोड़ रुपये किया है।

अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में उद्योग की प्रगति की बात करते हैं, आज उद्योग वहां आएंगे जहां आधारभूत संरचनाएं होंगी। आधारभूत संरचनाओं के लिए आवश्यकता है, राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक हो। विरासत में जिस प्रकार का राजस्थान मिला है, मैं कोई उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता परन्तु पिछली सरकार ने जिस प्रकार घोषणाओं का पिटारा खोला, जादूगर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, घोषणा पर घोषणा, यह नहीं देखा कि वित्तीय संसाधनों से किस तरह इन घोषणाओं को जोड़ेंगे। आज राजस्थान के अन्दर, जब राजस्थान के कर्जे की चर्चा करते हैं तो राजस्थान के अन्दर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ का तो शुद्ध कर्जा है। इसके अन्दर अगर हम राज्य की बाकी संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों को जोड़ेंगे तो यह ढाई लाख के पार चला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें वित्तीय अनुशासन में बांधने के लिए एफ आर बी एम एक्ट बना है। उस एफ आर बी एम एक्ट में विकास और गरीबी उन्मूलन निधि में 850 करोड़ रुपये पिछली सरकार, बी जे पी की सरकार छोड़कर गई थी। किसी न किसी प्रकार उसको भी खाली कर दिया। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि 2007-08 में जहां 1,650 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था हमारे बजट के अन्दर, आज 2013-14 के अन्दर यह 2500 राजस्व घाटे में बदल गया।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद भी मुख्य मंत्रीजी की यह अवधारणा है कि इन्क्ल्यूसिव ग्रोथ राजस्थान में हो। राजस्थान में एक क्षेत्र में ग्रोथ हो जाए, इससे राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे जो खुद के मानवीय सूचंकाक हैं, ह्यूमन इन्डेक्स हैं, जब तक इसमें ग्रोथ नहीं होगी तब तक राजस्थान बढ़ेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को जोड़कर हमें देखना पड़ेगा, मुख्य मंत्री जी की यह अवधारणा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के नौजवान, जो आज रोजगार की तलाश में, रोजगार के बाजार में आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर 39 वर्ष की आयु की प्रतिशत निकलती है 34 प्रतिशत। अब इन पोटेंशल हाथों में रोजगार देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, यहां मुझसे पहले किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने, दिल्ली-मुम्बई के बीच 1,483 किलोमीटर का डेडिकेटेड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फ्रैट कोरिडोर बन रहा है उसकी चर्चा की थी। अध्यक्ष महोदय, इस कोरीडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर के अन्दर एक पट्टी बनेगी, उस पट्टी के अन्दर आवश्यक विकास की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यह जो डी एम आई सी है, इसका 39 प्रतिशत जितना राजस्थान में गुजरता है, अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ राजस्थान से ही नहीं गुजरता, यह महाराष्ट्र से गुजरता है, यह गुजरात से गुजरता है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से गुजरता है।

जब तुलना करते हैं इस परियोजना की कि कौन कितना चिंतित था, हम लफ्फाजी करके, कुछ भी बात कहकर चले जाएं, पर, अध्यक्ष महोदय हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन पांचों राज्यों में इस कोरिडोर के लिए, डी एम आई सी के लिए, अगर सबसे कम चिंता किसी ने की है तो पूर्ववर्ती सरकार ने की और सबसे ज्यादा चिंता किसी ने की है तो हमारी आज की मुख्य मंत्रीजी ने की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम डी एम आई सी के लिए अलग विभाग बनाएंगे, एक्ट लेकर आएंगे, हम डी एम आई सी के लिए कारपोरेशन का गठन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस योजना में राज्य के अन्दर पांच क्षेत्र विकसित किये जाएंगे। इसके प्रथम चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, यह इसके रूप में विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना के डवलपमेंट प्लान तैयार हो गये हैं। मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता है कि राज्य की पहली स्मार्ट सिटी विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार हो गया, इसके लिए 1,425 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो गया। आज तक जब कभी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण हुआ है, किसान के माथे पर चिंता की लकीर आ जाती है, परन्तु हमारी सरकार ने, जो नया भू-अधिग्रहण कानून लागू हुआ है, जिसमें डी एल सी के चार गुणा से ज्यादा किसान को मुआवजे की राशि मिलती है, उसके लिए पैकेज मिलता है, उस राशि से नये भू-अधिग्रहण कानून से हम इन सारे किसानों को मुआवजा राशि देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जोधपुर, पाली, मारवाड़, इनके लिए फीजिबिलिटी स्टडी लगभग पूरी हो गई है और चार महीने के अन्दर इस सारे काम को हम पूरा कर लेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने कलस्टर जोन की बात कही थी, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि राजस्थान के अन्दर बहुत सी चीजों पर कलस्टर जोन के आधार पर औद्योगिक विकास होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी एम आई सी में नियोजित विकास करने का संकल्प है और इसके तहत इन्वेस्टमेंट रीजन, इनका गठन किया जाएगा। इन्हीं रीजनों में, जो अलग से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन होगा, उसके अन्दर अलग-अलग उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा; इसके लिए एक रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी, आर डी ए का गठन किया जाएगा; निवेश के लिए मास्टर प्लान, जोनल प्लान, डवपलमेंट स्कीम, रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी, यह इसके लिए उत्तरदायी होगी। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, उदारीकरण का समय है और इस उदारीकरण के समय में पूरा विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में बन गया। पूरा विश्व जब ग्लोबल विलेज के रूप में बन गया तो ,बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें, किस प्रकार दूसरे देशों का पैसा हमारे यहां लगे, उद्योग हों। अब वह बात नहीं रही कि एफ डी आई के नाम से बिदक जाए। अब आवश्यकता इसकी है कि नई तकनीक भी आए, फोरेन इन्वेस्टमेंट भी आए।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए राजस्थान राज्य को इंडस्ट्रियल फ्रैंडली स्टेट के रूप में तैयार करने और उस इंडस्ट्रियल फ्रैंडली स्टेट के रूप में देश और दुनिया के बीच में राजस्थान की पहचान बने, यह लक्ष्य हमारा है, अध्यक्ष महोदय, और कण्ट्री डेडिकेटेड औद्योगिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य हमारा है।

किशनपोल और बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी, नीमराणा में जापानी जोन विकसित करने पर। अध्यक्ष महोदय, जापानी जोन आया, जापान की कई महत्वपूर्ण कम्पनियां आईं, निसान यहां आई, मितुसुई यहां आई, डाइकिन यहां आई, मुत्सुबिशी यहां आई और डाइकिकिलर यहां आई। अध्यक्ष महोदय, इस जापानी जोन से जो सफलता मिली है, उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में 250 एकड़ भूमि पर कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करने का निर्णय लिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यहां पूर्ववर्ती सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जब 'रिसर्जेण्ट राजस्थान' जब समिट हुई थी, उसकी चर्चा हुई। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, इसमें सही भी है, उस समय 300 एम.ओ.यू. पर दस्तख्त हुए थे, एक लाख 62 हजार 607 करोड़ के निवेश पर, एम.ओ.यू. पर सरकार और निवेशकर्ताओं ने हस्ताक्षर किये थे। सत्ता आती-जाती रहती है, राजस्थान यहां है। राजस्थान में विकास की कहानी जो लिखकर चला जाएगा, राजस्थान का अवाम उसे याद करता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, परन्तु सरकार बदली, हमने इस एम.ओ.यू. को भी राजनीतिक चश्मे से देखना चालू कर दिया। आज मुझे कहते हुए अफसोस है कि जो एम.ओ.यू. हुए थे, एक लाख 62 हजार के, उनमें सिर्फ 24.7 प्रतिशत एम.ओ.यू., वही धरती पर उतरें। देखा यह जाने लगा कि किसको श्रेय मिलेगा, किसको वाह-वाही मिलेगी। सरकार ने कोई चीज देखी नहीं।

पूर्ववर्ती सरकार पर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, अब जिम्मेदारी हमारी है, परन्तु इन्होंने भी, पूरे देश और दुनिया से निवेशकर्ताओं को यहां आमंत्रित किया। जिस आपा-धापी का वातावरण उनको बुलाने के बाद...। गुजरात रेडकारपेट बिछाता है, गुजरात इसलिए आगे बढ़ गया। गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री और हमारे आज के आदरणीय प्रधान मंत्री, जब उन्हें मालूम पड़ता कि कोई निवेशकर्ता गुजरात में पैसा लगाना चाहते हैं तो रेडकारपेट बिछाते थे, अधिकारियों की फौज को लगाते थे, उनसे खुद सम्पर्क करते थे, परन्तु यहां तो निवेशकर्ता आया, कुछ मन बनाकर आया, वह निराश होकर चला गया।

परन्तु, अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार है, जब से सरकार बनी, तब से पूरे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का वातावरण बना है। इसी 10 जुलाई को फ्रांसिसी प्रतिनिधि मण्डल आया, फ्रांस की 28 कम्पनियां, उन्होंने यहां राजस्थान की सरकार से निवेश पर चर्चा की। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि चाहे शहरी इंन्फ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे सीवरेज का ट्रीटमेंट प्रबन्ध हो, इन सब में फ्रांस की इन कम्पनियों ने रुचि दिखाई है।

मैं घोषणा करता हूं कि राजस्थान की सरकार अग्रणी औद्योगिक संगठनों के सहयोग से, पूर्व की भांति, निवेश प्रोत्साहन के लिए 'रिसर्जेण्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान' की तर्ज पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। हम देश और दुनिया के लोगों को बुलाएंगे, हमारी सरकार किस प्रकार से निवेशकर्ताओं को फेसिलिटेट करना चाहती है, उसके बारे में उनको बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह ही, 24-25 जुलाई को दिल्ली में सी.आई.ए. के सहयोग से 'इन्वेस्ट नोर्थ', उसका आयोजन हुआ। वहां 25 कम्पनियों ने राजस्थान में निवेश करने के लिए रुचि दिखाई है। मित्सुबिशी, जी.ई.एस., साइमंड ग्रुप है, फोर्टिस है, मारुति है, गोदरेज है, इन कम्पनियों के सी.ई.ओज. ने राजस्थान सरकार से यह कहा है कि वे चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर, बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर, वे निवेश करें।

अध्यक्ष महोदय, यहां एकल खिड़की योजना पर बड़ी चर्चा हुई, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की। मुझे वह समय याद आता है, जब राजस्थान में दिसम्बर, 2010 में तत्कालीन सरकार ने एकल खिड़की योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। मुझे कहते हुए अफसोस है, मुझे जिस प्रकार की जानकारी मिली, 56 लाख रुपये इस बात के खर्च कर डाले कि एकल खिड़की योजना चालू कर रहे हैं, इसका विज्ञापन देना है। सरकार की रुचि कैसी है। दिसम्बर, 2010 में इन्होंने योजना स्वीकृत की और उसके नियम बनाये इन्होंने 13 महीने बाद, जनवरी, 2012 के अन्दर। नियम भी क्या बनाये, एकल खिड़की हवामहल की खिड़की बन गया, 86 परिपत्र रख दिये उसमें, ये भरने पड़ेंगे आपको। उसके साथ-साथ 11 विभागों को जोड़ दिया। वह खिड़की ढूंढता निवेशकर्ता राजस्थान से निराश होकर भागने लगा।

हमारी सरकार ने तय किया है कि हम एकल खिड़की योजना में पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे और इसमें निश्चित समयावधि तय करेंगे। निवेशकर्ता आएगा, एकल खिड़की के माध्यम से आवेदन पत्र देगा। राजस्थान की सरकार उस आवेदन पत्र के आधार पर सारी कार्यवाही करेगी। इसको वास्तव में एकल खिड़की बनाकर रहेंगे।

इसमें शक नहीं कि जब वस्त्र उद्योग की चर्चा होती है तो आप तो खुद उसी जिले से आते हैं, विश्व के मानचित्र में राजस्थान का नाम है। मैं पिछले वर्ष के टर्न-ओवर की बात करूं, 35 हजार करोड़ का टर्न-ओवर रहा है। इस उद्योग के साथ तीन लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भीलवाड़ा, अध्यक्ष महोदय, जिसमें आप जैसे विद्वान अध्यक्ष महोदय भी उसी जिले से आते हैं, हमें गर्व है, उसमें सम्पूर्ण देश के 50 फीसदी से अधिक पी.वी. शूटिंग का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, ये वस्त्र निर्माण और प्रोसेसिंग रैडीमेड गारमेंट, आदि के निर्माण में हब के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है, राजस्थान की सरकार का। इसका कारण भी है। आज देश के अन्दर कपास हो, नरमा हो, वस्त्र निर्माण के काम में आने वाला रा-मैटेरियल हो, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा यहां होता है। इसलिए सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग श्रृंखला में, जिसमें जिनिंग स्पिनिंग है, वीविंग होजरी, इनको थ्रस्ट सेक्टर के रूप में विकसित करने की राजस्थान सरकार की योजना है।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीया सदस्यों ने और विशेष तौर से भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने पिछली सरकार द्वारा टैक्सटाइल सेक्टर में दिये हुए एक कस्टमाइज्ड पैकेज की बात कही थी। कस्टमाइज्ड पैकेज की घोषणा कर देना, अव्यावहारिक तौर पर कर देना, उसका निर्णय कुछ नहीं निकलता। पिछली सरकार ने की। प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन औद्योगिक संघ देते रहे, परन्तु तत्कालीन सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि उस कस्टमाइज्ड पैकेज के आधार पर एक भी वस्त्र उद्योग राजस्थान में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, घोषणा भी समयबद्ध की है, क्योंकि हमारी मुख्य मंत्रीजी जो कहती हैं वह करती हैं; उन्होंने कहा, एक माह में टैक्सटाइल सेक्टर में आकर्षक पैकेज घोषित किया जाएगा। अब होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, पहले कोई भी उद्यमी अपनी यूनिट के साथ एक यूनिट और लगा लेता था, तो उसको पुरानी यूनिट का हिस्सा मान लेते थे। अब राज्य सरकार ने फैसला किया है, मैं उसकी घोषणा भी कर रहा हूं, अब हमारी नई नीति के अनुसार अगर एक ही प्रेमिसेज में नई इकाई वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित लगती है तो उसको एक्सपेंशन, एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा। उसको अलग प्रेमिसेज के रूप में निवेश की एक अलग इकाई माना जाएगी। इसके लिए वे सारी सुविधाएं, वह सारा पैकेज, वे सारी चीजें उसको दी जाएंगी जो नई इकाई के रूप में दी जाती थीं।

यहां भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने धागा, जो वस्त्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्माण में काम में आता है, और अन्य कच्चे माल पर वैट की बात कही। यह सही है, अध्यक्ष महोदय, पहले फाइबर बनता है, फिर यार्न बनता है और फिर कपड़ा बनता है। पहले वैट में जो रि-एम्बर्समेंट था, वह 60 प्रतिशत यार्न पर तो रि-एम्बर्समेंट देय था, परन्तु फाइबर पर नहीं था। आज मैं घोषणा करता हूं कि फाइबर और यार्न, दोनों के अन्दर 60 प्रतिशत वैट का रि-एम्बर्समेंट सरकार देगी।

इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण हेतु जीरो डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, उसमें भी सरकार आवश्यक सब्सिडी देगी।

हमारा लक्ष्य है, छोटा-मोटा लक्ष्य नहीं है, पांच वर्ष में इस क्षेत्र में एक हजार करोड़ का निवेश हो और एक लाख लोग रोजगार के क्षेत्र से जुड़ें। यह हमारा लक्ष्य है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वस्त्र उद्योग, और हमारी इस पूरी बात को दुनिया में प्रचारित करने के लिए, रीको के माध्यम से हम 29 से 31 अक्टूबर तक वस्त्र परिधान क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। इस काम को भी हम हाथ में लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर पश्चिम और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने सिरेमिक्स और ग्लास, इन दोनों उद्योगों पर, इन उद्योगों पर चर्चा करते हुए कहा था कि वाल क्ले और चाइना क्ले, ये रा-मैटीरियल हैं, इस उद्योग के, ये राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं। कच्चा माल हमारा है और वह कच्चा माल पड़ोसी राज्यों में चला जाता है। कच्चे माल पर वेल्यू-एडिशन नहीं होने के कारण जो हमें टैक्स मिलना चाहिए, वह टैक्स नहीं मिलता। इस मूल्य संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि नई सिरेमिक्स प्रमोशन पालिसी लेकर आयेंगे और इसी पालिसी के अन्तर्गत बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा, इनको सिरेमिक्स हब के रूप में विकसित करने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने गिलोट में सिरेमिक्स ग्लास जोन घोषित करने की बात की थी, परन्तु किया कुछ नहीं। हम इस काम को भी पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार सृजन तथा श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिरेमिक्स एवं ग्लास क्षेत्र में सी.एस.आई.आर, सी.जी.सी.आर.आई., खुर्जा के सहयोग से एक हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देने का काम भी राजस्थान की सरकार करेगी। इस प्रकार का फैसला भी सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर निर्यात की बात हुई। एक समय था कि राजस्थान में गारमेंट एक्सपोर्ट के नाम पर सर्वाधिक निर्यात होता था, इंसेंटिव भी उस पर मिलते थे, विदेशी पूंजी भी आती थी, चालीस हजार करोड़ रुपए के लगभग हमारा निर्यात है परन्तु अब राजस्थान की सरकार ने कुछ नये थ्रस्ट सेक्टर इसमें घोषित किये हैं। हैंडिकाफ्ट है, जैम्स एण्ड ज्वेलरी है, फूड प्रोसेसिंग है, टैक्सटाइल है, सिरेमिक्स है, इलेक्ट्रोनिक्स है, इन सबके लिए विशेष नीति हम बनाएंगे और इसके लिए स्ट्रेंथनिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द एक्सपोर्ट आफ राजस्थान, एक नई नीति बनाकर हमारा लक्ष्य है कि पांच वर्ष में हम राजस्थान में एक्सपोर्ट को दुगना करें। अभी जो ई.पी.पी., निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये जोधपुर और जयपुर में हैं। यह ई.पी.पी. पार्क और बनें, यह भी सरकार ने तय किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसिको का यह जो एयर-कार्गो है, इसका आधुनिकीकरण का काम भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने फूड प्रोसेसिंग की बात कही और इसके कारण भी हैं। आज पूरे देश के अन्दर हम सरसों की पैदावार में, ग्वार, मोठ की पैदावार में, बाजरा, धनिया, जीरा, मेथी की पैदावार में, रेपसीड की पैदावार में पहले स्थान पर हैं, हमसे ज्यादा कोई पैदा नहीं करता है और जौ, सीसेम और सोयाबीन के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं पूरे देश में और दूध उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई स्थापित होने वाली इकाई, विस्तार व आधुनिकीकरण योजना के तहत पूंजी विनियोजन पर 25 परसेंट की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा;
2. इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन योजना- नान-हार्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्थापित करने पर पूंजी विनियोजन का 35 प्रतिशत तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

3. ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना पर पूंजी विनियोजन का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम ढाई करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा; व

4. रेफ्रिजरेटर वाहन क्रय करने पर पूंजी विनियोजन का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो, तब तक इस फूड प्रोसेसिंग में राजस्थान में एक हजार करोड़ की पूंजी का निवेश हो, इस प्रकार का हमारा लक्ष्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्न्ता है कि हाल ही में भारत सरकार से अजमेर जिले में मेगा फूड पार्क योजना के तहत हमें निजी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। इस फूड पार्क में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत ढांचा, कामन-फैसिलिटीज डवलप करेंगे तथा आधारभूत संरचनाओं के लिए 150 करोड़ का निवेश इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। इसके अलावा, जो इकाइयां इसमें स्थापित होंगी, वे 300 करोड़ के लगभग इसमें निवेश करेंगी और इसमें डाइरेक्ट, इनडाइरेक्ट पांच हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, इस प्रकार से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि राजस्थान की जहां पर कुछ खूबियां हैं, वहां प्रकृति ने कई जगह पर राजस्थान के साथ न्याय भी नहीं किया। हमारा प्रदेश, देश का 10.5 प्रतिशत क्षेत्रफल हमारे प्रदेश में है, हमारे प्रदेश में देश की 5.6 प्रतिशत जनसंख्या है पर हमारे पास जल सिर्फ 1.16 परसेंट ही है। हमारे भू-गर्भ का जल अति-दोहन के कारण से लगातार डार्क-जोन बढ़ते जा रहे हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए, सिर्फ 37 जोन हमारे जल के सुरक्षित रहे हैं, भू-गर्भ में।

इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे उद्योग राजस्थान में स्थापित हों, जिन उद्योगों में जल का उपयोग कम से कम हो। इसी कारण से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इलेक्ट्रोनिक उत्पाद, जिसमें सैन्य उपकरण, हवाई जहाज, जहाज परिवहन, रेलवे, कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रोनिक्स, रेडियो कैमरा, आटोमेटिव सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, टीवी, मोबाइल, सोलर एनर्जी, इनके लिए विशेष इंसेंटिव के पैकेज की घोषणा आज हो रही है, जो विशेष इंसेंटिव का पैकेज शीघ्र जारी होगा, ताकि देश-विदेश के लोग राजस्थान में आकर अपना निवेश कर सकें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर औद्योगिक निवेश बन रहा है या नहीं बन रहा है, यह कहने से नहीं चलेगा। निवेशकर्ता हरेक चीज को सोच-समझ कर निवेश करना चाहता है। उसकी पूंजी है, वह कुछ कमाना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बड़े उद्योग स्थापित होते हैं तो उन्हें भारत सरकार के समक्ष इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना पड़ता है। भारत सरकार के सम्मुख वे प्रस्तुत करते हैं तो वह भारत सरकार से राजस्थान सरकार में आते हैं। मैं अगर दिसम्बर, 2013 से जून, 2014 के बीच की बात करूं तो 31 बड़े उद्योग स्थापित करने की मंशा बड़े उद्यमियों ने इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेण्डम के माध्यम से भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की। उसके अन्दर 3,119 करोड़ का निवेश है। ये उद्योग हैं- इमरजिंग ग्लास, ओसवाल वूल्स, हैवल्स इंडिया, सर्वोत्तम फ्रेश, पलटो इंडिया, टी टी के हैल्थ केयर, एम.टी.के. इंडिया, एलकान पेरेंटल। ये बड़े उद्योग हैं जिन्होंने अब राजस्थान के अन्दर उद्योग स्थापित करने के लिए भारत सरकार के सामने अपना मेमोरेण्डम रखा है। मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं, जब गर्व से हम कह सकेंगे कि उद्योग की दृष्टि से अब राजस्थान रुग्ण नहीं रहा, अब राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने महेन्द्रा सेज की बात की थी। महेन्द्रा सेज की स्थापना के साथ कई तरह की बातें चलीं। पर आज यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह जो एस.ई.जेड. था, महेन्द्रा सेज, यह धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता अब हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी पहचान बनाने लगा है और आगामी पांच वर्षों में, जिस प्रकार से यह बढ़ रहा है, दस हजार करोड़ का निवेश और एक लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिले, इस तरह की बात हो जाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में जे.सी.बी. इंडिया लिमिटेड, जो अर्थ-मूविंग मैटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की एक बहुत बड़ी इकाई है, इसने पांच सौ करोड़ का निवेश और एक हजार व्यक्तियों को जिससे रोजगार उपलब्ध होगा, इसके लिए महेन्द्रा सेज में 114 एकड़ भूमि ली है। अगर इसी तेजी से इस तरह के उद्योग आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा।

अलवर से, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य भिवाड़ी की चर्चा कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे थे, निश्चित तौर पर भिवाड़ी आटो सेंटर हब के रूप में विकसित हुआ है। होंडा कार 2 हजार करोड़ का निवेश कर रही है और इस वर्ष उन्होंने दो-पहिया वाहन की इकाई भी स्थापित की है। 60 एकड़ में जमीन मिल गयी है और इसमें भी निवेश हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने, नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के अन्दर भूखण्ड आबंटित हों; नये उद्योग, नये रीको क्षेत्र स्थापित हों, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणा करना चाहूंगा-
1. इसी वित्तीय वर्ष में श्रीनगर, जिला अजमेर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा, 81 एकड़ की जमीन में;

2. कालड़वास विस्तार योजना, उदयपुर में 617 एकड की जमीन में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे;

3. कारौली, जिला-अलवर में 917 एकड़;

4. गिलोठ में 1,846 एकड; और

13 एल एन पी हनुमानगढ़ रोड, जिला श्रीगंगानगर में 82 एकड़।

-यानी 3,597 एकड़ से हम नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की चर्चा भी हुई। इन उद्योगों के माध्यम से, निश्चित तौर पर हम अगर किसी आर्थिक उत्थान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, रोजगारपरक कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी जरूरी है कि इन छोटे उद्योगों में इनकी तकनीकी में विकास कैसे हो, इस पर हम विचार करें; इनको मार्केट कैसे उपलब्ध हो, इस पर हम विचार करें; इनकी वित्तीय सहायता कैसे करें हम।

अध्यक्ष महोदय, यहां हस्तशिल्प वस्त्र, आज कोटा डोरिया पूरे देश में विख्यात है। मिट्टी के बर्तन की बात माननीय सदस्यों ने की, यहां चमड़े की वस्तु की बात नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने की। ग्रामीण दस्तकार, इन ग्रामीण दस्तकारों को जहां एक ओर सरकार वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करेगी, वहीं इनका मार्केट लिंकेज भी करेगी।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2013 से जून, 2014 तक की जब मैं बात करूं, इसी बीच में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, यह इस बात को बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य, जो 15 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, वह किस तरह पूरा हो रहा है। दिसम्बर, 2013

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से जून, 2014, 12,544 इकाइयां स्थापित हुई, अध्यक्ष महोदय, इनमें 1,778 करोड़ का निवेश है और रोजगार इसमें सृजित हो रहा है 67,239 का।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा, मैं अब खनन पर कुछ बात कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, पर इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, श्रम कानून के अन्दर सरकार संशोधन लेकर आ रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट में संशोधन लेकर आ रही है; अध्यक्ष महोदय, ये सारे कानून और सारे जो संशोधन लेकर आये हैं, यहां नियोजक और श्रमिक, दोनों का ध्यान रखा गया है। इनको माडल के रूप में पूरे देश के दूसरे राज्य स्टडी कर रहे हैं। ये बड़े प्रोग्रेसिव संशोधन राज्य सरकार लेकर आई है।

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट के पैरा 92 में रक्षा के क्षेत्र में एफ डी आई की बात की थी। आज, अध्यक्ष महोदय, अगर देश के पैमाने पर भी हम बात करें, रक्षा के क्षेत्र में हम कोई वैपन नहीं बना रहे। हमारे पास कोई तकनीक नहीं, हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है। मैं समझता हूं, राजस्थान में जिस प्रकार का निवेश का वातावरण बना है, अगर रक्षा के क्षेत्र में, अभी भारत सरकार ने 49 प्रतिशत एफ डी आई की अनुमति दी है, तो निश्चित तौर पर मुख्य मंत्रीजी की जो अवधारणा है, उसके अनुसार रक्षा क्षेत्र में भी राजस्थान पीछे नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, स्किल डवलपमेंट की तो मैं क्या करूं, हस्तकला राजस्थान की प्रसिद्ध है। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्या चूड़ी बनाने की बात कर रही थीं, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात माइन्स की तरफ ले जाऊंगा, अभी रेमण्ड्स का नाम आपने सुना होगा, वस्त्र उद्योग के अन्दर बहुत बड़ा नाम है। रेमण्ड्स उद्योग विभाग और हमारा आर एस एल डी सी, इन तीनों ने मिलकर अभी जयपुर और जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर टेलरिंग सेंटर स्थापित हो, इसकी एक कार्यशाला की थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इन तीनों ने मिलकर तय किया है कि हम प्रति वर्ष पांच हजार प्रशिक्षित टेलर तैयार करेंगे और मैं समझता हूं, रोजगार से जोड़ने की बात भी इसके साथ हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने छोटी-मोटी बातें कहीं, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन करना चाहता हूं, विशेष तौर पर राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने कोरपोरेट सामाजिक दायित्व की बात की, सी.एस.आर. की। कम्पनी एक्ट में, अध्यक्ष महोदय, 2013 में एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन के अनुसार 5 करोड़ से ज्यादा जिन भी कम्पनियों का प्रोफिट होगा तो 3 वर्ष के उनके शुद्ध लाभ के अनुसार, दो प्रतिशत उनको सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कामों में खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए मेकेनिज्म हम पूरा करेंगे और इसमें किसी तरह की कमी नहीं रहे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी अलवर में सी.ई.टी.पी. लगाने की बात बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। इसके लिये ट्रस्ट को जमीन आबंटित की जा चुकी है। अब सी.ई.टी.पी को स्थापित करने का काम ट्रस्ट करेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब जितनी भी भूमि अधिग्रहीत की जाएगी, किसी भी उद्योग के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नये भू-अधिनियम के अनुसार की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों में से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि रीको क्षेत्र में अगर कोई सिक यूनिट हो जाए और वह अपनी भूमि को अन्य समान उद्योग के लिए भू परिवर्तन कराना चाहे, तो अध्यक्ष महोदय, इस काम में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, पर इसको दुबारा दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर मैंने उद्योग से सम्बन्धित कोशिश की कि मैं उन सारी शंकाओं का निवारण कर दूं, जो माननीय सदस्यों ने कहीं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम खनिज की बात करते हैं, राजस्थान वह राज्य है जिसके कण-कण में त्याग, तपस्या और मान-मर्यादा की कहानी छुपी है। यही वह राजस्थान है जिसको लोग रत्न-गर्भा धरती कहते हैं। हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, शायद दूसरे किसी राज्य को नहीं दिया होगा। हमारे राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, 79 माइनर मिनरल्स हैं, जो राजस्थान में पाये जाते हैं और इतना लम्बा अन्तराल गुजर जाने के बाद भी, 65 साल की आजादी गुजर गई, इसमें सिर्फ 58 का दोहन हम कर पाये हैं। आज तक सिर्फ 58 का दोहन हम कर रहे हैं। इनमें से बहुत-से ऐसे खनिज हैं, अध्यक्ष महोदय, जो सिर्फ राजस्थान की मोनोपोली है, जो शत-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिशत हमारे यहां ही मिलते हैं। जिस तरह लेटजिंक की बात करूं, वोलेस्टोनाइट की बात करूं, केलसाइट की बात करूं, शत-प्रतिशत राजस्थान में होते हैं। चांदी-जिप्सम, राक फास्फेट, 90 प्रतिशत से अधिक राजस्थान में, अकेले में, देश में। मार्बल, ग्रेनाइट, सजावटी इमारती पत्थर की बात करूं, 90 प्रतिशत से अधिक राजस्थान में। वाल क्ले, सोप-स्टोन की बात करूं, 60 प्रतिशत से अधिक राजस्थान में।

अध्यक्ष महोदय, आप दिल्ली भी विराजे हैं। दिल्ली में आप किसी भवन पर, जो अपनी वास्तुकला के लिए लोगों की निगाह अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस पर आपकी निगाह रहे, तो उसमें राजस्थान का पत्थर लगा है। हमारा संसद भवन हो, चाहे हमारा राष्ट्रपति भवन हो और चाहे हमारा नोर्थ जोन हो, साउथ जोन हो, प्रधान मंत्री कार्यालय हो।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज की दृष्टि से जहां समृद्ध है, वहां राजस्थान के अन्दर, राजस्थान का सैण्ड स्टोन आज विश्व के मानचित्र पर है और सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भी आज राजस्थान प्रथम पायदान पर खड़ा है। वर्तमान में राजस्थान में 23 सीमेंट प्लांट चल रहे हैं, 55 मिलियन टन प्रति वर्ष का हम उत्पादन करते हैं और राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 20 प्रतिशत उत्पादन हम इसी वित्तीय वर्ष में बढ़ाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, खनिज उत्पादन के साथ और इस व्यवसाय के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुडे हैं और यह हमारे विकास का मेरुदण्ड भी है, यह धुरी भी है। हमारे जी.एस.डी.पी. में भी इसका जो योगदान है, वह 6.44 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि खनिज दोहन, उत्पादन हमारे विकास के अन्दर एक प्रमुख भूमिका रखता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी यहां खनिज नीति की चर्चा चल रही थी और खनिज नीति में हमारी जो खनिज नीति, जो वेबसाइट पर अब प्रारूप के रूप में विभाग ने डाली है, जो अभी अन्तिम नहीं हुई, हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, यहां उसकी चर्चा हुई। वहीं 2011 की खनिज नीति, जो तत्कालीन सरकार ने चलाई, उसकी भी चर्चा हुई। मैं उस पर चर्चा करूं, उससे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण के पैरा 99 में कहा, उसको एक मिनट मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ''राज्य में अनेक खनिजों के विशाल भण्डार रिजर्व हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनका दोहन कर हमें राज्य के विकास तथा रोजगार सृजन करना चाहिये। हम माइनिंग क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने के लिए जीरो वेस्ट खनन को बढ़ावा देंगे। राज्य की खनिज सम्पदा के पर्याप्त दोहन हेतु, खनन उत्पादकता में वृद्धि के लिए हम नई खनन नीति शीघ्र ही घोषित करेंगे और राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स को भी संशोधित किया जायेगा।''

अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे कारण भी हैं। 2011 में जो खनिज नीति बनी, उससे पहले, अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् तो इस विभाग में रह चुके हैं और आप जैसी पैनी दृष्टि वाला व्यक्ति अगर एक दिन भी किसी विभाग को देख ले तो उस विभाग की जन्म-पत्री बच ही नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि 2011 से पहले जो खनन नीति थी, उसमें 'पहले आओ, पहले पाओ' की बात थी। अब पिछली सरकार ने बड़े जोर-शोर से कहा कि हम तो पारदर्शी, जवाबदेही सरकार हैं, हम हमारी नई नीति बनाएंगे; इन्होंने कहा कि हम 50 प्रतिशत खानें हैं, उनको नीलाम करेंगे और 50 परसेंट अलग-अलग वर्क के लिए लाटरी डालेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब नीति अनीति बन जाए, जब सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, आज इस नीति के कारण, 2011 की नीति थी, कितना दोहन हो रहा है?

यहां कई माननीय सदस्यों ने अवैध खनन की बात उठायी। अध्यक्ष महोदय, आंकड़े यह बताते हैं कि पिछले वर्षों में इस खनिज नीति के आने के बाद में जो लक्ष्य निर्धारित किया था राजस्व का, उस लक्ष्य को यह विभाग एक बार भी प्राप्त नहीं कर सका। 2012-13 में लक्ष्य निर्धारित किया था 2,910 करोड़ का, इन्होंने प्राप्त किया लक्ष्य 2,738 करोड़; 2013-14 के अन्दर लक्ष्य निर्धारित किया था 3,360 करोड़ का, प्राप्त हुआ 3,079 करोड़ और अब जो हमारा लक्ष्य हैं, वह है 3,860 करोड़ और हम इसको 4,000 से ज्यादा करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो खनन नीति बनायी, उस खनन नीति में कई खनन पर मोनोपोली दे दी राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को, या तो यह करे या जोइंट, इसके साथ कोई जोइंट वेंचर में आये। मुझे कहते हुए अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, चार साल से जिस-जिस क्षेत्र में आर एस एम एम एल को इन्होंने मोनोपोली दी, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को, एक भी नई खान को ना तो खुद प्रारम्भ कर सके, ना ही जोइंट वेंचर के अन्दर किसी को लाकर एक भी जगह पर खनन के काम को गति दे सके।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब पिछली, उस सरकार में, अध्यक्ष महोदय, यह खान विभाग बड़ी चर्चाओं में रहा। कई-कई लोगों को खुश करने के लिए राजस्थानी खनिज सम्पदा को लुटाते चले गये। कुर्सी के पाये जब भी हिले, हमारे तत्कालीन गांधीवादी नेता दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में किसी बड़े घराने के राजकुमार ने धीरे से कहा ...

श्री रमेश (सपोटरा): आप क्या करोगे? आप बताओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बता रहा हूं। बता रहा हूं। (व्यवधान)

अमुक हमारे सखा हैं, हमारी कुर्सी के पाये हिलें नहीं, इसलिए इसको खुश कर दो। राजस्थान लुटता गया। राजस्थानी खनिज सम्पदा को लुटाने के लिए, इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा, अगर सबसे ज्यादा दोष किसी ने किया है तो वह पूर्ववर्ती सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर हम सामने बैठे थे, मेरे पड़ोस में बैठे माननीय गुलाबजी हमारी अगुवाई कर रहे थे, यहां सवाल खड़ा हुआ था जोधपुर जिले के अन्दर ओसियां तहसील के कोटेचाका। हमने सवाल खड़ा किया था कि आपने 2009-10 के जो आवेदनकर्ता थे, उसमें 87 आवेदनकर्ता थे, अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने एक-एक हैक्टेयर खान के लिए, एक-एक हेक्टेयर सोफ्ट स्टोन की खान के लिए अप्लाई कर रखा था। पारदर्शी सरकार है, हमने खनन नीति बदल दी, और इसी खनन नीति के अन्दर एक नियम 65 है, डिस्क्रीशन का अधिकार था, उस नियम 65 का, आर एम एम सी आर 1986 के नियम 65, उसमें प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए माननीय नेताजी ने, और कोई नहीं, अब तो अपने ही परिवार के लोग ठीक हैं, 37 उन लोगों को खानें दे दीं, अध्यक्ष महोदय, जो नियमानुसार खान लेने के लिए पात्र नहीं थे। यह मामला सदन में उठा, माननीय गुलाबजी कटारिया ने और हमने उठाया। उस समय एक हाई कोर्ट में रिट हुई। सारी बात, पोल खुले, उससे पहले कहा, हम इन खानों को रद्द् करते हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, आज भी एक यक्ष प्रश्न है, आज भी नाम बार-बार वातावरण में गूंजते हैं, चाहे वह शालिनी गहलोत का नाम हो, चाहे वीणा कच्छावाह का नाम हो, चाहे यह जे.एम. सैण्ड स्टोन के पर्दे के पीछे की बात हो, चाहे किरण टांक का नाम हो, मैं नहीं ले रहा पर आज ये नाम गूंज रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसकी आड़ के अन्दर, अभी कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, ये सही कह रहे थे, 54 हजार ऐसे आवेदन-कर्ता थे जो वर्षो से इस बात के लिए इन्तजार में थे कि हमें खनन का पट्टा मिलेगा, वर्षों से उन्होंने खनन के लिए अप्लाई कर रखा था, परन्तु उनकी सारी खानों को भी एक आर्डर में सब को रद्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में एक बात कही थी कि हम जीरो वेस्ट बेस्ड खनन को बढ़ावा देंगे और हाल ही में ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब पूरा होने और मुखबंद द्वारा मांगें स्वीकार होने तक बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं दस मिनट में पूरा कर दूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): विनियोग विधेयक, कार्यसूची पूरी समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: यह भी। हां, ठीक है।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जीरो वेस्ट बेस्ड खनन की बात कही, अपने बजट में कही। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में ए.जी. ने एक पैरा बनाया, ए.जी. नै पैरा यह बनाया कि जो हमारे मैजर मिनरल्स हैं...

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो मैजर मिनरल्स, इनकी खानों में लाखों रुपये का, करोड़ों रुपये का ओवरबर्डन निकलता है, यह जो करोड़ों रुपये का ओवरबर्डन है, इससे राजस्व हानि होती है। यह पैरा, अध्यक्ष महोदय, ए.जी. ने बनाया। यह बात भी सही है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खननकर्ता धरती के गर्भ से मेजर मिलरल निकाल लेगा, ओवरबर्डन को वहीं डाल देगा, या ओवरबर्डन को सड़क के किनारे डाल देगा, अध्यक्ष महोदय, आप सफर करते हैं जयपुर से किशनगढ़ के बीच में, ओवरबर्डन के पहाड़ खड़े हैं। उसका एक कारण भी था कि पिछले समय में ओवरबर्डन को अगर कोई हटाना चाहे तो उसको राज्य प्रदूषण बोर्ड से शार्ट टर्म परमिट, एस.टी.पी. लेने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब एस.टी.पी. लेने की आज से कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यह मैं घोषणा कर रहा हूं और एक ओर ओवरबर्डन जो सड़कों के किनारे पड़ा है, उसका उपयोग प्रारम्भ हो जायेगा; वहीं सड़कों के अन्दर इसको ब्लाश के रूप में पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मार्बल और ग्रेनाइट, ये 90 प्रतिशत राजस्थान में होते हैं। जब ताजमहल की बात चलती है तो राजस्थान की बात अपने आप ही चल निकलती है। उस सातवें अजूबे के साथ भी राजस्थान जुड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इस मार्बल और ग्रेनाइट में बड़े ब्लाक के साथ-साथ कुछ छोटे टुकड़े भी निकलते हैं। उनका ज्यादातर उपयोग या तो हमारा छोटा कारीगर छोटे-मोटे खिलौने बनाने में लेता है, या चिनाई में काम आता है। अब तक इस पर रायल्टी की दर 65 रुपये पर-टन के अनुसार थी। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि राजस्थान माइनर मिनरल्स कन्सेशन रूल्स, 1986 की शिड्यूल एक में, रायल्टी के शिड्यूल में संशोधन करके 65 रुपये की जगह पर 23 रुपये प्रति टन से इन खण्डों पर रायल्टी वसूल की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है, जहां एक ओर खानों के आबंटन के नियमों का हम सरलीकरण कर रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के लिए जो आरक्षित खनिज थे, उन नीतियों की समीक्षा पूरी कर रहे हैं और समीक्षा पूरी कर के आम जन के लिए इसको खोलेंगे। इसके खोलने से 200 नई खानें आबंटित होंगी, 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा और दस हजार के लगभग लोगों को रोजगार मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्य छोटे क्वारी लाइसेंस की बात कर रहे थे। आज भी राजस्थान में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे क्वारी लाइसेंस हैं। कई जगह पर तो ये 60x30 मीटर के रूप में, कहीं 10x10 मीटर के में। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान ने तरक्की की है, खनन के अन्दर हम आधुनिक तकनीक, आधुनिक मशीन का उपयोग करें, पर इनकी साइज ही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छोटी है, यह जायेगा कैसे? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने निर्णय लिया है कि यह जो छोटी-छोटी क्वारीज लाइसेंस हैं, ये लाइसेंसकर्ता अगर आपस में सहमति कर लें, या एक ही व्यक्ति के पास एक साथ जुडे हुए क्वारीज लाइसेंस हैं, इनको सब को अमालगमेट कर के इनको बड़े रूप में करवाना चाहे, तो उसकी स्वीकृति राज्य सरकार देगी, ताकि वे मशीन का उपयोग कर लें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, यह गैप एरिया, दो खानों के बीच का गैप एरिया, आपसे छिपा हुआ नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह गैप एरिया भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बनता था। क्योंकि इस गैप एरिये के आबंटन में एक शर्त लगा दी थी, गैप एरिये का आबंटन तभी होगा जब लोकल बाडीज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एन.ओ.सी. देंगी। यह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से एन.ओ.सी. मिलती नहीं थी, गैप एरिये का आबंटन होता नहीं था। इसलिए नीतिगत निर्णय लिया है, अब गैप एरिये के आबंटन के अन्दर स्थानीय निकायों से एन.ओ.सी. लेने की बाध्यता हम समाप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वर्तमान नियम बने हैं, मिनरल माइन्स के अन्दर बड़ी संख्या के अन्दर खान पर मजदूर काम करते हैं।

(19.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मुखबंद का समय मंत्री महोदय के भाषण के बाद तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

मुखबंद का समय मंत्री महोदय के भाषण के बाद तक बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। कुछ आवाजें भी आ गयीं बंद करने की, मैं बंद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात को उठाया था कि खनन क्षेत्र के अन्दर जो हमारे मजदूर लगे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उनको मुआवजा मिले। मुआवजा कैसे मिले? कोई ऐसा मेकेनिजम ही नहीं कि किस खान पर कौन मजदूर काम कर रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कोई इस तरह की सूचना नहीं। सेफ वर्किंग कंडिशन के लिए अब सरकार ने यह निश्चित किया है, वर्तमान नियमों में तो कोई नियम नहीं है, लेकिन उस मजदूर का नाम इंद्राज हो ताकि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दुर्घटना होने पर, या कोई बात होने पर उसको मुआवजा मिल जाये। इस तरह का प्रबंध भी सरकार करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन का काम तकनीकी काम है लेकिन इसके लिए दक्ष लोग नहीं मिलते। मुख्य मंत्रीजी ने 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की बात भी कही है। मैं घोषणा करता हूं कि इसी वर्ष में चित्तौड़गढ़ में डिप्लोमा-इन-माइनिंग 3 वर्ष का वह प्रारम्भ करेंगे। इसके अलावा, आई टी आई के अन्दर हम सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करेंगे, 6 महीने का, डम्पर आपरेटर का, डोजर आपरेटर का, प्रोक्लेन आपरेटर का ताकि लोग रोजगार से भी जुड़ें और दक्ष लोगों को हक भी मिल जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंड स्टोन की 18 हजार खानें राजस्थान में हैं। वर्तमान खनन नीति के अनुसार इनका मिनिमम साइज 4 हेक्टेयर होना चाहिए। अब इस मिनिमम साइज को, लोगों को अधिक रोजगार मिले, इसको कम करके 1 हेक्टेयर करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे सैंड स्टोन के 500 नये पट्टे मिलेंगे और 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे 25 करोड़ की अतिरिक्त आय राज्य सरकार को होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गड़बड़ करने के लिए ही ईमानदार खनिज मंत्री को हटाया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी चीजों में पारदर्शिता रहे, इसके लिए खनन पट्टों के आवेदन से लेकर उनकी स्वीकृति के लिए, उनकी स्क्रूटिनी के लिए, उनके दस्तावेजों की जांच के लिए, दस्तावेज देने के लिए, सारी चीजों को हम आन-लाइन करने की घोषणा करते हैं, ताकि उसको बार-बार जाना ही नहीं पड़े और सारी सूचनाएं भी उसको प्राप्त हो जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस इलाके से आते हैं जो उदयपुर का है, आप से छुपा हुआ नहीं है कि आर्टिकल 244 के तहत जनजाति उपयोजना क्षेत्र की घोषणा भारत सरकार ने की थी। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा पूरा है और उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों की कुछ तहसीलें हैं। एक फैसला हुआ था, जिसकी विवेचना आपके द्वारा भी एक समय में हुई थी, मुझे ध्यान है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समता बनाम आंध्र प्रदेश। सन् 2000 में इस फैसले की आड़ में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि वहां तत्कालीन सरकार ने मेजर और माइनर माइन्स के पट्टों के आबंटन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। लाखों आदिवासी इन खानों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते थे, वे वंचित रह गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भाजपा सरकार आयी, 2008 के अन्दर, 5 फरवरी, 2008 को विधिवेत्ताओं की हमने राय ली और हमने कहा कि जो पूर्व में समीक्षा की गई थी इस समता बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की, यह गलत थी; उप-योजना क्षेत्र में खानें आबंटन हो सकती हैं। इसका मार्ग हमने प्रशस्त किया। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया। हमने चूंकि यह फैसला कर लिया था, वह फैसला चाहे आदिवासियों के हक में किया, उसकी आजीविका को उसके साथ जोड़कर किया, परन्तु नई सरकार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर 3 जुलाई, 2009 को इन पट्टों पर रोक लगा दी। उसके साथ ही 13 मार्च, 2010 को इन्होंने कह दिया कि शिड्यूल एरिया के अन्दर मैजर मिनरल खानों का आबंटन अब आर एस एम एम लिमिटेड या उसके साथ जोइंट वेंचर करने के लिए होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अब जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों की प्राथमिकता रखते हुए, जनजाति क्षेत्र में खनन पट्टे दिये जाने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसमें 100 करोड़ की आय होगी और लगभग 15 हजार लोगों का अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा।

अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिप्सम की बात कही। इसमें कोई शक नहीं कि 90 फीसदी जिप्सम राजस्थान में होता है। हनुमानगढ़, बीकानेर में अकूत भण्डार हैं। इस जिप्सम के खनन पर भी आर एस एमएम लिमिटेड का अधिकार था। बाद में सरकार ने कहा कि जो पी ओ पी इकाई लगाये, फैक्टरी लगाये, वह कैप्टिव यूज के लिए कर सकता है। इसका नतीजा यह निकला कि उधर माफिया पनप गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब सरकार बीकानेर गयी, मुख्य मंत्रीजी को जब यह मालूम पड़ा तो उसका अभियान भी चला। अभियान चलाया तो 3 महीने में 540 प्रकरण पकड़े गये, 48 हजार टन जिप्सम जब्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुई, 409 एफ आई आर दर्ज हुईं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए मांग और आपूर्ति का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। इसमें आम जनता के लिए खनन के पट्टे, किसान के लिए, सबके लिए खोले हैं। सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया कि इस जिप्सम में खनन पट्टों पर पहले जिनकी मोनोपोली थी, आर एस एम एम की थी, उसको आम आदमी के लिए खोलने का काम सरकार ने किया है। इसी वित्तीय वर्ष में 200 नवीन खनन पट्टे जारी करेंगे। उसमें 20 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को मिलेगा और 10 हजार के लगभग लोगों को रोजगार मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बजरी के बारे में भी कई बात हुईं। कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा। यह सही भी है कि यहां बजरी की मांग और आपूर्ति के अन्दर थोड़ा अंतर भी रहा है। आप खुद जब खान मंत्री के रूप में फैसला ले रहे थे, तब मैंने देखा था कि आपको उसमें ना केवल जानकारी थी, बल्कि आप चिंता कर रहे थे कि बजरी विकास के रूप में काम आने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बिना हमारे निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में रायल्टी और परमिट के आधार पर, एक्सेस रायल्टी के आधार पर ठेके दिये जाते थे। अब इसके अन्दर सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया, दीपक कुमार बनाम हरियाणा, और उस फैसले के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अब आप ऐसे नहीं दे सकते, अब लीज के आधार पर दीजिये, एन्यूअल लीज के आधार पर दीजिये। वह भी आप नदी पेटे में 3 मीटर से ज्यादा खोदें नहीं, या वाटर लेवल तक आओ। यह भी कह दिया कि इसमें भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पहले अनुमति लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने तहसील स्तर पर बड़े-बड़े पट्टे तय कर दिये। 102 पट्टों के अन्दर पूरे राजस्थान को बांट दिया। बड़े-बड़े जो इसके अन्दर लोग थे वही प्रतिस्पर्धा में आयें। छोटा व्यक्ति तो पहले ही बाहर हो गया। उन्हीं के समय में ये टेंडर हुए। 21.06.2012 को पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि भारत सरकार से जब तक पर्यावरण की एन ओ सी नहीं मिले, तब तक इस पुरानी व्यवस्था को लागू रखें।

उसी समय में एक नेचर क्लब संस्था थी, उसने माननीय उच्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायालय में रिट याचिका करके चुनौती दी उनको। माननीय उच्च न्यायालय ने 14.03.2013 को एक निर्णय कर दिया और भारत सरकार को कहा कि 3 महीने में आप पट्टे दो इनको, जो आपके सफल निविदाकर्ता हैं, और राजस्थान सरकार को यह आदेश दे दिया कि 3 महीनों में पट्टों के आधार पर आप लीज जारी करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बीच के अन्दर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर काम कर रहा है, उसने एक आर्डर दे दिया 5 अगस्त, 2013 को कि बिना भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के बजरी का खनन नहीं कर सकते। उस पर 21 अक्टूबर, 2013 को राजस्थान की सरकार फिर उच्च न्यायालय में गयी और उन्होंने कहा कि जब तक भारत सरकार से एन ओ सी नहीं मिले, तब तक हमें अनुमति दें।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने 25 नवम्बर, 2013 को जो सफल निविदाकर्ता थे, उन्हें अस्थायी तौर पर पट्टे जारी कर रखे हैं। वही अभी जारी हैं, वे बजरी के खनन का काम कर रहे हैं।

बजरी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान गुड्स एक्ट, 2014 सदन ने पारित कर रखा है, बजरी को आवश्यक वस्तु घोषित कर रखा है और वर्तमान में जिला कलक्टर बजरी की दरों का निर्धारण कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी बात के लिए मैं आपका ध्यानाकर्षित और करना चाहता हूं। आज राजस्थान में 26 हजार ऐसे लीज-धारक हैं जिनके पास 5 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टे हैं। 9.9.2013 को तत्कालीन भारत सरकार ने एक फैसला कर दिया कि 5 हेक्टेयर से कम माप के खनन पट्टों पर भी भारत सरकार के पर्यावरण से क्लीयरेंस लेनी जरूरी है, एन ओ सी लेनी जरूरी है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस मामले की गम्भीरता को समझा और अभी पिछले सप्ताह ही उन्होंने भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस समस्या के लिए, वे निश्चित तौर पर इसका समाधान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां रिफाइनरी की बात बहुत चली। मैं रिफाइनरी की बात कहने में ज्यादा समय नहीं लूंगा। लास्ट। रिफाइनरी की बात चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी के बारे में सदन की नेता, मुख्य मंत्रीजी ने बजट के पैरा 102 में कहा, उन्होंने एक यथार्थ का उल्लेख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ जो रिफाइनरी-कम-पेट्रोकैमिकल काम्प्लेक्स की बात की, उस पर उन्होंने टिप्पणी की, जो बजट स्पीच में है, मैं पढ़कर उसको सुनाना चाहता हूं:- ''राज्य सरकार ने इस complex के लिए 3 हजार 736 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 15 वर्ष तक interest free loan देने का commitment कर दिया। इस प्रकार कुल 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक ब्याज रहित ऋण देने का भार राज्य की जनता पर लाद दिया।''

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मुझे एक बात कहते हुए प्रसन्नता है। इसी जुलाई के अन्दर बाड़मेर और जैसलमेर में केयर्न्स एनर्जी, जो प्राकृतिक गैस और क्रूड आयल की खोज कर रही है, उसके सी ई ओ सुधीर मेहता ने 25 जुलाई, 2014 को कहा कि हमें धारवी, डूंगरपुर, फतेहगढ़ और बाड़मेर हिल में, इनमें क्रूड आयल और प्राकृतिक गैस के अकूत भण्डार मिले हैं। उन्होंने यह कहा कि वर्तमान में क्रूड आयल का उत्पादन राजस्थान में 4.6 अरब बैरल प्रतिदिन है। नई खोज के अनुसार, यह मैं नहीं कह रहा, यह केयर्न्स एनर्जी के सी ई ओ कह रहे हैं, नई खोज के अनुसार यह बढ़कर 7 अरब बैरल प्रतिदिन हो जायेगा। प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी प्रतिदिन 4.80 लाख घन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर राजस्थान में जो प्राकृतिक तेल और गैस का भण्डार है, यह पहले से दुगना हो जायेगा। इस कारण से राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष 3,650 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी और वहीं, कुल मिलाकर, इस आय से प्राप्त होने वाला राजस्व 10,950 करोड़ के आंकड़े को पार कर जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इस बेसिन के अन्दर जो गैस मिली है, उसकी प्रकृति दुनिया भर में पाई जाने वाली उत्कृष्ट प्रकृति की गैस बताई उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं, जब राजस्थान प्राकृतिक तेल और गैस के बाजार में एक महत्वपूर्ण अंग बन जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार सारा का सारा पेट्रोल, डीजल इम्पोर्ट करती है। जितना उत्पादन राजस्थान में अब हो रहा है, अगर यह उत्पादन ऐसे ही होता रहा तो भारत सरकार को भी 48 हजार करोड़ की एक्सपोर्ट की जो राशि देनी पड़ती है, उसको देनी नहीं पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बात चली रिफाइनरी की, तो मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

याद दिलाना चाहता हूं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को, 2004 के अन्दर माननीया वसुन्धराजी ने राजस्थान में रिफाइनरी की आवश्यकता को समझा। उस समय 4.5 मिलियन की रिफाइनरी लगे, इसके लिए बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के अन्दर, बीडी जिसको कहते हैं, प्रस्ताव उसमें पारित हुआ। एच पी सी एल के साथ एम ओ यू होने की बात हो रही थी। परन्तु उस समय दिल्ली में सरकार दूसरों की थी, पेट्रोलियम मंत्री थे मणिशंकरजी अय्यर, एक बयान उनका आया। फिर एक बयान आया, आई ओ सी के चेयरमैन, मिस्टर रामचन्द्रनजी का। उन्होंने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस का जो भण्डार है, वह इतना नहीं है कि वहां रिफाइनरी की फीजिबिलिटी हो। रिफाइनरी लग नहीं सकती। उसी समय 2004-05 में एक महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। उस वार्षिक रिपोर्ट में इन्होंने लिखा, खुद ने ही, एक तरफ कह रहे हैं कि फीजिबिलिटी नहीं है, आपके पास पर्याप्त भण्डार नहीं हैं, वहीं उस वार्षिक रिपोर्ट में लिखते हैं कि राजस्थान में मंगला की खोज देश में दो दशक की सबसे बड़ी खोज है। यह था उनका देखने का नजरिया।

इसके लिए तत्कालीन सरकार ने 2005 में सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई। हमने प्रार्थना भी की थी कि दिल्ली में आपकी सरकार है, इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान में रिफाइनरी लगे, हम सब मिलकर कोशिश करें, परन्तु दुर्भाग्य है कि उसमें सहयोग नहीं मिला।

2009 में तत्कालीन सरकार ने त्रिपाठी कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट 2010 में आई। इतनी जरूरी रिपोर्ट थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक उस रिपोर्ट को कोई पढ़ नहीं पाया, न आज तक इन्होंने सदन में रखी। न जाने इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, क्या बात थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी लगाने के लिए जो पहले स्थान ओ एन जी सी ने तय किया, वह इन्होंने तय किया था लीलाला का। हाई कोर्ट के अन्दर एक मामले में एफिडेविट भी देकर आये कि हम लीलाला के अन्दर रिफाइनरी लगायेंगे। परन्तु अचानक 26.6.2013 को लीलाला से स्थान बदल लिया पचपदरा में। स्थान बदले, कोई बात नहीं, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थान बदला इन्होंने 26.6.2013 को और वहां जमीनों की खरीद-फरोख्त होने लग गई तीन महीने पहले। इस खरीद-फरोख्त के पीछे कौन से चेहरे थे, वे तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कभी न कभी बेनकाब हो जायेंगे परन्तु जिस प्रकार का खेल चला, जब हमारी सरकार आई तो जांच की। (व्यवधान) जांच के अन्दर कई अधिकारी इसके अन्दर निलम्बित भी हुए। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस पूरी रिफाइनरी के बारे में, 37 हजार करोड़ की लागत और 37 हजार करोड़ की लागत से रिफाइनरी बनेगी। 56 हजार करोड़ रुपये का हम ब्याज रहित ऋण देंगे उनको और हमारा हिस्सा; जमीन हमारी, तेल हमारा और हमारा हिस्सा 26 फीसदी। अब इसमें मुख्य मंत्रीजी कंसलटेंसी फर्म नियुक्त करने जा रही हैं, इस पूरे को रिव्यू करने जा रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने यहां कहना चालू कर दिया कि हम रिफाइनरी को बंद करना चाहते हैं। रिफाइनरी राजस्थान में लगेगी, पर राजस्थान के अन्दर हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, आंख नीची करके बात नहीं करेंगे वहां। हम 26 परसेंट हिस्से को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम राजस्थान के पैसों के ट्रस्टी हैं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की मालिक नहीं है, हम राजस्थान की जनता के ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। एक-एक नया पैसा राज के खजाने से निकलेगा, उसका सही उपयोग होगा, इसका प्रबन्ध हम निश्चित तौर पर करेंगे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): भ्रष्टाचार भी शिष्टाचार हो गया था।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप 100 परसेंट हिस्सा ले लो। ले लो न। कहां दिक्कत है? आप 26 परसेंट हिस्से की बात कर रहे हैं, आप 100 परसेंट लो न। आप लगाओ न। कौन मना कर रहा है इस बात को? (व्यवधान) आप 100 परसेंट हिस्सा ले सकते हो उसमें। कहीं कोई रोक वाली बात नहीं है। लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जब आपके माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम रिफाइनरी को नहीं लगाना चाहते, उस समय आपको रोकना चाहिये। आपको यह बात स्वीकार करनी चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता, आप बेबाक बात कर रहे हो, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको इस चीज को स्वीकार करना चाहिये कि पूर्ववर्ती सरकार से गलती हुई। उन्होंने अचानक न जाने, किस दबाव में आकर 56 हजार करोड़ रुपये का पैसा देना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तय कर लिया, 37 हजार के प्रोजेक्ट के अन्दर और 26 फीसदी इक्विटी के अन्दर वे मान गये, आप इस गलती को स्वीकार करो तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। लोग आपको देखेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप गुजरात माडल की बात कर रहे हों, मैंने पिछली बार भी रखा था, टाटा नैनो का हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको आपने 30 परसेंट पर दे दिया। आप बात कर रहे हो ... (व्यवधान) 25 करोड़ रुपये की।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या राज्य सरकार को एच पी सी एल ने 50 प्रतिशत हिस्सा रिफाइनरी में देने का प्रस्ताव दिया है? मैं यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान) समाचार पत्रों में समाचार है, अध्यक्ष महोदय, एच पी सी एल ने राज्य सरकार को रिफाइनरी में 50 प्रतिशत हिस्सा देने का प्रस्ताव दे दिया है। क्या यह सही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, अब देखो तो देखो, आगे होता है क्या। अभी तो... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं, हालांकि मेरी बात बीच में रह गई, वह ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत कृपा की, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43- खनिज, को पारित किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शुरू में ही आग्रह कर चुके।

मांग का पारण

मांग संख्या 42-उद्योग का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,64,00,83,000/ (एक अरब चौंसठ करोड़ तिरासी हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43-खनिज का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,12,69,21,000/ (दो अरब बारह करोड़ उनहत्तर लाख इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री अध्यक्ष: अब मुखबंद। मुखबंद के माध्यम से मेरी तरफ से सारी मांगें रखी जा रही हैं।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1- राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,43,70,000/- (छियालीस करोड़ तियालीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 – मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,88,96,000/- (ग्यारह करोड़ अठासी लाख छियानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 - सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,50,67,18,000/- (दो अरब पचास करोड़ सड़सठ लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,83,54,10,000/- (तीन अरब तिरासी करोड़ चौवन लाख दस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 – प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,35,14,71,000/- (एक अरब पैंतीस करोड़ चौदह लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 – न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,67,37,28,000/- (पांच अरब सड़सठ करोड़ सैंतीस लाख अट्‌ठाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7—निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,55,51,23,000/- (तीन अरब पचपन करोड़ इक्यावन लाख तेइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8-राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8—राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,33,59,81,000/- (छह अरब तैंतीस करोड़ उनसठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,71,27,30,000/- (नौ अरब इकहत्तर करोड़ सत्ताइस लाख तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,26,63,16,000/- (चार अरब छब्बीस करोड़ तिरसठ लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,87,86,000/- (एक अरब छत्तीस करोड़ सतासी लाख छियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,17,98,46,000/- (आठ अरब सत्रह करोड़ अठानवे लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13-आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,22,92,000/- (एक अरब तेइस करोड़ बाइस लाख

(श्री अध्यक्ष)

बानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,95,02,74,000/- (चार अरब पचानवे करोड़ दो लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,36,99,99,000/- (नब्बे अरब छत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,94,09,000/- (सतहत्तर करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 94,45,58,000/- (चौरानवे करोड़ पैंतालीस लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,72,24,02,000/- (तीन अरब बहत्तर करोड़ चौबीस लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,12,09,54,000/- (चार अरब बारह करोड़ नौ लाख चौवन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25- कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,94,94,18,000/- (एक अरब चौरानवे

(श्री अध्यक्ष)

करोड़ चौरानवे लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,78,74,18,000/- (छप्पन अरब अठहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,44,67,19,000/- (इकतालीस अरब चवालीस करोड़ सड़सठ लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86,59,57,02,000/- (छियासी अरब उनसठ करोड़ सत्तावन लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,57,17,00,000/- (छप्पन अरब सत्तावन करोड़ सत्रह लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,66,51,67,000/- (इक्कीस अरब छियासठ करोड़ इक्यावन लाख सड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,02,27,34,000/- (नौ अरब दो करोड़ सत्ताइस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,15,52,000/- (एक अरब छब्बीस

(श्री अध्यक्ष)

करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,99,69,000/- (अड़तालीस करोड़ निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 – सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,67,21,12,000/- (पचास अरब सड़सठ करोड़ इक्कीस लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,79,71,000/- (बत्तीस करोड़ उन्यासी लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 – राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 – पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,29,80,000/- (बासठ करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 – विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,984,95,56,000/- (तेरह हजार नौ सौ चौरासी करोड़ पचानवे लाख छप्पन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

88,77,13,27,000/- (अठासी अरब सतहत्तर करोड़ तेरह लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग व 43-खनिज पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने मांगों से सम्बन्धित भाषण सदन की मेज पर रखे हैं:-

1. श्री रामचन्द्र;
2. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित;
3. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल;
4. श्री भागीरथ चौधरी;
5. श्री नानालाल अहारी;
6. श्री कैलाश चौधरी;

(श्री अध्यक्ष)

7. श्रीमती शकुन्तला रावत;

8. श्री श्रीराम भींचर;

9. श्री पूरण मल सैनी;

10. श्रीमती शिमला बावरी;

11. डा. मंजू बाघमार;

12. श्री अर्जुन लाल जीनगर;

13. श्री छोटू सिंह भाटी;

14. श्री लादू राम;

15. श्री शंकर लाल शर्मा;

16. श्री जयराम जाटव;

17. श्रीमती संजना आगरी; एवं

18. श्री नन्दकिशोर महरिया।

इन सबको एडिट करके अपने रिकार्ड में सम्मिलित करें।

(माननीय सदस्यों के मांग संख्या 42-उद्योग व 43-खनिज पर सदन पटल पर रखे गये वक्तव्यों के लिए परिशिष्ट-5 देखें)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.38 बजे बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बड़ी सादड़ी के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

222. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालयों में पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में संचालित हो रहे आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) इन चिकित्सालयों/औषधालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) उक्त चिकित्सालयों में स्थानान्तरण, सेवानिवृत्त एवं नई भर्ती नहीं होने के कारण पद रिक्त चल रहे हैं।

जी हां। आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के 1,945 एवं आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर्स के 980 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं। रिक्त पदों पर चयन कर नवीन नियुक्ति शीघ्र की जा सकेगी।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	नाम चिकि./ औषधालय	चिकित्सक		नर्स/कम्पाउण्डर		परिचारक	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ईडरा	1	1	1	-	1	-
2	निकुम्भ	1	1	1	1	1	1
3	बोहेडा	1	1	1	-	1	-
4	चिकारडा	1	1	1	-	सृजित नहीं	सृजित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
5	जरखाना	1	1	सृजित नहीं	सृजित नहीं	1	-
6	विनायका	1	-	1	-	1	-
7	आवरीमाता	1	1	1	1	सृजित नहीं	सृजित नहीं
8	मूंजवा	1	1	1	-	1	-
9	मंगलवाड	1	-	1	-	1	--
10	चिकित्सालय बड़ी सादड़ी	1	1	3	2	सृजित नहीं	सृजित नहीं
11	बांसी	1	1	1	-	सृजित नहीं	सृजित नहीं
12	बिलोदा	1	-	1	-	1	-
13	खेमरालिया	1	1	1	-	1	-
14	डूंगला	1	1	1	-	1	1
15	भाणुजा	1	1	1	-	1	1
16	खरदेवला	1	1	1	1	सृजित नहीं	सृजित नहीं
17	मोरवन	1	1	1	1	1	-
18	संगेसरा	1	1	1	-	1	-
19	किरतपुरा	1	1	1	-	1	-
20	खोडिप	1	1	1	1	1	-
21	धमोत्तर	1	-	1		1	-
22	गादौला	1	-	1	-	1	-
23	बरडिया	1	-	1	-	1	-
24	ग्यासपुर	1	1	1	-	1	-
25	रठांजना	1	-	1	-	1	1
	योग	**25**	**18**	**26**	**7**	**20**	**4**

खेतड़ी में पेयजल हेतु सिंगल फेस/थ्री फेस कनेक्शन

223. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में

(श्री पूरणमल सैनी)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सिंगल फेस व थ्री फेस के कितने कनेक्शन जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सिंगल फेस व थ्री फेस हेतु कितनी फाइलें प्रस्तुत की गईं? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उक्त में से कितनी फाइलें खारिज की गईं? खारिज किये जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को वित्तीय वर्ष 2013-14 में थ्री फेस के 113 व सिंगल फेस के 129 एवं वित्त वर्ष 2014-15 में थ्री फेस के 115 व सिंगल फेज के 89 विद्युत कनेक्शन जारी किये गये, जिनके विवरण क्रमश: प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सिंगल फेज	थ्री फेज
1	2013-14	213	152
2	2014-15	141	100

निरस्त पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है:-

2013-14		2014-15		पत्रावली निरस्त होने का कारण
सिंगल फेज	थ्री फेज	सिंगल फेज	थ्री फेज	पीएचईडी को कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होने के कारण; तखमीना जारी होने से पूर्व निगम शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण, मांगपत्र जमा नहीं होने के कारण
96	61	38	13	

वर्ष 2013-14 की निरस्त पत्रावलियों की सूची प्रपत्र 'स' पर तथा वर्ष 2014-15 की निरस्त पत्रावालियों की सूची प्रपत्र-'द' पर उपलब्ध है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में राष्ट्रीय बीमा योजना से लाभान्वित श्रमिक

224. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से एवं उक्त योजना के क्या-क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जून, 2014 तक जोधपुर जिले में कितने श्रमिकों को उक्त योजना के अन्तर्गत चिह्नित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में किन-किन श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? उन्हें कितनी-कितनी बीमा राशि की सहायता दी गई? सूची मय नाम, पते के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रथम चरण में सभी सात सम्भागीय मुख्यालय जिलों में वर्ष मार्च, 2012 से लागू की गई है। राज्य में योजना के अन्तर्गत मनरेगा श्रमिक (गत वर्ष में 15 दिवस या अधिक कार्य करने वाले), निर्माण श्रमिक (भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत) व बीड़ी श्रमिकों (कल्याण आयुक्त, अजमेर में पंजीकृत) को नामांकित कर स्मार्ट कार्ड जारी किये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत नामांकित हिताधिकारियों को वर्ष में 30,000/- रुपये तक नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ योजना में एम्पैनल किये गये अस्पतालों में भर्ती होने पर दिया जाता है।

(2) योजनान्तर्गत जोधपुर जिले में जून, 2014 तक 2,23,085 श्रमिकों को चिह्नित किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

बीड़ी श्रमिक	318
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक	5,597
नरेगा श्रमिक	2,17,170
योग	2,23,085

(3) उक्त योजना का रिकार्ड विधान सभा क्षेत्रवार न रखकर ब्लाकवार रखा जाता है। जोधपुर जिले के ब्लाक बिलाड़ा में जिन श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

बिलाड़ा ब्लाक में लाभान्वित श्रमिकों का नाम पते व राशिवार विवरण

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पता	ब्लाक	जिला	राशि	विवरण
1	श्री मंगला राम	-	बिलाड़ा	जोधपुर	2500	-उपरोक्तानुसार-
2	श्री प्रकाश चन्द	-	बिलाड़ा	जोधपुर	1000	-उपरोक्तानुसार-
3	श्री प्रकाश चन्द	-	बिलाड़ा	जोधपुर	500	-उपरोक्तानुसार-
4	श्रीमती छोटा राम	-	बिलाड़ा	जोधपुर	1500	-उपरोक्तानुसार-
5	श्री जीया राम	-	बिलाड़ा	जोधपुर	2500	-उपरोक्तानुसार-
6	श्री दुधा राम	-	बिलाड़ा	जोधपुर	22000	-उपरोक्तानुसार-
7	श्रीमती रामपाल	-	बिलाड़ा	जोधपुर	15000	-उपरोक्तानुसार-
8	श्री बिजा राम	-	बिलाड़ा	जोधपुर	10000	-उपरोक्तानुसार-
9	श्रीमती संतोषी देवी	-	बिलाड़ा	जोधपुर	17500	-उपरोक्तानुसार-
10	श्री गोतम चन्द भार्गव	ग्राम खारिया, मीठापुर	बिलाड़ा	जोधपुर	13000	
11	श्री गोतम चन्द भार्गव	ग्राम खारिया, मीठापुर	बिलाड़ा	जोधपुर	7125	
12	श्री विष्णु	ग्राम लाम्बा	बिलाड़ा	जोधपुर	6500	
13	श्री रामलाल	ग्राम बीन्जवाडा	बिलाड़ा	जोधपुर	12000	
14	श्री ओमप्रकाश	ग्राम रावड	बिलाड़ा	जोधपुर	12000	

संयुक्त श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जोधपुर का स्थानान्तरण

225. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जोधपुर को पावटा चौराहा, जोधपुर से भदवासियां में स्थान्तरित करने का प्रस्ताव

(श्री जोगाराम पटेल)

सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त मण्डी को कब तक मुख्य मण्डी भदवासियां में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा?

(2) क्या सरकार उक्त मण्डी समिति को पावटा चौराहा से स्थानान्तरित करने के उपरांत इसकी जमीन को रोडवेज डिपो के विस्तार हेतु सुपुर्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गौण मण्डी पावटा के व्यापारियों को भदवासियां स्थित मण्डी प्रांगण में अभी तक भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार ने जून, 2014 में यह निर्णय लिया है कि मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति 2013 को रिव्यू किया जाकर संशोधित नीति मंत्रिमण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाये। संशोधित नीति तैयार होने के पश्चात इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2) जी हां। गौण मण्डी पावटा के दुकानदारों को मुख्य मण्डी भदवासियां में दुकान आबंटन करने, उनके द्वारा वहां व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं यह भूमि रिक्त होने के पश्चात इस जमीन को रोडवेज डिपो के विस्तार हेतु सुपुर्द किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में नकली दवाओं के दर्ज प्रकरण

226. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में नकली दवाओं के कितने प्रकरण पकड़े गये? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त पकड़े गये प्रकरणों में से मई, 2014 तक कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा कितने प्रकरणों में अभी तक जांच चल रही है? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त में से मई, 2014 तक कितने प्रकरणों में सज़ा/जुर्माना लगाया गया? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वित्तीय वर्षों में दिनांक 01.04.2009 से 31.05.2014

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

तक कुल 37 प्रकरण पकड़े गये, जिनका वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पकड़े गये 37 प्रकरणों में से 28 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से 15 (पन्द्रह) प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, 1 (एक) प्रकरण निर्णीत हो चुका है, तथा 12 (बारह) प्रकरणों में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जाना है । शेष 8 (आठ) प्रकरण अनुसंधानाधीन हैं तथा (1) एक प्रकरण में जांच रिपोर्ट निर्माता फर्म द्वारा चैलेन्ज की गई है। उक्त विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त पकड़े गये प्रकरणों में मात्र एक ही प्रकरण में सजा सुनवाई गई है, जिसके अन्तर्गत 2 अभियुक्तों को 7 साल की सजा एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है, उक्त विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहायक अभियन्ता कार्यालय, गोगामेड़ी का स्थानान्तरण

227. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, (विद्युत), गोगामेडी को भादरा में स्थानान्तरित करने की मांग जनता द्वारा/जन प्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है?

(2) क्या सरकार जनता की समस्याओं को देखते हुये सहायक अभियन्ता कार्यालय, गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ को भादरा स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर डिस्काम के भादरा विधान सभा क्षेत्र के विद्युत उपखण्ड सहायक अभियन्ता कार्यालय गोगामेडी को भादरा स्थानान्तरित करने की एक मात्र मांग श्री रामचन्द्र दुहारिया, संयोजक किसान संघर्ष समिति, मुन्दडिया बड़ा, तहसील भादरा द्वारा की गई है, जिसकी प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। एक नया उपखण्ड बनाना तत्काल में साध्य नहीं है।

प्रपत्र-अ

कार्यालय किसान संघर्ष समिति मुन्दडिया बड़ा तह. भादरा जिला हनुमानगढ़

मांग पत्र

1. कार्यालय सहायक अभियन्ता जो.वि.वि.नि. भादरा द्वारा दिये गये कनेक्शनों में किये गये फर्जीवाडे व अनियमितता की उच्चाधिकारीयों द्वारा जांच करवाई जावे तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।
2. गोगामेड़ी सहायक अभियन्ता कार्यालय को पुन: भादरा स्थानान्तरण किया जावे।
3. बिजली बिलों में हुई गड़बड़ी को सुधारा जाये तथा विद्युत आपूर्ति सही की जावे।
4. ग्राम सुन्दडिया बड़ा में घुमन्तु जाति के श्री शंकरनाथ की बिजली करंट से ऊंटनी की मृत्यु का मुआवजा शीघ्र दिया जावे।
5. ग्यारह हजार वोल्टेज लाइन सिफ्टींग की जांच की जावे।
6. ग्राम मुन्दडिया बड़ा में अमरसिंह व गुलाब के घर आबादी ग्राम में होने के बावजूद आवेदन फाइल जमा नहीं होने की जांच कर सही पाये जाने पर विद्युत कनेक्शन करवाया जावे।
7. चक 9 बीएचडी को किस आधार पर कालोनी मानकर 13 रुपये प्रति वर्ग फुट का मांग पत्र नोटिस दिया गया है। अधिकृत आदेश उपलब्ध करवाया जावे।
8. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी कालोनियां पंजीकृत हैं और आज तक उन कालोनियों में कितने 13 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कितने डिमांड नोटिस वसूल कर घरेलू कनेक्शन किये गये हैं सूची उपलब्ध करवाई जावे।

रामचन्द्र दुहारिया
संयोजक किसान संघर्ष समिति
मुन्दडिया बड़ा तह. भादरा
मो. नं. 9414635237

नगर निगम जोधपुर की भूमि पर अतिक्रमण

228. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा हाल ही में नगर निगम की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी-कितनी भूमि को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अतिक्रमित भूमि पर पुन: अतिक्रमण न हो, इस हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या एवं इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार अतिक्रमण की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये वार्ड प्रभारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक जिम्मेदारी तय करने तथा उनसे प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं होने और पुराने अतिक्रमण हटाने की सूचना का शपथ पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम जोधपुर द्वारा हाल ही में अतिक्रमण मुक्त करवायी गई भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	**स्थान**	**दिनांक**	**भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफीट)**
01	कायलाना चौराहे के आगे मीरा कालोनी के पास	5.5.14	50'X 60'
02	गंगलाव तालाब	25.5.14	60'X100'
03	सुभाष नगर	31.5.14	30'X50'
04	शोभावतों की ढाणी	31.5.14	100'X50'
05	सरस्वती नगर	4.6.14	90'X60'
06	विष्णु कालोनी, भैरव नाले के अन्दर	8.6.14	200'X50'
07	कागा मैदान के पास	15.6.14	100'X100'

(2) जी हां। उक्त अतिक्रमित भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए सम्बन्धित सफाई प्रभारी एवं अतिक्रमण निरोधक प्रभारी व दस्ते को पाबंद किया गया है तथा उक्त भूमियों पर नगर निगम, जोधपुर की सम्पति होने के बोर्ड लगवा दिये गये हैं ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) इस सम्बन्ध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय की हुई हैं तथा अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण निरोधक शाखा का गठन किया हुआ है, जिसके द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से की जाती है ।

भरतपुर सम्भाग में गौ-अभयारण्य की स्थापना

229. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार देशी गौवंश के संरक्षण, संवर्द्धन, नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा विदेशी नस्ल को हतोत्साहित करने हेतु नीति निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार भरतपुर सम्भाग के नगर विधान सभा क्षेत्र में गौ-अभयारण्य स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सेवल मंदिर स्थित गौशाला में अपंग/निराश्रित व गौ-तस्करों से मुक्त करवाये गये गौवंश के रखरखाव की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गौशाला में पशुओं को बीमारियों से मुक्त करने के लिए जो औषधालय निर्मित हैं, वहां गायों के लिए क्या-क्या सुविधा व दवाइयां उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गाय एवं भैंस प्रजनन नीति 2008 विद्यमान है, जिसके तहत देशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उनका चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से उन्नयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना तथा विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन केवल पशुपालक की मांग पर ही किया जाना उल्लेखित है ।

(2) जी नहीं। वर्तमान में भरतपुर सम्भाग में गौ-अभयारण्य स्थापित करना विचाराधीन नहीं है।

(3) गौ-तस्करी से मुक्त करवाए गौवंशीय पशुओं को नजदीक की पंजीकृत गौशालाओं मे संधारित किये जाने की व्यवस्था है। सेवल मन्दिर

(पशुपालन मंत्री)

स्थित गौशाला में अपंग/निराश्रित व गौ-तस्करों से मुक्त करवाये गये गौवंश भी रखे जाते हैं।

(4) सेवल मंदिर गौशाला में पशु चिकित्सा उप केन्द्र संचालित है, जिसके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण एवं अन्य पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत वहां पर्याप्त औषधियां उपलब्ध हैं।

जोधपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

230. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में अधिकांश आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण नर्स/कम्पाउण्डरों से ही औषधालय चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? औषधालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में नवीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन-विहीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय कौन-कौन से हैं? क्या सरकार उक्त औषधालयों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा दिसम्बर, 2008 से मई, 2014 तक नवीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर जिले में कुल 123 चिकित्सालय/औषधालय हैं

(आयुर्वेद मंत्री)

जिनमें से 36 स्थानों पर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। इनके संचालन के सम्बन्ध में नर्स/कम्पाउण्डर/चिकित्सकों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रिक्त चिकित्सकों वाले औषधालयों का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों के कुल 131 पद स्वीकृत हैं जिनमें से कुल 40 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का औषधालय वार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभागान्तर्गत 1,945 आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

(5) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय आयुर्वेद औषधालय शेरगढ़ भवन-विहीन है, जो वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ़ में संचालित है। ग्राम पंचायत शेरगढ़ से भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात बजट की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

(6) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर 2008 से मई, 2014 तक कोई भी नवीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मृतक विद्युत कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति

231. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से मई, 2014 तक कहां-कहां कितने कर्मचारियों की विद्युत कार्य करते समय करंट से मृत्यु हुई?

(2) क्या यह सही है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियुक्ति दे दी गई है? यदि हां, तो किन-किनको? मृतक कर्मचारियों के नाम तथा उनके आश्रितों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अब तक भी कुछ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब

(श्री मान सिंह)

तक सरकारी सेवा से वंचित आश्रितों को नियुक्ति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से मई, 2014 तक विद्युत निगमों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर वितरण) एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में कार्यरत कर्मचारियों की विद्युत कार्य करते समय करंट से हुई मृत्यु का विवरण प्रपत्र 'अ-1' से 'अ-4' तक उपलब्ध है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में करंट लगने से किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है।

(2) जी हां। विद्युत निगमों में ड्यूटी के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियुक्ति दी जाती है। जिसका निगमवार (जयपुर, अजमेर, जोधपुर वितरण) एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम विवरण 'ब-1' से 'ब-4' तक उपलब्ध है।

(3) चारों विद्युत निगमों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर वितरण) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में जिन मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा नहीं दी गई है, उनका कारण सहित विवरण प्रपत्र 'स-1' से 'स-4' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम में व्याप्त रोजड़ों की समस्या

232. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजड़ों का आतंक है? यदि हां, तो सरकार इनकी रोकथाम हेतु क्या योजना बना रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में रोजड़ों का भयंकर आतंक फैला हुआ है, जिससे किसान की खेती चौपट हो रही है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रोजड़ों की समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रोजड़ों (नीलगाय) द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने को मद्देनजर रखते हुए ऐसे रोजड़ों को मारने की अनुमति हेतु अधिसूचना क्रमांक

(वन मंत्री)

प. 11 (27) वन/91 दिनांक 03.03.1994 से उप वन संरक्षकों को, दिनांक 19.01.1996 व दिनांक 30.04.1997 से क्षेत्रीय वन अधिकारियों (रेंजर्स) एवं अधिसूचना क्रमांक प. 11 (27) वन/91 दिनांक 31.08.2000 द्वारा कृषकों द्वारा आवेदन करने पर राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत नीलगाय अनुसूची-III का वन्य प्राणी है। इसको अनुसूची-III से अनुसूची-V में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार से भारत सरकार को भिजवाये गये थे, ताकि इनको मारने और तदुपरान्त निस्तारण हेतु शासकीय अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहे। परन्तु इस पर भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई। नीलगाय को अनुसूची-III से निकालकर अनुसूची-V में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को पुन: भिजवाये जायेंगे।

(2) जी हां। रोजड़ों को प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दी गई प्रक्रियानुसार मारने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

गीजगढ़ (दौसा) कृषि उपज मण्डी में मूलभूत सुविधाएं

233. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सिकराय के गांव गीजगढ़ में स्थित कृषि उपज मण्डी में कृषकों हेतु अत्यावश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कृषकों को कृषि कार्य सम्पादित करते समय हुई शारीरिक क्षति, अंग-भंग एवं मृत्यु, आदि पर कितनी-कितनी सहायता राशि कितनी अवधि में उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई के गौण मण्डी यार्ड, गीजगढ़ में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) किसान की दुर्घटना में मृत्यु व अंग भंग हो जाने पर राजीव

(कृषि विपणन मंत्री)

गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत देय सहायता राशि मण्डी स्तरीय सहायता समिति के निर्णय उपरान्त 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न परिस्थितियों में देय सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई के गौण मण्डी यार्ड गीजगढ़ में निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं-

कृषकों के पीने के पानी के लिए मण्डी यार्ड में एक प्याऊ व एक पानी की टंकी निर्मित है।

कृषकों के पशुओं के लिए एक पानी की खैली निर्मित है।

मण्डी यार्ड में दो नीलामी चबूतरे बने हुए हैं जो कृषकों द्वारा लाई गई जिन्सों की नीलामी के उपयोग में आ रहे हैं।

मण्डी यार्ड में चारदीवारी निर्मित है।

गेट व चैकपोस्ट भी निर्मित है।

एक ग्रामीण गोदाम निर्मित है।

मण्डी समिति द्वारा कृषकों को पीने के लिए ठण्डा पानी उपलब्ध करवाने हेतु एक वाटर कूलर मय प्यूरीफायर क्रय कर लिया गया है।

विद्युत कनैक्शन हेतु सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, सिकराय को उनकी मांग अनुसार राशि रुपये 83,579/- चैक संख्या 202618 दिनांक 15.4.2014 द्वारा जमा करवाई जा चुकी है।

चौकीदारी व सफाई व्यवस्था सुचारु है।

परिशिष्ट–ब

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण

क्र. सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता (राशि रुपयों में)
1	मृत्यु होने पर आश्रित को	100000/-
2	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग अलग से कटने पर	50000/-
3	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	50000/-

क्र. सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता (राशि रुपयों में)
4	पुरुष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी स्केल्पिंग होने पर	40000/-
5	पुरुष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी स्केल्पिंग होने पर	25000/-
6	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग-भंग होने पर	25000/-
7	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	20000/-
8	तीन अंगुली कट जाने पर	15000/-
9	दो अंगुली कट जाने पर	10000/-
10	एक अंगुली कट जाने पर	5000/-
11	मण्डी प्रांगण में कार्यरत हम्माल/पल्लेदार/मजदूर को मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने पर	5000/-

बाड़मेर जिले में अतिरिक्त ए.एन.एम. के अन्तर-जिला स्थानान्तरण

234. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के कई उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त ए.एन.एम. के पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिरिक्त ए.एन.एम. पद पर कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं होता? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जिले से कितनी अतिरिक्त ए.एन.एम. के स्थानान्तरण अन्य जिलों में किये गए हैं? सूची मय आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की अनुपालना में अतिरिक्त ए.एन.एम. को अन्तर-जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर दिया

(श्री हमीर सिंह भायल)

गया है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी है और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त अन्तर-जिला स्थानान्तरित अतिरिक्त ए.एन.एम. को पुन: बाड़मेर जिले में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त जिलों से 15 अतिरिक्त ए.एन.एम. के स्थानान्तरण अन्य जिलों में हुए हैं। सूची आदेश की प्रति सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त सभी अतिरिक्त ए.एन.एम. के अन्तर-जिला स्थानान्तरण राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में किये गये थे।

उक्त आदेश राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में किये गये थे, इसलिए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। बाड़मेर जिले से अन्य जिलों में स्थानान्तरित अतिरिक्त ए.एन.एम. के स्थानान्तरण आदेश निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/12/1630 दिनांक 31.12.2012 द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) अन्तर-जिला स्थानान्तरित अतिरिक्त ए.एन.एम. को पुन: अपने मूल पदस्थापन स्थान बाड़मेर/जैसलमेर में कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2014/944-45 दिनांक 23.07.14 के द्वारा सभी सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण वस्तुस्थिति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(प्रतियां, सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बहरोड़ में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य

235. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनें बदलने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(डा. जसन्वत सिंह यादव)

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत बीस वर्ष में कब-कब कहां-कहां विद्युत लाइनें बदली गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्युत लाइनें काफी पुरानी होने के कारण बार-बार टूटने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत लाइनों को बदलने अथवा भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचना माह नवम्बर, 2002 की अनुपालना में निगमों द्वारा माह नवम्बर, 2003 में वितरण कोड (Distribution Code) जारी किया गया है जिसकी प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। इसके बिन्दु संख्या 6.2 के तहत 11 के.वी. की लाइनों का प्रति वर्ष एक बार निवारक रख-रखाव (Preventive maintenance) किये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत लाइन में लगे हुए लोहे एवं सीमेन्ट के खम्भों, तान (Stays), क्रोस आर्म, इन्सूलेटर्स, लाइन के तार एवं अर्थ के तार, आदि को जांचना एवं आवश्यकता होने पर बदलना, आदि कार्य सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार, वितरण कोड (Distribution Code) के बिन्दु संख्या 7.2 के तहत एल.टी. लाइनों के सम्बन्ध में निवारक रख-रखाव (Preventive maintenance) एक से दो साल की अवधि के दौरान एक बार किये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत लाइन में लगे हुये लोहे एवं सीमेन्ट के खम्भों, तान (Stays), क्रोस आर्म, इन्सूलेटर्स, लाइन के तार, अर्थ के तार, केबल बक्सों, एल.टी. स्वीचेज, आदि को जांचना एवं आवश्यकता होने पर बदलना, आदि कार्य सम्मिलित हैं।

वितरण कोड बिन्दु संख्या 6.2 एवं 7.2 की प्रतियां प्रपत्र-'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी मानदण्डों के अनुसार विद्यमान विद्युत तारों की क्षमता से अधिक विद्युत भार होने पर तंत्र सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार निम्न क्षमता के तारों को उच्च क्षमता के तारों से बदला जाता है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में गत बीस वर्षों में निम्न ग्रामों/स्थानों की विद्युत लाइनों के तार बदलकर नये तार लगाये गये हैं:-

1. बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र;
2. हमीरपुर फीडर;
3. गूंती फीडर;
4. ग्राम मौलडिया;
5. बिचपुरी;
6. पीपली; एवं
7. रोडवाल।

(3) विगत 2-3 वर्षों में कार्य भार अधिक होने के कारण विद्युत लाइनों का रखरखाव वितरण कोड (Distribution Code) के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो पाया है। वर्तमान में विद्युत निगम द्वारा फीडर सुधार कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है जिसके तहत विद्युत लाइनों की सम्पूर्ण जांच कर आवश्यक कार्य करवाये जा रहे हैं जिसमें आवश्यकता होने पर विद्युत तारों को बदला भी जा रहा है। इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद विद्युत लाइनों में व्यवधान एवं दुर्घटनाओं में कमी आना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, यदि विद्युत लाइन पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार होता है तो लाइन के तारों को अधिक क्षमता के तारों से बदला जाता है अथवा विद्युत भार बांटने हेतु अतिरिक्त विद्युत लाइनें डाली जाती हैं। वर्तमान में सभी विद्युत लाइनों को बदलना या भूमिगत करना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है और यह कार्य अत्यधिक खर्चे वाला भी है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटपूतली से मथुरा मार्ग पर बसों का संचालन

236. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से जून, 2014 तक जयपुर जिले के कोटपूतली से मथुरा एवं अन्य मार्गों पर चलने वाली अनेक बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब, किन-किन मार्गों पर चलने वाली बसों का एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) क्या सरकार कोटपूतली से मथुरा एवं अन्य मार्गों पर बसों का पुनः संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) चूंकि वर्ष 2009 से जून, 2014 तक की अवधि में कोटपूतली से मथुरा एवं अन्य मार्गों पर चलने वाली अनेक बसों का संचालन बन्द नहीं किया गया है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । सीधे यात्री भार की अपर्याप्तता एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 2006 में बन्द की गयी सेवाओं के पुन: संचालन का कोई विचार नहीं है ।

सिरोही जिले में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

237. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय किस-किस स्तर के संचालित हो रहे हैं तथा उनमें कितने और कौन-कौन से पद कब से स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं? चिकित्सालय एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में अधिकांश पशु चिकित्सकों एवं सहायक कार्मिकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही के सिलदर एवं सिरोही जिला मुख्यालय पर पदस्थापित पशु चिकित्सक अपनी सेवाएं कब से किस के आदेश व निर्देशों के तहत कहां दे रहे हैं? आदेशों व निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सिरोही जिले में लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर पुन: अपने मूल पदस्थापित स्थान पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त जिले में रिक्त उप निदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु चिकित्सा सहायक सहित

(श्री ओटाराम)

अन्य पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में संचालित पशु चिकित्सालयों व उनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपल्ब्धता अनुसार भरा जाता है । पशु चिकित्सालय में कर्मियों की सेवानिवृत्ति, नियमित नियुक्ति/पदोन्नति के कारण पद रिक्त हैं। रिक्त पदो का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) निदेशालय के आदेश क्रमांक 1074-80 दिनांक 4.6.2014 एवं आदेश क्रमांक 1050-55 दिनांक 29-5-2014 द्वारा क्रमश: डा. माया देवरिया, पशु चिकित्सा अधिकारी को सिलदर जिला सिरोही से जिला चल पशु चिकित्सा इकाई, झुंझुनूं एवं डा. देवेन्द्र कुमार यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी को कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिरोही से ग्रामीण बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हिंगोनियां में कार्य व्यवस्था हेतु लगाया गया था, जिनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है । आदेशों की प्रति-परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है ।

(4) सिरोही जिले के प्रतिनियुक्ति पर चल रहे पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल पदस्थापन स्थान पर लगा दिया गया है । आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है ।

(5) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिको की उपलब्धता अनुसार भरा जाएगा।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की योजना

238. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत वर्षों में प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किये जा रहे प्रयास एवं कार्य योजना का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर में माडा योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

239. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर में माडा योजनान्तर्गत किन-किन समूहों को बिजली कनेक्शन जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में क्या इन विद्युत कनेक्शनों का उपयोग समूहों द्वारा ही किया जा रहा है अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा? क्या सरकार द्वारा इसका भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) माडा योजनान्तर्गत समूह में विद्युत कनेक्शन के क्या-क्या नियम हैं? क्या तहसील जहाजपुर में उक्त नियमों के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर में जिला परिषद द्वारा संचालित माडा योजनान्तर्गत 15 समूहों को बिजली कनेक्शन जारी किये गये हैं, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में विद्युत कनेक्शनों का उपयोग समूहों के द्वारा ही किया जा रहा है। क्योंकि इस सम्बन्ध में शिकायत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस बाबत भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है।

(3) माडा योजनान्तर्गत समूह में विद्युत कनेक्शन के नियमों के क्रम

(ऊर्जा मंत्री)

में कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.09.2004) के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता (भी. वृ.) का पत्र क्रमांक 617 दिनांक 07.05.2005 प्रपत्र "ब" पर उपलब्ध है।

प्रपत्र 'अ'

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत जहाजपुर उपखण्ड में जारी किये गये विद्युत कनेक्शन की सूची

क्रम संख्या	नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत
1	सामूहिक कृषि ट्यूबवेल अध्यक्ष पेमाराम/कालू राम मीणा	लुहारी कलां	लुहारी कलां
2	अध्यक्ष कान्ती देवी/मूलचन्द मीणा	टोला	धौड
3	अध्यक्ष शैतान सिंह/कजोड़ मीणा	अखेरामजी का खेड़ा	अमरगढ़
4	अध्यक्ष नाथू/बरदा मीणा	गांगीथला	गांगीथला
5	अध्यक्ष मान सिंह/मांगी लाल मीणा	मनोहरगढ़	ईट्टुन्दा
6	अध्यक्ष रंगलाल/देवी मीणा	मायला	सरसीया
7	अध्यक्ष हगामी देवी/मेन्दी लाल	मण्डफिया	आमल्दा
8	अध्यक्ष पोखर/सुखा मीणा	खोहरा खुर्द	बिलेठा
9	अध्यक्ष हीरालाल/फेफाराम मीणा	बृज की डूंगरी	बेई
10	अध्यक्ष भैरू लाल/नानाराम मीणा	भण्डारिया	धौड
11	अध्यक्ष राजेन्द्र/मोहन लाल मीणा	कुराडिया	कुराडिया
12	अध्यक्ष श्याम लाल/गोरू मीणा	मायला	सरसीया
13	अध्यक्ष देवा/कालू मीणा	माल का खेड़ा	धौड
14	अध्यक्ष रामकरण/कालू मीणा	बिलेठा	बिलेठा
15	अध्यक्ष सामूहिक कृषि ट्यूबवेल सरिया श्री राम मीणा/मांग्या मीणा	फतेहपुर	गुड्डा

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रपत्र 'ब'

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (भी. वृत्त) अजमेर डिस्काम, भीलवाड़ा

क्रमांक : अ.अ. (भी.वृत्त)भील/कार्य/फा/05/प्रे.617 दि. 7 मई, 2000

सहायक अभियंता (पवस)

अविविनिलि, जहाजपुर

विषय :- माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत स्थापित सामूहिक कृषि ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा के पत्रांक माडा/2004-05/145 दि. 2.5.2005 की ओर दिलाते हुए लेख है कि कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के पैरा 12 (पेज सं. 23 के अनुसार आवेदकों को मांग पत्र जारी करे जिनके अनुसार कृषकों की सामुदायिक/सामूहिक लिफ्ट सिंचाई योजना के कनेक्शनों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा। मांग पत्र विशेष श्रेणी की तरह जारी किय जावेंगे एवं विद्युत दर विशेष श्रेणी की ली जावेगी। क्योंकि यह क्षेत्र ट्राइबल प्लान (टी.एस.पी.) में नहीं आता है।

अधीक्षण अभियन्ता (भी. वृत्त)

अविविनिलि, भीलवाड़ा

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी कस्बे में अनुसूचित जाति के खातेदारों की कृषि भूमि का पंजीकरण

262. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि केकड़ी कस्बे में अनुसूचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि की रजिस्ट्री बिना किसी भू-रूपान्तरण के भूखण्ड के रूप में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के नाम होती आई है? यदि हां, तो कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं? खसरा नम्बर और पटवार सर्कल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1976 में दिनांक 13-2-1976 से पंजीयन अधिनियम 1908 में एक नई धारा 22-A जोड़कर राज्य सरकार को अधिसूचना जारी कर कतिपय दस्तावेजों के पंजीयन को लोक नीति के विरुद्ध घोषित करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। इस धारा के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.1(12)वित्त/ग्रुप-4/80-2 S.O. 713 दिनांक 27-12-1980 जारी कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के उल्लंघन में निष्पादित दस्तावेजों के पंजीयन को लोक नीति के विरुद्ध घोषित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि के अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक लगाई गई थी।

श्री बसंत नाहटा ने पंजीयन अधिनियम, 1908 की उक्त धारा 22-A को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में खण्डपीठ याचिका सं. 3554/99 दायर कर चुनौती दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28-11-2000 के द्वारा धारा 22-A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील (सिविल) सं. 7800/2001 राजस्थान राज्य बनाम बसन्त नाहटा दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 22-A में लोक नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होने के आधार पर राज्य सरकार की अपील को निर्णय दिनांक 7-9-2005 के द्वारा खारिज कर दिया। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 22-A को असंवैधानिक घोषित कर दिए जाने के फलस्वरूप इस धारा के तहत जारी सभी अधिसूचनाएं अप्रभावी हो गई

(वित्त मंत्री)

हैं और राज्य सरकार के पास इस श्रेणी के दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक लगाने की विधिक शक्तियां नहीं रही हैं।

अतः उक्तानुसार विधिक स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप उप पंजीयक कार्यालय केकड़ी में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी कृषि भूमि का प्लाटों के रूप में विक्रय अन्य जाति के व्यक्ति को पंजीयन करने सम्बन्धी रोक नहीं होने के कारण दस्तावेजों के पंजीयन की कार्यवाही की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने से ऐसे दस्तावेजों के नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं हुई है तथा पंजीयन किये गये दस्तावेजों पर राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (भाग-I) के नियम 39 के तहत नोट अंकित किया गया है।

उप पंजीयक कार्यालय केकड़ी में वर्ष 2011 से 2013 तक कस्बा केकड़ी के पटवार मण्डल केकड़ी में प्लाटों के रूप में कुल 480 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए हैं जिनके खसरा नं. 3837, 3218, 7299, 7300, 6024, 213, 2540, 411, 7303, 927, 93, 119, 128, 129, 53, 4018, 2934, 2089, 2558, 2559, 2560, 8010, 762, 4052, 4061, 3011, 2875, 2601, 2024, 6064, 6065, 2724, 2024, 8009, 959, 960, 2934, 2521, 9079, 2874, 2101, 87638, 2127, 1237, 2075, 4052, 2547, 8556, 2614, 2613, 2450, 2451, 7299, 815, 3131, 791, 781, 767, 768, 2556, 2930, 2614, 2613, 7916, 53, 165, 7930, 7959, 7971, 7972, 927, 2825, 1166, 4136, 6203, 6210, 9315, 7917, 7916, 2089, 41851, 2090, 2000, 119, 2641, 2613, 2105, 5057, 326, 781, 1002, 3116, 3803, 3804, 2819, 1101, 9038, 9036, 9025, 9023, 8010, 1586, 91, 530, 1586, 3472, 3462, 3473, 8009, 1018, 2105, 2895, 2896, 2889, 5210, 5212, 5213, 2601 हैं।

प्रदेश में बढ़ते कर्ज भार को कम करने हेतु योजना

263. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को कितना कर्जभार था और दिनांक 30 जून, 2014 को कितना कर्जभार है? इस अवधि में कितने कर्जभार की वृद्धि हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के कर्जभार में बड़ा योगदान बिजली कम्पनियों, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल का है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार बढ़ते कर्जभार को कम करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पर दिनांक 31.12.2013 को रुपए 1,23,591.24 करोड़ तथा दिनांक 30 जून, 2014 को रुपए 1,31,742.42 करोड़ का कर्ज भार था। इस अवधि में कर्ज भार में रुपए 8,151.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सी.ए.जी. रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 को दीर्घकालीन ऋण भार रुपये 53,503.45 करोड़ था।

(2) जी हां। उक्त अवधि में ऋण भार में हुई वृद्धि राशि रुपए 8,151.18 करोड़ में बिजली कम्पनियों द्वारा जारी बाण्ड्स में से राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत बाण्ड्स की राशि रुपए 3,340.00 करोड़ सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2014 को विद्युत कम्पनियों का ऋणभार राशि रुपए 97,049.89 करोड़ था।

(3) राज्य सरकार के ऋण भार को सीमित रखने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 में जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के बराबर ही राशि के नये ऋण लेना बजट में इंगित किया है। विद्युत क्षेत्र के ऋणों का भार सीमित करने के लिए भी उठाये जाने वाले कदमों का बजट भाषण में उल्लेख किया गया है।

परिशिष्ट-1

Statement of total Public Debts & Net Receipts of State Government

(Rs. in lacs)

	Total Debt on 31.12.2013	Total Debt on 30.06.2014	Net Receipt
1. Internal Debt	**7574386.46**	**8215958.46**	**641572.00**
A. Market Loans	5058417.97	5337602.27	279183.30
B. Financial Institutions	2515967.49	2878356.19	362388.70

	Total Debt on 31.12.2013	Total Debt on 30.06.2014	Net Receipt
Life Insurance Corp. of India	4104.24	3594.46	-509.78
Gen Insurance Corp. of India	5238.64	4792.08	-446.56
NABARD A. R.I.D.F	492039.28	544954.39	52915.11
B.L.T.O.	267.49	239.37	-28.12
National Coop. dev. Corp.	17881.97	17721.02	-160.95
HDFC	5178.29	3997.19	-1181.10
W&M Advance from RBI	0.00	0.00	0.00
NSSF Special Securities	1985509.80	1963309.90	-22199.90
Loans from other Inst.	5747.78	339747.78	334000.00
2. Loans from Central Government	**681119.64**	**690159.71**	**9040.07**
A. Non Plan			
(i) Small Savings	0.00	0.00	0.00
(ii) Loans to cover gap in resources	0.00	0.00	0.00
(iii) Others	5343.59	4923.34	-420.25
Total (A)	**5343.59**	**4923.34**	**-420.25**
B. Plan Schemes	352721.37	380703.85	27982.48
C. Consolidate Lons (XII FC)	322514.64	303992.48	-18522.16
D. Central Plan Schemes	0.00	0.00	0.00
E. Central Plan Schemes	0.00	0.00	0.00
F. Ways & Means Advacne	0.00	0.00	0.00
G. Pre 1984-85	540.04	540.04	0.00
Total Public Debt (1+2)	**8255506.10**	**8906118.17**	**650612.07**
3. Public Account	**4103617.83**	**4268123.83**	**164506.00**
A. Provident Fund	1825643.39	1999121.78	173478.39
B. Insurance Fund	875281.28	924176.84	48895.56
C. Reserve Fund	108953.21	144740.74	35787.53
D. Deposit & Advances	1293739.95	1200084.47	-93655.48
Total Dept (1+2+3)	**12359123.93**	**13174242.00**	**815118.07**

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में राजकीय आवासों का बकाया किराया

264. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध राजकीय आवासों का किराया कब से बकाया चल रहा है? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दिसम्बर, 2013 तक उक्त बकाया किराया राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध राजकीय आवास के विगत पांच वर्षो के बकाया राशि के विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' तथा परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(2) बकाया राशि वसूली के सम्बन्ध में नियमों के परिप्रेक्ष्य में नोटिस जारी कर एवं सम्बन्धित विभागों से पत्र व्यवहार कर वसूली की कोशिश की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय कार्यालयों में धूम्रपान/गुटखा, पान मसालों के सेवन की रोकथाम हेतु शपथ-पत्र

265. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजकीय कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान करने एवं पान मसाला/गुटखा खाने को प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन के समय ही धूम्रपान एवं गुटखा/पान मसाला सेवन न करने के लिए शपथ-पत्र लेने का नियम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजकीय कार्यालयों में धूम्रपान निषेध का प्रावधान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 (परिशिष्ट-अ) के तहत किया गया है। इसे लागू करने हेतु राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना दिनांक 01.10.2008 जारी की है। (परिशिष्ट-ब)

राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता (Undertaking) लेने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.10.2013 जारी किया गया है। (परिशिष्ट-स)

(2) राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता (Undertaking) लेने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.10.2013 जारी किया गया है। (परिशिष्ट-स)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फलौदी उपखण्ड क्षेत्र में नवीन जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना

266. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड क्षेत्र फलौदी में नवीन जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब से व उक्त कार्यालय का क्षेत्राधिकार क्या है?

(2) उक्त कार्यालय में क्या-क्या संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं?

(3) क्या उक्त कार्यालय का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त भवन का किराया कितना एवं कब से भुगतान किया जा रहा है?

(4) सरकार द्वारा उक्त कार्यालय हेतु भूमि आबंटन के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4.6.2013 द्वारा फलौदी

(उद्योग मंत्री)

स्थित उप जिला उद्योग केन्द्र को क्रमोन्नत कर जिला उद्योग केन्द्र बनाया गया है। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में फलौदी, बाप, शेरगढ़ तथा लोहावट तहसीलों का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी कार्यालय के कार्यालय संचालन हेतु उप केन्द्र के समय से उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त किराये का वाहन उपयोग में लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा फर्नीचर, आदि मुख्यालय से उपलब्ध कराया जा रहा है। उप जिला उद्योग केन्द्र फलौदी के जिला उद्योग केन्द्र में क्रमोन्नत होने के उपरान्त कार्यालय हेतु अधिकारियों एवं कार्मिकों के कुल 13 पद स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 6 अधिकारियों/कार्मिकों का पदस्थापन किया जा चुका है।

(3) जी हां। उसका मासिक किराया 8,177/- रुपये दिनांक 7.3.2014 से प्रति माह भवन मालिक को अदा किया जा रहा है। पूर्व में यहां उप जिला उद्योग केन्द का कार्यालय भी एक अन्य किराये के भवन में ही संचालित किया जा रहा था, जिसका वर्ष 2008 से मासिक किराया 3,524/- रुपये का भुगतान भवन मालिक को किया जा रहा था।

(4) जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी के कार्यालय भवन हेतु रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित किये जाने हेतु रीको लि., जयपुर को अनुरोध किया जा चुका है, जिस पर निर्णय प्रक्रियाधीन है।

जहाजपुर नगरपालिका मण्डल (भीलवाड़ा) की विभिन्न कमेटियों का गठन

267. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर नगरपालिका मण्डल, जिला भीलवाड़ा के गठन के बाद आज तक पार्षदों की विभिन्न कमेटियों के चुनाव नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो मण्डल का चुनाव कब हुआ था और कमेटियों के अब तक गठन नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कमेटियों के अभाव में कमेटियों के दायित्व का निर्वहन मण्डल की बैठकों में पारित कराया जाता है? यदि हां, तो इस हेतु मण्डल की कब-कब, किस उद्देश्य के लिए बैठकें आयोजित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण व विकास के कार्यों का सर्वे, एस्टिमेट व प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी की जाती है? यदि हां, तो मण्डल द्वारा कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों का सर्वे, एस्टिमेट व प्रशासनिक स्वीकृतियां कब-कब, कितनी-कितनी लागत की स्वीकार की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निर्माण व विकास कार्यों की गुणवत्ता व प्रमाणीकर्ता की जांच कब-कब किसके द्वारा की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि इन निर्माण कार्यों के ठेके मण्डल के पार्षदों व कर्मचारियों के रिश्तेदारों व नजदीकी लोगों को ही दिये गये और उनका सार्वजनिक रूप से कोई प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया है? प्रत्येक निर्माण व विकास कार्य को दिये गये ठेकेदारों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका मण्डल का गठन अगस्त 2010 में हुआ था । कमेटियों के गठन हेतु साधारण सभा की बैठक दिनांक 21-02-2012 में प्रस्ताव सं. 16 से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था, कि कमेटियों के गठन हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा । किन्तु आगामी बैठकों में उक्त प्रस्ताव नहीं रखा गया ।

(2) जी हां। नगरपालिका मण्डल की बैठकें निम्न दिनांकों को आयोजित की गयीं, जिस उद्देश्य से आयोजित की गईं, का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

बैठक दिनांक	किस्म बैठक
20.10.10	साधारण
13.01.11	साधारण
14.02.11	आवश्यक
19.03.11	आवश्यक
18.04.11	आवश्यक
30.06.11	साधारण
22.10.11	साधारण

(स्वायत्त शासन मंत्री)

21.02.12	साधारण
19.06.12	साधारण
08.10.12	साधारण
14.02.13	साधारण
18.04.13	आवश्यक
12.09.13	आवश्यक
20.09.13	आवश्यक
14.02.14	साधारण
27.06.14	साधारण
04.07.14	आवश्यक

(3) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र में जारी की गयी निर्माण तथा विकास कार्यों का सर्वे, एस्टिमेट, प्रशासनिक स्वीकृतियों व लागत की स्वीकृत की गई का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) नगरपालिका में निर्माण व विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण/जांच कनिष्ठ अभियन्ता शाहपुरा, सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर की गयी है, का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं। कार्यों का प्रचार-प्रसार नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों एवं पोर्टल वेबसाइट के द्वारा किया गया, का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाखेरी (बूंदी) के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा संचालित कार्यों का निरीक्षण

268. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका लाखेरी, जिला-बून्दी में पिछले तीन वर्षों में पंजीकृत ठेकेदारों को कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? प्रत्येक कार्य का विवरण,

(श्री बाबूलाल वर्मा)

जिसमें कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा, किस-किस दिनांक को किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका लाखेरी द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों को कुल 316 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पालिका में 1.00 लाख की राशि सीमा तक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण पालिका कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इससे अधिक राशि के कार्यो का निरीक्षण, नियमानुसार समय-समय पर प्रगति 5.00 लाख की सीमा तक सहायक अभियन्ता नगर परिषद बून्दी व इससे अधिक राशि के कार्यों का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता नगर निगम कोटा द्वारा किया जाता है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर नगर निगम/पालिका में भूमि विक्रय से प्राप्त राशि

269. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नगर निगमों व पालिका द्वारा भूमि विक्रय नीलामी के द्वारा किया जाता है? इस नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग नगरपालिका द्वारा किन-किन कार्यों में किया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि जो नगरपालिका प्राप्त करती है, सबसे पहले उस क्षेत्र में जहां प्लाट काट कर विक्रय किये गये हैं, विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश सरकार द्वारा तय किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका जहाजपुर द्वारा विगत 2001 के पश्चात् आज तक कितने भूखण्डों का विक्रय किया गया एवं उसमें कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार व भूखण्डवार, कालोनी क्षेत्र सहित सदन सूची की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2001 के पश्चात् नगरपालिका जहाजपुर में भूखण्ड नीलामी से प्राप्त राशि से जहां भूखण्ड विक्रय किये गये, उन स्थानों

(श्री धीरज गुर्जर)

पर विकास के कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितनी राशि के? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नीलामी से नगरपालिका को प्राप्त राशि का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य में ही किया जावें बाबत नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। नीलामी से प्राप्त राशि नगरपालिका द्वारा विकास कार्य एवं पालिका के अन्य कार्यो में खर्च की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) नगरपालिका, जहाजपुर द्वारा विगत 2001 के पश्चात् विक्रय किये गये भूखण्डों एवं विक्रय किये गये भूखण्डों से प्राप्त राशि का वर्षवार, भूखण्डवार, कालोनी सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। पालिका द्वारा कराये गये विकास कार्यो का मय राशि के विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर नगरपालिका के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां

270. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका जहाजपुर में वर्ष 2010 के बाद किन-किन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृतियां नियमों के अनुरूप जारी की गई हैं?

(3) क्या उक्त निर्माण सम्बन्धी कोई शिकायत नगरपालिका, प्रशासन को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उनका निस्तारण कर दिया गया है?

(4) उक्त निर्माण कार्यों की एम.आर. की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या नगरपालिका जहाजपुर में पार्षदों द्वारा शिकायतें प्रशासन को की गई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(6) क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या नगरपालिका जहाजपुर के विरुद्ध सरकार के स्तर पर जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

उत्तर

(1) नगरपालिका जहाजपुर द्वारा वर्ष 2010 के पश्चात अब तक करवाये गये निर्माण कार्यों की जारी की गईं प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। उक्त निर्माण से सम्बन्धित कोई शिकायत नगरपालिका प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) पालिका द्वारा वर्ष 2010 के पश्चात सभी निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर टेण्डर प्रक्रिया से करवाये गये हैं। इसलिए कोई एम. आर. जारी नहीं की गई है।

(5) जी हां। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(6) जी हां। प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा को विभागीय पत्र संख्या 3171 दिनांक 17.10.2011 के द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया है एवं स्मरण पत्र दिनांक 03.11.2011, 17.01.2012, 17.02.2012, 31.07.2014 लिखे जाने के उपरान्त भी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(7) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 की अधिग्रहित भूमि

271. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के जोन 10 में कितनी भूमि

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

किस-किस योजना के लिए कब-कब अधिगृहीत की गई एवं इसका कब्जा कब लिया गया तथा मुआवजे का भुगतान कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिस योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उसका उपयोग उसी योजना में किया जा सकता है? यदि हां, तो जलमहल योजना के लिए कितनी भूमि कब अधिग्रहीत की गई एवं यह योजना कब पूर्ण होगी? क्या इस योजना के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिग्रहीत भूमि पर कितने पक्के तामीरात का निर्माण कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-10 में योजनावार अधिगृहीत की गई भूमि तथा कब्जा एवं मुआवजे के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सामान्यत: जिस योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उसका उपयोग उसी योजना के लिए किया जाता है। जल महल योजना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि एवं अधिग्रहित की गई भूमि के पेटे किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या-15 पर उपलब्ध है। योजना के पूर्ण होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। न्यायालय के विभिन्न वादों के कारण पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार जोन-10 के क्षेत्राधिकार में 4 तामीरात का निर्माण पाया गया है तथा जोन-2 के क्षेत्राधिकार में अधिकांश क्षेत्र में झील का भराव होने से कोई पक्के तामीरात का निर्माण नहीं पाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। परन्तु सही आकलन की स्थिति अन्तिम सर्वे के पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कृष्णा सागर योजना की सड़कों का निर्माण

272. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलाई, मुहाना मण्डी रोड, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित निजी खातेदार की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना कृष्णा सागर के विकास कार्यों के पेटे कितनी राशि जमा है एवं कितनी राशि किस-किस विकास कार्य हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृष्णा सागर कालोनी में वर्ष 2013 में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें नक्शे में दर्शा कर बना दी गई हैं एवं कौन-कौन सी सड़कें नक्शें में न दर्शाकर छोड़ दी गईं व इसके क्या कारण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के प्लाट नं. 5, 48, 48 -ए एवं 49 के सामने स्थित 30 फीट की सड़क, जो कि प्राधिकरण द्वारा पारित नक्शे में दर्शाई गई है, को छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो भूखण्डधारियों द्वारा विकास शुल्क पूर्ण जमा कराने के बावजूद भी इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? तथा अब उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी के विकास कार्य यथा पानी बिजली, सड़क, पार्कों के रख-रखाव एवं सीवरेज, आदि के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निजी खातेदारी की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना ''कृष्णा सागर के विकास कार्यों के पेटे आन्तरिक विकास शुल्क वर्ष 2014 तक रुपये 88,31,415/- एवं बाह्य विकास शुल्क रुपये 31,64,809/- रुपये जमा है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013-14 में सड़क विकास मद में जमा राशि रुपये 25.03 लाख में से रुपये 24.68 लाख सड़क निर्माण पर व्यय किये गये।

(2) जी हां। कृष्णा सागर कालोनी में वर्ष 2013 में सड़क निर्माण का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्य किया गया था। ऐसी सडकें जो नक्शे में दर्शाकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। ऐसी कोई सड़क नहीं है, जो नक्शे में दर्शित नहीं होने के कारण छोड़ी गई है। सड़कें नक्शे में दर्शायी गई हैं, परन्तु निर्माण नहीं किया गया है, की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमा राशि की सीमा को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निजी खातेदार द्वारा बनाई गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों एवं जहां ज्यादा भूखण्ड निर्मित हैं, उन सड़कों पर ही डामरीकरण कार्य सम्पादित किया गया है।

(3) जी हां। कृष्णा सागर कालोनी के प्लाट नम्बर 5, 48, 48ए एवं 49 के सामने स्थित 30 फीट की सड़क, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे में दर्शायी गई है; निजी खातेदारी की योजना कृष्णा सागर में अनुमोदित नक्शे-अनुसार दो लेयर डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण निजी खातेदारी द्वारा ही कराया गया था लेकिन प्लाट नम्बर 5, 48, 48ए एवं 49 के सामने स्थित 30 फीट सड़क मौके पर दो लेयर डब्ल्यू.बी.एम. निर्मित नहीं थी। जिस समय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया गया, उस समय प्रश्नगत सड़क में एक तरफ फेंसिंग की हुई थी, जो कि आज भी मौके पर स्थित है तथा उक्त सड़क मौके पर कच्ची है।

निजी विकासकर्ता की योजना में आवासीय परियोजना विकसित करने मे निजी निवेश नीति के तहत जमा राशि की सीमा तक ही कार्य कराने का प्रावधान है। इस योजना में पूर्ण सड़क निर्माण की अनुमानित राशि लागत रुपये 87.00 लाख है, जबकि योजना में रुपये 25.03 लाख ही सड़क मद में उपलब्ध थे। अत: पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं था।

प्रावधानों एवं जमा राशि के मद्देनजर किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शेष कार्य नीति के तहत पर्याप्त राशि जमा होने पर कराया जा सकेगा।

(4) विकासकर्ता/निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजनाओं में जमा राशि के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य करवाने का विचार किया जाता है। पेयजल व्यवस्था सम्बन्धित कार्य नियमानुसार निजी विकासकर्ता द्वारा ही किये जाने हैं। उक्त क्षेत्र में आउटफाल सीवर उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में सीवर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

निर्मित सड़कों की सूचना (भूखण्ड संख्या अनुसार)

निम्न सड़कें निर्मित की गईं जो नक्शे में भी दर्शायी हैं

1	भूखण्ड संख्या	170-175
2	भूखण्ड संख्या	161-165
3	भूखण्ड संख्या	151-160
4	भूखण्ड संख्या	96-103
5	भूखण्ड संख्या	58-67
6	भूखण्ड संख्या	51-49
7	भूखण्ड संख्या	सी 20-113
8	भूखण्ड संख्या	85-88
9	भूखण्ड संख्या	83-95

निरन्जन माथुर
अधिशासी अभियन्ता-8
जविप्रा, जयपुर

परिशिष्ट 'ब'

अनिर्मित सड़कों की सूचना (भूखण्ड संख्या अनुसार)

निम्न सड़कें नक्शे में दर्शायी परन्तु निर्माण JDA द्वारा नहीं किया गया है

1	भूखण्ड संख्या	06-45
2	भूखण्ड संख्या	49-5
3	भूखण्ड संख्या	46-47
4	भूखण्ड संख्या	66-75
5	भूखण्ड संख्या	114-123
6	भूखण्ड संख्या	सी 30-123
7	भूखण्ड संख्या	सी 15-103
8	भूखण्ड संख्या	सी 38-133
9	भूखण्ड संख्या	सी 38-पार्क

निरन्जन माथुर
अधिशासी अभियन्ता-8
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 4-सी स्कीम माचड़ा जोन 6 की आवासीय योजनाएं

273. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 4-सी स्कीम, माचड़ा जोन-6 के शेष बचे हुए भूखण्डों का नियमन कर माह फरवरी, 2014 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन पत्र जारी किये गये थे? यदि हां, तो उक्त योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में सुविधा क्षेत्र में एक पार्क भी छोड़ा गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त पार्क को कब तक विकसित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में सम्पर्क सड़कें एवं सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा अभी तक भी नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना 4-सी, माचड़ा का नियमन कैम्प दिनांक 24.02.2014 को आयोजित कर शेष बचे हुए भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं। आबंटन पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित 4-सी स्कीम, माचड़ा मे उपलब्ध भूमि पर सड़कों का निर्माण पूर्व में ही करवाया जा चुका है। माह फरवरी, 2014 में शेष बचे नियमित किये हुए भूखण्डों के सामने सड़क निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 09.07.2014 को जारी की जा चुकी है।

(2) जी हां। वर्तमान में योजना में 20 प्रतिशत रिहायशी उपयोग है। इस कालोनी में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के पश्चात पार्क का विकास किया जा सकेगा।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित 4-सी स्कीम, माचेड़ा में उपलब्ध भूमि पर सड़कों का निर्माण पूर्व में ही करवाया जा चुका है। माह फरवरी, 2014 में शेष बचे नियमित किये हुए भूखण्डों के सामने सड़क

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 09.07.2014 को जारी की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त शेष रही सड़कों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना में सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोआपरेटिव योजनाओं में स्ट्रीट लाइट व विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है।

उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के राजस्व ग्राम देवाली के भूखण्ड संख्या एक का नियम-विरुद्ध नियमन

274. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के राजस्व ग्राम देवाली की खसरा संख्या 2107 से 2110, 2111, 2839, 2122 के भूखण्ड संख्या 1 जिसका क्षेत्रफल 5886.5 वर्ग फीट (654.05 वर्ग गज) है, का उदयपुर यू.आई.टी. ने दिनांक 26 फरवरी, 2008 को नियम-विरुद्ध नियमन का आदेश जारी किया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियमन की गई खातेदारी की 1,855 वर्ग फीट भूमि के साथ सटी हुई 4,031.5 वर्ग फीट भूमि का प्लान जोड़कर इस बेशकीमती भूमि को रुपये 25 की दर लगाते हुए बेच दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि साइफन तिराहे की मुख्य 60 फीट रोड से सटी इस भूमि का बाजार मूल्य पांच करोड़ रु. के करीब आंकलित किया गया था?

(4) क्या सरकार को शिकायत प्राप्त होने पर इस भूमि पर निर्मित किये जा रहे काम्प्लेक्स का निर्माण रुकवा कर जांच के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और वर्तमान में यथास्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व ग्राम देवाली के आराजी नम्बर 2107 से 2110, 2111 मी, 2839/2112, 2113 से 2118, 2121, 2122 कुल रकबा 1.1644 हेक्टेयर की 90

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

-बी का आदेश जारी किया गया, जिसमें से प्रार्थी की खातेदारी स्वामित्व 1,855 वर्ग फीट के साथ में राजकीय भूमि 4,031.50 वर्ग फीट को सम्मिलित करते हुए भूखण्ड संख्या-1 का कुल क्षेत्रफल 5,886.5 वर्ग फीट को न्यास द्वारा आबंटन पत्र दिनांक 26.02.2008 को जारी किया गया। उक्त आबंटन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.11.2007 अनुसार राजकीय भूमि में बसी कालोनी/योजनाओं का 5 बीघा तक के नियमन हेतु शक्तियां न्यास को प्रदान की गई, के अनुसरण में जारी किया गया, जिसकी नियमन राशि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.05.2000 के अनुसार आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेते हुए नियमन की कार्यवाही की गई थी । प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्रकरण का विधिक परीक्षण/जांच कराने के उपरान्त ही अनियमितता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) नियमन की गई खातेदारी की 1,855 वर्ग फीट भूमि के साथ में सटी हुई 4,031.5 वर्ग फीट राजकीय भूमि का नियमन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.11.2007 एवं 26.05.2000 के अनुसार राजकीय भूमि की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेते हुए किया गया था। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार विधिक परीक्षण/जांच कराने के उपरान्त ही नियमन में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) वर्तमान डी. एल. सी. दरों के अनुसार राजकीय भूमि 4,031.50 वर्ग फीट की कीमत रुपये 49,66,808 है। बाजार मूल्य का आकलन न्यास स्तर पर नहीं किया जाता है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार के द्वारा जांच के आदेश नहीं दिये गये। सम्बन्धित प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या-1 पर न्यास द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति बेसमेन्ट + G + 2 के विपरीत G + 3 का एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण तथा स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया था, जिसे न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 91-ए के तहत ध्वस्त करने के आदेश दिनांक 29.10.2013 को पारित किये गये। वर्तमान में स्थिति पूर्ववत है तथा नियमन से सम्बन्धित माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, प्रकरण संख्या 70/2012 मु.दी. कनिष्ठ खण्ड, जयपुर शहर दक्षिण, उदयपुर में वाद विचाराधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में तीस फीट चौड़ी सड़क पर बहुमंजिले भवनों का निर्माण

275. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में निजी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा तीस फीट की सड़क पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीस फीट की सड़क पर जो आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये थे, उन पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के बिल्डर्स द्वारा बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे बिल्डर्स के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार तीस फीट तथा चालीस फीट चौड़ी सड़क पर कितने फीट की ऊंचाई तक फ्लैटों का निर्माण किया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 के नियम 2.34 के अन्तर्गत 30 फीट सड़क पर बहुमंजिला (15 मीटर से अधिक) निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 फीट सड़क पर आबंटित आवासीय भूखण्डों पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के बिल्डर्स द्वारा बहुमंजिला भवनों (15 मीटर से अधिक ऊंचाई) का निर्माण नहीं किया गया है। जब ऐसे प्रकरण प्राधिकरण में ध्यान में आते हैं, तो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(3) प्रचलित जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 संशोधित 2011 के बिन्दु संख्या 8.11 अनुसार 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों में भवनों की देय ऊंचाई 12 मीटर (स्टिल्ट

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

का प्रावधान किये जाने पर अधिकतम 15 मीटर) तक सीमित होगी। 12 मीटर एवं इससे अधिक लेकिन 18 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर अधिकतम ऊंचाई सड़क की चौड़ाई के बराबर देय होगी। विनियम की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू सांगानेर रोड पर मिसिंग बाइपास का निर्माण

276. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्यू सांगानेर रोड "बाइपास" का भाग जो "मिसिंग बाइपास" कहलाता है, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मानचित्र संख्या ओ.एम./आर./एम./89/82, जो पृथ्वीराज नगर योजना का मानचित्र है, के अनुसार खसरा सं. 26, 27, 28, 31, 32, 33, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 186, ग्राम मान्यावास, जिस पर डी-6 इंजीनियर्स कालोनी व गणेश नगर-बी कालोनियां बसी हैं, से होकर अजमेर रोड 200 फीट बाइपास से मिलता है?

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट सं. 4728/2000 में अपने प्रति-उत्तर द्वारा राजस्थान सरकार के राज पत्र में, दिनांक 12 जुलाई, 1984 को प्रकाशित पृथ्वीराज नगर योजना की अधिसूचित सीमाओं, मास्टर प्लान का पश्चिमी बाइपास (न्यू सांगानेर बाइपास) की स्थिति, उदय नगर-बी के साथ एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की स्थिति, जो इस पश्चिमी बाइपास (न्यू सांगानेर बाईपास) के पूर्व में स्थित है व पृथ्वीराज नगर योजना इस बाइपास के पश्चिमी में स्थित है, को शपथ पत्र देकर सही मानते हुए, 21 मई, 2001 को प्रकाशित एक एन.आई.टी. को संलग्न कर खसरा सं. 26, 27, 28, 31, 32, 33, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 186 ग्राम मान्यावास से गुजरने वाले "मिसिंग बाइपास" के शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया था, तो क्या कारण है कि आज तक इस "मिसिंग बाइपास" का निर्माण नहीं हुआ व अब इसे मास्टर प्लान 2025 के मानचित्र में से भी हटा दिया गया है?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की जानकारी में है कि न्यू

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सांगानेर रोड पर बी-2 बाइपास की तरफ से आने वाले छोटे एवं भारी वाहन व अजमेर रोड-गोपालपुरा बाइपास की तरफ से आने वाले छोटे एवं भारी वाहन, इस "मिसिंग बाइपास" के नहीं बनने के कारण किसान धर्म कांटे के सामने अक्सर दुर्घटना के शिकार होते हैं एवं न्यू सांगानेर रोड पर बी.आर.टी.एस. का काम भृगु पथ तक आकर रुक गया है? तो क्या जयपुर विकास प्राधिकरण जन हित में इस पूरे प्रकरण की जॉच करा कर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट सं. 4728/2000 के प्रति-उत्तर द्वारा दिये गये अपने आश्वासन के अनुसार इस "मिसिंग बाइपास" का शीघ्र निर्माण करेगा और यदि नहीं तो किस कारण से? क्या इस "मिसिंग बाइपास" के नहीं बनाने के कारणों से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को अवगत कराया जायेगा?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के मानचित्र रिकार्ड शाखा में उपलब्ध मानचित्र संख्या ओ.एम./आर/एम/89/88 के अनुसार न्यू सांगानेर रोड से गोपालपुरा बाइपास को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क ग्राम मान्यावास के खसरा नं. 32, 26, 28, 27, 135, 136, 133, 132 में से प्रस्तावित थी, जो जाकर 200 फीट अजमेर रोड पर मिलना दर्शाया गया था। इस भाग को तदोपरान्त मास्टर प्लान 2025 में विलोपित कर दिया गया है। खसरा संख्या 26, 27, 28, 31, 32, 33, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 186, ग्राम मान्यावास पर डी-6 इंजीनियर्स कालोनी व गणेश नगर-बी कालोनियां बसी हैं।

(2) माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 4728/2000 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह उत्तर वर्ष 2001 में दिया था कि "प्राधिकरण द्वारा इस सड़क को शीघ्र बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा इसके लिये निविदा भी आमंत्रित कर ली गई है।" यह सही है कि अब मास्टर प्लान 2025 में सड़क का भाग विलोपित कर दिया गया है। अत: इस भाग पर सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(3) इस क्षेत्र में दुर्घटना से सम्बन्धित आंकड़े जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.07.2001 में प्रकरण निस्तारित करते हुए यह व्यवस्था दी है कि यदि इस सड़क का निर्माण उचित समयावधि में नहीं कराया जाता है, तो

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

याचिकाकर्ता द्वारा नवीन याचिका दायर की जा सकेगी। चूंकि मास्टर प्लान 2025 में सड़क नहीं दर्शायी गई है, अत: जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस सड़क के निर्माण हेतु कोई योजना नहीं है।

जयपुर जिले की रजनी विहार कालोनी, अजमेर रोड में सड़कों का निर्माण

277. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड, हीरापुरा पावर हाउस के पास, सहेली रेस्टोरेंट के पीछे रजनी विहार कालोनी बसी हुई है? यदि हां, तो कब से एवं इसमें किस-किस आकार के कितने-कितने प्लाट हैं? मय नक्शे के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में सड़कों का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो सड़क निर्माण किस आधार पर किया गया एवं किस-किस मकान नम्बर के आगे कब-कब सडक का निर्माण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में मकान नं. 382 से 399, 400 से 425 एवं 426 से 455 तक की तीन गलियों में सडक निर्माण नहीं कर कालोनीवासियों के साथ भेदभाव किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीन गलियों में सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार सड़क निर्माण में भेदभाव करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर रोड पावर हाउस के पास, सहेली रेस्टोरेन्ट के पीछे रजनी विहार कालोनी बसी हुई है। इस योजना के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि यह कब से बसी है। यह कालोनी दिनांक 17.08.1985 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित की गई थी, किन्तु दिनांक 21.11.1989 को इसे निरस्त कर दिया गया। उक्त कालोनी का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रिकार्ड नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 14.08.2012 को प्रस्तुत हुआ है। उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। समिति द्वारा प्रस्तुत योजना की सूची के अनुसार उक्त योजना में कुल 650 भूखण्ड हैं, जिनके क्षेत्रफल का विवरण संलग्न मानचित्र परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। रजनी विहार कालोनी में नगर निगम जयपुर द्वारा नगर निगम के क्षेत्र में न होने के बावजूद जनता की मांग एवं आवागमन में जनता को परेशानी नहीं हो, अत्यावश्यक स्थिति में, नगर निगम जयपुर के जन-प्रतिनिधि के क्षेत्र में आने के कारण नगर निगम जयपुर द्वारा इस कालोनी में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण मकान नं. 132 से 456 तक, मकान नं. 464 से 490 तक, मकान नं. 470-सी से 479 तक, मकान नं. 480ए से 490 तक माह अक्टूबर व नवम्बर, 2013 में तथा मकान नं. 456 से 464 तक माह अप्रैल, 2014 में कराया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रजनी विहार कालोनी में आन्तरिक सड़कों का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त कालोनी में सड़क निर्माण कार्य में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उक्त कालोनी की वर्णित तीन गलियों में सड़क निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव नगर निगम जयपुर में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

रजनी विहार पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में स्थित है, अतः जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के नियमन पश्चात ही नियमानुसार आन्तरिक सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। सड़क निर्माण में नगर निगम जयपुर द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पुष्कर में कायड़ स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की खनन लीज का आबंटन

278. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कायड़ स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को खनन लीज कितने हैक्टेयर क्षेत्र के लिए कितनी अवधि के लिए कब आबंटित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लीज में कौन-कौन से मिनरल/धातु/पदार्थ या अन्य प्रकार के खनिज का दोहन किया जा रहा है? जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक कौन-कौनसी धातु/मिनरल/पदार्थ का कितनी मात्रा में दोहन किया गया है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोहन किये गये मिनरल/धातु/पदार्थ का बाजार मूल्य क्या-क्या था? वर्षवार बाजार मूल्य की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त खनन लीज के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कौन-कौन से खसरों पर? खसरा नम्बर व रकबा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खनन कार्य से सरकार को जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक कितनी-कितनी राजस्व आय किन-किन मद में हुई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त मिनरल/धातु/पदार्थ के खनन कार्य से उक्त क्षेत्र के निवासियों में विभिन्न तरह की बीमारियां होने की पुष्टि हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी रोकथाम हेतु क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त खनन क्षेत्र से प्राप्त आय का निर्धारित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान है? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक कितना-कितना व्यय किन-किन विकास कार्यों पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, यशद भवन, स्वरूप सागर, उदयपुर के पक्ष में क्षेत्रफल 480.45 हेक्टेयर निकट ग्राम कायड़, तहसील व जिला अजमेर खनिज लेड, जिंक एवं एसोसियेटेड मिनरल शासन के आदेश क्रमांक 17(57)खान/ग्रुप-1/93 दिनांक 03.10.1997 से संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया, जिसका संविदा निष्पादन 12.01.1998 को हुआ एवं पंजीयन दिनांक 28.02.1998 को हुआ एवं इसी तिथि से खनन पट्टा 20 वर्ष हेतु प्रभावशील है ।

(खान मंत्री)

(2) उक्त लीज में खनिज लेड, जिंक और उससे सम्बन्धित अन्य खनिज ओर, स्फलाइट, गैलेना का दोहन किया जा रहा है । खनन पट्टों में सितम्बर, 2012 से उत्पादन शुरू हुआ है । वर्ष 2012-13 में 39,070.85 टन, 2013-14 में 1,40,860 टन, 2014-15 में (जून, 2014 तक) 37,000 टन खनिज का दोहन किया गया है।

(3) उक्त खनिज का मूल्य लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) द्वारा निर्धारित यू.एस. डालर में निर्धारित किया जाता है। कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोहन किये गये मिनरल/धातु/पदार्थ का बाजार मूल्य वर्षवार निम्नानुमार है :-

वर्ष	बाजार मूल्य (करोड़ रुपये में)
2012-13	34
2013-14	145
2014-15	40

(4) खनन लीज के क्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु कम्पनी ने कोई आवेदन पत्र कार्यालय खनिज अभियन्ता, अजमेर में प्रस्तुत नहीं किया है। यद्यपि नवीन पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के 2 एवं नवीन खनन पट्टे हेतु 1 आवेदन पत्र उक्त क्षेत्र में लगाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) उक्त खनन कार्य से राज्य सरकार को राजस्व मद (0853) में निम्नानुसार आय प्राप्त हुई है :-

क्र. सं.	वर्ष	अधिक रायल्टी पेटे प्राप्त राजस्व (लाखों रुपये में)	स्थिरभाटक पेटे (लाख रुपये)
1	2009-10	निल	11.40
2	2010-11	निल	14.41
3	2011-12	निल	14.41
4	2012-13	240.40 लाख	14.41
5	2013-14	1174.89 लाख	14.41
6	2014-15 (जून, 14 तक)	262.01 लाख	3.60

(खान मंत्री)

(6) उक्त मिनरल धातु/पदार्थ के खनन कार्य से उक्त क्षेत्र के निवासियों में बीमारी का कोई भी प्रकरण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः सूचना शून्य है।

(7) जी हां। यह सही है कि उक्त खनन क्षेत्र से प्राप्त आय का 2 प्रतिशत हिस्सा विकास कार्य पर खर्च करने का प्रावधान है। कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पनी शुरू से ही अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है एवं वर्ष जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक 1 करोड़ 28 लाख रुपये क्षेत्र के विकास कार्यों जैसे स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आधारभूत संरचना विकास, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण व अन्य संस्कृति व सामाजिक विकास की गतिविधियों पर खर्च किया जा चुका है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग अजमेर (राज.)

सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत खनिज लेड जिंक एवं एसोसियेटेड मिनरल के प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण :-

क्रम संख्या	आवेदन पत्र सं.	आवेदित तिथि	क्षेत्र का विवरण	आवेदन पत्र की वर्तमान प्रगति
1	ख.प. 15/92	09.06.92	क्षेत्रफल 331.39 हैक्टेयर निकट ग्राम भूणावाय, काकरदा तहसील व जिला अजमेर	उक्त खनन पट्टा शासन के आदेश क्रमांक-17(10)/खान/ग्रुप-2/93 दिनांक 28-5-1993 द्वारा क्षेत्रफल 327 हैक्टेयर की स्वीकृति जारी की गयी। कम्पनी द्वारा समय पर संविदा निष्पादन नहीं कराने के कारण शासन के आदेश दिनांक 30-10-97 से उक्त स्वीकृति आदेश दिनांक 28-5-93 को प्रतिसंहृत/रिवोक किया गया जिसके विरुद्ध कम्पनी द्वारा भारत सरकार के समक्षी रिवीजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार के अंतिम आदेश दिनांक 15-11-2000 से प्रकरण को रिमाण्ड किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा क्षेत्र में नगर सुधार न्यास अजमेर की आने वाली भूमि दीपक नगर योजना के सम्बन्ध में नगर सुधार न्यास अजमेर से अनापत्ति लिये जाने के भी निर्देश हैं। कम्पनी के निवेदन पर प्रस्तावित क्षेत्र 327 हेक्टेयर के

क्रम संख्या	आवेदन पत्र सं.	आवेदित तिथि	क्षेत्र का विवरण	आवेदन पत्र की वर्तमान प्रगति
				स्थान पर 339.39 हैक्टेयर करने के एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने पर निदेशालय द्वारा शासन का पत्र दिनांक 08-12-08 से स्वीकृति आदेश 28.5.93 को रेस्टोर करने हेतु प्रस्तावित किया गया। कालांतर में आवेदन पत्र शासन स्तर पर विचाराधीन है। उक्त क्षेत्र कांकरदा भूणावाय में जिंक उपलब्धता वाला क्षेत्र नगर सुधार न्यास अजमेर की दीपक नगर योजना का भाग है एवं सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को सरफेस राइट की भूमि 54.89 हेक्टेयर न्यास की दीपक नगर योजना से डी-नोटिफाइड करने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना अपेक्षित है।
2	पू.अ. 91/04	09.09.04	क्षेत्रफल 24.08 वर्ग कि.मी. निकट ग्राम कायड, चाचियावास तहसील व जिला अजमेर	निदेशालय को कार्यालय पत्रांक-2864 दिनांक 28.11.11 से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3	पू.अ. 4/13	18.02.13	क्षेत्रफल 21.82 वर्ग कि.मी. निकट ग्राम छतरी, कायमपुरा, चाचियावास तहसील व जिला अजमेर	कमी पूर्ति हेतु आवेदक कम्पनी को कार्यालय स्तर नोटिस जारी किया गया।

राजकीय कार्यालयों से फाइल/रिकार्ड चोरी के दर्ज प्रकरण

279. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभिन्न राजकीय कार्यालयों में फाइलों तथा रिकार्डों के चोरी होने के प्रकरणों की लगातार बढ़ती घटनाओं के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फाइलों तथा रिकार्डों को सुरक्षित करने तथा चोरी के पश्चात् FIR पर प्रभावी कार्यवाही कर फाइलों व रिकार्डों को पुन: स्थापित करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? गत पांच वर्षों में विभागवार फाइलों की चोरी तथा FIR की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न राजकीय कार्यालयों में फाइलों तथा रिकार्डों में चोरी होने के प्रकरणों की लगातार बढ़ती घटनाओं के कारण घटनावार विवरण, परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभिन्न विभागों से प्राप्त अभिलिखित पत्रावलियों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है, जिन्हें लाक करने की व्यवस्था है। रिकार्ड कक्ष को कार्यालय बन्द करते समय अनुभागाधिकारी के हस्ताक्षर से सील किया जाता है। रिकार्ड कक्ष अनुभागाधिकारी की देखरेख में खोला जाता है। यघपि चोरी की सम्भावना नगण्य है। तथापि यदि ऐसी कोई घटना घटित हो, तो एफ आई आर दर्ज करायी जा सकती है। राज्य में गत पांच वर्षो के विभागवार फाइलों की चोरी तथा एफ आई आर की प्रगति/कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फसलों की सुरक्षा हेतु रोजड़ों से मुक्ति की योजना

280. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रोजड़ा (नीलगाय) के मुक्त विचरण, व आक्रमक व हिंसक रवैये से सड़कों आदि पर दुर्घटनायें होती रहती हैं और इन दुर्घटनाओं में मनुष्यों की मृत्यु भी कारित होती है और वे विकलांग भी हो जाते हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शैतानसिंह)

(2) क्या सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोजड़ों के मुक्त विचरण पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या सरकार की रोजड़ों द्वारा कारित मृत्यु व विकलांगता पर क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजे की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में रोजडा नीलगाय के कारण निम्नलिखित दुर्घटनाएं हुई हैं:-

क्रम सं.	नाम जिला	कुल दर्ज मुकदमों की संख्या	उक्त मुकदमों में कुल मृतक व्यक्तियों की संख्या	उक्त मुकदमों में कुल विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1	चित्तौड़गढ़	5	5	0
2	जालौर	13	8	9
3	जोधपुर ग्रामीण	2	2	0
4	झुन्झुनूं	2	5	0
5	पाली	2	2	0
6	राजसमन्द	1	0	0
7	सीकर	2	2	0
योग		**27**	**24**	**9**

(2) वन्य जीवों के वन क्षेत्रों से सड़कों, आदि पर विचरण के संभावित स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन सीमा पर पक्की दीवार निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार की बाड़बन्दी से वन्य जीवों को वन क्षेत्र में सीमित रखने में सहायता मिलती है, साथ ही वन क्षेत्रों के समीपस्थ कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा भी होती है।

(3) वन्य जीवों द्वारा जन हानि अथवा घायल किए जाने पर मुआवजा/एक्स ग्रेशिया राशि के भुगतान का प्रावधान है। इसमें रोजड़ों द्वारा

(गृह मंत्री)

कारित घटनाएं भी सम्मिलित हैं। मुआवजे में दी जाने वाली राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) जनहानि होने पर रु. 2,00,000;

(2) स्थायी अयोग्य होने पर रु. 1,00,000; व

(3) अस्थायी अयोग्य होने पर रु. 20,000 ।

सायपुरा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना

281. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से जून, 2014 तक पुलिस थाना आमेर एवं ए सी पी, आमेर के यहां भूमि विवाद, भू-माफियाओं एवं वैध निर्माण को असामाजिक तत्वों द्वारा भुजबल से अनाधिकृत रूप से रुकवाने सम्बन्धी कितनी नामजद शिकायतें व्यक्तिगत रूप से लिखित में एवं सुगम समाधान के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और उन पर पुलिस ने कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की? प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2012 से मई, 2014 तक पुलिस थाना आमेर में ऐसे कितने मामलों में राजस्व न्यायालयों पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने के निर्देश/आदेश प्राप्त हुए और उन पर पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? राजस्व न्यायालयों के आदेश की प्रति, पीड़ित पक्षकार का नाम, भूमि का खसरा नं. रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़ स्थित आराजी खसरा नम्बर 224/1 में तकासमा शुदा भूमि पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराकर बाउण्ड्री वाल व अन्य निर्माण कार्य कराने व राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना कराने हेतु पीडित पक्षकारान ने पुलिस थाना आमेर में गुहार की थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कुछ असामाजिक तत्वों, भू-माफियाओं के विरुद्ध वैध निर्माण कार्य में अनाधिकृत रूप से बाधा डालने, झगड़ा-फसाद

(श्री मदन राठौड़)

करने, धमकियां देने के लिए नामजद शिकायतों, के प्रकरण दर्ज कराये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध तथा दोषियों के विरुद्ध पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य आपराधिक कानून के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस थाना आमेर अन्तर्गत चौकी में कार्यरत पुलिस कार्मिकों द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों, भू-माफियाओं को अवैध रूप से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अब पुलिस थाना, आमेर द्वारा ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़ स्थित आराजी खसरा नम्बर 224/1 में तकासमा शुदा भूमि पर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराकर बाउण्ड्री वाल व अन्य निर्माण कार्य कब तक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 2013 से अब तक पुलिस थाना आमेर एवं ए सी पी, आमेर के यहां भूमि विवाद, भूमाफियाओं एवं वैद्य निर्माण को असामाजिक तत्वों द्वारा भुजबल से अनाधिकृत रूप से रुकवाने सम्बन्धी कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्राप्त शिकायतों व की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) वर्ष 2012 से मई, 2014 तक पुलिस थाना आमेर में निम्न कुल 7 मामलों में राजस्व न्यायालयों से पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने के निर्देश/आदेश प्राप्त हुए। उन पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही, पीड़ित पक्षकार का नाम, भूमि का खसरा नं., रकबा सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। राजस्व न्यायालयों के आदेश की प्रतियां संलग्न हैं।

क्र.सं;	पीड़ित का नाम
1	हनिड्यूरेंज (राज परिवार)
2	दा ब्राईट स्टार इन्फान्ट्र प्रा. लि.
3	सरकारी जमीन, गांव गुणावता

(गृह मंत्री)

क्र.सं;	पीड़ित का नाम
4	सरकारी जमीन, गांव चक चैनपुरा
5	सरकारी जमीन, गांव चक नटाटा
6	खेमराज, गांव नटाटा
7	तहसीलदार भू-अभिलेख तहसील आमेर, गांव सांगावाला

(3) पुलिस थाना आमेर पर परिवादी श्री अमित भार्गव द्वारा दिनांक 22.2.2014 को परिवाद पेश किया गया, जिसके साथ राजस्व न्यायालय द्वारा जारी डिक्री व अन्य दस्तावेज पेश किये गये थे डिक्री में तकासमा शुदा भूमि पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराकर बाउण्ड्री वाल व अन्य निर्माण कार्य कराने बाबत राजस्व न्यायालय द्वारा पुलिस को आदेश नहीं दिया गया था। डिक्री की पालना के लिए तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेशित किया गया था। परिवाद की जांच जारी है।

(4) 1. परिवादी श्री अमित भार्गव की रिपोर्ट दिनांक 24.04.2013 को पुलिस थाना आमेर पर प्राप्त होने पर गैरसायल उदय मीणा व रामप्रसाद के खिलाफ धारा 107, 116 जा. फौ. का इस्तगासा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, जयपुर उत्तर के पेश किया जा चुका है तथा परिवादी द्वारा एक परिवाद दिनांक 22.02.2014 रामप्रसाद शर्मा, उदय मीणा व राकेश मीणा के विरुद्ध पेश किया है। परिवाद की जांच जारी है। जांच से जैसी सूरत होगी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी

2. परिवादी योगेश की रिपोर्ट पर गैरसायल प्रभाती लाल, बाबूलाल, विनोद कुमार, सूरजकुमार के खिलाफ इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) जा.फौ. में पेश किया गया।

3. परिवादी रघुनाथ मीणा की रिपोर्ट पर गैर सायल रामलाल, श्रीमती फूली देवी व रामनारायण मीणा के खिलाफ इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) जा.फौ. में पेश किया गया।

4. परिवादी नानगराम की रिपोर्ट पर गैर सायल नानूराम, तोफाराम व दामोदर के खिलाफ इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) जा.फौ. में पेश किया गया।

5. परिवादिया श्रीमती पांची देवी की रिपोर्ट पर गैरसायल श्रीमती कानी देवी, इन्द्राज व लालाराम के खिलाफ इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) जा.फौ. में पेश किया गया।

(गृह मंत्री)

6. मु. न. 182/13 धारा 447 आई पी सी में परिवादी श्री संजय शर्मा की रिपोर्ट पर बाद –अनुसंधान मुलजिम अजय शर्मा के विरुद्ध चार्जशीट नंबर 105/13 धारा 447 आई पी सी में पेश न्यायालय किया गया।
7. प्रकरण संख्या 501/13 धारा 447, 504 आई पी सी परिवादी सोहनलाल की रिपोर्ट मुल. सीताराम मीणा के विरुद्ध चार्जशीट नंबर 173/14 धारा 447, 504 आई पी सी में पेश न्यायालय किया गया।
8. मुकदमा नम्बर 28/14 धारा 447, 504, 34 आई पी सी परिवादी गोविन्द नारायण की रिपोर्ट पर मुल. मंगल चंद, ओमप्रकाश के विरुद्ध चार्जशीट नंबर 57/14 धारा 447, 504, 34 आई पी सी में किता कर चालान न्यायालय में पेश किया गया है
9. प्रकरण संख्या 219/13, 248/13, 369/13 व 95/14 में अपराध प्रमाणित नहीं पाये जाने पर एफ आर कता की गई।

(5) पुलिस थाना आमेर के अधीन चौकी में कार्यरत पुलिस कार्मिकों द्वारा किसी भी भू-माफिया व असामाजिक तत्व को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। परिवादी अमित भार्गव की रिपोर्ट प्राप्त होने पर गैर सायलान रामप्रसाद व उदय मीणा के खिलाफ इस्तगासा नियमानुसार अन्तर्गत धारा 107,116 (3) जा.फौ. में पेश किया गया है।

(6) पुलिस थाना आमेर, ग्राम सायपुरा, तह. जमवारामगढ़ स्थित आराजी खसरा नम्बर 224/1 में तकासमा शुदा भूमि पर राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री की पालना हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान पुलिस द्वारा जमीनी सुरक्षा हेतु संचालित बीट व्यवस्था

282. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस द्वारा जमीनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीट व्यवस्था को सुदृढ किया गया है? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में बीट व्यवस्था के अन्तर्गत कितनी बीटों की रचना की गई है और प्रत्येक बीट का कौन-कौन सा क्षेत्र निर्धारित कर उसका प्रभारी बनाया गया है? प्रत्येक बीट के गठन और उसके क्षेत्राधिकार का विवरण सदन की

(श्री धीरज गुर्जर)

मेज पर रखें।

(2) क्या इन बीटों के सुचारु संचालन और निगरानी के लिए पुलिस प्रशासन के किस-किस अधिकारी को सुपरविजन सौंपा गया है और उनके द्वारा की गई निगरानी, चैकिंग और सुपरविजन की पिछली छह माह में की गई रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) इस बीट व्यवस्था के लागू होने पर सामने आयीं खामियों अथवा कमियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बीट व्यवस्था में सभी बीट क्षेत्रों में बीट अधिकारी के नाम व मोबाइल नम्बर अंकित करने का प्रावधान है? व्यवस्थान्तर्गत लगाये गये पुलिस सिपाहियों के स्थानान्तरण पश्चात् भी बीट में इनके चस्पा किये गये नाम व टेलीफोन व मोबाइल नम्बर समय पर नहीं बदले जाते हैं। क्या जन हितार्थ नाम व मोबाइल नम्बर बदले जावेंगे? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान पुलिस द्वारा जनता की जान माल की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था मजबूत बनाने हेतु बीट व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

भीलवाड़ा जिले में बीट व्यवस्था के अन्तर्गत 32 थाना क्षेत्रों में 1,086 बीटों की रचना की गई है। प्रत्येक बीट का क्षेत्र निर्धारित कर उसका प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम नम्बर 4 व 5 पर अंकित है।

(2) इन बीटों के सुचारु संचालन व निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है व सम्बन्धित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृताधिकारियों एवं थानाधिकारियों, बीट सुपरवाइजरी अधिकारियों द्वारा सुपरविजन व चैकिंग की जाती है। बीट सिस्टम के सुपरविजन के सम्बन्ध में बीट बुक में ही नोट अंकित किये जाते हैं। उसके लिए पृथक से कोई रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया नहीं है।

(3) बीट व्यवस्था को सुदृढ़ कर लागू किये जाने के उपरान्त, थानों में तैनात स्टाफ स्वीकृत नफरी से कम होने से बीटों में तैनात लोगों पर अतिरिक्त कार्य का भार बढ़ा है।

(गृह मंत्री)

(4) जी हां। यह सही है कि बीट व्यवस्था में सभी बीट क्षेत्रों में बीट अधिकारी के नाम व मोबाइल नम्बर अंकित किये जाते है | बीट व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त सिपाहियों के स्थानान्तरण के पश्चात इनके नाम व मोबाइल नम्बर बदले जाते रहे हैं। पिछले 2 वर्षो से सभी सिपाहियों को सी.यू.जी. मोबाइल नम्बर आबंटित किये जा चुके हैं जो उनके स्थानान्तरण पर नहीं बदलते हैं, सिर्फ नवनियुक्त सिपाहियों के नाम बदलकर अंकित किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा में लम्बित प्रकरण

283. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस प्रशासन में पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य व दायित्व निर्वहन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही कई पत्रों व पत्रावलियों का निस्तारण किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में हजारों प्रकरण, जिनमें चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृतियां, पुलिस फोर्स, मंत्रालयिक संवर्ग व अन्य कार्मिकों सम्बन्धित प्रकरणों, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, शस्त्र अनुज्ञा पत्र सत्यापन तथा कई सेवा सम्बन्धी सत्यापन, इत्यादि लम्बे समय से विचाराधीन हैं और उनका निस्तारण नहीं होने से सम्बन्धित को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) यदि नहीं, तो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विचाराधीन पत्रों, पत्रावलियों एवं प्रकरणों की कार्यालय में पहुंच की तिथि सहित वर्गीकरण कर उनके निस्तारण अथवा निर्णीत नहीं होने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक भी पत्रावली चालान स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

पुलिस फोर्स व अन्य कार्मिक सम्बन्धी 9 प्रकरण, नियुक्ति सम्बन्धी 1, वेतन निर्धारण/वृद्धि सम्बन्धी 38 प्रकरण, पासपोर्ट सत्यापन के 86 प्रकरण, शस्त्र अनुज्ञापत्र के 7 प्रकरण, सर्विस सत्यापन के 8 प्रकरण, लम्बित

(गृह मंत्री)

हैं, जो सामान्य प्रक्रिया के तहत लम्बित हैं। वर्तमान समय में कोई सत्यापन अवधिपार नहीं है। वर्तमान में जो प्रकरण लम्बित हैं, उनका निश्चित समयावधि में निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पुलिस अधीक्षक कार्यालय भीलवाडा में विचाराधीन पत्रों, पत्रावलियों एवं प्रकरणों की पहुंच की तिथि व निर्णीत नहीं होने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केशोरायपाटन के थानों/पुलिस चौकियों में दर्ज प्रकरण

284. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में कितने वृत्त कार्यालय, थाने व पुलिस चौकियां कार्यरत हैं? प्रत्येक में स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक कार्यालय में पिछले तीन वर्षों में रजिस्टर्ड एफ.आई.आर./प्रतिवेदन की दिनांक, निस्तारण दिनांक एवं बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में 3 वृत्त कार्यालय व 9 थानें व 9 पुलिस चौंकियां कार्यरत हैं। इनमें स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के थानों में पिछलें तीन वर्षो (2011, 2012, 2013) में दर्ज एफ आई आर, निस्तारण व बकाया का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिरोही व शिवगंज तहसील में गोचर व ओरण भूमि पर अतिक्रमण

285. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुखराम विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि सिरोही व शिवगंज तहसील में गोचर व ओरण भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुए हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण ग्राम सेवक, पटवारी, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं विकास अधिकारी की मिलीभगत से हुए हैं?

(3) सिरोही व शिवगंज तहसील में प्रत्येक गांव में गोचर व ओरण भूमि पर हुए कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण का ग्रामवार, खसरावार मय निर्माण, अतिक्रमी व्यक्तियों की सूची का विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गोचर एवं ओरण भूमि के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिरोही व शिवगंज तहसील में गोचर व ओरण भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं।

(2) जी नहीं। उक्त अतिक्रमण ग्राम सेवक, पटवारी, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं विकास अधिकारी की मिलीभगत से होने की जानकारी नहीं है।

(3) सिरोही व शिवगंज तहसील में गोचर व ओरण भूमि पर हुए अतिक्रमणों का ग्रामवार, खसरावार, कच्चा/पक्का, नाम अतिक्रमी का विवरण, तहसील सिरोही का परिशिष्ट "अ" एवं तहसील शिवगंज का परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है जो एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण के राजस्व ग्रामों का स्थानान्तरण प्रकरण

286. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण एवं उप-तहसील सेन्दड़ा के कई राजस्व गांवों को पाली जिले से अजमेर जिले में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जैतारण एवं उप-तहसील सेन्दड़ा के राजस्व गांवों को पाली जिले से अजमेर जिले में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव वर्तमान में राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं हैं।

करौली कस्बे की भूमि के सैटलमेंट में अनियमिताएं

287. श्री दर्शन सिंह (करौली) व **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा करौली जिला करौली में विभाग को भूमि के सेटलमेंट में अनेकों अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षो में किन-किनके द्वारा व क्या-क्या? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कस्बा करौली जिला करौली स्थित साविक खसरा नम्बर 3500 लगायत 4000 हाल खसरा नम्बर 4500 लगायत 5000 की मिलान ट्रेस सेटलमेंट सम्वत् 2015 की मोमिया सीट मय नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी, गिरदावरी के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बा करौली जिला करौली में भूमि के सेटलमेंट से सम्बन्धित हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में गत 3 वर्षो में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) वर्तमान में जिला करौली के कस्बा करौली में भू-प्रबन्ध संक्रियाएं जैरकार हैं।

कस्बा करौली जिला करौली स्थित साबिक खसरा नम्बर 3500 लगायत 4000 हाल खसरा नम्बर 4500 लगायत 5000 का नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल (मिलान क्षेत्र में खसरा नम्बर 4993 से 5000 तक का अंकन नहीं है) तथा गिरदावरी सम्वत् 2014-15 की जिल्द पुरानी होने के कारण खसरा नम्बर 3500 से 3585 तक उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 3586 से 4000 तक की प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्व विभाग (चूरू) में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरण

288. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजकुमार रिणवां)

(1) राजस्व विभाग, चूरू जिले में मंत्रालयिक कार्मिकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? जिला उपखण्ड एवं तहसील वार स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत पदों में से अधिकतर पद रिक्त हैं? यदि हां, तो श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक स्तर के पदों के बाद के पद यथा वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक, अधीक्षक, आदि पदों को पदोन्नति से भरा जाता है? यदि हां, तो चूरू जिले में राजस्व विभाग में पदोन्नति कब-कब की गई? गत 10 वर्षों में की गई पदोन्नतियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग, चूरू में अधिकतर मंत्रालयिक कर्मचारी पदोन्नति से वंचित चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मियों की पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व विभाग में चूरू जिले में मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल 145 पद स्वीकृत हैं। जिला उपखण्ड एवं तहसीलवार स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद			
		कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय सहायक	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक
1	कलेक्ट्रेट चूरू	1	13	7	19
2	उपखण्ड चूरू	-	-	2	2
3	उपखण्ड सरदारशहर	-	-	1	3
4	उपखण्ड सुजानगढ़	-	-	1	3
5	उपखण्ड बीदासर	-	-	1	2
6	उपखण्ड रतनगढ़	-	-	3	3
7	उपखण्ड राजगढ़	-	-	2	3

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद			
		कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय सहायक	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक
8	उपखण्ड तारानगर	-	-	-	3
9	तहसील चूरू	-	-	2	7
10	तहसील सरदारशहर	-	-	2	8
11	तहसील सुजानगढ़	-	-	2	8
12	तहसील बीदासर	-	-	1	2
13	तहसील रतनगढ़	-	-	2	8
14	तहसील राजगढ़	-	-	2	8
15	तहसील तारानगर	-	-	1	5
4	अन्य मदों में स्वीकृत	-	-	8	10
	योग	**1**	**13**	**37**	**94**

(2) जी हां। चूरू जिले में स्वीकृत पदों में से काफी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं। श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
कार्यालय अधीक्षक	1	1
कार्यालय सहायक	13	13
वरिष्ठ लिपिक	37	28
कनिष्ठ लिपिक	94	22
योग	**145**	**64**

(3) जी हां। यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक स्तर के पदों के बाद के पद यथा वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय अधीक्षक, आदि पदों को पदोन्नति से भरा जाता है। जिले में गत 10 वर्षों में पदोन्नति की कार्यवाही निम्नानुसार की गई है :-

क्र.सं.	वर्ष जिसकी डीपीसी की गई	डीपीसी किये जाने की दिनांक
1	2003-04	06.06.2003
2	2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07	17.10.2006
3	2008-09	30.05.2008

(राजस्व मंत्री)

डी पी सी का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर में किये गये संशोधन का प्रकरण राज्य स्तर पर समीक्षाधीन है। निर्णय उपरान्त पदोन्नति से सम्बन्धित रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झालरापाटन ग्राम तहसील रामपुर (पाली) की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण

289. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम झालरापाटन, पटवार हल्का भवरा, तहसील रामपुर, पाली में कुल कितनी खातेदारी भूमि है व किस-किस के नाम से है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की खसरा नं. 325 की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो उक्त खसरे का मालिकाना हक किसका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को शिकायतें की गयी हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रतियां एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, पाली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत ग्राम झालरापाटन, पटवार हल्का भवरा, तहसील रामपुर, पाली में अवस्थित नहीं होना बताया गया है।

(2) शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(3) शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(4) शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु तीर्थ यात्रा योजना

290. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई थी? यदि हां, तो कब व इसके क्या उद्देश्य थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को किन-किन तीर्थ स्थानों की कब-कब यात्रा कराई गई और उसमें सरकार द्वारा कितनी धनराशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो अब इस हेतु आवेदन लेना कब से प्रारम्भ किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट घोषणा संख्या 237 के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत मई 2013 में की गई। योजना के तहत प्रथम स्पेशल ट्रेन 3 अगस्त, 2013 को रवाना की गई। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान मूल के वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।

(2) उक्त योजना के तहत 41,384 व्यक्तियों को 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई गई। यात्रा संचालन तिथि एवं यात्रियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इस यात्रा पर राज्य सरकार द्वारा रुपये 5,472.24 लाख का व्यय किया गया।

(3) वर्तमान में उक्त योजना को बन्द किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आवेदन लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन/ निर्णयाधीन है।

परिशिष्ट-1

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 के अन्तर्गत

यात्रियों की तीर्थ स्थलवार सूचना

ट्रेन संख्या	संचालन तिथि	कहां से	कहां को	यात्रियों की संख्या
1	8/3/2013	जयपुर	रामेश्वरम्	991

ट्रेन संख्या	संचालन तिथि	कहां से	कहां को	यात्रियों की संख्या
2	8/4/2013	जोधपुर	जगन्नाथपुरी	992
3	8/12/2013	भरतपुर	द्वारिकापुरी	937
4	8/13/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	1001
5	8/14/2013	बीकानेर	रामेश्वरम्	1002
6	8/18/2013	भरतपुर	रामेश्वरम्	994
7	8/22/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	1009
8	8/24/2013	उदयपुर	सम्मेदशिखर	843
9	8/28/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1004
10	9/1/2013	उदयपुर	वैष्णो देवी	960
11	9/3/2013	जयपुर	तिरूपति	995
12	9/8/2013	उदयपुर	जगन्नाथपुरी	987
13	9/8/2013	भरतपुर	रामेश्वरम्	987
14	9/11/2013	बीकानेर	जगन्नाथपुरी	938
15	9/16/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	1005
16	9/17/2013	भरतपुर	द्वारिकापुरी	949
17	9/20/2013	जोधपुर	रामेश्वरम्	999
18	9/23/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1113
19	9/25/2013	जयपुर	रामेश्वरम्	992
20	9/30/2013	जयपुर	शिरडी	1111
21	10/3/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1132
22	10/4/2013	बीकानेर	तिरूपति	825
23	10/9/2013	जयपुर	रामेश्वरम्	869
24	10/13/2013	बीकानेर	रामेश्वरम्	927
25	10/13/2013	भरतपुर	गोवा-चर्च	1225
26	10/19/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	937
27	10/21/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1106
28	10/23/2013	जोधपुर	जगन्नाथपुरी	856
29	10/29/2013	उदयपुर	बिहार शरीफ	750
30	11/7/2013	जोधपुर	रामेश्वरम्	805

ट्रेन संख्या	संचालन तिथि	कहां से	कहां को	यात्रियों की संख्या
31	11/7/2013	जयपुर	तिरूपति	886
32	11/9/2013	कोटा	रामेश्वरम्	896
33	11/15/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	812
34	11/17/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	961
35	11/19/2013	भरतपुर	जगन्नाथपुरी	944
36	11/24/2013	उदयपुर	वैष्णोदेवी-अमृतसर	750
37	12/4/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	1001
38	12/6/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	854
39	12/14/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	770
40	12/16/2013	अजमेर	जगन्नाथपुरी	906
41	1/5/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	840
42	1/7/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	861
43	1/15/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	792
44	1/17/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	870
			योग	**41384**

मारवाड़ जंक्शन में गोचर भूमि का वन भूमि में हस्तान्तरण

291. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में गोचर भूमि के नये खसरों को वन क्षेत्र में जोड़ा गया है? यदि हां, तो यह नीति कब से प्रारम्भ की गई तथा गोचर भूमि के नये खसरे कितने जोड़े गये हैं? क्या गोचर भूमि पशुओं के चरने के लिए है या वन क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए है?

(2) वर्ष 2000 में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में गोचर भूमि से वन क्षेत्र में कितने खसरे किस आदेश से अमल दरामद हुए? क्या सरकार पुन: इस भूमि को ग्राम पंचायतों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) क्या सरकार वन क्षेत्रों में वन पथ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो वन नाका सारण में गुडा धामावता से बायड़, मायला गुड से करून्दों की नाल, डिगोर से काजलवास के वन पथ कब तक बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वन्य जीव प्रभाग अधीन सरिस्का बाघ परियोजना अन्तर्गत गोचर भूमि के 5 खसरों को तहसीलदार बानसूर द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज किया गया है। गोचर भूमि को वन क्षेत्र में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है। गोचर भूमि की उपादेयता, अनुकूलता के आधार पर विनिश्चय कर राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में सम्मिलित करने का निर्णय किया जाता है। गोचर भूमि पशुओं के चरने के लिए होती है।

(2) वर्ष 2000 में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में गोचर भूमि के किसी भी खसरा नम्बर को वन क्षेत्र में नहीं जोड़ा गया है। अत: पुन: ग्राम पंचायतों को सम्भलाये जाने का प्रश्न नहीं है।

(3) जी हां। राज्य में अभयारण्य अधीन वन क्षेत्रों में वन पथों को बनाना अभयारण्य की प्रबन्धकीय आवश्यकतानुसार किया जाता है। वन नाका सारण में गुड़ा धामावता से बायड़, मायला गुड़ा से करून्दों की नाल, डिगोर से काजलवास के कच्चे रास्ते बने हुए हैं, जिनका उपयोग स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा आवागमन के लिए किया जाता है।

प्रदेश की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि

292. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किस-किस फसल के लिए किस-किस दर से समर्थन मूल्य निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों की फसल की लागत समर्थन मूल्य से अधिक आ रही है जिससे किसानों को हानि उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में सभी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस फसल के लिए कितना-कितना समर्थन मूल्य व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम/नेफैड के लिए गेहूं, चना, सरसों एवं मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई है। वर्ष 2013-14 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित प्रश्नोत्तरी में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को प्रस्ताव भिजवाये जाते हैं। इसी प्रकार के प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी आयोग को भिजवाये जाते हैं। आयोग सभी राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर समर्थन मूल्य हेतु अपनी सिफारिश भारत सरकार को करता है। भारत सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश के आधार पर एवं अन्य पहलुओं पर विचारोपरांत समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों से कृषि ऋण की वसूली

293. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसान जब बैंक से ऋण लेते हैं तो बीमा कम्पनियां किसान को बिना बताये प्रीमियम राशि काटकर उसकी फसल का बीमा कर देती हैं? यदि हां, तो बैंकों द्वारा बीमा कम्पनियों के माध्यम से किसानों के किये गये कृषि बीमा का राजस्थान में कितने किसानों को मुआवजा दिलाया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बैंकों द्वारा किसानों के कृषि ऋण लेने के उपरान्त बीमा कम्पनियां कितनी प्रीमियम राशि वसूल करती हैं तथा क्या फसल अनुसार बीमा किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋण लेने वाले कृषकों के लिए फसल बीमा करवाना अनिवार्य है। बीमित कृषकों को दिए गए बीमा क्लेम (खरीफ 2010 से खरीफ 2013 तक) का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना में खाद्यान्न एवं तिलहनी

(कृषि मंत्री)

फसलों के लिए बीमित राशि का खरीफ में अधिकतम 10% एवं रबी में अधिकतम 8% तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 12% सीमा तक प्रीमियम लिया जाता है। बीमा फसल अनुसार किया जाता है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलों के लिए बीमित राशि का खरीफ में अधिकतम 11% एवं रबी में अधिकतम 9% तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए रबी व खरीफ दोनों में अधिकतम 13% सीमा तक प्रीमियम लिया जाता है।

परिशिष्ट-1

वर्षवार/जिलेवार बीमा क्लेम एवं कृषकों की संख्या का विवरण

जिला	खरीफ 2010		रबी 2010-11		खरीफ 2011		रबी 2011-12		खरीफ 2012		रबी 2012-13		खरीफ 2013	
	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या	बीमा क्लेम (राशि रुपये में)	बीमा क्लेम दिये जाने वाले कृषकों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
अजमेर	1578950	16975	132078424	100756	45330797	179116	186356276	129851	216516167	338778	160262672	156154	42677107	313699
बांसवाड़ा	15047607	38491	121178253	30599	50512832	106638	102063863	38031	141769581	128531	13364596	20651	31153835	17595
बारां	45521105	20304	327918634	49115	529296	3760	152270800	79295	10678762	29059	279791745	106922	294005741	79900
बाडमेर	57487603	91716	48830187	46389	44237899	193728	34075154	31858	324644909	529950	122387773	145607		
भरतपुर	11995243	62405	30079823	43919	934555	3438	29159522	20843	23698835	78699	114157072	47209	2005324	18582
बून्दी	31159072	15497	170128490	18893	7109564	8712	85231819	16754	21405254	38771	54208769	22601	56109302	81388
चित्तौड़गढ़	6219802	17511	16106084	4119	22654178	57351	5231252	7807	20835034	86992	13284710	32246	65864337	158157
चूरू	7740635	22143	146032398	744265	261872703	369274	2194960392	120855	82463806	336121	95390683	169748	79723776	456090
दौसा	7211147	20173	10077950	35237	5541809	28343	24471864	33057	76224369	91527	98760050	55375	31442979	88951
डूंगरपुर	4438184	19718	20933278	24844	817399	15045	5676529	10936	158128231	53951	72648532	37517	12954534	56697
जयपुर	4389790	11599	161396205	74606	36442016	123245	198476936	110129	64593415	303405	267360574	198177	20187315	165642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जैसलमेर	506493	559	323061008	27424	2675319	4382	424203051	24653	163006550	89734	216062060	36352	201972173	114113
जालौर	1746951	3793	29122730	15245	55068829	46871		22626	82407377	221569	200249986	117981	11686569	158559
जोधपुर	33657695	120035	179633596	53605	18298978	52267	117098777	66230	261006891	567552	416873451	132641	65007840	412327
करौली	11409676	29260	41546417	19128	4950609	23347	8671726	11665	7128861	44289	31684925	27009	2513259	26196
कोटा	23227046	42961	132968035	38646	334868	1420	23104657	57588	48974741	67219	83676625	64850	13162270	79962
नागौर	1410783	71140	42002494	79701	26542702	82473	55010400	24984	314728431	310590	88707822	44040	201989079	311639
पाली	3462583	24944	22845885	45003	25209988	58073	102110990	67671	158079954	365941	53402111	122242	59297171	297213
सीकर	3635871	23477	11510694	32201	14285736	45016	132133806	68637		44111		20367		30799
श्रीगंगानगर	655568	3109	50439392	31957	4704682	12272	28790371	18158	47379788	77388	45295728	50258	22900208	97906
सवाई माधोपुर	5942648	23854	38126223	26402	20984015	32794	22533664	28454	39143177	92565	89571045	72182	10982657	76889
टोंक	5902873	24678	23151710	39727	17680618	74115		3354		35366		7710		102356
उदयपुर	1043163	7131	26757369	11477	21774808	34861	8564514	15676	41192435	38778	102547295	30510	13678253	46519
अलवर	1550506	5862	62105303	63300	36751432	119542	116833904	124824	29802908	164934	477541228	116085	58724674	192535
भीलवाड़ा	8037042	37872	2338709	13115	30916108	152224	118245145	124808	54474391	257770	28358269	85535	3424876	34644
बीकानेर	6095003	16516	37340152	50621	163740869	127176	148917502	44414	188167543	168061	484017434	84591	64677901	196601
धौलपुर	470425	2613	19721009	6873	333050	2750	2181716	4412	1102015	13742	10332764	8541	1318716	2369
हनुमानगढ़	65143972	20325	173312813	45128	18412525	57404	6348863	4945	32659588	110860	108485366	61849	97561915	126984
झालावाड़	4363423	42325	119753771	53409	15981672	5953	128049139	49873	15488627	32110	867545912	128224	257360900	163046
झुन्झुनूं	0	0	58822901	106156	2892965	23301	92714474	100468		43365		11879		21497
प्रतापगढ़	203757	3401	12558169	4634	6163526	33467	28052360	23660	34008906	53539	13564695	11705	16303619	83861
राजसमन्द	1110664	3766	0	0	5724451	14991		3063		3989		5229		4235
सिरोही	174409	1129	8835960	2336	4925460	8780	882634	335	20633949	45574	5607277	10933	49330834	51209

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण

294. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वर्तमान में कितने चिकित्सालय जैसे राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के कितने कितने पद सृजित है, उक्त पदों के विरुद्ध कितने कार्मिक कार्यरत हैं एवं कितने पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के अन्तर्गत वर्तमान में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1 एडपोस्ट एवं 88 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी एसी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। नर्स श्रेणी प्रथम, रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेवा नियमों में बोनस अंकों का प्रावधान रखकर विज्ञप्तियां प्रकाशित की गई। इन पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 33653/2013 के चलते लम्बित है। जारी विज्ञप्तियों की प्रतियां एवं आवेदकों की संख्या परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) जी हां। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कैडर के संविदा कर्मियों के मानदेय के प्रस्ताव भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रेषित की गई प्रस्तावित पी आई पी में अनुमोदनार्थ भिजवाये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झालावाड़ जिले के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद

295. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत एवं कार्यरत/पदस्थापित पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी एसी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर के प्राथमिक/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

296. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में कितने प्राथमिक/सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में सभी संवर्गों के अनेक पद रिक्त हैं? यदि हां, तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के अन्तर्गत 1 राजकीय चिकित्सालय, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी एसी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-प्रथम

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

एवं द्वितीय, नर्स श्रेणी प्रथम, वरिष्ठ लैब टेक्निशियन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका (एल.एच.वी.) एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-297

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-298

(स्थगित)

अजमेर डिस्काम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी

299. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में अजमेर डिस्काम के कितने कर्मचारी कब से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों के नाम, विभाग व तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कर्मचारियों को किसके आदेश से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया तथा क्या डिस्काम को उनकी सेवाओं की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अजमेर डिस्काम की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर डिस्काम के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों का नाम, प्रतिनियुक्ति कार्यालय का नाम एवं प्रतिनियुक्ति की तिथियों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी मांग के आधार पर अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा की गई है। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की निगम में आवश्यकता है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से श्री दशरथ यादव, सहायक अभियन्ता व अनिल कुमार वैष्णव, कनिष्ठ अभियन्ता को वापस बुलाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पत्र लिखा जा चुका है। अन्य की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होते ही उन्हें वापस बुला लिया जायेगा।

परिशिष्ट–अ

क्र. सं.	नाम एवं पद	प्रतिनियुक्ति कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1.	श्री इन्द्र सिंह राठौड़, अधिशासी अभियंता	रिको, जयपुर	27.01.14 से लगातार
2.	श्री विक्रम चांदावत, कनिष्ठ अभियंता	रिको, जोधपुर	26.07.11 से लगातार
3.	श्री अनिल कुमार वैष्णव, कनिष्ठ अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	13.01.12 से लगातार
4.	श्री भंवर सिंह सहायक अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	31.10.11 से लगातार
5.	श्री दशरथ यादव, सहायक अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	31.10.11 से लगातार
6.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा-II, कनिष्ठ अभियंता	नगर परिषद, सीकर	02.07.13 से लगातार
7.	श्री संजय कुमार झांझरिया, सहायक अभियंता	राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर	27.09.13 से लगातार
8.	श्री प्रखर सक्सेना, कनिष्ठ अभियंता	आर.आर.ई.सी., जयपुर	23.09.11 से लगातार
9.	श्री नरेन्द्र भारद्वाज, सहायक अभियंता	आर.आर.ई.सी., जयपुर	30.12.11 से लगातार
10.	श्री श्याम सिंह, कनिष्ठ अभियंता	आर.आर.ई.सी., जयपुर	30.12.11 से लगातार
11.	श्री एन.के. सचदेव, निजी सहायक	आर.ई.आर.सी., जयपुर	04.08.06 से लगातार

क्र. सं.	नाम एवं पद	प्रतिनियुक्ति कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति की अवधि
12.	श्री मनीष कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	आर.ई.आर.सी., जयपुर	26.02.14 से लगातार
13.	सु.श्री ज्योति कांवट, लेखाकार	आर.आर.ई.सी, जयपुर	08.07.11 से लगातार
14.	श्री पंकज पारीक, लेखाकार	आर.आर.ई.सी, जयपुर	21.02.13 से लगातार

गुर्जर खानपुर (धौलपुर) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

300. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाड़ी, जिला धौलपुर मार्ग पर गुर्जर खानपुर के पास 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना हेतु बाउंडरी वाल का कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या सरकार अब उक्त स्थान पर 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कर स्थापना कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में बाड़ी क्षेत्र के विद्युत भार के अनुरूप 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में क्षेत्र की मांग के अनुसार प्रस्ताव के प्राप्त होने व इसके राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के मापदण्डों के अनुरूप तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। तथापि, भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के आधार पर बनाये जाने वाले 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण की योजना (लैंड बैंक स्कीम) के अन्तर्गत इस ग्रिड सब-स्टेशन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा इस पर बाउंडरी वाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

301. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भागीरथ चौधरी)

(1) प्रदेश में 132 के.वी. जी.एस.एस. ग्रिड सब-स्टेशन खोलने के क्या मानदण्ड हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राज्य में कितने 132 के.वी. जी.एस.एस. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हैं एवं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इनकी स्वीकृति उक्त मानदण्डों के अनुरूप जारी हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर जनसंख्या विस्तार एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से नवीन 132 के.वी. जी.एस.एस. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा राज्य में नये 132 के वी ग्रिड सब-स्टेशन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बनाये जाते हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा नये स्वीकृत व निर्माणाधीन 132 के वी ग्रिड सब-स्टेशन का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। राज्य में कार्यरत अथवा स्थापित 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

132 के वी ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण क्षेत्र की विद्युत मांग के अनुसार विद्युत वितरण निगमों से प्राप्त प्रस्तावों का राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों का सामान्यत: पालन किया जाता है तथा नये ग्रिड सब-स्टेशनों की स्वीकृति इन्हीं मापदण्डों के अनुसार जारी की जाती है।

(3) वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा किशनगढ़ उपखण्ड के अराई कस्बे में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजनाएं स्वीकृत हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

132 के वी ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण उपखण्ड स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, क्षेत्र की मांग के अनुसार विद्युत वितरण निगमों से प्राप्त

(ऊर्जा मंत्री)

प्रस्तावों का राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर किया जाता है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि

302. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश में जीव-जन्तुओं के कल्याण के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाई जाती है? यदि हां, तो कब से?

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए कितनी-कितनी अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई तथा अनुदान राशि किस कार्यकारी संस्था के माध्यम से व्यय की गई तथा उसके व्यय करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का गठन सन् 1962 से हुआ है एवं तभी से अनुदान दिया जा रहा है।

(2) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश की जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया, उनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। उस राशि को संस्था द्वारा योजना अनुसार स्वीकृत किये गये कार्य के लिए व्यय किया जाता है। पृथक से उसके व्यय के कोई निर्धारित मानदंड तय नहीं हैं।

व्यय पश्चात् भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना आवश्यक होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास में गौ-पालक बीमा योजना के तहत देय छात्रवृत्ति

303. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्ष में गौ-पालक बीमा योजना के तहत कितने गौ-पालकों का बीमा किया गया? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(2) क्या यह सही है कि गौ-पालक बीमा योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो गत पांच वर्ष में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) छात्रवृत्ति का यथासमय भुगतान नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गौ-पालक बीमा योजना के तहत 22 गौ-पालकों का बीमा किया गया। नाम व पते सहित सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। गौ-पालक बीमा योजना अन्तर्गत जिन गौ-पालकों द्वारा बीमा कराया जाता है, उनके कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों (अधिकतम दो) को जनश्री योजना (भारतीय जीवन बीमा निगम) अन्तर्गत राशि रु. 100/- प्रति माह एक वर्ष तक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है।

गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में इस योजनान्तर्गत 1,009 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) गौ-पालक बीमा योजनान्तर्गत बीमित गौ-पालकों के छात्रों द्वारा आवेदन करने पर सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है।

(4) योजनान्तर्गत सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से नियमानुसार किया जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की टैस्टिंग फैट की दरों का निर्धारण

304. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैयालाल)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की दूध टैस्टिंग फैट की दरें अन्य जिलों की समितियों से ज्यादा हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार टोंक जिला दुग्ध उत्पादक संघ, मालपुरा विधान सभा क्षेत्र की 25 बी.एम.सी. की दूध टैस्टिंग समितियों को जयपुर संघ के समान दरें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर दुग्ध संघ की गाय के दूध की खरीद दर 3.5% फैट व 8.5% एस.एन.एफ. स्तर पर अन्य जिला दुग्ध संघों से अधिक है।

जयपुर दुग्ध संघ की दुग्ध दर 6.5% फैट व 9.0% एस.एन.एफ. स्तर पर भरतपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर के हिण्डौन क्षेत्र व टोंक दुग्ध संघ के समान है। शेष दुग्ध संघों से दूध की दर अधिक है।

दुग्ध संघों द्वारा उनसे सम्बन्धित दुग्ध समितियों की दुग्ध क्रय दर संघ विशेष की वित्तीय स्थिति, बाजार परिदृश्य, मांग आपूर्ति इत्यादि सहित दूध में फैट व एस एन एफ प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है।

(2) जी नहीं। यह निर्णय टोंक जिला दुग्ध संघ द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबन्धक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

305. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2006-07 में भीलवाड़ा डेयरी के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति व भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर इन्हें पद से हटाया गया था? यदि हां, तो क्या इस व्यक्ति को वर्ष 2009 में पुन: इसी पद पर पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक डेयरी में अनावश्यक सिविल निर्माण/सड़क निर्माण कार्य करवाये गये थे? यदि हां, तो इस पर किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में किस की अनुमति से, किस आधार पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा करवाये गये सिविल कार्य एवं क्रय किया गया फर्नीचर गुणवत्ता में घटिया किस्म का था? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्ष 2006-07 में भीलवाड़ा डेयरी के प्रबन्ध निदेशक के पद पर श्री ए.के. शर्मा पदस्थापित थे। श्री शर्मा को अप्रैल, 2007 में प्रशासनिक कारणों से दुग्ध संघ भीलवाड़ा से जोधपुर स्थानान्तरित किया गया था। वर्ष 2009 में इन्हें प्रशासनिक कारणों से पुन: प्रबन्ध निदेशक, भीलवाड़ा दुग्ध संघ के पद पर पदस्थापित किया गया था।

(2) जी नहीं । भीलवाड़ा डेयरी में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक बजट प्रावधानानुसार आवश्यक सिविल निर्माण सड़क निर्माण कार्य करवाये गये थे। इस अवधि के समस्त खर्चों का अनुमोदन दुग्ध संघ के संचालक मण्डल एवं आम सभा द्वारा किया जा चुका है। उक्त अवधि की आडिट रिपोर्ट में इससे सम्बन्धित कोई आडिट आक्षेप नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त अवधि में करवाये गये सिविल कार्य एवं क्रय किये गये फर्नीचर की गुणवत्ता से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं है।

करौली/दौसा/सवाई माधोपुर में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

306. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा की पंचायत समिति महवा के ग्राम खोहरामुल्ला, ग्राम गौहंडी मीणा में बने एनिकटस के डि-सिल्टिंग एवं फीडर मरम्मत हेतु DRDA दौसा ने आयुक्त उदयपुर एवं राज्य सरकार से 19-12-2011 में 50-50 लाख रुपये की राशि की मांग की थी? यदि हां, तो अभी तक राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) सरकार ने जिला करौली, दौसा एवं सवाई माधोपुर में माडा योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? पिछले 4 वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तीनों जिलों की पंचायत समिति हिण्डौन, सिकराय, टोडाभीम एवं महवा में ही राशि स्वीकृत कर दी गई तथा

(श्रीमती गोलमा)

अन्य में बिलकुल ही राशि नहीं दी गई? यदि हां, तो पंचायत समिति हिण्डौन, टोडाभीम, सिकराय एवं महवा में आबंटित राशि का पिछले चार वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि एनिकट खोहरामुल्ला के डि-सिल्टिंग हेतु माडा विभाग से मांगा गया तखमीना, नवीनतम सी.डी. एवं फोटोग्राफी एवं पानी का आवक का विवरण भेजा गया था? यदि हां, तो क्या फिर भी राशि आबंटित नहीं की गई, बल्कि माडा क्षेत्र के एनीकट एवं अन्य योजनाओं की राशि अन्य में divert कर दी गई?

(5) क्या सरकार लोक महत्व के एनिकट खोहरामुल्ला एवं गौहण्डी मीणा की डि-सिल्टिंग हेतु माडा योजना से रु. 50-50 लाख स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) दौसा जिले में गत चार वर्षों में एनिकट हेतु कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया? वर्षवार आबंटित राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। DRDA दौसा का पत्र दिनांक 19.12.2011 आयुक्तालय में प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु जिला दौसा की पंचायत समिति महवा के ग्राम खोहरामुल्ला में बने एनिकट की डि-सिल्टिंग एवं फीडर मरम्मत के कार्य का प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा द्वारा अन्य 7 कार्यों के प्रस्ताव के साथ पत्र क्रमांक माडा-बिखरी/एनीकट/ वि.के.स./2011-12/24009 दिनांक 06.02.12 के माध्यम से आयुक्तालय को प्राप्त हुए थे। इस कार्य हेतु रु. 50.39 लाख की राशि प्रस्तावित की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा के उक्त पत्र दिनांक 06.02.2012 में अंकित कार्यों के प्रस्तावों में ग्राम गोहंडी मीणा में बने एनिकट की डि-सिल्टिंग एवं फीडर मरम्मत का कार्य सम्मिलित नहीं था। (पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।)

ग्राम खोहरामुल्ला के एनिकट डि-सिल्टिंग एवं फीडर मरम्मत के कार्य का प्रस्ताव अपूर्ण होने से राज्य सराकर द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) करौली, दौसा एवं सवाई माधोपुर जिले में माडा योजना अन्तर्गत पिछले चार वर्षों में स्वीकृत कार्यों एवं राशि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट (1, 2, 3) पर संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है कि उक्त तीनो जिलों के पंचायत समिति क्षेत्र हिण्डौन, सिकराय, टोडाभीम एवं महवा में ही राशि स्वीकृत की गई है, बल्कि

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अन्य पंचायत समितियों में भी पिछले चार वर्षों में कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत समिति हिण्डौन, टोडाभीम, सिकराय एवं महवा में पिछले चार वर्षों में स्वीकृत राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट (4,5,6व7) पर संलग्न है।

(4) एनिकट खोहरामुल्ला के डि-सिल्टिंग एवं फीडर मरम्मत कार्य की राशि 50.39 लाख रु. का जल संसाधन खण्ड दौसा से प्राप्त केवल तखमीना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा के पत्र दिनांक 06.02.12 के साथ संलग्न प्राप्त हुआ था परन्तु नवीनतम सीडी, फोटोग्राफ्स तथा पानी की आवक का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था। प्रस्ताव अपूर्ण होने से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की राशि जिला परिषद में हस्तान्तरित की जाती है। जिला परिषद द्वारा राशि व्यय नहीं किये जाने से कई वर्षों की राशि जिला परिषद में अव्ययीत रहती है। अत: राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त जिलों में पूर्व के वर्षों की अनटाइड अव्ययीत राशि आयुक्तालय में मंगवाई जाती है एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन पश्चात अन्य कार्यों पर व्यय की जाती है ताकि बचत राशि का उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह एक नियमित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जिला दौसा द्वारा विभिन्न योजनाओं की विगत कई वर्षों की लौटाई गई अव्ययीत राशि में से राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन पश्चात् अन्य कार्यों पर स्वीकृति जारी की गई है।

(5) पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता एवं तात्कालिक प्राथमिकताओं के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(6) दौसा जिले में गत चार वर्षों में एनिकट मद में आबंटित राशि एवं व्यय की स्थिति इस प्रकार से है:-

वर्ष	**आबंटित राशि**	**व्यय राशि**
2010-11 (माडा)	35.00 लाख	0.00
2010-11 (बिखरी)	45.00 लाख	0.00
2011-12	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00
योग	**75.00 लाख**	**0.00**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासियों का राजकीय सेवा/शिक्षण संस्थानों में प्रतिनिधित्व

307. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासियों के राजकीय सेवा एवं शिक्षा संस्थानों में समुचित प्रतिनिधित्व के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्या उप योजना के क्षेत्र के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है? यदि हां, तो किस संवर्ग में कितना प्रावधान है?

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जिन समुदायों को आरक्षण लाभ नहीं मिलता है, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(3) राजकीय सेवा के विभिन्न संवर्गों में एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में दिनांक 1 अप्रैल, 2012, 2013 एवं 2014 में उपयोजना क्षेत्र के जनजाति निवासियों की भागीदारी कितनी है?

उत्तर

(1) अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के राजकीय सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व के लिए कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16-06-2013 द्वारा विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं के पदों को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों से भरी जायेंगी । इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जाने का प्रावधान है। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-अ पर संलग्न है ।

बी.एड./बी.पी.एड. एवं चिकित्सा विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में चलाये जा रहे प्रशिक्षणों में अनुसूचित जनजातियों हेतु 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हैं। प्रति अनुलग्नक ब पर संलग्न हैं।

जनजाति क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के विकास हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी किये गये हैं। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-स संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16-06-2013 द्वारा विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं के पदों को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनूसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों से भरी जायेंगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जाने का प्रावधान है । अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-अ पर संलग्न है ।

(3) प्रश्न के इस भाग के उत्तर हेतु समस्त राजकीय विभागों की अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में विभिन्न संवर्गों में उपयोजना क्षेत्र के जनजाति निवासियों की भागीदारी की जानकारी करने हेतु समस्त विभागों से सूचना प्राप्त की जानी है।

इसी प्रकार राज्य की समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों में एक अप्रैल 2012, 2013 एवं 2014 में उपयोजना क्षेत्र के जनजाति निवासियों की भागीदारी की जानकारी करने हेतु समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों से सूचना प्राप्त की जानी है। यह सूचना प्राप्त की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही विधान सभा एवं माननीय विधायक महोदय को उपलब्ध करा दी जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फुलेरा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें

308. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां व कितनी राशि एवं कितनी लम्बाई के स्वीकृत किये गये? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य, किस तिथि को, कितनी राशि व्यय कर पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के स्वीकृतशुदा अनेक कार्य पूर्ण नहीं हुए? यदि हां, तो अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अब इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(2) सड़क निर्माण/मरम्मत का कोई कार्य स्वीकृत नहीं होने से कोई व्यय नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के स्वीकृतशुदा सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं।

जोधपुर जिले के चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स-रे मशीनों की स्थापना

309. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर के तीनों बड़े अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी एवं ट्रोलीमैन के वर्तमान में कितने स्वीकृत पदों के विपरीत कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर के तीनों बड़े अस्पतालों में डिजिटल एक्स-रे मशीन नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार मरीजों की सुविधाओं को मध्य-नजर रखते हुए तीनों अस्पतालों में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर के डा. सम्पूर्णानन्द चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित चिकित्सालयों में नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी एवं ट्रोलीमैन के स्वीकृत एवं रिक्त पद कब से रिक्त हैं, की स्थिति की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नर्सिंग स्टाफ के पदों को सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। जोधपुर के डा. सम्पूर्णानन्द चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित चिकित्सालयों में डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1	नर्सिंग अधीक्षक	10	10	05/2013
2	प्रधानाचार्य नर्सिंग स्कूल	01	01	08/2011
3	नर्स श्रेणी प्रथम	105	28	05/2013
4	नर्स श्रेणी द्वितीय	307	90	05/2010
5	नर्सिंग टयूटर	29	15	05/2010
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	216	37	07/2013 05/2014
7	वार्ड बाय	20	20	07/2013
8	ट्रोलीमेन	0	0	

उम्मेद चिकित्सालय

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से
1	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-प्रथम	04	0	04	4 पद 16.07.2013
2	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय	05	01	04	4 पद 16.07.2013
3	नर्स ग्रेड-प्रथम	64	23	41	03 पद जुलाई, 2012
					01 पद जनवरी, 13
					35 पद जुलाई, 13
					1 पद नवम्बर, 13
					1 पद जून, 14
4	नर्स ग्रेड-द्वितीय	326	216	110	60 पद 09.06.2011
					15 पद 25.06.2012
					20 पद 06.07.2012

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से
					15 पद 23.07.2013
5	पी.एच.एन.	03	02	01	12.03.2014
6	ए.एन.एम.	10	10	0	
7	वार्ड बाय	65	37	28	1 पद 01.01.2009
					1 पद 01.03.2009
					1 पद 01.04.2009
					1 पद 23.05.2009
					1 पद 02.08.2009
					1 पद 01.04.2011
					1 पद 01.05.2011
					1 पद 01.08.2011
					8 पद 28.12.2011 नव सृजित
					2 पद 01.07.2012
					1 पद 05.10.2012
					1 पद 01.12.2012
					1 पद जुलाई, 2013
					2 पद 01.08.2013
					2 पद मई, 2014
					2 पद 01.05.2014
					1 पद 01.01.2014
8	स्वीपर	34	27	7	1 पद 01.01.2012
					1 पद 01.01.2011
					1 पद 17.06.2012
					1 पद 15.09.2011
					1 पद 25.12.2009
					2 पद 01.03.2014
9	स्ट्रेचर मैन	01	01	-	
10	ट्रोली मेन	00	00	00	

मथुरादास माथुर चिकित्सालय

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**	**कब से रिक्त है**
1	नर्सिंग अधीक्षक	12	01	11	वर्ष 2013
2	नर्स श्रेणी-प्रथम	107	38	69	वर्ष 2013
3	नर्स श्रेणी-द्वितीय	443	275	168	वर्ष 2009 एवं 2013
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	0	20	वर्ष 2010
5	वार्ड बाय	115	65	50	वर्ष 2010
6	स्वीपर	34	25	09	वर्ष 2010
7	ट्रोलीमेन	0	0	0	

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्यों के पदोन्नति प्रकरण

310. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में माइक्रोबायलोजी विभाग में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के कितने पद स्वीकृत हैं व इनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए समयबद्ध पदोन्नति हेतु डी.ए.सी.पी. की लम्बी अवधि व्यतीत होने के बावजूद बैठक आयोजित नहीं की गई है? यदि हां, तो सरकार अब कब तक डी.ए.सी.पी. की बैठक आयोजित कर उक्त पदों पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पदों पर डी.ए.सी.पी. की बैठक के अभाव में तदर्थ पदोन्नति किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के मेडिकल कालेजों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	रिक्त
1.	आचार्य	7	0
2.	सह आचार्य	16	3
3.	सहायक आचार्य	37	27

(2) जी नहीं। वर्ष 2013 14 तक पात्र चिकित्सक शिक्षकों की डी एसी पी आयोजित की जाकर पदोन्नति आदेश दिनांक 30.05.2014 को जारी किये जा चुके हैं। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) डी एसी पी के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तदर्थ पदोन्नति का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(87)एमई/ग्रुप-1/2013 जयपुर, दिनांक 30-5-2014

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर माइक्रोबायोलोजी विशिष्ठता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डी एस पी के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे। सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज चिकित्सक शिक्षकों के कार्यग्रहण से पूर्व इनकी संतान एवं संपत्ति सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर उसका सत्यापन अपने स्तर से करायेंगे :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत ग्रेड-पे	डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे देय तिथि
1	डा. नित्या व्यास	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे रु. 10,000/-	01.04.13
2	डा. भारती मल्होत्रा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे रु. 10,000/-	01.04.13

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत ग्रेड-पे	डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे देय तिथि
3	डा. एस.के. सिंह	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे रु. 10,000/-	01.04.13
4	डा. रजनी शर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे रु. 10,000/-	01.04.13
5	डा. बी.पी. शर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे रु. 10,000/-	01.04.13
6	डा. अनिता ई. चांद	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे रु. 10,000/-	01.04.13

आज्ञा से,
ह.
(धन्नालाल)
शासन उप सचिव

श्रीगंगानगर जिले में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना

311. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार श्रीगंगानगर जिले में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं । श्रीगंगानगर जिले में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 21 जुलाई, 2014)

उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी भूमि

118. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् अनुसूचित जाति, जनजाति की खातेदारी भूमि गैर-अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को विक्रय पर प्रतिबंध तथा इन्हीं जातियों में बिकाव व नामान्तरकरण किये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कानून की गलत व्याख्या कर इन वर्गों की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कर सामान्य वर्गों के पक्ष में नामान्तकरण कर कब्जा दिया जा रहा है या बिकावनामा व बेनामी बिकाव से हस्तांतरण व नामान्तरण कर अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों को भूमि से वंचित किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि बिना किस्म परिवर्तन व स्वीकृतियों के इन वर्गों की खातेदारी कृषि भूमि पर गैर-कृषि कार्य कराये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में सन् 2001 में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने-कितने खातेदार थे व उनके पास कितनी-कितनी भूमि थी तथा वर्तमान में कितने-कितने खातोदार हैं व उनके पास कितनी-कितनी भूमि है? खातेदार, खसरा नम्बर व रकबावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि के बिकाव व नामान्तरकरण इन्हीं व्यक्तियों के किये जाने के प्रावधान है।

(2) जी नहीं । भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा रही है। अपंजीकृत बिकावनामा व बेनामी बिकाव से हस्तान्तरण व नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जाती है । अनुसूचित जाति, जनजाति के खातेदारों को भूमि से वंचित नहीं किया जा रहा है।

(3) जी नहीं । जिला कलक्टर, उदयपुर से प्राप्त सूचनानुसार बिना किस्म परिवर्तन व स्वीकृतियों के इन वर्गों की खातेदारी भूमि पर गैर-कृषि कार्य कराये जाने का वल्लभनगर तहसील में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। वर्ष 2001 व 2014 के अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों की संख्या व रकबा की सूचना निम्नानुसार हैः-

(राजस्व मंत्री)

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	खातेदार	रकबा	खातेदार	रकबा
2001	2994	3935 हे.	4592	9903 हे.
2014	2997	3712 हे.	4497	7887 हे.

जिला कलक्टर उदयपुर से प्राप्त तहसील वल्लभनगर की खातेदार, ख.नं. व रकबावार सूची की एक हार्ड कापी व एक सोफ्ट कापी संलग्न है। जिला कलक्टर, उदयपुर की सूचनानुसार एक हार्ड कापी में 20 रीम अर्थात 1,0000 कागजों की आवश्यकता है। यदि 120 प्रतियां करायी जाती हैं तो कुल 12,00,000 कागजों का उपयोग होगा, जिसमें राजकीय व्यय व समय सीमा को मध्यनजर रखते हुए कलक्टर उदयपुर से प्राप्त सूचना सोफ्ट कोपी मय एक हार्ड कापी में प्रेषित है।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 21 जुलाई, 2014)

उदयपुर की गिर्वा तहसील में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों की भूमि

119. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी भूमि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विक्रय पर प्रतिबंध तथा इन्हीं जातियों में बिकाव व नामान्तकरण किये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कानून की गलत व्याख्या कर इन वर्गों की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कर सामान्य वर्गो के पक्ष में नामान्तकरण कर कब्जा दिया जा रहा है या बिकावनामा व बेनामी बिकाव से हस्तांतरण व नामान्तकरण कर अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों को भूमि से वंचित किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि बिना किस्म परिवर्तन व स्वीकृतियों के इन वर्गों की खातेदारी कृषि भूमि पर गैर-कृषि कार्य कराये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो उदयपुर की गिर्वा तहसील में वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने-कितने खातेदार थे व उनके पास कितनी-कितनी भूमि थी तथा वर्तमान में कितने-कितने खातेदार हैं व उनके पास कितनी-कितनी भूमि है? खातेदार, खसरा नम्बर व रकबावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि के बिकाव व नामान्तरकरण इन्हीं जातियों में किये जाने का प्रावधान है ।

(2) जी नहीं। भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा रही है। अपंजीकृत बिकावनामा व बेनामी बिकाव से हस्तान्तरण व नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जाती है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के खातेदारों को भूमि से वंचित नहीं किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। जिला कलक्टर, उदयपुर से प्राप्त सूचनानुसार बिना किस्म परिवर्तन व स्वीकृतियों के इन वर्गों की खातेदारी भूमि पर गैर-कृषि कार्य कराये जाने का गिर्वा तहसील में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है । वर्ष 2001 व 2014 के अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों की संख्या व रकबा की सूचना निम्नानुसार हैः-

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	खातेदार	रकबा	खातेदार	रकबा
2001	1,823	1,053.82	18,075	17,268.3
2014	2,615	1,015.61	22,816	17,036.7

जिला कलक्टर, उदयपुर से प्राप्त तहसील गिर्वा की खातेदार, ख.नं. व रकबावार सूची की सोफ्ट कापी संलग्न है। जिला कलक्टर, उदयपुर की सूचनानुसार एक हार्ड कापी में 60 रीम अर्थात 30,000 कागजों की आवश्यकता है। यदि 120 प्रतियां करायी जाती हैं तो कुल 36,00,000 कागजों का उपयोग होगा, जिसमें राजकीय व्यय व समय सीमा को मध्यनजर रखते हुए कलक्टर उदयपुर से प्राप्त सूचना सोफ्ट कापी में प्रेषित है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-221 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

नवीन मण्डी कुंवारती (बूंदी) के विकास पर सम्भावित खर्चों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	संभावित व्यय (लाखों में)
1	2	3
1	निर्माण कार्य चारदीवारी मय चैक पोस्ट का निर्माण कार्य	187.72
2	खुला नीलामी चबूतरा साईज 420×220	167.87
3	खुला नीलामी चबूतरा साईज 450×220	179.87
4	सीमेन्ट कंक्रीट एप्रोच एवं मुख्य सड़क का कार्य	372.22
5	निर्माण कार्य सचिव, आवास	46.22
6	लेबर शेड का निर्माण कार्य	23.78
7	प्याऊ का निर्माण कार्य	21.60
8	जल व्यवस्था हेतु 3 लाख लीटर उच्च जलाशय, 5 लाख लीटर जी.डब्ल्यू.आर. पम्प रूम एवं पाइप लाइन (प्रथम फेस)	125.41
9	कैनाल के साथ चारदीवारी का निर्माण कार्य	33.00
10	दुकानों के साथ ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य	175.73
11	टायलेट ब्लाक का निर्माण कार्य 2 नग	43.46
12	एच टी लाइन में 110/0.433 के वी सब स्टेशन नई मण्डी कुवारती	205.44
13	मण्डी के अन्दर रोड लाइट का कार्य	159.17
14	ट्यूबवैल का निर्माण कार्य	7.17
15	हाई मास्क लाइट मय ट्रांसफार्मर	20.82
16	एन एच 12 से नई मण्डी कुवारती का ग्रेवल सड़क का कार्य	173.40
17	नई मण्डी यार्ड कुवारती बून्दी की भूमि 368.06 बीघा क्रय हेतु अब तक किया गया व्यय	310.32
18	एन एच 12 से नई मण्डी कुवारती की एप्रोच सड़क की भूमि क्रय हेतु किया गया व्यय	223.06
19	ढका नीलामी चबूतरा साइज 420'×220'	639.72

1	2	3
20	खुला नीलामी चबूतरे के साथ-साथ सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का कार्य	1063.03
21	दुकानों के आगे व पीछे की डामर सड़कों का निर्माण कार्य	1000.46
22	नाली का निर्माण कार्य	116.60
23	बैंक भवन का निर्माण कार्य- 2 नग	58.48
24	वाटर ट्रफ का निर्माण कार्य 2 नग	2.24
25	डाक भवन का निर्माण कार्य	31.07
26	कियोस्क-6 नग	18.00
27	धर्मकांटा हेतु एक कमरा का निर्माण कार्य	3.00
28	ग्रेडिंग लेबोरेट्री	21.60
29	कार्यालय भवन	110.00
30	टायलेट ब्लाक-2 नग (फेज द्वितीय)	43.46
31	जल व्यवस्था हेतु पाइप लाइन (फेज द्वितीय)	58.67
32	पार्क का विकास कार्य	40.00
33	मदा परीक्षण लेब	15.00
34	मुख्य द्वार का सौन्दर्यीकरण एवं होर्डिंग का कार्य	50.00
35	कृषक विश्राम गृह	80.00
36	कृषकों के बैठने हेतु छोटे छायादार स्टैण्ड 15 नं.	20.00
37	किसान कलेवा कैन्टिन 2 नग	50.08
38	स्टाफ आवास	80.00
39	प्लान्टेशन एण्ड लैण्ड स्केपिंग	25.00
40	नई मण्डी कुवारती की एप्रोच सड़क पर रोड लाइट का कार्य	165.08
41	नई मण्डी में सी.सी. टीवी कैमरा, आदि	109.48
42	नई मण्डी में सोलर एनर्जी प्लान्ट आदि	60.00
43	एन एच 12 से नई मण्डी कुवारती की एप्रोच सड़क का डामरीकरण तक का निर्माण कार्य	1191.08
44	एन एच 12 से नई मण्डी कुवारती की एप्रोच सड़क की भूमि एवं अन्य मुआवजे हेतु सम्भावित व्यय	50.00
	योग	**7578.31**

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सहकारी साख समितियों के कर्मिकों का वेतन राज्य कर्मियों की भांति किया जाना

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि सहकारी साख समितियों में चयनित व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते नियम वर्तमान में राज्यकर्मियों की भांति नहीं हैं जिससे उक्त कार्मिकों में असंतोष व्याप्त है।

अत: सभी चयनित कार्मिकों का पी.एफ. अनिवार्य हो; सभी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु बीमा अनिवार्य हो। साख समितियों में लाभ-हानि की शर्त वेतन से हटाई जाए क्योंकि किसी समिति में अगर लाभ है तो वह लाभ व्यवस्थापकों को नहीं दिया जाता, और अगर किसी साख समिति में हानि है तो क्या व्यवस्थापक ने कार्य नहीं किया? सहकारी साख समितियों के कर्मचारियों को भी वेतन कोष से वेतन मिलना चाहिए और उसका भुगतान राज्य सरकार करे । साख समितियों पर लाभ-हानि तथा वेतन सम्बन्धी दायित्व राज्य सरकार का हो, जिस तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों का है।

अत: सरकार से निवेदन है कि सहकारी साख समिति के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी भिन्नताओं को देखते हुए अतिशीघ्र कार्यवाही करें।

पूरणमल सैनी
(खेतड़ी)

महिला अभियांत्रिकी में छात्राओं द्वारा देय शिक्षण शुल्क कम किया जाना

महिलाओं को तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर करने के उद्देश्य से राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय का शिलान्यास वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधराजी राजे सिंधिया के कर-कमलों द्वारा किया गया था। यह उत्तर भारत का प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय है जिसकी स्थापना अजमेर में की गई थी। महिला सशक्तिकरण में आपका योगदान सराहनीय है।

उपरोक्त महाविद्यालय स्ववित्त पोषित योजना के आधार पर सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय का सालाना शिक्षण शुल्क 70,000/- है। यह शुल्क छात्रावास शुल्क 40,000 मिला के 1,10,000 से ज्यादा हो जाता है। चार वर्ष का तकनीकी शिक्षण शुल्क का कुल व्यय लगभग छह लाख तक आता है। महाविद्यालय का तकनीकी स्नातक शिक्षण शुल्क प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। इस महाविद्यालय की समस्त सीटें स्ववित पोषित हैं। इसमें राज्य अनुदानित सीटे एक भी नहीं है।

सुराज संकल्प यात्रा के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षण शुल्क कम करने की घोषणा की गई थी । उक्त महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राएं आर.पी.ई.टी. अथवा अन्य समकक्ष परीक्षाओं में उच्च मेरिट प्राप्त करने वाली होती हैं। 80 प्रतिशत छात्राएं वे हैं जिन्होंने 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं विशेष योग्यताएं से उतीर्ण की है। एक ओर तो महाविद्यालय की छात्राओं से सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क स्ववित पोषित योजना में होने से लिया जा रहा है, दूसरी ओर छात्राओं से वसूल की गई राशि का सोसायटी के नाम पर फिजूल खर्च किया जा रहा है। प्राचार्य के भव्य चैम्बर एवं महाविद्यालय मद में विलासिता के संसाधनों की खरीद बेवजह, फर्नीचर एवं एयर कंडिश्नर जैसे सामान की अनाप—शनाप खरीद इसका द्योतक है। महाविद्यालय के प्रारम्भ होने से आज तक की गई खरीद का यदि भौतिक सत्यापन कराया जावे तो मौके पर आधी चीजें भी मिलाना मुश्किल है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त महाविद्यालय को स्ववित पोषित योजना से बाहर कर राजकिय स्तर पर संचालित किया जावे। चूंकि वर्तमान में महिलाओं की तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है, इसका कारण तकनीकी पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क गैर-तकनीकी शिक्षण शुल्क से ज्यादा होना है। महिलाएं गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। हमारे समाज की यह घरेलू मानसिकता है कि बेटियां पराया धन होती हैं। इसी मानसिकता के कारण अभिभावक उनकी शिक्षा पर अधिक व्यय करने से कतराते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण उक्त महाविद्यालय भी है। यहां सीटें खाली रहने से एम.बी.ए. कोर्स तो बंद ही कर दिया गया है। अभियांत्रिकी के विभागों में भी अधिकतर सीटें पिछले तीन-चार सत्रों से लगातार खाली पड़ी हुई हैं।

एक ओर तो जहां हम कृषि में स्नातक व स्नातकोत्तर करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की एक मात्र महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की छात्राओं से व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की भांति सम्पूर्ण शुल्क वसूल रहे हैं।

अत: सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि उक्त महाविद्यालय की छात्राओं के तकनीकी शिक्षा के शुल्क को समाप्त कर सम्पूर्ण महाविद्यालय को राजकीय मद से संचालित किया जावे।

अनिता भदेल
(अजमेर दक्षिण)

पीलखेड़ी ग्राम (निम्बाहेड़ा) स्थित रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कनेराघाटा क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामवासियों के आग्रह पर ग्राम पीलखेड़ी के स्थानीय नाले पर रेण-का-नाका लघु सिंचाई परियोजना की वर्ष 2008 में जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गयी थी।

इस परियोजना के निर्माण हेतु पीलखेड़ी, लुणखन्दा एवं कनेरा, आदि गांवों के किसान लम्बे अरसे से मांग करते आ रहे हैं।

इस परियोजना के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-3(1) कृषि-1/एमसी/08/पार्ट/दिनांक 23.08.2008 द्वारा राशि रूपये 953.00 लाख की प्राप्त हुई थी। इस परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.आई) के तहत कराया जाना प्रस्तावित था। परियोजना के पूर्ण होने पर सम्बधित गांवों की 444.65 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था तथा यह योजना 2011-12 तक पूर्ण होनी थी।

यह कि वर्ष 2009 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेषतावश परियोजना के टेण्डर लगने व शिलान्यास हो जाने के बावजूद भी इस कार्य को रोक दिया।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह है कि किसानों एवं ग्रामवासियों के हित में स्वीकृत योजना को पुन: स्वीकृति प्रदान करावें जिससे कि कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों के जीवन में खुशहाली आ सके तथा हरित क्रान्ति से किसानों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके।

श्रीचन्द कृपलानी
(निम्बाहेड़ा)

बानसूर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं। इसलिए बानसूर में सरकारी कालेज की बहुत बडी मांग है ताकि गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के बालक-बालिका शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपने भविष्य को सुधार सकें तथा ज्ञान ग्रहण कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। बालिकाओं के अभिभावक उन्हें दूर बाहर नहीं भेज सकते। बालिकाएं शिक्षित होकर अपनी मंजिल एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।

सम्माननीय विधान सभा सदस्य, कालू लाल जी ने सदन में यह कहा कि बानसूर में कालेज है। माननीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहती हूं कि वह कालेज, जिस प्रोग्राम में आप गये थे, वह प्राइवेट कालेज है। यह अच्छी बात है, प्राइवेट कालेज होना बुरी बात नहीं, अधिकतर शहरों में, तहसीलों में प्राइवेट कालेज होते हैं लेकिन सरकारी कालेज भी होने चाहिए जिससे कि गरीब युवक-युवतियां शिक्षित हो सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े होकर जिन्दगी संवार सकें। इसलिए सरकारी कालेज खुलना चाहिए।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

जैसलमेर पोकरण क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना

पूरे भारत में इस वर्ष मानसून की स्थिति खराब दिखाई दे रही है। राजस्थान में वर्षा का प्रथम चरण लगभग शून्य रहा है। जैसलमेर जिले में अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में न केवल पेयजल समस्या गम्भीर हो जायेगी, बल्कि खरीफ की फसल की बुवाई की सम्भावना भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

चूंकि नहर के हरिके बांध में वर्तमान में पर्याप्त पानी है, इसलिए मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि नहरी क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल की प्रथम बुवाई के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जावे जिससे नहरी क्षेत्र के लाखों किसान ग्वार एवं खरीफ के अन्य बीजों की प्रथम बुवाई करना आरम्भ करें। एक बार बुवाई हो

जाने के पश्चात हम सभी जनता के साथ मिलकर इन्द्र देवता से भी अनुरोध करेंगे।

हम जैसलमेर वाले पीढ़ियों से वर्षा की आस में जीते आये हैं एवं हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वर्षा अवश्य होगी जिससे किसानों की इस वर्ष की फसल की आस जीवित रहेगी। अन्नदाता किसान जब तक खुश रहेंगे, तो ही हम और आप तथा राज्य की जनता सुख-चैन से जी पायेगी।

सरकार नहर विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नहर में पेयजल व्यवस्था पुख्ता करने हेतु सतर्क एवं सक्रिय रखें। नहर विभाग के अधिकारी वरीयता अनुसार प्रथम छोर से अंतिम छोर तक, मुख्य नहर सभी शाखाओं, वितरिकाओं तथा छोटी माइनरों में नियमानुसार, आवश्यकता अनुसार जल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अंतिम छोर के किसानों को हर सूरत में वरीयता का पानी मिले, जिससे प्रत्येक किसान खरीफ की फसल बोने में सक्षम हो सके।

शैतान सिंह
(पोकरण)

जैसलमेर में स्वीकृत जी.एस.एस. को पूर्व निर्मित जी.एस.एस. लाइनों से जोड़ा जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जैसलमेर जिला वर्तमान में हजारों के.वी. विद्युत उत्पादित कर राजस्थान का विद्युत हब का दर्जा प्राप्त कर चुका है, परन्तु अधिक ऊर्जा उत्पादन करने के बावजूद कुआं स्वयं प्यासा ही बना हुआ है। जिले में कई ऐसेजी.एस.एस. हैं जिनको स्वीकृत हुए कई वर्ष हो गये परन्तु आज तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कई ऐसे जी.एस.एस. हैं जिनका निर्माण कार्य हुए कई वर्ष हो गये परन्तु उन्हें विभिन्न लाइनों से नहीं जोड़ा गया है जिससे सैकडों गांवों में आज भी फाल्ट एवं ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। कई गांव रिकार्ड में बिजली से जुड़ चुके हैं परन्तु मौके की स्थिति कुछ अलग ही बयां करती है।

जिले के रामगढ़ गांव में 33 के.वी. का जी.एस.एस. बना हुआ है, परन्तु बीच की एक किमी. लाइन का निर्माण कार्य नहीं करने से, गमने वाले में बने जी.एस.एस. से नहीं जुड़ पाने के कारण, ग्राम आसुतर, घोटारू, सादेवाला, नत्थूवाला 11 के.वी. से जुडे होने के कारण विद्युत समस्या से जूझ

रहे हैं। इसी तरह, ग्राम खींया में 33 के.वी. का एस.एस. बने होने के बावजूद उसका उपयोग एवं सुल्ताना में 33 के.वी. स्वीकृत होने के बावजूद आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्राम देवासे, खींया एवं खींया से सुल्ताना 33 केवी. की लाइन निर्मित नहीं होने के कारण ग्राम बोहा, खींवसर, खींया, नगा, कबीर बस्ती, तेजपाला, सुल्ताना, नेहडाई, सांखला, सदराऊ तथा पीथेवाला, आदि ग्राम विद्युत की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी तरह, ग्राम फलेड़ी में 33 केवी. जी.एस.एस. स्वीकृत होने पर भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है तथा सम से फलेड़ी के मध्य 33 के.वी. की लाइन नहीं बनने से इसके आस-पास के दर्जनों गांव विद्युत से वंचित है। इसी तरह, ग्राम खुड़याला में 33 के वी. जी.एस.एस. स्वीकृत होने के बावजूद न बनाये जाने से तथा सोनू में निर्मित जी.एस.एस. को खुईयाला ग्राम की 33 के.वी. की लाइन से नहीं जोड़ने के कारण आस-पास के दर्जनों गांव विद्युत ट्रिपिंग एवं फाल्ट की समस्या से पीड़ित हैं। कई गांवों में पावर की इतनी समस्या है कि बिजली के कनेक्शन नाम मात्र के रह गये हैं।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जावें एवं निर्मित जी.एस.एस. 33 के.वी. की लाइनों से जोड़े जावें।

श्री छोटू सिंह

(जैसलमेर)

भोपालगढ़ में नाकारा के स्थान पर नये हैंडपम्प व ट्यूबबैल द्वारा पेयजल की उपलब्धता

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कई वर्षों से खराब पड़े नलकूप नाकारा हैं, जिसके कारण आये दिन ट्यूवबैल का पम्प जल जाता है। 5-6 या 10-15 दिन तक ठीक नहीं करवाया जाता। ऐसी स्थिति में गांवों के अन्दर भयंकर पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है।

गांवो में पुराने कुएं हैं जिनमें पानी है। उन ओपन कुओं को गहरा करवाया जावे व पीने का पानी, पम्पसेट उपलब्ध करावें। ग्राम नादिया, प्रभावती, इत्यादि में पीने के पानी की अति गम्भीर समस्या है। उन पुराने ओपन कुओं का गहरा करवाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि सभी गांवों को पानी की सुविधा मिल सके।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि नाकारा हैण्डपम्प व ट्यूबवैल की जगह तुरन्त प्रभाव से नयी स्वीकृति, नये हैण्डपम्प व ट्यूबवैल खोदे जाएं

जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सके एवं भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उपखण्ड चाकसू कस्बा (विधान सभा चाकसू), जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तथा टोंक चाकसू से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कौथून, चाकसू फागी, कोटखावदा, गोनेर, मांजी रेनवाल शिवदासपुरा, निवाई आदि कई छोटे बड़े कस्बे बसे हुए हैं। जिनकी आबादी लगभग 5-6 लाख है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित महाविद्यालयों की मोटी फीस व कम गुणवत्ता की पढ़ाई के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के लिए जयपुर या टोंक जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने तथा अशिक्षा के अभाव में इस क्षेत्र के अभिभावक अपनी बेटियों को 40-60 किलोमीटर दूर भेज पाते हैं। नतीजा, अनेक बालक-बालिका उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावे देने के लिए अनेक प्रावधानों के तहत करोड़ों की राशि खर्च कर रही है। वही विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय महाविद्यालय का ना होना बालक/बालिकाओं के भविष्य के लिए असंगत है। हमारी माननीसा मुख्यमंत्री, जो बालिका शिक्षा के प्रति सदैव उच्च स्तर तक प्रयासरत हैं। उनसे और शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र की तीनों तहसील कोटखावदा, चाकसू व फागी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा मौजूदा बजट सत्र में करके मुझे और मेरे क्षेत्र की जनता को अनुग्रहित करें।

अत: मै प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शाब्दों में मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड चाकसू कस्बे में तत्काल प्रभाव से, प्राथमिकता के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करे। साथ ही मौजूदा सत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर महाविद्यालय की स्थापना की जावे। ताकि आगामी सत्र से क्षेत्र के बालक बालिका लाभान्वित हो सकें।

लक्ष्मीनारायण बैरवा

(चाकसू)

प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु विशेष प्रयास

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में आई गिरावट की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, इनके दोनों माध्यम, सरकारी विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय तथा इसी के साथ-साथ वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम भी इस स्तर के नहीं हैं जिस तरह की वर्तमान शिक्षा की जरूरत है।

आदरणीय, समय के अनुरूप और उसके साथ-साथ चलना ही सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। समयानुकूल शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधार, नवीन तकनीक का समावेश, समाज की जरूरत और विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के उन्नयन की समावेशी रचना से भरपूर शिक्षा क्षेत्र होना चाहिये। वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। इसके बिना हमारा विद्यार्थी उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में टिक नहीं पायेगा।

इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार को तेज गति से सम्पूर्ण आत्म अवलोकन कर सुधार बिन्दुओं पर समयबद्ध कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिये। इस हेतु प्रत्येक विद्यालयवार उसमें मौजूदा संसाधनों की सूचीबद्धता तय की जाये तथा उनका होना सुनिश्चित किया जाये। जैसा कि प्रारम्भिक शिक्षा में उस विद्यालय के पास बेसिक/आधारभूत संसाधन और शैक्षणिक संसाधनों का व्यावहारिक स्वरूप तय करें, उसे कठोरता से लागू करना, यही माध्यमिक शिक्षा में भी हो।

सरकारी विद्यालयों कि स्थिति अत्यन्त दयनीय है। शिक्षक समय पर पहुंचता नहीं है, तो वापसी की चिंता में पढ़ाई नहीं करवाता। मुख्यालय पर कोई निवास नहीं करते हैं। जितने विषय होते हैं उनके विषयवार शिक्षक होते ही नहीं हैं। पदों की भरमार है। विद्यालय न हीं तो चल सकता है। विद्यालय है, नाम मात्र का है, तो वह शिक्षण और विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ है। हमारे ही साथी अनेक राजनेता वोट की राजनीति के खातिर इस व्यवस्था को बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं कि प्रत्येक विद्यालय के लिए, प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक विषय के लिए, तयशुदा वर्ष भर की शिक्षण योजना होनी चाहिये, जैसा कि कोचिंग संस्थान के लोग प्लान के द्वारा टीचिंग करवाते है। इसी तरह, प्रत्येक विद्यालय पर यह जवाबदेही हो कि वह प्रति सप्ताह अपनी डी.पी.आर. लिखित में उच्चाधिकारियों को

आनलाइन डालें। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आनलाइन डलवाये जाने से शिक्षक विद्यालय और विद्यार्थी के प्रति जवाबदार होगा, उसकी गलती भी पकड़ी जा सकेगी।

मैं मेरा एक सुझाव जो अत्यन्त आवश्यक है, वह आपके सामने रखती हूं। प्रत्येक विद्यालय में वर्तमान सामाजिक स्थिति के अनुरूप सामान्य ज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जाता । इसलिए अध्ययन में सामान्य ज्ञान विषय होना चाहिये और वह प्रयोगात्मक भी होना चाहिये जिससे कि एक विद्यार्थी बैंक, डाक घर, पुलिस स्टेशन, रेलवे, रोडवेज, कलेक्ट्री, न्यायपालिका जाकर देखे कि वह किस सिस्टम से काम करते हैं एवं वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। अर्थात्, आज का विद्यार्थी वर्तमान प्रशासनिक एवं अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से परिपूर्ण होकर विद्यालय से निकले।

चन्द्रकान्ता मेघवाल
(रामगंजमंण्डी)

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में राशन कार्ड वितरण व खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों की पूर्ति का अभाव

निवेदन है कि जयपर के कुल अन्दाजन 10 कच्ची बस्ती (1) कटपुतली नगर (2) बाल्मिकी कच्ची बस्ती (3) भोजपुरा कच्ची बस्ती (4) भोजपुरा कच्ची बस्ती रेलवे कालोनी के पास (5) शाहिद बासिन कच्ची बस्ती (6) फूस का बंगला कच्ची बस्ती (7) कालबेलिचा कच्ची बस्ती (8) कोनी नगर कच्ची बस्ती (9) रीछ बुंदर वालों की गली (10) बंधा बस्ती इत्यादि जयपुर सिविर लाइन, विद्याधर नगर, हवामहल पश्चिम जोन में हुई कच्ची बस्ती के लोग काफी वर्षो से यहां रह रहे हैं परन्तु काफी राशन कार्ड अभी तक बाकी है। जो राशन कार्ड दिये गये उन पर खाद्य सुरक्षा कानून के पंजीकरण की मोहर नहीं लगी हुई हैं तथा कच्ची बस्ती में सफाई नहीं होती है तथा कचरा पात्र नहीं लगे है। तथा इन बस्ती में 25 प्रतिशत लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है। सिविल लाइंस तथा विद्याधर नगर में उच्च वर्ग के लोगों के वहां सफाई होती है परंतु इस गरीब बस्ती का कोई धनी धोरी नहीं है इसलिए इन मांगों को पूरा किया जावे।

श्री सुखराम विश्नोई
(सांचौर)

केशवाना ग्राम (जालौर) में कृषि महाविद्यालय खोला जाना

जालौर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम केशवाना में स्थित कृषि अनुसंधान

केन्द्र, जहां पर 700 बीघा जमीन स्थित है, वहां पर कृषि केन्द्र के अलावा कृषि अनुसंधान केन्द्र भी चलता है। 2014-15 के बजट में भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां कृषि अनुसंधान केन्द्र है, वहां पर मैं कृषि महाविद्यालय खोलने की आशा रखती हूं क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में भवन बना हुआ है तथा जो छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे, उन्हें पढ़ाने के लिए पहले से ही वहां प्रोफेसर लगे हुए हैं तथा पर्याप्त मात्रा में स्टाफ भी लगा हुआ है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र के पास सायला उपखण्ड मुख्यालय लगता है जहां पर सीनियर सेकण्डरी स्कूल में कृषि संकाय है और सायला उपखण्ड पूरा कृषि क्षेत्र है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि सरकार चाहे तो, सारी सुविधा होने के कारण कृषि महाविद्यालय खोलने की मान्यता देने की जरूरत है। यहां पर बजट की कोई जरूरत भी नहीं है।

अमृता मेघवाल

(जालौर)

विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन कि विराटनगर राज्य की राजधानी जयपुर से 85 किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व राजमार्ग सं. 284 अ के मध्य में स्थित है। मत्स्य संघ (जनपद) की राजधानी का गौरव प्राप्त विराटनगर पौराणिक तीर्थ स्थल होने के साथ-साथ, महाभारत कालीन, मौर्य कालीन एवं मुगलकालीन ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों के एकीकरण के प्रथम चरण में प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर राजस्थान से पूर्व भी मत्स्य संघ का निर्माण 25 मई, 1948 को भारत के पूर्व उप प्रधान मंत्री व केन्द्रीय मंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्जीवित कर नवनिर्मित संघ का नाम मत्स्य संघ रखा।

मत्स्य जनपद का अस्तित्व आदिमानव सभ्यता केन्द्र से जुड़ा हुआ है जहां 1.5 लाख वर्ष से 4 हजार वर्ष पूर्व तक के उपकरण व शैल्य चित्र मिलने के प्रमाण हैं, जहां पाषाण-कालीन सभ्यता मौजूद थी। महाभारत काल में मत्स्य देश के सम्राट विराट की शरण में पाण्डवों द्वारा व्यतीत एक वर्ष का अज्ञातवास का काल सर्वविदित है। मत्स्य महाजनपद मौर्य साम्राज्य के 16 महाजनपदों में एक प्रमुख महाजनपद था। मुगलकाल में यह ताम्र सम्पदा का प्रमुख केन्द्र रहा। अकबर ने इसे राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र

मानते हुए भव्य भवनों एवं टकसालों का निर्माण करवाया तथा मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर (बैराठ) के नाम से सिक्के चलाये। मुगलकाल के दौरान विराटनगर के उत्तर में स्थित मुगलद्वारा का निर्माण आमेर के महाराजा मानसिंह (प्रथम) ने करवाया था।

यहां पर अनेक प्रमुख दर्शनीय स्थान यहां की ऐतिहासिक प्रमाणिकता को दर्शाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से विराटनगर के उत्तर में श्री पंच खंडपीठ, भीमगिरी पर्वत (भीम गट्टा) जिसके उच्च शिखर पर 65 मण की बज्रांगदेव हनुमान की प्रतिमा, महाभारत कालीन भीमलता, भीमगुफा, मौर्यकालीन अशोक शिलालेख, प्राचीन गुफा में स्थापित एकादशरूद्ध भगवान शिव परिवार की प्रतिमा एवं शिव लिंग, उत्तर पश्चिम में भव्य जैन नशियां मंदिर, एवं उसके परकोटे में मुगलकालीन शाहीमहल, नौमहला, चौमहला, पंचमहल (मुगलद्वार), नौ ढाणों का कुआं, बाल आश्रम, प्राचीन गणेश मंदिर, झरने सहित तीन कुण्ड, पुरातत्व विभाग का संग्रहालय, पूरणमल की गुफा, बिजक पहाड़िया, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध अवशेष, महाभारत-कालीन भैरव मंदिर, नाहरसिंह का मंदिर, विरटेश्वरी देवी माता, मनसा माता मंदिर, जैन मंदिर, दिगम्बर जैन मंदिर, आदि आज भी प्रसिद्ध एवं दर्शनीय स्थल हैं।

यहां सन् 1938 में निर्मित पुलिस स्टेशन अंग्रेजों की छावनी रहा। सन् 1938 में डिस्पेंसरी तथा डाक बंगले का निर्माण अंग्रेजी शासन के दौरान अर्थात् स्वतंत्रता से पूर्व हुआ।

1950 में बैराठ विधान सभा क्षेत्र के रूप में उभरा। प्राचीन तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, उपखण्ड कार्यालय, नगरपालिका क्षेत्र, मुंसिफ कोर्ट, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, सहायक अभियंता विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अनेक सरकारी कार्यालयों से परिपूर्ण है विराटनगर।

आजादी के 66 वर्ष गुजरने के बाद भी सरकारी संरक्षण के आभाव में इस क्षेत्र का इतिहास लुप्त होता दिखाई दे रहा है। गौरवपूर्ण इतिहास इस क्षेत्र के सपने संजोये हुए है। यदि इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाये तो काफी मात्रा में देशी व विदेशी पर्यटकों का अविरल रूप से आवागमन होगा तथा क्षेत्र के विकास में एक नया आयाम स्थापित होगा तथा माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के सुराज शासन के प्रति क्षेत्रवासियों का सपना साकार होगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-42 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

1. विधान सभा क्षेत्र भीम में रीको इण्डस्ट्रीज के लिए प्रदूषण निवारक सम्बन्धी अनुमति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

2. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वृहद उद्योग लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

3. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के औद्योगिक क्षेत्र में कल-कारखाने लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

4. राज्य में ''खादी ग्रामोद्योग'' को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

5. अजमेर जिले में बड़े एवं मध्यम उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।
6. अजमेर जिले में मिलने वाले जींक के प्रोसेज हेतु काकड़दा भूणाभाम में जिंक स्मैलटर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. अजमेर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने एवं नये उद्योगों में युवाओं तथा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. अजमेर सम्भाग के औद्योगिक विकास हेतु कृषि एवं खनिज उत्पादकों को क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर चयन कर कच्चे माल की उपलब्धता अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराडा एवं सलूम्बर में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कारीगरों को उद्योगों हेतु विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु उद्योगों हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में ईंट उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्र में चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

15. करौली में स्टोन मार्ट बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के मण्डरायल में सीमेन्ट उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. जिला करौली में कांच बनाने के प्लांट स्थापित कर नवीन उद्योग लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

18. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कुटीर उद्योग स्थापित करने एवं पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर मुख्यालय पर उद्योग शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

21. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रीको तृतीय फेज को विकसित करने एवं बाड़मेर में स्थित रीको कार्यालय में कर्मियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

22. विधान सभा क्षेत्र सोजत में चल रहे मेहन्दी उद्योग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती हीरालाल (निवाई):

23. विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड पर रीको का उप कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर):

24. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में बड़े एवं लघु उद्योग लगाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

25. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना-शाहजहांपुर की औद्योगिक इकाइयों में लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

26. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के चौमूं में उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के लाइम स्टोन बेल्ट गोटन, बोरूंदा, हरियाढाणा, रणसीगांव, मुरकासनी, झाक, कालावना खारिया मीठापुर एवं बरना को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पत्थर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं मिलने से बिजली कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

29. राज्य के बीमार उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु राहत पैकेज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी औद्योगिक नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ एवं मुकुंदगढ़ शहर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

32. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुटीर लघु उद्योग धन्धे खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

33. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में उद्योग-धन्धे खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

34. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के रीको एरिया में उत्पन्न समस्याओं एवं नया रीको एरिया विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

35. जोधपुर के पाल शिल्प ग्राम में आर्टीजनों के उत्पाद के लिए डिस्पले केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. जोधपुर में उद्योग स्थापना हेतु भूमि के अभाव को दूर करने के लिए जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर रोड पर नये रीको एरिया की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. जोधपुर में रीको द्वारा शास्त्री नगर पुलिस थाना से आई.आई.टी. वाया काजरी जाने वाली रोड़ के अधूरे कार्य को पूर्ण करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

38. जोधपुर सेज में छोटे भू-खण्ड काट कर लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्राथमिकता से आबंटन और उद्योग प्रदर्शनी-मेलों के आयोजन हेतु प्रदर्शनी स्थल आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

39. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में रीको एरिया का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

40. सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू):

41. विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण रहित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

42. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सैण्ड स्टोन पार्क, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा):

43. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा उद्योग की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

44. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में स्थित खाटूश्यामजी औद्योगिक क्षेत्र (सरगोठ) में स्थित उद्योगों द्वारा बिना स्वीकृति के पानी का दोहन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

45. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के अंराई कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में हस्तकला उद्योग के लिये अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

47. विधान सभा क्षेत्र कपासन में रीको एरिया को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सुलभ व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र कपासन तहसील में नारिया का बीडा की जमीन को अधिग्रहण करके वृहद उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

50. फलौदी (जोधपुर) के नमक उत्पादन क्षेत्र मलार रिण में नमक मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड क्षेत्र बाप मुख्यालय पर रीको की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. जिला उद्योग केन्द्र फलौदी के भवन एवं फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद):

53. विधान सभा क्षेत्र धोद में धोद व लोसल के आसपास रीको क्षेत्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा):

54. बालोतरा उद्योग के प्रथम फेज में आर.एफ.सी. के 30 वर्षों से खाली भवनों को नीलाम करने अथवा किसी ट्रस्ट को आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

55. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नये उद्योग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला उपखण्ड में रीको का नया केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

57. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा सड़कों, पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थानों का रख-रखाव एवं मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु भूखण्डों का नियमानुसार आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. जोधपुर जिले में मरूधर औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों द्वारा नियमों के विरूद्ध औद्योगिक क्षेत्र का वाणिज्यिक एवं रहवासीय उपयोग लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा में उद्यमियों द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र भू-खण्डों का उपयोग न कर, विक्रय करने/किराये पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा द्वारा सामाजिक क्षेत्र में बजट एवं फण्ड उपलब्ध होने के बावजूद भी खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

62. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्प्रीट केमीकल्स यूनिटों के प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. बहरोड़ नीमराना के उद्योगों में स्थानीय ट्रान्सपोटरों को सामान ढुलाई का कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रीको के अलावा निजी भूमि में लघु उद्योग लगाने पर रीको के समान विद्युत आपूर्ति कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं व राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

67. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में औद्योगिक पार्क/एरिया खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

68. विधान सभा क्षेत्र आहौर (जालौर) में खनन उद्योग एवं रीको के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

69. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में तिजारा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

70. धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत झिरी में नवीन सीमेन्ट फैक्ट्री खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

71. हनुमानगढ़ जिले में नए उद्योग स्थापित करने हेतु नई उद्योग नीति तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):

72. अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. भिवाड़ी खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जहरीले पानी की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़क, नाली एवं पार्क आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

76. विधान सभा क्षेत्र नागौर के नागौर शहर में उद्यमियों को शीघ्र भूमि आबंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

77. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्रामों की रीको द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

78. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नए उद्योग स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. बारां जिले के किशनगंज एवं शाहाबाद में लघु उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

80. प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बन्धी मेलों का आयोजन किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. बाड़मेर में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. बाड़मेर जिले में हाथ करघा उद्योगों के प्रति युवाओं व महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में कचरा संधारण उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

84. वित्तीय वर्ष 2008-09 में निवर्तमान सरकार द्वारा सीकर-जयपुर जिलों

की सीमा पर एयरोटोपोलिस (ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट) स्थापना की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की खेजरोली ग्राम पंचायत में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में शाहपुरा औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट निवारण हेतु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर, जयपुर व अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्ट से वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

88. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की वल्लभनगर तहसील के भीण्डर व कानोड़ कस्बे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र (रीको) स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

89. प्रदेश में लघु उद्योगों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

90. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के भोजवाड़ा पंचायत कोलवा, बांदीकुई में रीको द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

91. पाली के टैक्सटाइल उद्योग को प्रदूषण मुक्त करवाने के लिए सक्षम ''जल प्रदूषण निवारण संयत्र'' (पूर्ण क्षमतायुक्त) स्थापित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. सुमेरपुर व तखतगढ़ में उद्योग लगाने हेतु रीको क्षेत्र घोषित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन):

93. प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष पैकेज देने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के लाखेरी एवं केशोरायपाटन में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. प्रदेश में बिना चिमनी कजाबे के रूप में कार्यरत उद्यमियों के लिए अलग से नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

96. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विभिन्न स्थानों पर लगे स्टोन कट्टर प्लान्ट्स को एक स्थान पर लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. जोधपुर जिले के फलौदी कस्बा के समीप मलार ग्राम के पास नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

98. भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रेलवे कंटेनर लाने व ले जाने हेतु रेलवे लाइन के पास मांडल से रायला तक 1.5 कि.मी. ×150 मीटर जमीन उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

99. कोटा जिले में कोटा स्टोन के वेस्ट मेटेरियल (अनुपयोगी सामग्री) हेतु जमीन आबंटित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में निजी उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध न कराने एवं निजी क्षेत्रों में भी आरक्षित वर्ग को महत्व देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंण्डी में कोटा स्टोन पार्क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

102. जैसलमेर जिले में पत्थर के उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी):

103. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के तहसील मुख्यालय धोरीमना पर हथकरघा उद्योग कारीगरों के लिए विशेष केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में लघु उद्योगों के लिए कौशल विकास व प्रशिक्षण केन्द्र तहसील मुख्यालय गुढामालानी, धारीमनास एवं सिणधरी में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में वृहद उद्योग इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी ईसबगोल उत्पादन क्षेत्र होने के कारण ईसबगोल आधारित छोटे उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली):

107. पाली के नया गांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्डों के आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में खुले नालों के स्थान पर कंड्यूट पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. पाली की औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में बजरी की कमी के कारण औद्योगिक इकाइयों के निर्माण में हुये विलम्ब के लिये निर्माण अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

111. अलवर जिले के अलवर उद्योग केन्द्र एवं भिवाड़ी उद्योग केन्द्र में व्याप्त अनियमितताएं एवं अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

112. विधान सभा क्षेत्र सोजत में चूना भट्ठा एवं सीमेन्ट उद्योग लगाने पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

113. बीकानेर में मेगा-फूड पार्क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. बीकानेर में टैक्सटाइल पार्क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. लूणकरणसर में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. टैक्सटाइल क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की वर्तमान नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों व कुटीर उद्योगों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

118. विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) के उद्योगों के विकास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष पैकेज देने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (नावां):

119. नागौर जिले के कुचामन सिटी में औद्योगिक क्षेत्र रीको को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

120. बालोतरा के टैक्सटाइल उद्योग के प्रदूषित पानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

121. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के टोडाभीम व नादौती कस्बों में औद्योगिक क्षेत्र रीको के लिये भूमि अधीग्रहण कर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

123. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में नये उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के विस्तार हेतु मास्टर प्लान 2013 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई):

125. नदबई क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली):

126. विधान सभा क्षेत्र करौली में नवीन लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

127. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजस्व खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की नवाचार नवीन योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में उद्योग विभाग की नवीन योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

129. जोधपुर के उद्योगों की खस्ता हालत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

130. बांसवाड़ा जिले के उद्योगों में स्थानीय लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू):

131. विधान सभा क्षेत्र बगरू में उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मियों को सरकारी सेवा के अनुरूप लाभ दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकारी सेवा के अनुरूप मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद):

134. प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार):

135. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा):

136. निम्बाहेड़ा क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. निम्बाहेड़ा में नये औद्योगिक क्षेत्र कायम करने, स्टोन पार्क एवं एग्रो पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

138. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. जिला उद्योग केन्द्र भिवाड़ी एवं अलवर में उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में निजी व सार्वजनिक सहभागिता से श्रमिक आवास की सुविधा उपलब्ध के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण)

141. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में लगे उद्योगों में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ही रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में रीको द्वारा मालाखेड़ा में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के रीको पेराफेरी क्षेत्र में रीको द्वारा सड़कें बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़) :

144. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा):

145. प्रदेश में आई.टी. कम्पनियों को राज्य में अपने अनुसंधान और विकास केन्द्र खोलने हेतु अधिक सुविधा देकर प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

146. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित बन्द लघु उद्योगों को पुन: चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि आधारित उद्योगों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में औद्योगिक विकास के लिए आधाभूत सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम छितोली में मूर्ति उद्योग विकास केन्द्र (रीको) नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

151. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कोरीडोर स्टेशन बनने से नये औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

154. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सेनेटरी उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही):

155. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में सारणेश्वर रीको औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

156. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में विगत 15 वर्षों में रीको द्वारा कोई भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना में राजसमन्द जिले की सभी तहसीलों में नये उद्योगों की स्थापना में प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. राजसमन्द जिले में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में उद्योग स्थापना में प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. उदयपुर में औषधि निर्माण क्षेत्र विकास और 700 करोड़ के नये निवेश की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. राज्य के सभी सम्भाग मुख्यालयों पर हस्तशिल्प एवं खादी प्लाजा स्थापना की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

161. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में उद्योग के लिये जमीन आरक्षित कर उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

162. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कालीन व गलीचे बनाने का उद्योग उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ककराना, दीपपुरा लाहार्गल एवं चिराना में आचार उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में रीको की स्थापना कर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

165. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अडानी थर्मल पावर प्लाण्ट में 50 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू कस्बे में वर्षो से खाली पड़ी आबकारी फैक्ट्री में उद्योग लगाकर चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

167. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में श्री सीमेंट की फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

168. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में दुग्ध उद्योग केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

170. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिए अलग से विद्युत फीडर की व्यवस्था कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चुरू में औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन देकर उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

172. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल के औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में औद्योगिक जमीन की रेट (डी.एल.सी.) पांच गुणा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में औद्योगिक जमीन की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना में नया औद्योगिक क्षेत्र एवं उद्योग घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

176. नागौर जिले में पुरा जियोलाजीकल सर्वे करवाकर नई खनिज सम्पदाओं के उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. जिला नागौर के मकराना के मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. नागौर जिले में साइनाक्ले व जिप्सम के उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र खींवसर नागौर में नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. नागौर के मुंडवा स्थित अंबुजा सीमेन्ट कम्पनी द्वारा लैड बैंक बनाकर सस्ती दरों पर किसानों से भूमि अधिग्रहित कर हजारों बीघा सरकारी जमीन लेने के बाद भी विगत बीस वर्षों में उद्योग स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़):

181. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में भारी उद्योग का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

182. अजमेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु रीको द्वारा नई भूमि चिन्हित कर आबंटन प्रक्रिया प्रारम्भ कराने तथा श्रीनगर के पास

चिन्हित 1500 हैक्टयर भूमि को शीघ्र अवाप्त कर उद्योग स्थापित करने हेतु आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. अजमेर जिले में उद्योगों का विकास एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आई.टी. पार्क का विकास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. अजमेर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. बजट घोषणानुसार अजमेर में सिसैरेमिक हब विकसित किये जाने के लिए ऐसी भूमि चिन्हित की जाए जहां से गैस पाइप लाइन गजर रही हो, जिससे उद्योगों के संचालन में सुविधा मिल सके पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

186. राजस्थान के अप्रवासी भारतीयों (NRI) के निवेश के लिए चल रही योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे कार्यक्रम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. प्रदेश में विभाग की website के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. प्रदेश में रीको के कार्य कलाप के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. प्रदेश में DIC द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

191. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

192. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में जिप्सम आधारित उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कोलायत में सिरेमिक्स का जोन बनाकर सिरेमिक उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. बीकानेर जिले के गजनेर औद्योगिक क्षेत्र का कार्य शीघ्र पूरा कर स्थानीय लोगों को राहत प्रदान कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

195. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में खराब सड़कें, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य सुविधाएं रीको द्वारा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

196. प्रदेश में सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी की व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए इससे सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष औद्योगिक नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने हेतु उद्योगों को हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड की तर्ज पर करों में विशेष छूट दिये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. जयपुर शहर की घनी आबादी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को नवीन औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने, पयर्टन को उद्योग का दर्जा दिये जाने एवं कामगारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. जयपुर व आसपास के क्षेत्रों में टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्टोन मार्ट के उद्योग एवं मूर्ति कला के लिये विशेष क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

200. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में मेगा फूड पार्क एवं फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. बीकानेर में नया औद्योगिक क्षेत्र बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. बीकानेर में ड्राइपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, कार्यालय बीकानेर में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. बीकानेर के रानी बाजार एवं करणीनगर औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

205. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में स्थित चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. प्रदेश में जन सहभागिता योजना की तर्ज पर उद्योगों का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट एवं कुटीर उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

208. भरतपुर जिले में बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. भरतपुर जिले में नये उद्योग खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. भरतपुर शहर में बृज उद्योग क्षेत्र में सड़क, नाली, सफाई, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. भरतपुर जिला उद्योग केन्द्र में जिला उद्योग अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. भरतपुर में स्थित सरसों तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा):

213. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर नगर में रीको द्वारा सिरेमिक हब स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-43 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

1. पाली जिले में, पंचायत क्षेत्रों में, स्वीकृत खानों को ''लेपर्ड कन्जर्वेशन'' क्षेत्र घोषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

2. विधान सभा क्षेत्र भीम में खनिज की उपलब्धता अनुसार क्षेत्र में खनिज पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

3. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मार्बल खनिज से भूमि बंजर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

4. राज्य में अधिक राजस्व लाभ दिलवाने वाली खानों तक आवागमन के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

5. राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए सर्वाधिकार प्राप्त प्राधिकरण गठित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में खनन आवेदनों के लम्बित आवेदनों के निस्तारण में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
7. राज्य में बजरी खनन ठेकेदारों से बकाया रायल्टी के करोड़ों रुपये की राशि को वसूलने हेतु उन पर कार्यवाही करने के लिए नियमों में प्रावधान कर समयबद्व क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. अजमेर जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की पहाडियों को काटकर अवैध खनन द्वारा लाखों टन पत्थर निकालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
9. अजमेर में बहुतायात से मिलने वाले क्वार्टज, कैल्सपार, भमनाब्ले, डोलोमाइट, कैल्साइट आदि खनिजों के लिए एक मिनरल पार्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनिज उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में क्षेत्रीय व्यक्तियों को खनिज पट्टा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर, सराड़ा उपखण्ड में नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर, सराड़ा पंचायत समितियों के पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनिज सम्बन्धी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला):

15. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के ग्राम बल्लर में स्थित आर.एस.एम.एम. द्वारा खनिज रायल्टी का 10 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं सड़क निर्माण जैसे कार्य के लिए लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा):

17. करौली, सपोटरा क्षेत्र में वन रहित क्षेत्र को डी. फोरेस्ट घोषित कर छोटी-छोटी खनिज लीज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

18. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रों में विभिन्न सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के खनिज क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

20. बाड़मेर में निकल रहे पैट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त राजस्व में से बाड़मेर जिले के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. बाड़मेर में रिफाइनरी का कार्य प्रारम्भ करने एवं पैट्रोकेमिकल हब बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. बाड़मेर में कैयर्न इण्डिया लिमिटेड एवं राजवेस्ट पावर लि. द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों एवं लिग्नाइट के खनन से हो रही पर्यावरणीय क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर):

23. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में मार्बल के छोटे खण्डों की रायल्टी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

24. लिलाम्बा पहाड़ी को रिजर्व रखने के बाद भी खनन विभाग ब्यावर द्वारा अवैध रूप से एस.टी.पी. की स्वीकृति देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. मगरा क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासियों को खनन के लिए एस.टी.पी. (अस्थाई) देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

26. प्रदेश में विभाग के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के खान क्षेत्र हरियाडा के खोजा नगर के किसानों को खेतों के पास अवैध खनन के पिट्स को ल.×चौडाई× गहराई के अनुमान पर झूठे मुकदमों में फंसाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के खनिज क्षेत्र में रायल्टी के रूप में वसूली गई राशि से खनिज क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश में खनिज पर वसूली जाने वाली रायल्टी का तय शुदा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा से खनिज के रूप में पिंक ग्रेनाइट एवं लाइम स्टोन के खनन को बढ़ावा देने हेतु पट्टे/क्वारी आबंटन में आने वाली पर्यावरण क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट की कठिनाई से उबरने हेतु सिंगल विण्डो प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

31. राज्य के खान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

32. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में संचालित खनिज क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

33. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में संचालित खनिजों पर मजदूरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

34. गंगापुर एवं सपोटरा-करौली के बीच विपुल खनिज के गैर कानूनी खनन को रोकने व खनिज पट्टों की जांच करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

35. प्रदेश के खनन क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट सेन्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. खनन क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति सुधार हेतु श्रमिक वेलफेयर बोर्ड का गठन करने और इसके माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा, आवास, पेयजल, बीमा खनन तकनीक प्रशिक्षण आदि की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. खनन क्षेत्रों में विकास हेतु रायल्टी का पांच प्रतिशत हिस्सा सीधे ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिये जाने और जहां ऐसे क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में आते हैं वह हिस्सा सम्बन्धित विधायक को उसी खनन क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. अवैध खनन रोकने हेतु सम्भागीय स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता खनिज (सतर्कता) का पद पुन: सृजित कर पदस्थापित करने के साथ

ही प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता खनिज के अन्तर्गत कम से कम दो खनिज अभियन्ता (सतर्कता) मय आवश्यक स्टाफ सहित 200 जवानों की बार्डर होमगार्डस की टीम समुचित वाहन एवं अन्य संसाधन सहित उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विश्व प्रसिद्व जोधपुरी पत्थर खनन अपशिष्ट और खानों में विशाल मात्रा में इकट्ठा होने वाले वर्षा जल के समुचित उपयेाग हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

40. खनिज विभाग में कांस्टेबलों की नियुक्ति हेतु सफल व्यक्तियों को नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. सरकार द्वारा नई खनिज नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

42. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में खनिज कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

43. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. प्रदेश में खनिज रायल्टी वसूली से प्राप्त राशि का अंशदान सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा):

45. कोटा में खनन क्षेत्र बढ़ाने हेतु नई खानें आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण):

46. प्रदेश में बजरी का ठेका नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

47. प्रदेश में हो रही अनाधिकृत खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

48. विधान सभ क्षेत्र किशनगढ़ में स्थापित विभिन्न खान इकाइयों को आवश्यक सरकारी सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

49. प्रदेश में खनन पट्टा आबंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. प्रदेश में विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र कपासन में अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र कपासन में उपलब्ध खनिज सोडा, क्वार्टर्स, लाइम स्टोन बजरी की उपलब्धता के सम्बन्ध में चर्चा लिए।

श्री अमराराम (पचपदरा):

53. लूणी नदी में बजरी का खनन करने से बड़े-बड़े खड्डों को समतल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

54. खनन कार्यों में लगे खनिज मजदूरों के लिए बीमा पालिसी लागू करके उनके स्वास्थ्य हेतु आवश्यक नियमों की पालना करने व उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. खनिज क्षेत्रों में अवैध रूप से किये जा रहे खनन का कचरा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त, अन्यत्र डालने से हो रहे अतिक्रमण करने एवं प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. जोधुपर एवं जोधपुर के आसपास पाये जाने वाले सैण्ड स्टोन एवं अन्य खनिजों को ध्यान में रखते हुए पांच एकड़ तक की खुद की खातेदारी में खनिज लीज देने की नीति पुन: बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

57. विभिन्न खनिज क्षेत्रों व खनिज क्षेत्रों के आसपास दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अवैध खनन व खनन भू-माफियाओं के पनपने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. विभाग द्वारा अपने खनिज क्षेत्रों में सड़कें बनाने व सामाजिक सरोकार पर राशि खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

59. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खान मालिकों को आबंटित खनिज पट्टे से अधिक क्षेत्र में खनन कार्य करने पर अधिक पेनल्टी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. भिवाड़ी टपूकडा अलवर में अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्च के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रायल्टी की चोरी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

64. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभाग द्वारा जारी लीज एवं अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

65. जिला जालौर में हो रहे अवैध बजरी खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाडी):

66. प्रदेश में नवीन खनन पट्टे जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. चम्बल रेता निकासी से रोक हटाने एवं रेता निकासी के लिए स्थान चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

68. प्रदेश में नई खनिज नीति बनाकर अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):

69. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल, हरसोली में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के तिजारा क्षेत्र में अवैध खनन की

निकासी पर अलवर खनिज अभियन्ता की जिम्मेदारी तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की समस्त वन भूमि में हो रहे अवैध खनन के स्थानों का सर्वे कराकर अवैध खनन को रोकने की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

72. प्रदेश में खनिज नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, शाहाबाद में खनिज पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

74. प्रदेश में अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

75. राज्य की खनिज नीति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

76. जोधपुर व सोजत सिटी में खनिज की जांच के लिए विभाग द्वारा सक्षम प्रयोगशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

77. भीलवाड़ा स्थित जिन्दल शा लिमिटेड को जिन शर्तों पर खनिज स्वीकृति दी गई थी उन सभी शर्तों को पूरा कराने हेतु एवं खनन क्षेत्र लेने के एवज में बड़ा आयरन प्लांट अभी तक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. भीलवाड़ा जिले के बदनोर कस्बे में स्थित खनन क्षेत्र बिकरियां को रेवेन्यू रिकार्ड में खनन क्षेत्र दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. अजमेर की तरह भीलवाड़ा जिले को भी सोडा, फेल्सपार क्वार्टज हब बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

80. खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में खनन नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81. खनन क्षेत्र में रायल्टी राशि में पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

82. जैसलमेर जिले में खनिज उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी):

83. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के धोरीमन्ना में खनन क्षेत्र तक जाने हेतु 3 किलो मीटर सम्पर्क सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के मांगता खनन क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में खनन ठेकेदारों द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूली को रोकने के लिए खनन विभाग की चौकी धोरीमन्ना में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालूराम चौधरी (सहाड़ा):

86. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के वैलफेयर के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में सिरेमिक हब बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में बिलानाम एवं चरागाह जमीन पर किए जा रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रेमचन्द बैरवा (दूदू):

89. विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

90. बाड़मेर जिले में हो रहे पैट्रोलियम दोहन से प्राप्त होने वाली रायल्टी का 5 प्रतिशत हिस्सा बाड़मेर जिले के विकास कार्यों के लिए विशेषकर उत्खनन क्षेत्र में ही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. बाडमेर जिले में चिन्हित तेल क्षेत्रों और नये पैट्रोलियम क्षेत्रों के सर्वे की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

92. बाडमेर में खनिज रायल्टी के साथ-साथ प्रति टन 5 रुपये की दर से ली जाने वाली राशि के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

93. पश्चिमी राजस्थान के अपार खनिज भण्डारों का पता कर उत्खनन एवं दोहन करके राज्य का राजस्व और रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

94. चौहटन में नमक उत्पादन के लिए चिन्हित किये गये क्षेत्रों के विकास एवं प्रगति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना):

95. मकराने की 72 बंद पड़ी मार्बल खानों को पुन: चालू करने एवं मकराना में मार्बल खानों के पास बनी डामर की सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

96. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सोप स्टोन के हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थापित खनिज क्षेत्र को नये सिरे से आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हो रहे अवैध खनन एवं खनन माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

99. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में खनिज मजदूरों को पूरा वेतन दिलाने एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

100. बांसवाड़ा जिले में आबंटित खदानों में आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नगण्य होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार):

101. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में अवैध बजरी खनन एवं बजरी की गाड़ी वालों से अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपालानी (निम्बाहेड़ा):

102. निम्बाहेड़ा में कार्यरत लघु उद्यमी पतथर स्टोन इंडस्ट्रीज को पर्यावरण लाइसेंस जारी करने के लिए स्थानीय कार्यालय में ही कैम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. निम्बाहेडा तहसील के खनिज क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों की मरम्मत व पुन-निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. निम्बाहेड़ा तहसील क्षेत्र में स्टोन खनन के लिए नये खनन पट्टे जारी कर उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

105. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण-अलवर जिले में अवैध खनन को बन्द करने एवं गैर मु. पहाड़-सिवाय चक के पहाड़ों में खनन पट्टे देकर बेरोजगारी दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में विभाग द्वारा ग्रामीणों को खनिज नीति के तहत खनन पट्टे देकर हो रहे अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण-अलवर जिले में वन विभाग की अड़चनों को दूर किया जाकर 100 मीटर के ऊपर के पहाड़ों को अरावली से मुक्त कराकर ग्रामीणों को खनिज पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा):

108. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के साथ बाड़मेर में लगने वाली रिफाइनरी कम पैट्रोकेमीकल कोम्प्लेक्स के समझौते की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

109. प्रदेश में विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को खनिज राजस्व का हिस्सा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के छितोली ग्राम के पास माइन्स विस्फोट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के कोटपूतली क्षेत्र में खान आबंटन में आ रही रूकावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में विभाग के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

114. प्रदेश में बजरी ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में आबंटित खानों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में बजरी खनन के क्षेत्रों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के डिगोर बांध के पास खनन के लिए ब्लास्ट करने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में राणावास नदी में बजरी रायल्टी ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध 10-10 फीट गहरे गड्ढे करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

119. राजसमंद जिले में जिन क्षेत्रों में खनिज दोहन पूरा हो चुका है उनके पुन: उद्धार कार्य में कोई प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के जनजाति क्षेत्र में खनन पट्टों के नवीनीकरण, नये पट्टे जारी करने एवं खनन क्षेत्र में वृद्धि की नीतिगत विफलता एवं प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के खनिज क्षेत्रों में वृक्षारोपण, हरियाली संवर्द्धन एवं पर्यावरण प्रबन्धन के कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. प्रदेश की बजरी व रेत खनन नीति में अस्पष्टता कृत्रिम अभाव एवं कुछ समूहों द्वारा एकाधिकार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों द्वारा खनन पट्टों एवं आवेदन पत्रों पर नियम विरुद्ध एवं अधिकार नहीं होने पर भी अपील की सुनवाई करना, निरस्त पट्टों एवं आवेदन पत्रों का पुर:स्थापित करना अवधि पार अपीलों को बिना सुसंगत कारण एवं अत्यधिक विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा आबू):

124. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में खनन के पूरे पत्थर पर रायल्टी लेने एवं राजसमंद में फिनिश माल पर रायल्टी लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा की सारी पहाडियां लाइम स्टोन के अतिरिक्त पुनः सर्वे करवाकर दूसरे पत्थर के लिए भी रिजर्व कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

126. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में फोरेस्ट लैण्ड को डी. फोरेस्ट लैण्ड कर खनन लीज जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गांव गुडा व बगोरा आदि में क्षेत्रीय वन अधिकारी की मिलीभगत से वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध खनन एवं अवैध स्टोन क्रेशर के संचालन की जनहित में रोकथाम व दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उदयपुरवाटी में खनिज अभियंता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बजरी, चूना-पत्थर, लौह अयस्क के हो रहे खनन से प्रभावित क्षेत्रों के पर्यावरण नुकसान व आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से बचाने एवं खनन क्षेत्र में वृक्ष आदि लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बजरी के खनन से काटली नदी व अन्य स्थानों पर बडे-बडे गड्ढों को भरवाने व नदी के पेटे को वापस इसके पूर्व रूप में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में खनन से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के स्वास्थ्य, रोजगार एवं विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

131. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में रेत (बजरी) का निजी कार्य में उपयोग के लिए खनिज प्रतिबंध से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के कलाई में चेजा पत्थर के खनन का पट्टा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालूराम चौधरी (सहाड़ा):

133. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

134. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के खनिज क्षेत्र बिजौलिया में खनन क्षेत्र से लगती खातेदारी भूमि जो कि एक हैक्टेयर से कम हो उसमें छोटे खातेदारों को खनन हेतु पट्टे आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):

135. राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिण।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

136. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना एवं रावला आदि में हो रहे जिप्सम के अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

137. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नया खनन क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के महेशवास एवं हिरनौदा में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

139. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की उप-तहसील सिद्धमुख में किसानों की कृषि भूमि पर जिप्सम खनन की लीज (पट्टे) जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

140. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में प्रतिबंधित लाइम स्टोन ब्लाक को किसानों के लिए खनिज पट्टे देने हेतु खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में एन.एम.डी.सी. खींवसर क्षेत्र के माडपुरा में बड़ी माइन्स के प्राइवेट सेक्टर से वापिस विभाग के अधीन लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र खींवसर नागौर क्षेत्र के लाइम स्टोन ब्लाक का पुन: जियोलोजिकल सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में अवैध खनन के नाम पर किसानों की खातेदारी भूमियों पर किये गये मुकदमे वापिस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश में नई खनिज नीति में किसानों को लाइम स्टोन के पट्टे स्वयं के खातेदारी खेतों में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़):

145. विधान सभा कुशलगढ़ में मेगनीज का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

146. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजमेर में जिंक स्मैल्टर की स्थापना कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर सहित सम्पूर्ण जिले में अवैध खनन पर रोक हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148. प्रदेश के खनन माफियाओं का एकाधिकार समाप्त करने के लिए खनन नीति में संशोधन कर पारदर्शी तरीके से खान आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

149. प्रदेश में खानों को पारदर्शिता के साथ आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में खनिज भण्डारों को On line display करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

151. प्रदेश में खनिज क्षेत्र का On line allotment करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा पट्टाधारियों के साथ किये जा रहे व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

153. विभाग द्वारा सभी लाइसेंसों का नवीनीकरण कर नये लाइसेंस जारी किये जाने की समय सीमा तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

154. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बंद पड़ी खानों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

155. बीकानेर जिले के कोलायत के कपिल सरोवर के पायतन में बजरी के अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

156. बीकानेर जिले में जिप्सम के अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

157. अलवर जिले में वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

158. जयपुर के आस-पास बस्सी, हरमाडा एवं अन्य क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे चेजा पत्थर के अवैध खनन को रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

159. भरतपुर की सीकरी तहसील के ग्राम तेस्की एवं बुडली में चेजा खनन को आबंटित लीजों के लिए पृथक रास्ता बनाने एवं उक्त क्षेत्र में क्रेसर लगाने के लिए विशेष क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. खान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के शीघ्र निर्णय लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनियमितताओं के प्रकरणों की जांच में विलम्ब एवं जिन प्रकरणों में जांच हो गई उनमें कार्यवाही न होने अथवा विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

162. बीकानेर जिले में अवैध खनन की रोकथम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

163. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में हो रहे अवैध खनन पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कालीसिन्ध नदी में बजरी के उठाव को लेकर लीज स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पत्थर खनन की लीज देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

166. भरतपुर जिले में अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
167. भरतपुर जिले में विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
168. भरतपुर जिले में दी गई अवैध खनन लीजों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
169. भरतपुर जिले में हो रहे अवैध खनन में लिप्त भू-माफियाओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-5

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर माननीय सदस्यगण द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य जो पढ़े हुए माने गये

श्री रामचन्द्र (डग)

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में खनिज एवं खनन क्षेत्रों की प्राकृतिक बहुतायता है, झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में कुछ हिस्सा है जहां कोटा स्टोन का भारी मात्रा में खनिज सम्पदा है, लोगों ने लीज लेकर खनन कार्य किया जा रहा है। लेकिन कुछ खानें जो सडक किनारे हैं उनकी खुदाई कर बिलकुल रोड से सटी हुई खानों से कभी भी भू-स्खलन से पूरा का पूरा स्टेट हाइवे उसमें धंस सकता है, किन नियमों के तहत इनको खनन की इजाजत दी तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसका अवैधानिक खनन कर लेते हैं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से या विभाग की अनदेखी से ऐसा हो रहा है। इन पर रोक लगाकर कडी कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड के साथ-साथ आगे खनन की इजाजत ना दें। कई खानों में पानी भर गया है क्योंकि इतनी गहरी हो चुकीं जिससे पानी भरने से पास की खानों में उनके पानी का रिसाव होने से कभी गम्भीर हादासा हो सकता है, ऐसी खानों को चिन्हित कर पुन: खान मालिकों से उसकी पत्थर रेती भराई कर सुरक्षित किया जाय।

साथ में झालावाड़ जिले में नदियां का होना प्राकृतिक सम्पदाओं को बढावा, संरक्षण के साथ प्राकृतिक वातावरण के लिए वरदान है परन्तु इनकी खनिज विभाग द्वारा अनदेखी की जाती है क्योंकि बजरी का व्यवसाय अपना स्वरूप अलग ले रहा है आम आदमी से दूर होती जा रही है, ठेकेदारों द्वारा बजरी को मनमाने पैसे वसूल कर बहुत बड़ा बजरी माफिया पनप रहा है। विभाग को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

डग विधान सभा में उद्योग विभाग द्वारा नये RIICO Centre एवं Industries Hub उद्योग हब तैयार किया जा सके जिसमें सीमेन्ट उद्योग, छोटे-छोटे लघु उद्योग इकाई का निर्माण करावे। डग विधान सभा और सन्तरा, धनिया, सोयाबीन, बहुत अधिक खेती होती है उससे सम्बन्धित उद्योग लाये।

श्रीमान युवा बेरोजगार हैं नई उद्योग नीति बनाकर नये युवा उद्यमी बनायें, राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान हो सकें क्योंकि हर व्यक्ति को काम चाहिए ताकि बेरोजगार नहीं रहे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का उद्योग लगाने के लिए प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा देने की मंशा सरकार रखती है क्योंकि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया skillness से यहां के मजदूरों को युवाओं की कार्यक्षमता को निखारने की पूर्ण कोशिश कर रही है। इससे पहले जहां पानी, बिजली, रोड, जमीन की अधिकता हो वहां इण्डस्ट्री लगाने की इस विभाग द्वारा पहल की जाये।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया Vision को Mission बनाकर कार्य करती हैं इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं अब हर क्षेत्र में हम बहुत आगे जायेंगे और नेक ईरादों से हमारी युवा पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरणा बनेंगी राजस्थान उद्योग एवं भविष्य के उद्योगों स्थापित कर राजस्थान गुजरात से भी आगे ले जायेंगी इसी विश्वास के साथ।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

उद्योग

1. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के पालरा, रूपनगढ़ व गेगल औद्योगिक क्षेत्र में कल-कारखाने लगाने की आवश्यकता है।
2. राज्य में ''खादी ग्रामोद्योग'' को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए विशेष नीति बनाई जानी चाहिए।
3. अजमेर जिले में मिलने वाले जिंक के प्रोसेज हेतु काकड़दा भूणाधाम में जिंक स्मैल्टरी लगाया जाए तथा जिंक माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। उक्त माइंस में विस्फोट से वहां आस-पास के गांवों में मकानों में दरारें पड़ गई हैं और भारी क्षति हो रही है इसलिए इसके लिए पीडित लोगों को उचित मुआवजा सम्बन्धित माइंस से दिलवाया जाए।
4. जिंक माइंस के कुछ दूरी पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, पास में पौराणिक तीर्थ बूढा पुष्कर है, विश्व प्रसिद्ध निम्बार्का पीठ का मंदिर सलेमाबाद में है। साथ ही माइंस के सटकर हजारों वर्ष पूर्व का माता जी का मंदिर और पीर बाबा की समाधि है। जिंक माइंस से होने वाले भारी विस्फोट से इन सब को खतरा है।
5. अजमेर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने एवं नये उद्योगों में युवाओं तथा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करके विकास किया जाए।
7. अजमेर सम्भाग के औद्योगिक विकास हेतु कृषि एवं खनिज उत्पादकों को क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर चयन कर कच्चे माल की उपलब्धता अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
8. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कारीगरों को उद्योगों हेतु विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
9. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये सब्सिडी बढ़ाई जाए।
10. राज्य के बीमार उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए।
11. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कुटीर लघु उद्योग धन्धे खोले जाने की आवश्यकता है।
12. अजमेर जिले में हस्तकला उद्योग के लिये अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए।
13. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ क्षेत्र के नमक उत्पादन क्षेत्र नमक मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
14. प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बन्धी मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए।
15. प्रदेश में कचरा संधारण उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विकसित किया जाए ताकि कचरे की समस्या से भी निजात मिल सके।
16. प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष पैकेज देने में विभागीय पहल बहुत जरूरी है।
17. प्रदेश में आई.टी. कम्पनियों को राज्य में अपने अनुसंधान और विकास केन्द्र खोलने हेतु अधिक सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो।
18. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए।

19. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सेनेटरी उद्योग स्थापित किया जाए।

20. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कालीन व गलीचे बनाने का उद्योग स्थापित किया जाए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में विदेशी एवं देशी सैलानी आते हैं और इससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

21. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

22. अजमेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु रीको द्वारा नई भूमि चिन्हित कर आबंटन प्रक्रिया प्रारम्भ कराने तथा श्रीनगर के पास चिन्हित 1500 हैक्टेयर भूमि को शीघ्र अवाप्त कर उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए।

23. राजस्थान के अप्रवासी भारतीयों (NRI) को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

24. प्रदेश में जन सहभागिता योजना की तर्ज पर उद्योगों का विकास करना चाहिए।

25. अजमेर जिले में बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

26. किशनगढ़ (अजमेर) में रीको कार्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि गेगल, रूपनगढ़, सिलोरा बडे औद्योगिक क्षेत्र वहां पर स्थित हैं।

27. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में रूपनगढ़ में रीको के द्वारा आबंटित भूखण्डों की समयावधि निकलने के कारण उद्यमियों को काफी परेशानी हो रही है। अत: आबंटित भूखण्डधारियों के नाम तुरन्त प्रभाव से रजिस्ट्रियां की जाए।

खनिज

1. राज्य में बजरी खनन ठेकेदारों से बकाया रायल्टी के करोड़ों रुपये की राशि को वसूलने हेतु उन पर कार्यवाही करने के लिए नियमों में प्रावधान कर समयबद्ध क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

2. प्रदेश के खनन क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट सेंटर स्थापित किये जाने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके।

3. खनन क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति सुधार हेतु श्रमिक वेलफेयर बोर्ड का गठन करने और इसके माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा, आवास,

पेयजल, बीमा खनन तकनीक प्रशिक्षण आदि की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

4. खनन क्षेत्रों में विकास हेतु रायल्टी का पांच प्रतिशत हिस्सा सीधे ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिये जाने और जहां ऐसे क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में आते हैं वह हिस्सा सम्बन्धित विधायक को उसी खनन क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

5. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ में खनिज कार्यालय खोलने की आवश्यकता है।

6. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बजरी का अवैध खनन हो रहा है जिससे सरकार के राजस्व में लाखों रुपये का प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है इसलिए तत्काल प्रभाव से अवैध व खनन को बन्द किया जाना चाहिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

उद्योग

राजस्थान का चहुंमुखी विकास करना चाहते हैं तो राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में बड़े-बड़े उद्योगों, लघु उद्योग, घरेलू उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना करनी होगी।

उद्योग लगाने के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता है। कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना होगा।

पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उद्योग ऐसे लगें कि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए नारिया का बीडा नाम को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सर्वे की गई थी लेकिन उद्योग की स्थापना के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरे क्षेत्र के कपासन रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए विभाग को काम करने की आवश्यकता है।

तहसील गंगरार में सोनियाना ग्राम में रीको औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए किसानों की जमीनों को 7 वर्ष से जमीन अधिग्रहित करने के बाद भी

रीको एरिया का विकास नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि सोनियाना रीको एरिया का जल्दी से जल्दी विकास करके उद्योगों की स्थापना करावे तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सभी उद्योगों से स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिलाने के सरकार के प्रयास होने चाहिए।

खनिज

खान विभाग के द्वारा खान आबंटन की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता है।

खान आबंटन में प्रभावशाली व खान माफियाओं का जबरदस्त दखल रहता है। प्रभावशाली लोग एक खान आबंटन करवाकर आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन भी करवाते रहते हैं। अवैध खनन से सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि होती रहती है।

खानों को आबंटन करते समय वन क्षेत्रों का भी ध्यान नहीं रखा जाता हैं तथा कभी-कभी तो आरक्षित वन क्षेत्र में चरागाह भूमि में भी खान आबंटित कर दी जाती है। बिजली के हाइटेंशन लाइनों के नीचे भी खानें आबंटित कर दी जाती हैं या अवैध खनन कर लिया जाता है। ग्रामदानी गांवों में भी खानें आबंटित कर दी हैं।

खनिज अभियंता, बिजौलिया क्षेत्र में स्टोन-आन-नेट के नाम से ग्राम देवी निवास, मोगरवासा में 290 बीघा सिंचित भूमि में 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट की शर्त पर खान आबंटन की गई। आबंटित खान क्षेत्र में आने वाले रास्ते नदी, नालों, नहरों का स्वरूप ही बदल दिया गया है। खानें तो आबंटित की जाती हैं लेकिन माइनिंग करने का प्लान का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। विभाग को उसका पूरा ध्यान रखना चाहिये।

संयुक्त राजस्थान के समय में मेवाड़ फोरेस्ट एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 808 दिनांक 13/10/1948 के द्वारा राजपत्र दिनांक 08/11/1948 से 15764 बीघा 18 बिस्वा जमीन रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र चम्पामारी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37(1) व धारा 18 के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र व वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में खनन पट्टे आबंटन करना अपराध है, लेकिन किन्ही कारणों से उक्त आरक्षित 15764 बीघा वन भूमि में आ. नं. 241/209 क्षेत्रफल

5.383 हैक्टेयर भूमि को वन खण्ड से हट कर कुछ लोगों ने अपने नाम आबंटित कर दी व खान विभाग ने मूल आरक्षित भूमि को खातेदारी में करवाकर क्वारी ला. नं. 1346/1998 में जारी करवा लिया। उक्त क्वारी लाइसेंस की शिकायत होने पर क्वारी को निरस्त किया गया है, लेकिन पुन: उक्त क्वारी लाइसेंस को बहाल कराने की प्रक्रिया खनिज अभियन्ता चित्तौड़गढ़ द्वारा चलाई जा रही है। इसे रोका जाना चाहिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

उद्योग

1. किशनगढ़ (अजमेर) में हस्तकला उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता।
2. अरांई कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता।
3. किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित सिलोरा रीको एरिया में स्थापित दो टैक्सटाइल्स पार्को में व्याप्त अनियमितताओं पर नियंत्रण।

खनिज

1. किशनगढ़ (अजमेर) के प्रमुख कस्बे अरांई के आस-पास स्थित 20-25 किलोमीटर की दूरी कें स्थापित विभिन्न खनन इकाइयों को आवश्यक सरकारी सहायता दिलाने की आवश्यकता।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़)

पूर्व कांग्रेस सरकार की खनन नीति 2011 खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने में फैल रही है। राज्य में अनेक खनिजों के विशाल भण्डार हैं। उनका दोहन कर हमें राज्य का विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए।

माइनिंग क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने के लिए विशेष नियम बनाये जाने चाहिए व विशेष उपाय किये जायें ताकि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में भी सीमेन्ट उद्योग स्थापित किया जाये ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

2013-14 के बजट में गहलोत सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से डेयरी चिलिंग प्लान्ट लगाने की घोषणा की गई थी, जो सिर्फ घोषणा ही रह गई। अज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अत: पशुपालकों व दूध उद्योग को प्रोत्साहन देने व इससे जुड़े लोगों व हजारों युवाओं को रोजगार देने के लिए घड़साना में डेयरी चिलिंग प्लान्ट की स्थापना करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के घड़साना, रावला, आदि के अनेक चकों में जिप्सम का खनन होता है। खनन माफिया सम्बन्धित विभाग, पुलिस व प्रशासन की लापरवाही से अवैध खनन कर सरकार को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान कर रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को अवैध खनन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु मंत्री महोदय निर्देशित करें।

महिलाओं को रोजगार प्रदान करने व स्वावलम्बी व आत्म-निर्भर बनाने के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र घड़साना में स्थापित किया जाये ताकि महिलाएं प्रशिक्षण लेकर रोजगार कर सकें और आत्म-निर्भर बन सकें।

ईट भट्टा व्यवसायी को एक बार ही रायल्टी देनी पड़े ऐसी व्यवस्था की जाए। कच्ची ईटों पर तो रायल्टी देता ही है बल्कि पक्की ईंटों पर भी रायल्टी देनी पड़ रही है। इससे ईंटों के दाम बढ़ रहे हैं। अत: रायल्टी एक बार ही लगे, ऐसी व्यवस्था की जाए।

श्री ओटाराम (सिरोही)

रीको एरिये में लगने वाले उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं देने की जिम्मेदारी रीको की है। सिरोही में सारणेश्वर एवं शिवगंज में रीको औद्योगिक क्षेत्र चालू किया गया था एवं उस समय जो काम हुए, उसके बाद आज दिनांक तक कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।

सिरोही सारणेश्वर रीको क्षेत्र में पानी सुविधा नहीं; क्षेत्र से गुजरने वाले पहाड़ी क्षेत्र के पानी बहाव के नाले खुले पड़े हुए हैं। सड़कें तो वर्षों पहले बनीं जब रीको स्कीम चालू हुई। उसके बाद बनी औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र में नई सड़कें आज दिन तक नहीं बनीं और न ही पुरानी सड़कों का डामरीकरण हुआ और न ही कोई मरम्मत कार्य किया गया है। रीको क्षेत्र का मार्ग बबूल की झाड़ियों से भरा पड़ा है, जिससे एक ओर तो खस्ता सड़कें और ऊपर से कंटीली झाड़ियां औद्योगिक इकाइयों के लिए भारी परेशानियां पैदा कर रही हैं।

यही स्थिति शिवगंज रीको क्षेत्र की है। 1980 के दशक में बने रीको क्षेत्र को देखते हुए, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की गई थी। इसमें औद्योगिक इकाइयां तो बढ़ी हैं लेकिन विभाग द्वारा उनकी मूलभूत सुविधाओं में किसी

प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई हैं, जबकि रीको द्वारा प्रतिवर्ष सर्विस टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है, जो बिलकुल गलत है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से सिरोही विधान सभा क्षेत्र में सारणेश्वर एवं शिवगंज रीको क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त सुविधा करने, नई सड़कों का निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत करने, विद्युत आपूर्ति में सुधार करने, पानी निकासी के नाले पक्के बनाने तथा झाड़ियों की साफ-सफाई किये जाने की मैं मांग करता हूं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)

अब समय आ गया है कि सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों और बड़ी नगरपालिकाओं को छोड़कर छोटी नगरपालिका क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में 25 से 27 हजार लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं व आर्थिक कठिनाइयों से गुर्जर रहे हैं। क्षेत्र में करीब 7,748 लघु कृषक हैं और 13,235 सीमान्त कृषक हैं। अनुसूचित जनजाति के 47,816 व अनुसूचित जाति के 21,266 लोग हैं। जमीनों की होल्डिंग्स बहुत कम हैं और क्षेत्र की जमीन में मात्र 30 प्रतिशत पर आज खेती होती है। चरणोट जिसे कि हम चरागाह कहते हैं, वह 12 हजार 939 हेक्टेयर है। इस जमीन पर भी समाजकंटकों द्वारा कब्जे किये जा रहे हैं। ऐसे में मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पड़त पड़ी हुई जमीन व चरणोट को रीको में लेकर उद्योग लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की दोनों नगरपालिकाओं, भीण्डर व कानोड़ के आसपास ऐसी काफी जमीन पड़ी है जहां पर उद्योग लगाये जा सकते हैं। ये दोनों नगरपालिकाएं रेल सेवा से भी जुडी हुई हैं व उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी मेरे ही क्षेत्र में है और दोनों नगरपालिकाओं से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है। सड़कों के लिहाज से भी मेरे क्षेत्र की सड़कें बहुत अच्छी हैं, जिससे अगर उद्योग कोई लगाया जाता है तो यातायात में कोई समस्या नहीं रहेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के भीण्डर एवं कानोड नगरपालिका क्षेत्रों को रीको से जोड़ें।

हिन्दुस्तान जिंक लि. जो देवारी में लगा हुआ है, उससे मेरे क्षेत्र की 12 पंचायतों में पानी बिलकुल पीने योग्य या अन्य किसी कार्य का नहीं रहा है। हिन्दुस्तान जिंक का पाबन्द किया जाय कि इन क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था को खुद करे।

जिन क्षेत्रों में उद्योग लगते हैं, वहां के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए उन उद्योगों को पाबन्द किया जाय।

डा. मंजू बाघमार (जायल)

मेरा विधान सभा क्षेत्र जायल औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कसनऊ मातासुख में लिग्नाइट के भण्डार, जंजाला ग्राम में चाइना क्ले, गोठ मांगलोद में जिप्सम की खानें तथा खाटू श्याम में लाइम व सैण्ड स्टोन की खानें हैं जिसका पत्थर विदेशों में काफी मात्रा में निर्यात होता है तथा रायल्टी व सेल्स टैक्स नाके होने के कारण सरकार को करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त होता है।

अत: मेरा निवेदन है कि -

1. जायल में रीको के नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिये;
2. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिये तथा इसके लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेषज्ञ पैकेज दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये;
3. लघु व कुटीर उद्योग-धन्धों को लगाने के लिए शीघ्र सुलभ एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या वित्त को लेकर आती हैं;
4. तहसील स्तर पर ग्रामीण हाट बाजारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये; एवं
5. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु भी सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिया जाना चाहिये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में RSMML द्वारा डेह में तथा अंबूजा द्वारा खेरवाड, रूपासर, इनाणा, भदाणा, मूण्डवा, जहां लाइमस्टोन है, व अन्य गांवों के किसानों की खातेदारी की जमीन को सीमेन्ट प्लांट अधिग्रहण के लिये आरक्षित की है और इस हेतु निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जो योजना बनाई है, उसमें केवल सरकार की आरक्षित दरों के साथ-साथ किसानों के मुआवजों को लेकर भी कोई प्रावधन किया जाना चाहिये। नई विचाराधीन खनिज नीति के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जायेगी, उसमें निश्चित खनन के बाद दुबारा उस जमीन को खेती के काम में लाने के लिए भी सरकार द्वारा

प्रावधान किया जाना चाहिये। साथ ही, डेह और नागौर के आस-पास लगने वाले सीमेंट प्लान्ट को लेकर अधिग्रहिता किसानों के परिवारों के एक सदस्य को प्लान्ट में नौकरी लगाये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसमें रोजगार सिर्फ 500 लोगों को मिलेगा, लेकिन 5,000 लोग बेघर हो गये हैं। अत: उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये। साथ ही, किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन के अनुपात के अनुसार सीमेंट प्लान्ट के नेट प्रोफिट में भी किसानों की कुछ हिस्सेदारी तय की जानी चाहिये, ताकि स्थानीय सहभागिता का भाव प्रकट हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में जिप्सम, कोयला, लिग्नाइट या चाइना क्ले का खनन हो, पंचायत को कोई रेवेन्यू नहीं मिलती है। केवल खनिज विभाग को रायल्टी प्राप्त होती है। अत: वहां के स्थानीय विकास को बढ़ावा देने तथा पुनर्भरण का भी प्रावधान होना चाहिये।

इसके अलावा, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा आनलाइन सिस्टम सभी जगह शीघ्र लागू किया जाना चाहिये ताकि उद्यमी ताकि उद्यमी आन-लाइन आवेदन कर, अपने स्तर का पता कर सकेंगे।

इससे उन्हें काफी सुविधा प्राप्त होगी।

नई विचाराधीन खनिज नीति में गरीब तबकों, महिलाओं एवं एस.सी./एस.टी. के लिए भी लीज आबंटित करने में आरक्षण दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये।

श्री शंकरलाल शर्मा (दौसा)

दौसा जिले में समलेटी औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासनिक विवाद है। इस विवाद का समाधान कराया जाकर यहां पर उपलब्ध हजार बीघा जमीन का जन हित में उपयोग लिया जाना आवश्यक है।

दौसा के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं यथा पानी, बिजली, सड़क, श्रमिकों के लिए छाया, छायादार वृक्षों की कमी, आदि के कारण चालू औद्योगिक इकाइयों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। तथा इकाइयां रूग्णता की ओर बढ़ रही हैं।

पूर्व में दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रियल कोरिडोर में जयपुर दौसा इन्वेस्टमेंट योजना प्रस्तावित थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे पाली मारवाड़ की ओर प्रस्तावित कर दिया। मेरा अनुरोध है कि इसे वापस जयपुर-दौसा में प्रस्तावित कर लागू किया जाये ताकि जिले का विकास सम्भव हो सके।

दौसा जिला कृषि आधारित है। खाद्य पदार्थ एवं एग्रो से सम्बन्धित छोटे-छोटे उद्योग लगाकर लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकते हैं। इसके अन्तर्गत आटा, बेसन, दाल, फल, सब्जी, आचार, मुरब्बा, खाद्य तेल, आदि उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाकर क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं विनियोजन को बढ़ावा जावे।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं घोषित कारपेट पार्क भाण्डारेज का एसपीवी जयपुर कालीन पार्क लिमिटेड जयपुर को दौसा जिले में कारपेट पार्क हेतु सरकार द्वारा 132 एकड़ भूमि आबंटन कर कब्जा दे दिया है लेकिन अभी तक इसे विकसित नहीं किया गया है। सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इसे विकसित कराया जाये।

पिछली बार भाजपा सरकार ने ''स्टोन पार्क'' बनाने की घोषणा की थी तथा गिरधरपुरा-सिकंदरा में भूमि आबंटित की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई थी, किन्तु पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने आनन-फानन में अवाप्त भूमि को मुक्त कर दिया। अत: आपसे निवेदन है कि आप द्वारा की गई पूर्व घोषित स्टोन पार्क की घोषणा कर स्टोन व्यवसायियों को एक ही जगह व्यवस्थित करने की मेहरबानी करें।

माननीया मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिले में प्रधान खनिज के आठ खनन पट्टों का अरावली हिल्स में होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे खनन कार्य प्रतिबंधित है। मेरा अनुरोध है कि उक्त खनन पट्टों का नवीनीकरण करायें।

इसी प्रकार दौसा में सोप स्टोन, सिलिका, सैण्ड स्टोन, क्वार्टज, फेल्सपार की बाहुल्यता है एवं बजरी, चेजा पत्थर, पट्टियां, आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस बाबत सरकार गम्भीरता से विचार करे तथा चेजा पत्थर एवं बजरी के खनन की प्रक्रिया तथा खान आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये जो पूर्णत: पारदर्शी हो।

मैं आपका ध्यान हमारे यहां की लोकप्रिय एवं सभी धर्मों की आस्था का केन्द्र ''पपलाज माता'' क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पपलाज माता के क्षेत्र में, जो चेजा पत्थर का एक प्रचुर केन्द्र है, प्राथमिकता से खानों को नियमित आबंटन करें। तथा ''पपलाज माता'' रोड का नवीनीकरण प्राथमिकता पर शीघ्र करवाया जायें

श्री कैलाश चौधरी (बायतू)

1. बालोतरा वस्त्र उद्योग पर प्रवेश कर एवं पेटीकोट, नाईटी एवं बेडशीट सिलाई कार्य से वेट हटाना जरूरी।
2. पश्चिमी राजस्थन की विशेष रूप से बाड़मेर जिले की जीवन रेखा कहीं जाने वाली औद्योगिक नगरी बालोतरा को विकसित करने की आवश्यकता।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर)

(1) जालौर जिले में 2006-07 में खनन पट्टे जो स्वीकृत किये परन्तु अधिकारियों की कमी के कारण उनकी संविदा (एग्रीमेन्ट) नहीं हो पाया पूर्व सरकार ने उन्हें रद्द कर दिया निवेदन है कि उन पर पुन: विचार कर स्वीकृत करावें।

(2) आहौर में रीको स्वीकृत करावें सबसे ज्यादा माइनिंग होता है।

(3) अवैध बजरी खनन पर रोक हो।

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (रामगंजमण्डी)

वर्तमान में उद्योग पर्याप्त लोगों को रोजगार प्रदान नहीं करवा पा रहा है, तथा इनका राज्य घरेलू उत्पादन में योगदान भी आशानुकूल नहीं है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश में बंद पड़े उद्योगों के बारे में बताना चाहूंगी। हाडौती क्षेत्र में जे.के. सुदर्शन टैक्सटाइल्स, ओरियंटल केबल फैक्टरी, केशवरायवाटन में शुगर मिल, सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्टरी, कोटा में सोयाबीन प्लांट, आदि प्रदेश में अनेकों उद्योग काफी समय से बंद पड़े हैं, जिन्हें राज्य सरकार को प्रयास कर चालू करने चाहिये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोटा स्टोन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोटा स्टोन व्यापारियों की फैक्टरियों से निकलने वाले वेस्ट मैटेरियल के लिए 100 एकड़ भूमि डंपिंग यार्ड के लिये नि:शुल्क आबंटित किया जाना आवश्यक है। कोटा स्टोन को बढ़ावा देने के लिये उद्योगपत्तियों को ऋण व फैक्टरियों के लिये रियायती दर पर भू-खण्ड आबंटित कर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन की हजारों खानें स्थित हैं। इन खानों में कोई भी किसी भी प्रकार के नियम कानून नहीं चलते। खान मालिक जहां चाहें, वहां खनन कार्य अधिकारियों की मिलीभगत से कर लेते हैं। वर्षों से खनिज विभाग के कर्मचारी अपने विभागों के आफिसों में बैठे हैं, जिनका इन खनन मालिकों से पूरा लाइजन है। खानों के रिन्युअल का कोई अता-पता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे अनेक किसान हैं जिनकी जमीनें खनन में चली गई। खान मालिकों को नियमानुसार खनन कार्य वापस उस जमीन पर खेत बनाकर किसान को दिया जाना चाहिये, या किसान को 10 गुणा डी एल सी रेट दिलवाने का नियम बनाना चाहिये।

कोटा स्टोन हेतु स्टोन पार्क की स्थापना रामगंजमण्डी में होना अति आवश्यक है।

नेशनल हाइवे 12 को फोर लेन में जल्दी ही परिवर्तित किया जावे, तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा

खनन एरिया की जर्जर सड़कों को विभाग द्वारा सीसी रोड में परिवर्तित कर तुरंत प्रभाव से बनवाया जावे ताकि दुर्घटनाएं कम हों।

खनन क्षेत्र से लाखों मिलीलीटर पानी व्यर्थ ही सड़कों पर अक्टूबर माह में ही बहाना शुरू कर दिया जाता है, जो नियम विरुद्ध है। इसके लिए जल्द ही योजना बनाई जावे ताकि पानी का स्टोरेज किया जा सके।

रामगंजमण्डी में स्थापित उद्योगों को इस बात के लिये पाबंद किया जावें कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता तय हो, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।

ठेका प्रथा में श्रमिकों के शोषण हेतु भी कुछ प्रयास सरकार द्वारा किया जावे। मजदूरी भत्ता बढावा जावे। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को जो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, वह भी रामगजमण्डी श्रमिकों को नहीं मिल पा रही। अत: श्रम विभाग पर शिकंजा कसा जावे।

श्रम विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रयास किये जावें।

खनन विभाग द्वारा सरकारी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने पर पाबंदी लगाई जावे, ताकि सरकारी सम्पत्ति को नुकसान न हो, जैसे की सड़कों को दूर-दूर तक खोदना।

रायल्टी राशि जो एक प्रतिशत पंचायतों को विकास कार्य हेतु दी जाती है, वो प्रतिवर्ष जारी हो, न कि 10 वर्षों में जारी हो, जैसे कि कोटा में हुआ।

रामगंजमण्डी निमाणा में मसाला पार्क हेतु लगभग 115 बीघा जमीन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये दी गई। उसके कई लाभ यहां के उद्यमियों को मिलेंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी धनिया एवं अन्य साबुत मसालों के एक्सपोर्ट हेतु ग्रेडेशन एवं क्लीनिंग तकनीकी का विकास होगा। देश की बड़ी मसाला कंपनियों को मसाला पार्क में नवीन तकनीकी एवं शोध हेतु जमीनों का आबंटन किया जावे। मसालों की उच्च गुणवत्ता एवं पैकिंग अच्छे स्तर पर रहे। इस हेतु लेटेस्ट जानकारी प्रदान की जावे।

भारत सरकार द्वारा मसालों के निर्यात हेतु वैज्ञानिकों से उच्च तकनीकी शोध व विकास की नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करवायें। मसाला

पार्क में निरन्तर शोध हेतु प्रयोगशालाओं का निर्माण हो। नवीनतम मशीनों की जानकारी व उनको देश से खरीदने हेतु व विदेशी मशीनों के आयात हेतु जानकारी उपलब्ध करवाई जावे, ताकि मसाला पार्क क्षेत्र में विकास कार्य हो सकें जैसे देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनियों के यहां पर प्लांट डालने की संभावना बढ़ेगी व धनिया क्लीनिंग एवं ग्रेडिंग हेतु लघु इकाइयों की स्थापना होगी।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)

मैं मेरे क्षेत्र के उद्योग एवं खनन के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे यहां विश्व का प्रसिद्ध ग्रीन मार्बल खैरवाड़ा के मच्छारों ओबरी में निकलता है। यहां खानें चलते हुए 30-35 वर्ष हो गये तथा खानें गहरी चली गईं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए माइनिंग पर गैप (खाली एरिया) जो लटक रहा है, मेरा आग्रह है कि गैप एरिया आबंटन कर दिया जावे ताकि उस क्षेत्र की माइनिंग को सही तरीके से चलाया जावे। खाल पड़े एरिये को एक नीति बनाकर जनजाति उपयोजना में आने वाले लोगों को दिया जावे ताकि वहां रहने वाले गरीब आदिवासी भाइयों को रोजगार मिले।

दूसरा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों से रेती का आदान-प्रदान किया जाता है। इस जनजाति उप-योजना क्षेत्र में जितनी रेती निकाली जाती है, सरकार एक नीति बनावें एवं लीज यहां के रहने वाले जनजाति उपयोजना के लोगों को अगर दी जावे तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

आज आदिवासियों की जमीनों का बहुत जोरों से बिकाव हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो कई आदिवासी बेघरबार हो जावेंगे। इसलिए आदिवासियों की जमीन का रूपान्तरण उनके ही नाम होना चाहिए। भूमि की किस्म का बदलाव करके भूमि कल-कारखानों के काम में ली जा रही है। ऐसी स्थिति में, आदिवासियों के छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर बैंक का ऋण दिया जावे व छोटे कारखाने लगाये जावें।

उदयपुर जिले में सोफ्ट स्टोन पिसने के कल-कारखाने लगे हुए हैं एवं सैकड़ों वाहन पीसा हुआ पाउडर गुजरात, महाराष्ट्र ले जाते हैं। लेकर जाते समय ये बाहर उस पाउडर को सड़कों पर फेंक देते हैं जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इन फैक्टरी मालिकों को सूचना देकर इससे बचने की आवश्यकता है जिससे कि वातावरण प्रदूषित नहीं होवे।

आज औद्योगिक दृष्टि से मंदी का दौर चल रहा है। अत: मार्बल स्लैब पर पूर्व की भांति वैट दर 5 प्रतिशत की जावे।

क्षेत्र में उद्योग विकास हेतु नये रीको क्षेत्र की स्थापना की जावे। टी.एस.पी. एरिया होने से खनन क्षेत्रों में नये खानों के लिए प्रतिबंध हटाया जावे।

खनन कार्य को उद्योग का दर्जा दिया जावे।

मार्बल स्लरी के लिए डम्पिंग यार्ड के लिए जगह दी जावे।

केन्द्र सरकार को निवेदन कर लघु उद्योगों की एस.एस.आई. सीमा 1.5 से 3 करोड़ रुपये की जावे।

खनन अपशिष्ट एवं मार्बल स्लरी को सडक निर्माण में काम में लेकर उपयोग किया जावे।

खनन श्रमिकों के लिए हेलमेट, मास्क, और गम बूट अनिवार्य किये जावें।

डम्प हो चुकी खानों को रिजवायर के रूप में काम में लेने की कार्य योजना बनाई जावे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)

बानूसर में कुटीर, लघु उद्योग धन्धे खोले जाने की आवश्यकता।

वर्तमान में अलवर जिले की पहचान औद्योगिक विकसित क्षेत्र के रूप में होने लगी लेकिन अलवर जिले की बानूसर शायद एक मात्र ऐसी तहसील है जिसमें आज भी कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया। रोजगार अभाव में वहां का युवा या तो पलायन कर गया है, या जो शेष है, वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता चला गया है।

मैं यहां सरकार को प्रस्तावित करती हूं कि बानसूर तहसील एवं ऐसी जगहों पर विकास के समानुपातिक वितरण के उद्देश्य से लघु-कुटीर उद्योग धंधों को स्थापित करने की कार्य योजना बनाकर कार्यान्वित करें क्योंकि लुघ-कुटीर धंधों को करने वाले अधिकांशत: समाज के आर्थिक पिछडे, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग से आते हैं। समाज के इस सबसे कमजोर तबके को विकास की मुख्य धारा में लाने व लाभान्वित करने के लिए क्षेत्र विशेषों में लघु-कुटीर उद्योग-धन्धों की पुन:स्थापना हेतु विशेष पैकेज एवं जोन विकसित करने की सख्त आवश्यकता है।

बानूसर जैसी जगहों पर काष्ठ, मिट्टी व धातु के शिल्पकार, चर्मकार तथा कृषि आधारित लघु यंत्रादि कुटीर उद्योगों को पनपाने की बेहतर सम्भावनाएं है। अतः सरकार को चाहिये कि वह बानसूर एवं ऐसी तहसीलों में जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा पंचायत स्तर पर कुटीर धंधों की जानकारी; प्रशिक्षण प्रक्रिया, सरलीकरण शिविरों का आयोजन कर, लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाये।

राजकीय विभाग उपक्रमों द्वारा इन लघु-कुटीर उद्योगों से आवश्यक खरीद करवायी जावे।

बानसूर और ऐसी तहसीलों में समय-समय पर उद्योग-हस्तशिल्प मेलों का आयोजन कराकर उनकों बाजार उपलब्ध करवाये जावें।

विभिन्न बैंक्स, सरकारी विभाग एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा कुटीर उद्योग धन्धो स्थापित करने वालों को प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए वित्तीय सहायता दिलवायी जावे क्योंकि अधिकांशतः बैंक्स द्वारा इस वर्ग को कर्ज उपलब्ध नहीं कराने के कारण ये लोग साहूकारी ब्याज के दुष्चक्र में फंसकर तरक्की नहीं कर पा रहें हैं।

अंत में, दो पंक्तियां इस वर्ग के दर्द को शायद सरकार के कानों में पहुंचा सके।

''मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में,
मां-बाप बहुत रोये थे घर आकर अकेले में।''

श्री श्रीराम भींचर (मकराना)

1. मकराना औद्योगिक क्षेत्र में पानी की समस्या : औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद पिछले 11 वर्षों से पीने के पानी की सप्लाई नहीं है व आगामी समय के लिए बनी इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना में भी इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। इस समस्या के समाधान हेतु इसे परियोजना में जोड़ा जाए।

2. रीको औ. क्षेत्र से बोरावड़ औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क :- मकराना का मार्बल उद्योग मकराना शहर से पश्चिम दिशा में बोरावड़ व रीको औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद तक फैला हुआ है। अगर बोरावड ग्राम में बाई-पास सड़क बनाते हुए इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों को सड़क से जोड़ दिया जाता है तो सम्पूर्ण मकराना मार्बल औद्योगिक क्षेत्र एक रिंग रोड से जुड जायेगा।

3. मकराना-बोरावड सड़क :- मकराना-बोरावड़ सीधा सड़क मार्ग 18 फीट चौड़ा एक तरफ बना हुआ है। इस 5 कि.मी. सड़क पर दूसरी तरफ भी

18 फीट चौड़ी सड़क बनाना आवश्यक है। इससे मकराना मार्बल मण्डी का विकास होगा।

मकराना मार्बल व खानों की समस्याएं

1. मकराना मार्बल मण्डी की रायल्टी समस्या:-

सम्पूर्ण राजस्थान में खनिज नीति के तहत कच्चे माल (पत्थर ब्लाक्स) पर मार्बल रायल्टी वसूली जाती है, जबकि मकराना मार्बल पर तैयार माल (स्लैब/टाइल्स) की मार्बल रायल्टी डेढ़ गुणा अधिक दर से वसूल की जाती है। इससे मकराना मार्बल उद्योग पिछड़ गया है।

मकराना मार्बल मण्डी से अगर ट्रक में 200 फीट कलर माल (मकराना से बाहर का) लदान करना है तो रायल्टी छूट के लिए मण्डी से 7-13 कि.मी. दूर सरकारी रायल्टी तुला यंत्र ग्राम गुढा पर ट्रक तुलवाकर वापस मण्डी में लाना पड़ता है।

मकराना से मार्बल लदान के पश्चात ट्रक को नागौर रोड से जाना है तो मजबूरन सेल्स टैक्स चुकाने हेतु ट्रक मंगलाना ले जाना पड़ता है, जिससे मंगलाना आने-जाने में 25 कि.मी. का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद से रायल्टी छूट वाला मार्बल लदान करने पर बिदियाद में ही स्थित 500 मी. दूर रायल्टी चैक पोस्ट पर छूट नहीं दी जाती है। मजबूरन ट्रक को 13 कि.मी. दूर स्थित रायल्टी चैक पोस्ट ग्राम गुढा, मंगलाना रोड पर ले जाना पड़ता है।

मकराना से मार्बल लदान ज्यादातर ट्रोलों में ही होता है। जिनकी लम्बाई टायर से टायर 42 फीट है, जबकि मकराना में दोनों रायल्टी नाकों पर लगे तुला यंत्रों की लम्बाई 30 फीट है व वजन क्षमता 60 टन की है। इन तुला यंत्रों पर ट्रोला दो बार में आगे-पीछे करके तौला जाता है। इससे ट्रोले का वजन 4-5 टन अधिक आता है, जिससे व्यापारी को आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ता है।

इन समस्याओं के समाधान हेतु मकराना में भी खाटू व जोधपुर की तरह नाकों पर कच्चे माल (पत्थर ब्लाक्स) की रायल्टी वसूल करने पर हमारी मुख्य समस्या स्वत: ही हल हो जायेगी।

मकराना के मार्बल की भूगर्भीय संरचना राजस्थान के अन्य मार्बल खनन क्षेत्रों से भिन्न है। अत: क्षेत्रवासियों के जीवन निर्वाह हेतु दीर्घकालीन वैज्ञानिक तकनीक से खनिज दोहन के लिए अलग से खनिज नीति की आवश्यकता है।

मकराना खनन क्षेत्र में सभी सड़कें खानों की एप्रोच सड़कें हैं, जो कि इन खानों से निकलने वाले मार्बल के आवागमन हेतु खनिज विभाग द्वारा ही बनाई गई थी। समय उपरान्त इन सड़कों को गांवों की लिंक रोड मान लिया गया, जिससे खानों पर नये नियम लागू हो गये। अत: इन सड़कों को खानों की एप्रोच सड़कें ही मानी जायें।

मकराना की खानें पुरानी हैं। इनके नजदीक 100 मीटर परिधि में आबादी बाद में बसी है। अत: सुरक्षात्मक खनन हेतु आबादी को नियमानुसार वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए।

मकराना की खानों में चक डूंगरी मार्बल रेन्ज अपना विशेष स्थान रखती है, जो कि रेलवे व खनन क्षेत्र विवाद में लगभग 3 साल से बन्द पड़ी है। पूर्व राज्य सरकार व रेल विभाग में हुए समझौते-अनुसार राज्य सरकार ने 95.00 लाख रुपये की राशि रेल विभाग को जमा करवा दी है। अत: राज्य सरकार इन बंद पड़ी खानों को अविलम्ब चालू कराने की व्यवस्था करावें।

मकराना में 49 मार्बल की बापी खानें हैं, जिन्हें राज्य सरकार नियमों में सरलीकरण करते हुए लाइसेंस प्रदान करें।

मकराना खनन क्षेत्र पर्यावरण का कार्य 4 कलस्टरों द्वारा ई.एम.पी. के तहत किया जा रहा है व इनमें मकराना की सभी खानें सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने हेतु नियम बनाकर बाध्य कर रखा है। पर्यावरण विभाग द्वारा खानों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के नाम से फीस से अधिक राशि लेकर खानधारियों को लूटा जा रहा है। अत: प्रत्येक लाइसेंसधारी को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग लेने से मुक्त किया जाए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी)

ग्रामों के बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हैं। उन प्रतिभाओं हेतु कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार को चाहिये कि ग्राम व ढाणियों में किन-किन कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए युवाओं को वहां के कच्चे माल (रा मैटेरियल) उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उनको उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण देकर, तैयार करने के बाद, उनकी आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों के द्वारा बनाये गये नियमों में सरलीकरण करके उनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उपखण्ड क्षेत्र खेतड़ी के लिए एक तहसील उद्योग केन्द्र खुलवाये जाने की अपील करना चाहूंगा, जिससे कि खेतड़ी के लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाते हुए, विभिन्न रोजगारों को बढ़ावा देते हुए, समावेशी विकास किया जा सके।

सरकार ने माइनिंग क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने के लिए जीरो वेस्ट से खनन को बढ़ावा देते हुए खनन की नई नीति बनाने की घोषणा की है और इस नई नीति में खनिज कर्मियों के अधिकारों को ही सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जब कि हमारा कहना यह है कि खनिज के लिए सरकार की नई नीति में खनन क्षेत्र में पड़ने वाले किसान, मजदूर व गरीब लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से रहने-खने की व्यवस्था भी इसमें की जानी चाहिए। क्योंकि खनिज कर्मियों के द्वारा जब उस क्षेत्र में खनन कार्य किया जाता है। तो उस क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं के चरने के लिए कोई खाली जगह नहीं बचती है। इसके साथ वहां पर बढे हाल लगने से जल का दोहन होता है जब उन खनन क्षेत्रों से खनन किया गया माल वाहनों द्वारा दूसरे स्थानों के लिए ले जाया जाता है तो वहां के कच्चे रास्ते एवं पक्की सड़कें आम आदमी के चलने लायक नहीं बचती हैं। उन वाहनों से उड़ने वाली धूल किसानों की फसल पर पड़कर उत्पादन में काफी कमी लाती है। अत: उन किसानों, मजदूरों व पशुपालकों को सुरक्षित जीवन देने के लिए किसी ना किसी प्रकार का हिस्सा वहां के तीनों वर्गों के लिए रखा जाना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की खानों से देश का सर्वाधिक ताम्बा निकाला जाता है, किन्तु केन्द्र सरकार की गलत खनिज नीतियों के चलते उक्त क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र के विकास के लिए सरकार केन्द्र सरकार पर विशेष योजना बनाने का दबाव बनाये ताकि ताम्बा जैसी बहुमुल्य खनिज यहां से बहुतायत में निकाला जा सके एवं राज्य के राजस्व में बढोत्तरी हो सके।

इसके साथ ही, सरकार से मांग करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतडी में माइनिंग का कार्यालय खोला जाय।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर)

जैसलमेर जिले में मुख्य रेलवे स्टेशन पर लाइम स्टोन का जो माल डम्प होता है उसके लिए दूसरा स्टेशन बनवाया जावे, ताकि आने वाली शाही रेल के पर्यटकों को परेशानी नहीं हो व पर्यटक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

लाइम स्टोन व पेसेंजर ट्रेन दोनों एक ही जगह पर रूकती हैं। इससे प्रदूषण होता है।

श्री लादूराम (गुढामालानी)

बाड़मेर जिले उद्योगों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जिले के लोगों के पास रोजगार नहीं है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए तीनों उपखण्ड मुख्यालयों, गुढामालानी, धोरीमना एवं सिणधरी में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराकर नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

मुख्य मंत्रीजी जब धौरीमना पधारी थीं, तो उन्होंने यह बात डिक्लेयर की थी कि गुढामालानी, धोरीमना व सिणधरी में हीरा कटिंग उद्योग के लिए 24 घंटे बिजली, पानी एवं जमीन की व्यवस्था करेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि वे हीरा कटिंग उद्योग के विकास के लिए 24 घण्टे बिजली, पानी एवं जमीन की व्यवस्था कराने की कृपा करें। इससे मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

खनिज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम धोरीमना एवं मांगता के पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट का खनन किया जाता है, परन्तु स्थानीय स्तर पर इसके लिए कोई औद्योगिक इकाई नहीं होने के कारण कच्चे माल को ही राज्य में अथवा राज्य के बाहर पड़ोसी राज्यों में भेज दिया जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के खनन क्षेत्र धोरीमना एवं मांगता में सड़क से खनन क्षेत्र तक वाहनों के आने-जाने के लिए वर्तमान में डामर सड़क का अभाव है। इसलिए इन दोनों जगहों पर सुविधाजनक आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण कराया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में लूणी नदी स्थित है जिसमें से बजरी का खनन होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि बजरी खनन की लीज किसी एक ठेकेदार या फर्म को नहीं देकर छोटे-छोटे कई ठेकेदारों को लीज आबंटित की जाये जिससे कम्पीटिशन की वजह से बजरी की दरें नियंत्रित रह सकें और विकास एवं निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हो।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण)

अलवर जिले में उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एम.आई.ए. अलवर में संचालित हैं। उद्योगों को विकसित करने के लिए योजनाओं द्वारा प्रदेश में उद्योग इकाइयां सुचारू रूप से चलें, इस हेतु रीको द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। उन गांवों में विभाग द्वारा पेरीफेरी विकास कोष (ई.बी.एफ.) द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाना निश्चित होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के एम.आई.ए. औद्योगिक क्षेत्र में निम्न गांवों में सड़कें नहीं हैं, 1. डूमेडा, 2. खानपुर जाट, 3. गुन्दपुर, 4. भजीट, 5. झारेडा, 6. बेलाका, 7. देसूला, 8. नाहरपुर, 9. खेडीली सैयद।

अत: उपरोक्त गांवों की सड़कों का निर्माण (ई.बी.एफ.) रीको, अलवर द्वारा करवाने का श्रम प्रदान कर, मुझे अवगत कराने की कृपा करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत)

खनन उद्योग

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत लम्बे क्षेत्र में खनन होता है में आपको बताना चाहूंगी कि रायपुर पंचायत समिति में लिलाम्बा ग्राम पंचायत है। वहां जो लीज है। वो सीमेंट के लिए आरक्षित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय आज उक्त लीज से हजारों टन की मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। जिससे उक्त पहाड़ियां लगभग खतम होने के कागार पर हैं। गांव के नजदीक होने से आये दिन ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है खनन करते समय कई मकानों में दरारें भी आ गईं और कई बार खानों से पत्थर उछल कर घरों तक आ जाते हैं। ग्रामीणें ने कई बार जिला कलक्टर व सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायत दी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष मेरा आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन है कि इस अवैध खनन पर अतिशीघ्र रोक लगवाई जाए।

माननीय अध्यक्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशालपुरा ग्राम पंचायत है। अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। नदी की खुदाई 3 फीट नहीं खोदकर नियमों के विरुद्ध सोजत विधान सभा के सभी नदियों में खुदाई ऐसे करते हैं, कि भू-जल नहीं रूकेगा। अवैध रूप से प्रतिदिन हजारों टन बजरी अवैध निकाली जा रही है। जिससे नदी-नालों में पानी का ठहराव नहीं रहेगा और भू-जल स्तर गिर जाएगा, जिससे स्थानीय कृषकों के कुएं के पानी का जलस्तर खतरे में है। तथा जो भी खनन कर रहे ठेकेदारों तथा खनन विभाग के

अधिकारियों को पाबन्द करें कि नियमों के अनुरूप एवं जहां पर एलोट की हुई खसरे से ही बजरी खनन करे।

साथ ही क्षेत्रवासी द्वारा कई बार जिला कलक्टर साहब एवं उच्च अधिकारियों के तथा समाचार एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा भी बजरी अवैध खनन के बारे में शिकायतें दी गई हैं।

सोजत नगर की भूमि (नदी) के खनन की शिकायतें हुई थीं जिसका तथा भराई ओर रवानगी रसीद भी नम्बरिंग नहीं है।

खनन अवैध हो रहा है उसे रोका जाना एवं क्षेत्रवासियों के कुएं के जलस्तर सुरक्षित करने के हैं।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं। वहां विश्व स्तरीय मेहंदी का उत्पादन होता है। जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार लगभग 1.50 लाख हैक्टेयर में मेहंदी का कृषि कार्य एवं उत्पादन होता है। भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में श्रमिकों की संख्या नगण्य होने के कारण किसानों को मजदूरी के रूप में 1500 से 2000 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिदिन चुकाना पड़ रहा है। जिससे लागत मूल्य बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय इस लागत मूल्य को कम करने के लिए राजस्थान कृषि अनुसंधान विभाग ऐसी मशीनों का आविष्कार करे जिससे कम लागत में निवाई, गुडाई व मेहंदी कटाई का कार्य सुव्यवस्थित हो सके ताकि मेहंदी उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, माननीय सभापति महोदय बड़े स्तर पर मेहंदी का उत्पादन होने से कई परिवारों को रोजगार मिल रहा है। विशेष तौर से महिलाओं द्वारा मेहंदी के कोबा बनाना, मेहंदी कटाई करना व कोठा में मेहंदी पेस्ट को भरने का कार्य बडे पैमाने पर किया जाता है। लेकिन मेहंदी व्यवसाय व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास आज तक नहीं किये गये जिनका खामियाजा मेहंदी उत्पादन करने वाले काश्तकारों और मजदूरी करने वाले नागरिकों को उठाना पड़ रहा है।

मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि सोजत की विश्वस्तरीय मेहंदी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसे पक्की जिंस में लेकर इसके लिए मेकेनिकल प्रोसेस तैयार किये जायें। ताकि सरकारी सुविधाओं का लाभ अन्य उद्यमियों तरह सोजतवासियों को भी मिल सके।

सोजत विधान सभा क्षेत्र के मगरा क्षेत्र की छह पंचायतें गुडा कला, गुडारामसिंह, खोडिया, रायराकला, बिजागुडा, रामपुर में मगरा क्षेत्र के रहने वालों का मुख्य धंधा पत्थर निकालना और बेचकर अपनी आजीविका चलाना।

वन क्षेत्र होने से उन्हें आये दिन उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि सोजत क्षेत्र के मगरा क्षेत्र के रहने

वाले को आजीविका चलाने हेतु (S.T.P. अस्थाई) तौर पर दिया जावे ताकि अपना जीवन परिसर का भरण-पोषण पत्थर निकाल कर चला सके।

मैं माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे साहिबा से भी निवेदन करूंगी कि मगरा क्षेत्र के रहने वालों को खनन नीति में बदलाव कर आजीविका के अस्थायी या स्थायी S.T.P.दिया जावे ताकि परिवार का लालन-पलन कर सके।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर)

कोई भी निवेशकर्ता सबसे पहले उद्योग विभाग की वेबसाइटों पर चल रही स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अप्रवासी एवं एन आर आई द्वारा राजस्थान में निवेश किया जाये, इसके लिए योजनाओं को प्रभावी बनाया जाये। डी आई सी द्वारा चलाई जा रही उद्योग से सम्बन्धित सभी योजनाओं को प्रचार-प्रसार जोर-शोर से करना चाहिए।

हमारे सीकर जिले का नीमकाथाना क्षेत्र मिनरल्स से भरा पड़ा है व बड़ी अच्छी क्वालिटी का क्वार्टज है। इसको सेरेमिक हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

रीको क्षेत्र में सड़क व पार्किंग स्थानों का रखरखाव व मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा।

सीकर शहर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वह शहर के बीचों-बीच आ गया है। अत: उसमें आवासीय व कामर्शियल एक्टिविटीज की परमिशन देनी चाहिए व एक नये इंडस्ट्रियल एरिया शहर के पास ओर डवलप करना चाहिए।

सीकर व जयपुर सीमा पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना 2008-09 वसुंधराजी ने शुरू की थी, उसे वापस शुरू किया जाना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहां पर रबी की फसल नहीं होती। एक बहुत बड़ा क्षेत्र वन विभाग के पास है, उसमें से जो वन रहित क्षेत्र है उसको डि-फोरेस्ट करके यहां छोटे एवं बड़े उद्योग-धंधे स्थपित किये जा सकते हैं।

नवीन खनन पट्टे तुरंत जारी किये जाने चाहिये एवं यहा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ आनलाइन करनी चाहिये। पिछले कई दिनों से सीकर जिले के रैवासा एवं रूपगढ़ में अवैध खनन चल रहा है। इस पर तुरंत रोक लगाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

सदस्यवार-सूची

सोमवार, 28 जुलाई, 2014

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

अनुदान की मांग

-उद्योग मांग संख्या-42 का पारण 212

-खनिज मांग संख्या-43 का पारण 213

मुखबंद

अनुदान की मांग

-अन्य कर, मांग संख्या–12 का पारण 216

-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना, मांग संख्या–51 का पारण 222

-आबकारी, मांग संख्या–13 का पारण 216

-आवास, मांग संख्या–20 का पारण 218

-क्षेत्र का विकास, मांग संख्या–22 का पारण 218

-कोषागार व लेखा प्रशासन, मांग संख्या–25 का पारण 218

-जन सम्पर्क, मांग संख्या–18 का पारण 217

-जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या–30 का पारण 219

-जिला प्रशासन, मांग संख्या–4 का पारण 214

-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, मांग संख्या–29 का पारण 219

-न्याय प्रशासन, मांग संख्या–6 का पारण 214

-निर्वाचन, मांग संख्या–7 का पारण 215

-पेयजल योजना, मांग संख्या–27 का पारण 219

-पर्यटन, मांग संख्या–47 का पारण 222

-प्रशासनिक सेवाएं, मांग संख्या–5 का पारण 214

-प्राकृतिक आपदाओं से राहत, मांग संख्या–34 का पारण 220

-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, मांग संख्या–15 का पारण 217

-बिक्री कर, मांग संख्या–14 का पारण 217

-मंत्रिपरिषद, मांग संख्या-2 का पारण 213

-राजकीय उपक्रम, मांग संख्या–40 का पारण 221

-राज्य कर्मचारियों को ऋण, मांग संख्या–45 का पारण 222

-राज्य विधान मंडल, मांग संख्या–1 का पारण 213

नाम	पृष्ठ संख्या
-राजस्व, मांग संख्या–8 का पारण	215
-लेखन सामग्री एवं मुद्रण, मांग संख्या–44 का पारण	221
-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण, मांग संख्या–38 का पारण	220
-वन, मांग संख्या–9 का पारण	215
-विद्युत, मांग संख्या–48 का पारण	222
-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं, मांग संख्या–35 का पारण	220
-विविध सामाजिक सेवाएं, मांग संख्या–11 का पारण	216
-विविध सामान्य सेवाएं, मांग संख्या–10 का पारण	216
-श्रम और रोजगार, मांग संख्या–23 का पारण	218
-सचिवालय, मांग संख्या–3 का पारण	214
-सामुदायिक विकास, मांग संख्या–41 का पारण	221
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या–33 का पारण	220
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	118
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	118
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव	19
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-महिला अभियांत्रिकी में छात्राओं द्वारा देय शिक्षण शुल्क कम किया जाना	326
याचिका	
-अजमेर में कच्ची बस्ती कल्याणीपुरा एवं गुर्जर धरती में सिटी डिस्पेंसरी	61
श्रीमती अनीता (नगर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	123
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	123
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-भरतपुर सम्भाग में गौ-अभयारण्य की स्थापना	234
श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	138
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	138

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-केशवाना ग्राम (जालौर) में कृषि महाविद्यालय खोला जाना	334
श्री अमराराम (पचपदरा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	170
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	170
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-कुशलगढ़ में टीएडी योजनान्तर्गत कार्य	24
श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	378
श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर जिले में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कृष्णा सागर योजना की सड़कों का निर्माण	262
तारांकित प्रश्नोत्तर	
श्रम एवं नियोजन	
-प्रदेश में राष्ट्रीय बीमा योजना से लाभान्वित श्रमिक	228
श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	111
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	111
श्री अशोक (हिण्डौली)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति	30
श्री अशोक डोगरा (बूंदी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-नई कृषि उपज मण्डी (बूंदी) के निर्माण पर व्यय राशि	29

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री ओटाराम (सिरोही)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-सिरोही जिले में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद	244
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	381
श्री कन्हैयालाल (मालपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की टैस्टिंग फैट की दरों का निर्धारण	308
श्रीमती कमसा (भोपालगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-भोपालगढ़ में नाकारा के स्थान पर नए हैंडपम्प व ट्यूबवेल द्वारा पेयजल की उपलब्धता	331
श्री कैलाश चौधरी (बायतू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि	307
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	385
श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-जोधपुर जिले के चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स-रे मशीनों की स्थापना	315
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	173
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	173
श्री कैलाश वर्मा (बगरू)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-बृज विहार कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में हाइटेंशन लाइन से कारित दुर्घटनाएं	57

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कंवर लाल (मनोहरथाना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय (जयपुर) के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण	13
श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-मारवाड़ जंक्शन में गोचर भूमि का वन भूमि में हस्तान्तरण	294
श्री कालू लाल गुर्जर (माण्डल), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	153
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	202
श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासियों का राजकीय सेवा/शिक्षण संस्थानों में प्रतिनिधित्व	313
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	64
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	64
याचिका	
-राजसमंद में राज्य बीमा और प्रावधायी निधि की कटौतियों का खातों में संधारण	61
श्री खेमाराम (सुजानगढ़)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	154
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	154
श्री गजेन्द्रसिंह (लोहावट), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव	16

नाम	पृष्ठ संख्या
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-बृज विहार कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में हाइटेंशन लाइन से कारित दुर्घटनाएं	57
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-परबतसर में अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना	1
पर्यटन	
-खींचन (फलौदी) में पर्यटन विकास के कार्य	25
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि	48
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बजट घोषणा 2013-14 की पालना में स्वीकृत सीवर परियोजना को बंद करने से उत्पन्न स्थिति	37
श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-गुर्जर खानपुर (धौलपुर) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना	305
श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-गीजगढ़ (दौसा) कृषि उपज मण्डी में मूलभूत सुविधाएं	238
श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-बड़ी सादड़ी के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद	225
कृषि विपणन	
-उदयपुर सम्भाग में संचालित कृषि उपज मंडियां	5
डा. गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	134
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	134

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गोरधन (धोद)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	152
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	152
श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-करौली/दौसा/सवाई माधोपुर में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि	310
श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बजट घोषणा 2013-14 की पालना में स्वीकृत सीवर परियोजना को बंद करने से उत्पन्न स्थिति	36
श्री घनश्याम (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-करौली कस्बे की भूमि के सैटलमेन्ट में अनियमितताएं	288
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	157
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	157
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-टोडाभीम में व्याप्त रोजड़ों की समस्या	237
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू सांगानेर रोड पर मिसिंग बाइपास का निर्माण	269
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-खींचन (फलौदी) में पर्यटन विकास के कार्य	28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि	44

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु विशेष प्रयास	333
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	386
श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	160
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	160
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-उदयपुर सम्भाग में संचालित कृषि उपज मंडियां	3
श्री छोटू सिंह (जैसलमेर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जैसलमेर में स्वीकृत जी.एस.एस. को पूर्व निर्मित जी.एस.एस. लाइनों से जोड़ा जाना	330
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	393
श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 4-सी स्कीम माचडा जोन 6 की आवासीय योजनाएं	265
श्री जगसी राम (रेवदर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	166
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	166
श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	89
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	89

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अलवर (ग्रामीण) में सेक्टर रिफार्म स्कीम को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मर्ज करना	42
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	395
डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में राजकीय आवासों का बकाया किराया	253
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	95
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	95
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बहरोड़ में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य	241
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) का स्थानान्तरण	229
श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-श्रीमाधोपुर के प्राथमिक/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद	302
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	149
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	149

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री दर्शन सिंह (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-करौली कस्बे की भूमि के सैटलमेन्ट में अनियमितताएं	288
श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राजस्थान पुलिस द्वारा जमीनी सुरक्षा हेतु संचालित बीट व्यवस्था	283
स्वायत्त शासन	
-जहाजपुर नगर निगम/पालिका में भूमि विक्रय से प्राप्त राशि	258
-जहाजपुर नगरपालिका के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां	259
-जहाजपुर नगरपालिका मण्डल (भीलवाड़ा) की विभिन्न कमेटियों का गठन	255
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-जहाजपुर में माडा योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन	246
स्थगन प्रस्ताव	
-सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, तहसील मुख्यालय कोटड़ी एवं जहाजपुर में चिकित्सालयों के रिक्त पद	31
श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	397
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-कुशलगढ़ में टीएडी योजनान्तर्गत कार्य	22
श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-झालावाड़ जिले के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद	301

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवनीत लाल (घाटोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव	16
श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	388
श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव	19
श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-फुलेरा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें	314
देवस्थान	
-प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु तीर्थ यात्रा योजना	291
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर शहर में तीस फीट चौड़ी सड़क पर बहुमंजिले भवनों का निर्माण	268
श्री पब्बाराम (फलौदी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-फलौदी उपखण्ड क्षेत्र में नवीन जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना	254
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-खींचन (फलौदी) में पर्यटन विकास के कार्य	25
श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-खेतड़ी में पेयजल हेतु सिंगल फेस/थ्री फेस कनेक्शन	226
पर्यटन	
-खींचन (फलौदी) में पर्यटन विकास के कार्य	29

नाम	पृष्ठ संख्या

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-सहकारी साख समितियों के कार्मिकों का वेतन राज्य कर्मियों की भांति किया जाना 326

लिखित वक्तव्य

-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर 392

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि 55

श्री प्रभू लाल सैनी (अन्ता), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-उदयपुर सम्भाग में संचालित कृषि उपज मंडियां 4

-नई कृषि उपज मण्डी (बूंदी) के निर्माण पर व्यय राशि 30

डा. प्रेमचन्द बैरवा (दूदू)

अनुदान की मांग

-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार 131

-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार 131

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर)

अनुदान की मांग

-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार 80

-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार 80

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव 21

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर)

अनुदान की मांग

-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार 106

-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार 106

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाना	335
याचिका	
-कोटपूतली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजनौता में विज्ञान संकाय खुलवाना	61
-विराटनगर नगरपालिका का भवन निर्माण	61
श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	140
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	140
श्री बंशीधर (खण्डेला)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कार्मिक	
-राजकीय कार्यालयों में धूम्रपान/गुटखा पान मसालों के सेवन की रोकथाम हेतु शपथ-पत्र	253
श्री बाबू सिंह (शेरगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-जोधपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद	235
पर्यटन	
-खींचन (फलौदी) में पर्यटन विकास के कार्य	29
श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-केशोरायपाटन के थानों/पुलिस चौकियों में दर्ज प्रकरण	286
स्वायत्त शासन	
-लाखेरी (बूंदी) के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा संचालित कार्यों का निरीक्षण	257
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय (जयपुर) के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण	7

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री भैराराम चौधरी (ओसियां)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-ओसियां एवं प्रतापनगर पुलिस थानों में दर्ज एफ आई आर में कार्यवाही किया जाना	38
श्री भंवरसिंह (कोलायत)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर जिले की रजनी विहार कालोनी अजमेर रोड में सड़कों का निर्माण	271
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	144
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	144
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-उदयपुर सम्भाग में संचालित कृषि उपज मंडियां	6
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना	305
श्री भीमा भाई (कुशलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण	300
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-कुशलगढ़ में टीएडी योजनान्तर्गत कार्य	22
म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	382

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. मंजू बाघमार (जायल)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	383
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-सायपुरा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना	280
श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	116
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	116
स्थगन प्रस्ताव	
-आईपीएस अधिकारी को एसीबी द्वारा एक चिटफण्ड कम्पनी के निदेशक की मिलीभगत से झूठा फंसाने एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश की पालना नहीं करवाना	34
श्री मान सिंह (गंगापुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-प्रदेश में मृतक विद्युत कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति	236
श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-परबतसर में अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना	1
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 की अधिग्रहीत भूमि	260
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	73
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	73

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय (जयपुर) के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण	15
श्री यूनुस खान (डीडवाना), मंत्री	
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014	183
श्री रमेश (सपोटरा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	100
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	100
स्थगन प्रस्ताव	
-पी.डब्ल्यू.डी. के अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों को आबंटित राजकीय आवासों पर निर्माण कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार	31
श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-राजस्व विभाग (चूरू) में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरण	288
डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-प्रदेश में बढ़ते कर्ज भार को कम करने हेतु योजना	250
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-उद्योग मांग संख्या-42 का पारण	212
-उद्योग-मांग संख्या 42 की प्रस्तुति	63
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	184
-खनिज मांग संख्या-43 का पारण	212
-खनिज-मांग संख्या 43 की प्रस्तुति	63
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	184

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय (जयपुर) के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण	8
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014	223
श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	179
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	179
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-कोटपूतली से मथुरा मार्ग पर बसों का संचालन	243
श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-पृथ्वीराज नगर, जयपुर में नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि	51
श्री रामचन्द्र (डग)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	374
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय (जयपुर) के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण	14
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-चौमूं में कालाडेरा स्थित कोकाकोला कम्पनी द्वारा जलदोहन	40
श्री रामेश्वर लाल डूडी (नोखा), नेता, प्रतिपक्ष	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-पीपलखूंट पंचायत समिति के विद्युत कनेक्शनों से वंचित गांव	20

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-किशनगढ़ बास में गौ-पालक बीमा योजना के तहत देय छात्रवृत्ति	307
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	181
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	181
श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि	295
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की योजना	245
समिति प्रतिवेदन : जन लेखा	
-जन लेखा समिति (2014-15) (क्र. सं. 24 से 30)	62
श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना	332
श्री लादूराम (गुढामालानी)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	394
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-अजमेर डिस्काम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी	303
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्रदेश में नकली दवाओं के दर्ज प्रकरण	230
श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	71
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	71

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बानसूर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना	329
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	389
श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	384
श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-झालरापाटन ग्राम तहसील रामपुर (पाली) की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण	291
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	386
श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस अधीक्षक कार्यालय भीलवाड़ा में लम्बित प्रकरण	285
राजस्व	
-उदयपुर की गिर्वा तहसील में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों की भूमि	322
-उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी भूमि	320
वित्त	
-केकड़ी कस्बे में अनुसूचित जाति के खातेदारों की कृषि भूमि का पंजीकरण	249
श्री शैतानसिंह (पोकरण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-प्रदेश में फसलों की सुरक्षा हेतु रोजड़ों से मुक्ति की योजना	278

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जैसलमेर पोकरण क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना	329
श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पीलखेड़ी ग्राम (निम्बाहेड़ा) स्थित रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति	328
श्री श्रीराम भींचर (मकराना)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	390
श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	380
श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सिरोही व शिवगंज तहसील में गोचर व ओरण भूमि पर अतिक्रमण	286
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	176
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	176
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में राशन कार्ड वितरण व खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों की पूर्ति का अभाव	334
श्रीमती संजना आगरी (सोजत)	
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	395
श्री संजीव कुमार (भादरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-सहायक अभियन्ता कार्यालय, गोगामेड़ी का स्थानान्तरण	231

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के राजस्व ग्राम देवाली के भूखण्ड संख्या एक का नियम-विरुद्ध नियमन	266
राजस्व	
-जैतारण के राजस्व ग्रामों का स्थानान्तरण प्रकरण	287
श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-भीलवाड़ा डेयरी के प्रबन्धक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	309
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
तकनीकी शिक्षा	
-श्रीगंगानगर जिले में कृषि अभियान्त्रिकी महाविद्यालय की स्थापना	320
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-नगर निगम जोधपुर की भूमि पर अतिक्रमण	232
श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-उदयपुर सम्भाग में संचालित कृषि उपज मंडियां	7
श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-पुष्कर में कायड़ स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की खनन लीज का आबंटन	272
लिखित वक्तव्य	
-मांग संख्या 42-उद्योग व मांग संख्या 43-खनिज पर	375

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राजकीय कार्यालयों से फाइल/रिकार्ड चोरी के दर्ज प्रकरण	278
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	127
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	127
स्थगन प्रस्ताव	
-पंजाब से इंदिरा गांधी नहर की विभिन्न वितरिकाओं से दूषित पेयजल आपूर्ति से क्षेत्र के लोगों में गम्भीर बीमारियां	30
श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बाड़मेर जिले में अतिरिक्त ए.एन.एम. के अन्तर जिला स्थानान्तरण	240
श्री हरिसिंह रावत (भीम)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	168
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	168
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्यों के पदोन्नति प्रकरण	318
श्री हीरालाल नागर (सांगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों से कृषि ऋण की वसूली	296
सूचना	
-अत्यधिक वर्षा के चलते कोटा की चांगलोई नदी में आयी बाढ़ में फंसे व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता	164